चतुर्दश माला, खंड 35, अंक 2

मंगलवार, 22 जुलाई, 2008

31 आषाढ़, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB 025
Block 'G'
Acc. No. 75
Dated 16 April 2009

(खण्ड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

रविन्द्र कुमार चड्ढा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

प्रतिभा कश्यप
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 35, सैरहवां सत्र, 2008/1930 (शक)
अंक 2, मंगलवार, 22 जुलाई, 2008/31 आषाढ़, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया हॉकी कप जीतने पर भारत की की जूनियर हॉकी टीम को बधाई	1-2
सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति	2
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
41वां प्रतिवेदन	3
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
60वां और 61वां प्रतिवेदन	3-5
मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव	
श्री पी. चिदम्बरम	5-23
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	23-49
श्री राहुल गांधी	66-71
श्री अनंत कुमार	71-77
श्री लालू प्रसाद	77-88
श्री बसुदेव आचार्य	88-98
श्री असादुद्दीन ओवेसी	102-109
सुश्री महबूबा मुफ्ती	109-113
श्री उमर अब्दुल्ला	113-115
प्रो. महादेवराव शिवनकर	115-118
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा	118-123
श्रीमती किरण माहेश्वरी	123-127
श्री जोवाकिम बखला	127-128

विषय | कॉलम

श्री हंसराज ग. अहीर 128-131

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 131

श्री चंद्रकांत खैरे 132-133

डा. सी. कृष्णन 133-136

श्री अधीर चौधरी 136-141

श्री नवीन जिन्दल 142-146

श्री अविनाश राय खन्ना 146-148

प्रो. एम. रामदास 148-151

श्री श्रीपाद येसो नाइक 151-155

ले. जनरल (सेवानिवृत्त) तेजपाल सिंह रावत 155-157

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी 157-159

चौधरी विजेन्द्र सिंह 160-162

श्री विक्रम केशरी देव 162-164

श्रीमती मेनका गांधी 165-172

श्रीमती नीता पटैरिया 173-174

डा. सत्यनारायण जटिया 174-175

श्री एस.के. खारवेनथन 176-182

श्री बची सिंह रावत "बचदा" 182-189

श्री पी. करूणाकरण 189-196

श्री पी.एस. गढ़दी 196-198

श्री बी. विनोद कुमार 198-200

श्री फ्रांसिस फैन्थम 200-202

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव 202-203

श्रीमती करूणा शुक्ला 203-205

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह 205-206

श्री के. फ्रांसिस जार्ज 206-209

विषय	कॉलम

श्री सुखबीर सिंह बादल 209-211

श्री आलोक कुमार मेहता 212

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार 212-216

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 216-218

श्री मणि चारेनामै 218

श्री किन्जरपु येरननायडु 218-226

श्रीमती रंजीत रंजन 226-229

श्री हेमलाल मुर्मू 230-231

श्रीमती रुबाब सईदा 231-234

डा. मनमोहन सिंह 235-272

सदस्यों द्वारा निवेदन

माननीय संसद सदस्यों को दी गई कथित धमकी के बारे में 49-66

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

(एक) सभा में घटित कुछ घटनाएं 98-101

(दो) सदस्यों को भीतरी दीर्घा से मतदान करने की अनुमति 101-102

राष्ट्र गीत 272

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 22 जुलाई 2008/31 आषाढ़, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया हॉकी कप जीतने पर भारत की जूनियर हॉकी टीम को बधाई

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत हर्ष है - बल्कि मुझे यह (घोषणा) कल ही करनी चाहिए थी - और मुझे यकीन है कि आप सभी भारत की जूनियर हॉकी टीम को जूनियर एशिया हॉकी कप जीतने पर बधाई देने में मेरा साथ देंगे। उन्होंने हमें गौरवान्वित किया है। हमें बहुत दुख है कि हमारी टीम इस वर्ष ओलम्पिक में नहीं है लेकिन हमारी जूनियर हॉकी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हम सभी शुभकामनाएं देते हैं। मुझे यह याद दिलाने के लिए श्री मोहन रावले का भी धन्यवाद करता हूं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 21 जुलाई, 2008 को इस सभा को प्रस्तुत अपने दसवें प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की है :-

1.	श्री कैलाश जोशी	–	15-11-2007 से 07-12-2007
2.	डा. मोहम्मद शहाबुद्दीन	–	01-12-2007 से 07-12-2007
		–	25-02-2008 से 20-03-2008 और
		–	15-04-2008 से 09-05-2008
3.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	–	03-03-2008 से 19-03-2008
4.	श्री डी.सी. श्रीकांतप्पा	–	25-02-2008 से 20-03-2008 और
		–	15-04-2008 से 09-05-2008
5.	श्री अतीक अहमद	–	25-02-2008 से 20-03-2008
6.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	–	15-11-2007 से 07-12-2007
		–	25-02-2008 से 20-03-2008 और
		–	15-04-2008 से 25-04-2008

क्या सभा समिति द्वारा यथा संस्तुत, सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति देती है?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदय: अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

41वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. राम गोपाल यादव (संभल): मैं "कृषि उत्पादों की मूल्य निर्धारण नीति" के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति की 41वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.02½ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

60वां और 61वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री निखिल कुमार: मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2007-2008) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित "प्रसार भारती की भूमिका और इसकी भावी स्थिति" के बारे में समिति के 47वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 60वां प्रतिवेदन।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित "सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (सी-डैक) का कार्यकरण" के बारे में समिति के 49वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 61वां प्रतिवेदन।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): अध्यक्ष महोदय, मीडिया बेवजह हम लोगों का नाम उछाल रही है।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री सुकदेव पासवान से अपील करता हूं कि वह मुझ पर कृपा करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अचानक बहुत सक्रिय हो गए हैं। जब मैं भवन में प्रवेश कर रहा था तो आपने कहा था कि समाचार पत्रों में आपके बारे में कुछ छपा है।

[हिन्दी]

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): सर, फोटो भी छाप दिया है।

अध्यक्ष महोदय: पॉलीटिशियन्स के फोटो तो छापते रहते हैं, उसमें नई बात क्या है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा इस मामले में क्या कर सकती है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री खारवेल स्वाईं: महोदय, इनको प्रीविलेज नोटिस दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इतने समझदार और एक्सपीरियंस्ड मैम्बर हैं, आप तो जानते हैं, इसलिए आप प्रीविलेज का नोटिस दीजिए। हम उसे देखेंगे।

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): आप अध्यक्ष महोदय की ओर हाथ हिला-हिलाकर बात नहीं कर सकते। पर एक बहुत साधारण बात है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं: नहीं तो किसे बोलेंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाएं। यदि आप विशेषाधिकार का मामला उठाना चाहते हैं तो आप मेरे पास उसकी सूचना भेजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं वहां हूं। मैं आपके अधिकारों और हितों का ध्यान रखूंगा।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइये। मेहरबानी करके बैठिये। आपके लीडर को भी बोलना है, अभी गड़बड़ हो जाएगी तो उनके लिए मुसीबत हो जाएगी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): इनके सात मिनिस्टर्स बोले हैं, एक मैम्बर नहीं बोला और जितना टाइम इन्होंने लिया है, उसका एक तिहाई भी हमें नहीं मिला। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बैठ जाइये। यह क्या हो रहा है? हां, श्री चिदम्बरम।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा, जब आप अपना भाषण दें तभी आप अपनी टिप्पणियां कर सकते हैं।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव - *जारी*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के सत्ता में आने के 42 महीने बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह विश्वास मत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं कल से विपक्ष के नेता और कई अन्य माननीय सदस्यों के भाषण ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं।

महोदय, इस सरकार ने सत्ता संभालने के बाद विश्वास मत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था। आम तौर पर यह माना जा रहा था कि इस सरकार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। वाम दलों के समर्थन वापस ले लेने के पश्चात् एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां आवश्यक संख्या - होने के बाद भी माननीय विदेश मंत्री जी ने कल साधारण अंक गणित के जरिए आवश्यक संख्या बता भी दी थी - यह प्रश्न पैदा हो गया कि क्या इस सरकार को इस सभा का विश्वास प्राप्त है भी या नहीं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा में शांति बनाए रखें। यदि आप की रुचि नहीं हैं तो आप बाहर जा सकते हैं और केवल मतदान के समय वापस आ जाएं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वह प्रस्ताव पेश करेंगे और उन्होंने इसे एक संक्षिप्त परंतु प्रभावशाली भाषण के साथ प्रस्तुत भी किया।

मेरे अच्छे मित्र, श्री सलीम ने कहा कि हम न्यूनतम साझा कार्यक्रम के छह मूल सिद्धान्तों से भटक गए हैं। यदि मेरे पास समय होता तो मैं इनमें से सभी के बारे में बात करता, परन्तु चूंकि आज मेरे पास समय कम है, और यहां श्री मल्होत्रा जैसे कई अन्य माननीय सदस्य हैं जो इस पर बोलेंगे - अत: मैं इन छह में से दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तों के बारे में ही बात करूंगा।

पहली बात तो यह है कि यह सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अर्थव्यवस्था कम से कम सात से आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सतत् रूप से बढ़ेगी। 42 महीनों के पश्चात् क्या स्थिति है? पहले चार वर्षों में अर्थव्यवस्था में 8.9 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई है। इसकी तुलना एन.डी.ए. के छह वर्षों के शासनकाल के दौरान 5.8 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से कीजिए। हम दसवीं योजना के अंत में सत्ता में आए थे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा में शांति बनाए रखिए।

श्री पी. चिदम्बरम: दसवीं योजना का लक्ष्य 8 प्रतिशत था। वर्ष 2005-06 के दौरान 9.4 प्रतिशत और 2006-07 के दौरान 9.6 प्रतिशत की दर से अर्थव्यवस्था विकसित होने के फलस्वरूप ही हम दसवीं योजना के दौरान

[श्री पी. चिदम्बरम]

7.8 प्रतिशत की औसत विकास दर हासिल कर पाए जो कि आठ प्रतिशत के लक्ष्य के बहुत करीब है। ग्यारहवीं योजना 2007-08 में शुरू होती है। अनिष्ट की भविष्यवाणियां की जा रही थीं। मैंने हमेशा कहा था कि हम 2007-08 में 9 प्रतिशत के करीब विकास दर हासिल करेंगे।

वास्तव में, जब हमारे पास कृषि के पुनरीक्षित अनुमान आए तो हमने देखा कि 2007-08 में विकास दर 9.1 प्रतिशत के निकट थी। हमने ग्यारहवीं योजना की अच्छी शुरुआत की और मुझे विश्वास है कि हम अपने 7 से 8 प्रतिशत की दर से विकास करने के वायदे को पूरा कर पाएंगे।

महोदय, मैं कृषि के बारे में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। वर्ष 2007-08 भारतीय कृषि के इतिहास में रिकार्ड उत्पादन हुआ है। खाद्यान्नों का उत्पादन अपने सर्वोच्च स्तर 230.7 मिलियन टन तक पहुंच गया है। इसमें से चावल का उत्पादन 96.43 मिलियन टन है जो कि एक रिकार्ड है; गेहूं का उत्पादन 78.4 मिलियन टन है, जो कि एक रिकार्ड है; और अनाजों का उत्पादन 40.7 मिलियन टन है; जो एक रिकार्ड है; दलहन उत्पादन 15.1 मिलियन टन रहा, जो एक रिकार्ड है; तिलहनों का उत्पादन 28.87 मिलियन टन रहा जोकि पुनः एक रिकार्ड है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सदन के सभी पक्षों से बार-बार अपील कर रहा हूं। यदि आप प्रत्येक वक्ता के भाषण में इसी प्रकार से व्यवधान डालते रहेंगे तो अध्यक्षपीठ क्या कर पाएंगी? नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न करें। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनके भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: यह एक बीमारी बन चुका है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं मुझे खेद है। श्री गीते, आप एक दल के नेता हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: श्री गीते यदि मुझे सही याद आ रहा है कल मैं यहां था और आपका भाषण टेलीविजन में सुन रहा था, मैंने टेलीविजन बन्द नहीं किया था, इसलिए, कृपया मुझे धैर्य से सुनें।

कपास का उत्पादन 25.81 मिलियन गांठ थी जो एक रिकार्ड है। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा दूरदर्शी योजनाओं, अथक प्रयास और छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने से हुआ। इस सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन आरंभ किया। इस सरकार ने जल निकायों का पुनरुद्धार, मरम्मत और पुनःस्थापन किया। सरकार ने सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुद्धार हेतु वैद्यनाथन समिति गठित की। इस सरकार ने दलहनों हेतु एक मिशन आरंभ किया। इस सरकार ने वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित किया। इस सरकार ने 25,000 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और 4882 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया। इस सरकार के शासन में 2003-04 में कृषि में पूंजी निर्माण 10.2 प्रतिशत से बढ़ कर 2006-07 में 12.5 प्रतिशत हो गया था।

प्रथम चार वर्षों के दौरान हमने आर.आई.डी.एफ. के तहत 50,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृत किया है और चालू वर्ष हेतु निधि 18000 करोड़ रुपये है। इसलिए, महोदय, मैं विनम्रभाव से आपसे जानना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में क्या किसी भी चार वर्षों में कृषि हेतु इतना किया गया है? यह एक मुश्किल भरा वर्ष है। मैं आपको वचन देता हूं कि इस मुश्किल भरे वर्ष में भी हमारी विकास दर न्यूनतम साझा कार्यक्रम से अधिक होगी। और विकास दर एन.डी.ए. के 6 साल के शासन से भी अधिक होगी।

छः सिद्धांतों से इतर एक अन्य के अनुसार किसानों, कृषि मजदूरों और विशेषकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण और स्थिति में अधिक सुधार लाना था। किसानों हेतु किसी भी सरकार ने इस सरकार जितना कार्य नहीं किया है। मुझे पता है कि कुछ किसान आत्महत्या करते हैं। ऐसा दस वर्ष पहले भी होता था चार वर्ष पहले भी। प्रत्येक आत्महत्या एक दुःखद घटना है। जब भी कोई

आत्महत्या होती है तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। इसलिए हमने किसानों की आवश्यकताओं को विधिवत रूप से पूरा किया है। हमें विश्वास है कि कुछ परिणाम प्राप्त हो गए हैं और अधिक प्राप्त होने हैं।

महोदय, कृषि ऋण 2003-04 में 86,000 करोड़ रुपये से बढ़ कर 2007-08 में 2,50,000 करोड़ रुपये हो गया है। इस वर्ष 2,80,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य है परन्तु हम इससे भी आगे निकल जाएंगे, कृषि मजदूर की सहायता हेतु जिसे वर्ष भर काम नहीं मिलता है हमने एन.आर.ई.जी. योजना चालू की। 15 महीनों से भी कम समय में योजना को देश के सभी 597 ग्रामीण जिलों में आरंभ किया है। एन.डी.ए. ने एन.आर.ई.जी. योजना लागू क्यों नहीं की? वृद्धावस्था पेंशन के रूप में मात्र 75 रुपये दिए जाते थे। हमने इसे 200 रुपये प्रति माह कर दिया। हमने निराश्रित होने की भी शर्त समाप्त कर दी। हमने राज्य सरकारों को 200 रुपये अतिरिक्त देने हेतु भी मना लिया। एन.डी.ए. ने वृद्ध लोगों की मुसीबतों को अनदेखा क्यों कर दिया?

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों हेतु संसद के समक्ष एक ऐतिहासिक विधेयक है। हम विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। हमने विधेयक पर मतभेदों को अभी दूर नहीं किया है। इसके बावजूद विधेयक पारित होने से पूर्व हमने आम आदमी बीमा योजना विधेयक पुरःस्थापित किया जिसके तहत गरीब व्यक्तियों का मृत्यु या निःशक्तता बीमा किया जाएगा। 1 अक्तूबर तक हम एक करोड़ लोगों का बीमा करेंगे। स्वास्थ्य बीमा योजना गरीबों का चिकित्सा बीमा करेगी। ग्यारह राज्य तैयार हो गए हैं। जनश्री बीमा योजना, स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्यों का स्वास्थ्य और जीवन बीमा करेगी। महोदय, एन.डी.ए. ने असंगठित क्षेत्र हेतु एक भी योजना लागू क्यों नहीं की?

अंत में, इस देश के इतिहास में किसी भी सरकार ने इस सरकार जैसी इतनी बड़ी ऋण माफी योजना आरंभ नहीं की है। मुझे इस सभा को भागीदार वित्तीय संस्थाओं से एकत्र आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि ऐसे हमारे निर्णय हैं।

50,254 करोड़ रुपये के ऋण माफ किए गए हैं। 16,223 करोड़ रुपये के ऋणों में राहत दी गई है। इस प्रकार ऋण माफी और ऋण राहत राशि 66,477 करोड़ रुपये की है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: रिकार्ड में कुछ भी नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: सभा में बहुत शोर हो रहा है। कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री गंगाराम गीते आप एक आदरणीय सदस्य और एक अति आदरणीय नेता हैं। कृपया बैठ जाएं। आज आप अत्यंत भावुक प्रतीत हो रहे हैं। आप बहुत ही महत्वपूर्ण दल के नेता हैं। कृपया व्यवधान न डालें। कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री पी.सी. थाम्स, कृपया बैठ जाएं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, कुल राशि, मैं पुनः दोहराता हूं, ऋण माफी और ऋण राहत की कुल राशि 66,477 करोड़ रुपये है। लाभार्थियों में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या 2,98,05,305 और अन्य किसानों की संख्या 65,81,818 है। अतः कुल लाभार्थियों की संख्या 3,63,00,000 है...*(व्यवधान)*

महोदय, माननीय सदस्य ध्यान दें कि मैंने इस सभा को किए वायदे से भी बेहतर परिणाम प्राप्त किए हैं। ऋण माफी और राहत योजनाओं के अभाव में यह 3 करोड़ तथा 63 लाख किसान ऋण के पात्र नहीं होते। इन्हें अब ऋण दिया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप बुआई क्षेत्र में विस्तार हुआ जिसका प्रभाव वर्ष के अंत में खाद्य उत्पादन में वृद्धि के रूप में दिखाई देगा।

महोदय, इस वाद-विवाद का रुख स्वाभाविक रूप से उस करार की ओर है जिस पर हमने अमेरिका के साथ हस्ताक्षर किए हैं।...*(व्यवधान)* हमें यह याद करना चाहिए कि भारत ने केवल एक देश से करार नहीं किया है। इसने एक से ज्यादा देशों के साथ यह करार किया है। हमने अमरीका के साथ करार किया है, हमने फ्रांस के और रूस के साथ करार किया है। जैसा कि विदेश मंत्री ने कहा है। इन करारों को लागू करने से पहले हमें दो चरणों से गुजरना होगा। पहला, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सुरक्षा करार और दूसरा, एन.एस.ज़ी. से छूट।

123 करार और हाइड एक्ट के बारे में प्रश्न पूछे

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी. चिदम्बरम]

गए। जहां तक मैं समझता हूं, मुझे स्पष्ट करने दीजिए और मैं ईमानदारी से माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे कुछ मिनट के लिए मेरी बात सुनें। ये कोई बहुत ही जटिल विधिक मुद्दे नहीं हैं।

1954 में अमरीका ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम को अंगीकार किया था। यह अधिनियम अमरीका को किसी देश के साथ परमाण्वीय मामलों में सहयोग करने से रोकता है जब तक कि कुछ शर्तें पूरा नहीं की जाती हैं। धारा 123 अमरीकी राष्ट्रपति को प्रस्तावित करार को शर्तों से छूट देता है। यही कारण है कि इस करार को '123 करार' कहा जाता है। हाइड एक्ट 2006 में पारित हुआ था और दिसम्बर, 2006 में यह कानून बना। कृपया तिथि पर ध्यान दें। भारत और अमेरिका के बीच '123 करार' पर सहमति 1 अगस्त, 2007 को हुई।

इसलिए '123 करार' हाइड एक्ट के लागू होने के बाद हुआ है। अमरीका में यह सुस्थापित संवैधानिक सिद्धांत है, स्पष्ट लिखित है कि जब एक विधेयक को कानून बनाते समय राष्ट्रपति अपने संवैधानिक विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए तथा यू.एस. अधिनियम के किसी भी प्रावधान की अनदेखी करते हुए एक हस्ताक्षरित बयान जारी कर सकते हैं।

यू.एस. अधिनियम के प्रावधानों से हमारा कोई संबंध नहीं है, न ही इस बात से हमारा कोई संबंध है कि अमरिकी राष्ट्रपति क्या कहते हैं। यह उनका घरेलू मामला है। लेकिन तथ्य यह है कि अमरिकी राष्ट्रपति ने एक हस्ताक्षरित बयान जारी किया जब उन्होंने हाइड एक्ट को कानून बनाने के लिए इस पर हस्ताक्षर किया था। छह माह के बाद हमने '123 करार' के लेख से सहमति जताई थी। प्रश्न यह है कि '123 करार' की स्थिति क्या है। अमरीका में स्थिति बिल्कुल साफ है। प्रत्येक अमरीकी टिप्पणीकार, समाचार और विश्लेषक ने कहा है कि '123 करार' हाइड एक्ट के प्रावधान के प्रतिकूल नहीं है क्योंकि वाइट हाउस के अनुसार, एक बार जब इस करार को समझा जाता है, तो बाद के 123 करार में, अमरीकी-भारत के बीच परमाणु सहयोग की विस्तृत जानकारी सामने आ जाएगी और 123 करार हाइड एक्ट में दिए गए अपवादों पर गहन विचार करता है तथा एक बार जब कांग्रेस 123 करार का अनुमोदन कर देती है तो अकेला यही करार अमरीका और भारत के विशिष्ट अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी देगा जो अभी लागू हैं तथा जिनसे यह करार शासित और नियंत्रित होता है।

अब, आप मेरे दृष्टिकोण से इस पर विचार करें। यह अमरीका की व्याख्या थी, वह व्याख्या जिस पर मैं भरोसा करता हूं, क्योंकि अमरीका इसको इसी प्रकार देखता है। मात्र 123 करार में ही पक्षकारों के सारे अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी हो जाएगी। जब हम इस पर भारतीय कानून के नजरिये से विचार करेंगे। अनुच्छेद 2.5 के अनुसार मैं आपसे पढ़ने का अनुरोध करता हूं - 123 करार पक्षों के बीच पूर्ण सिविल परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए सक्षम बनाना है। "कृपया 'सक्षम बनाना' शब्दों को रेखांकित करें। यह करार पक्षकारों के बीच पूर्ण सिविल परमाणु ऊर्जा सहयोग को संभव बनाने के लिए है। इसमें औद्योगिक स्तर या व्यापारिक स्तर पर ऐसे सहयोग पर विचार किया गया है। अनुच्छेद 16 के अनुसार यह करार उसी दिन लागू हो जाता है जिस दिन इसके पक्षकार आपस में राजनयिक टिप्पणियों, का एक दूसरे को सूचित करते हुए आदान-प्रदान करते हैं जिसमें बताते हैं कि उन्होंने सभी अनुयोज्य जरूरतें पूरी कर ली हैं। 123 करार की विधिक स्थिति यह है कि इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। भारत और अमरीका द्वारा एक दूसरे को अधिसूचित कर देने के बाद ही यह लागू होगा और वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब सभी अनुयोज्य जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। इसलिए, यह एक समर्थकारी करार है। इस के लागू होने के बाद भी आपको परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में औद्योगिक अथवा व्यापारिक स्तर पर सहयोग के लिए और करार करने होंगे।

दूसरा प्रश्न यह है कि आप हमारे कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत 123 करार या पूर्व के करारों की व्याख्या कैसे करते हैं? 123 करार के अनुच्छेद 16.4 में कहा गया है कि "करार अच्छाई के लिए और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत कार्यान्वित होगा।" कृपया इस पर ध्यान दें। इस समझौते की अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार व्याख्या की जाएगी तथा इसे कार्यान्वित किया जाएगा। संधि कानून पर वियना सम्मेलन तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अंतर्गत कोई भी पार्टी इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रावधानों को संधि करने में असफलता के औचित्य के रूप में नहीं बता सकती। 123 करार एक संधि है। हाइड एक्ट एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है। संधि के प्रति अपनी बाध्यताओं को पूरा करने से परहेज के लिए आप हाइड एक्ट का उपयोग नहीं कर सकते।

पुनः, 123 करार का यू.एस. कांग्रेस द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद - यह मतदान पर निर्भर करता है - जब

कांग्रेस इसका समर्थन कर देती है तब यह इस विषय पर तथा सिद्धांत के तहत इस विधान की अंतिम अभिव्यक्ति होगी। जिसके बारे में सभी कानूनविदों को पता होगा और यह विधान इस विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधान से ऊपर होगा।...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल (हुगली): हो सकता है मैं इसे न जानता हूं...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: मैं बोलना बंद नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसे पूरा करना है।

इसके अतिरिक्त, यू.एस. संविधान के अनुच्छेद छह (2) के अंतर्गत सभी की गई संधियां जिन्हें अमरीकी प्राधिकार के तहत सम्पन्न किया गया है, देश की सर्वोत्तम कानून होगीं। इस मामले में किसी दृष्टिकोण से हाइड एक्ट भारत को प्रतिबंधित नहीं करता है। यह 123 करार को क्रियान्वित करने में बाधा नहीं डाल सकता। 123 करार स्वत: भारत और अमरीका के बीच अधिकारों और जिम्मेदारियों की व्याख्या करता है। वियाना सम्मेलन के अंतर्गत यह विधायिका की अंतिम अभिव्यक्ति होगी और हम केवल 123 करार को मानने के लिए ही बाध्य हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल एक मिनट।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं हो रहा है।

मैंने आपको स्पष्टीकरण के लिए एक मौका दिया है लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। जब हम मतदान के लिए लोगों के पास जायेंगे तब वे इस बारे में निर्णय लेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह तो मुसीबत हो गयी।

[अनुवाद]

आप उनके वक्तव्य से बंधे हुए नहीं हैं।

[हिन्दी]

अब क्या होगा। अभी आप बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अधिवक्ता इसी उद्देश्य के लिए हैं। आपको इसका पता नहीं है। आपने कभी भी इसका सामना नहीं किया है। मैंने इसका सामना किया है।

श्री पी. चिदम्बरम: 11 सितम्बर, 2007 से 6 जून, 2008 के बीच संप्रग-वाम समिति ने 9 बैठकें कीं। 9 अक्तूबर, 2007 को चौथी बैठक में माकपा (मा) के सदस्यों ने नोट किया कि वामदल सिद्धांतों पर आधारित सुरक्षोपाय समझौते के विरुद्ध नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे कि वे पृथक योजना के विरुद्ध भी नहीं हैं।

123 समझौते पर उनकी आपत्ति जारी है। 22 अक्तूबर, 2007 को पांचवीं तथा 16 नवम्बर, 2007 को छठी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। छठी बैठक में बातचीत के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि 'हाइड एक्ट' और 123 समझौते के प्रावधानों का आई.ए.ई.ए. सुरक्षोपाय समझौते पर प्रभावों की जांच की जाए और चूंकि इसके लिए भारत-विशिष्ट सुरक्षोपाय समझौते के पाठ का अध्ययन करने के लिए आई.ए.ई.ए. सचिवालय से बातचीत आवश्यक है, अत: सरकार बातचीत आगे बढ़ाएगी और इसके निष्कर्षों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संक्षेप में, सरकार ने यही किया गया है।

बातचीत के लिए सरकार आई.ए.ई.ए. सचिवालय गई। समझौते के पाठ पर सहमति हो गयी। उस पाठ को यथावत रखा गया। 17 मार्च, 6 मई और 25 जून को हमने समिति के समक्ष इसके निष्कर्षों को प्रस्तुत किया। हमने अपारदर्शी तरीके से कुछ भी नहीं किया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम: हमने यह कार्य अत्यधिक पारदर्शी तरीके से किया है। हमने सभी को अपने साथ शामिल

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी. चिदम्बरम]

करके बताया कि बातचीत का निष्कर्ष क्या रहा और अब इसका पाठ भी उपलब्ध है। अब आई.एस.एस.ए. का पाठ उपलब्ध है। आई.एस.एस.ए. का पाठ स्पष्ट रूप से यह बताता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम: श्री सलीम, कृपया बैठ जाइए।

हमारे कामरेडों में से कोई भी समिति का सदस्य नहीं था। हमें पता है समिति में क्या हुआ। हमने कहा था कि जिस दिन आधिकारिक तौर पर आई.ए.ई.ए. बोर्ड के सदस्यों के बीच आई.एस.एस.ए. का पाठ परिचालित किया जाएगा उसी दिन इसे भारत में उपलब्ध करा दिया जाएगा। जब हमने आई.ए.ई.ए. बोर्ड के सदस्यों को इसे परिचालित करने का निर्णय लिया उसी दिन हमने इसे भारत में उपलब्ध करा दिया था...*(व्यवधान)* इसका पाठ अब भारत में उपलब्ध है ...*(व्यवधान)*

महोदय, वे हर समय व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, आपने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब उन्हें अपनी बात कहने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: शोर मचाने के बजाय आप अपनी बात क्यों नहीं कहते। आपके नेता इस पर बोलने वाले हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि वह इन मुद्दों को शामिल करेंगे। अनावश्यक रूप से क्षुब्ध न हों। इतने अधिक व्यग्र न हों। इससे कोई लाभ नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके नेता बोलने वाले हैं। आप अपने सभी मुद्दे उन्हें बता दें।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैंने कल श्री सलीम की बात धैर्यपूर्वक सुनी। मैं समझता हूं कि वह भी मेरी बात ध्यान से सुनने का शिष्टाचार निभायेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हां, यह बात ठीक है।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: कृपया पहले ध्यान से सुनिए।

महोदय, एक संक्षिप्त प्रश्न यह है - क्या भारत वर्ष 1974 और उसके पश्चात् 1998 से परमाणु क्षेत्र में अलग-थलग पड़ने की स्थिति को समाप्त करना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में माननीय प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने क्या कहा था? मैं उद्धृत करता हूं। परमाणु परीक्षण का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा था "इन परीक्षणों से भारत के परमाणु निशस्त्रीकरण की नीति के प्रति प्रतिबद्धता में किसी प्रकार की कमी का संकेत नहीं है। इसी के अनुसार इस सीमित परीक्षण कार्यक्रम के पश्चात् भारत ने घोषणा की" - भारत, श्री वाजपेयी की सरकार ने घोषणा की - "और भूगर्भ परमाणु परीक्षण विस्फोटों पर एक स्वैच्छिक प्रतिबन्ध।"

हमने उस प्रतिबन्ध की बाध्यता की घोषणा को विधिसम्मत औपचारिक रूप देने पर सहमति दी है। भारत ने पहले ही सी.टी.बी.टी. की मूल बाध्यता को स्वीकार किया है। अब भारत अपने प्रमुख वार्ताकार राष्ट्रों से सी.टी.बी.टी. सहित कई अन्य सम्बद्ध मुद्दों पर विचार-विमर्श में लगे हैं। हम इस विचार-विमर्श को एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए तैयार हैं ताकि सितम्बर 1999 के पश्चात् से सी.टी.बी.टी. के दायरे में आने में और देरी न हो।

इसके पश्चात उन्होंने 15 दिसम्बर, 1998 को सभा में आकर एक वक्तव्य दिया। वे कहते हैं - "इस सभा को पुनः आश्वस्त किया जाएगा कि हमारे वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण के मूल्यांकन - कि हमारे स्वैच्छिक प्रतिबंध को विधिसम्मत बाध्यता में बदलना - "हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भविष्य में आवश्यक सुरक्षापायों हेतु कोई कदम उठाने में आड़े नहीं आएगा। इससे न तो हमारे अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को जारी रखने में कोई कठिनाई होगी और न ही आने वाले वर्षों में हमारे परमाणु निवारक की सुरक्षा और प्रभावकारिता को किसी प्रकार का कोई जोखिम होगा।"

"श्री जसवंत सिंह और स्ट्रोब टालबोट के बीच वार्ता के अलावा" - उन्होंने श्री मल्होत्रा से भी वार्ता की, आप शायद भूल गए हैं; प्रधानमंत्री ने इस बात की पुष्टि की है

कि उनके बीच वार्ता हुई थी - "हमने फ्रांस और रूस से व्यापक विचार-विमर्श किया। श्री जसवंत सिंह के स्तर पर ब्रिटेन और चीन से भी चर्चा की गयी और आधिकारिक स्तर पर जर्मनी, जापान और अन्य गैर-परमाणु शस्त्र राष्ट्रों से भी चर्चा की गयी। मैंने राष्ट्रपति क्लिंटन से नियमित रूप से पत्राचार किया। राष्ट्रपति क्लिंटन ने भी भारत के साथ व्यापक आधार पर संबंध स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की जो कि विश्व के दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच उचित है। मैंने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त की हैं। वस्तुतः अमरीका के साथ चल रही हमारी वार्ता निष्कर्ष पर पहुंचने वाली है। मुझे विश्वास है कि यह सभा इसकी सफलता की कामना करेगी।"

इस सरकार ने क्या किया है? इसने उस चर्चा को आगे बढ़ाया है। आज हमारे पास 123 समझौता हैं। प्रश्न यह है कि और मैं इस टिप्पणी से अपनी बात समाप्त करूंगा...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: यह गलत बात है...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: क्या हम परमाणु क्षेत्र में अलग-थलग पड़े रहने की स्थिति से बाहर आना चाहते हैं? ...*(व्यवधान)* श्री सलीम यह महत्वपूर्ण बात है।

क्या हम परमाणु क्षेत्र में अलग-थलग पड़े रहने की स्थिति से बाहर आना चाहते हैं? महोदय, इस संबंध में, मैं सभा को बताना चाहूंगा कि चीन क्या कर रहा है। आज चीन में 80 प्रतिशत विद्युत का उत्पादन कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से होता है और 18 प्रतिशत जलविद्युत का उत्पादन किया जाता है। चीन का 2 प्रतिशत विद्युत का उत्पादन परमाणु विद्युत रिएक्टरों से हो रहा है। चीन के प्रमुख क्षेत्र में 11 परमाणु विद्युत रिएक्टर वाणिज्यिक रूप से संचालन में हैं। छह पर निर्माण कार्य चल रहा है और अनेक रिएक्टरों का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। विश्व के आधुनिकतम रिएक्टरों सहित अतिरिक्त रिएक्टरों के निर्माण की योजना बनायी गई है ताकि परमाणु विद्युत की क्षमता को छह गुना तक बढ़ाया जा सके - वर्ष 2020 तक कम से कम 50,000 मेगावाट और तत्पश्चात वर्ष 2030 तक इसमें तीन से चार गुना तक की बढ़ोतरी जो कि 1,20,000 से 1,60,000 मेगावाट होगी - महत्वपूर्ण बात है - रिएक्टर डिजायन और निर्माण के साथ-साथ ईंधन चक्र के अन्य पहलुओं में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है।

चीन में 1970 में परमाणु विद्युत का कार्यक्रम शुरू हुआ और आज वहां उद्योग लगातार विकास के चरण में हैं। अधिकांशतः फ्रांसिसी तत्वों पर आधारित स्थानीय विकास सहित फ्रांस, कनाडा और रूस से प्रौद्योगिकी ली जा रही है। अमरीका और फ्रांस से आधुनिकतम प्रौद्योगिकी मंगायी जा रही है। एक ऐसा देश, जहां विद्युत उत्पादन में परमाणु विद्युत का अंशदान मात्र 2 प्रतिशत है...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: आप भारत की तुलना चीन से नहीं कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि भारत की तुलना चीन से की जाए, जो नहीं चाहते कि भारत चीन से आगे निकल जाए। कुछ लोग यह चाहते हैं कि चीन एक आर्थिक महाशक्ति बन जाए मगर भारत एक आर्थिक महाशक्ति कभी न बने...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, एक सेकेंड।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मोहम्मद सलीम आपने भाषण दिया और जहां तक मुझे याद है आपने बिना ज्यादा व्यवधान के बोला है? आप एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। श्री चौधरी, कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक मिनट, मैं पुनः आग्रह करता हूं कि हमें शालीनता से वाद-विवाद करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: महोदय, क्या आप शांत रहेंगे?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरा कहना यह है कि आपके नेता भी

[अध्यक्ष महोदय]

भाषण देंगे, उन्हें इन बातों को कहने दीजिए। आपको देखकर नहीं लगता कि आप अनुशासित दल के हो।

...(*व्यवधान*)

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मुझे कहते हुए जरा भी झिझक नहीं हो रही है कि मुझे चीन से ईर्ष्या नहीं है। मैं चीन का अनुकरण करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भारत एक आर्थिक शक्ति, एक आर्थिक महाशक्ति बने।

महोदय, जब हम भारत की बात करते हैं, तो हमें भारत जैसे विशाल और जटिल देश अर्थात चीन की ही बात करनी चाहिए। हम भारत से छोटे और गरीब देशों की बात नहीं कर सकते हैं। हमें और आगे का सोचना चाहिए। हमें और महत्वाकांक्षी होना चाहिए। जब हम विकास की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि विकास आवश्यक शर्त है, पर्याप्त शर्त नहीं। मैं कुछ उदाहरण दूंगा...(*व्यवधान*) महोदय, चीन में 29 मिलियन हेक्टेयर भूमि में धान की खेती होती है...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

श्री पी. चिदम्बरम: चीन में 29 मिलियन हेक्टेयर भूमि में धान की खेती होती है और भारत में 43 मिलियन हेक्टेयर में धान की खेती होती है। चीन का उत्पादन 6.26 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। विश्व का औसत 4.08 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन 201 मीट्रिक टन है। चीन में गेहूं की खेती 23.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि में होती है जबकि भारत में गेहूं की खेती 25 मिलियन हेक्टेयर भूमि में होती है। चीन का उत्पादन 4.42 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। विश्व का औसत 2.79 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है और भारत का 2.72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। जब मैं कहता हूं कि हमें विकास करना चाहिए तो मेरा मतलब है कि हमें अधिक गेहूं, अधिक धान पैदा करना चाहिए। हमें विश्व में जो सबसे श्रेष्ठ है उसका अनुकरण करना चाहिए।

चीन 41.9 मिलियन टन इस्पात और भारत 44 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन करता है। चीन 2,482 मिलियन टन और भारत 42.7 मिलियन टन कोयला उत्पादन करता है। चीन 28.34 मेगावाट घंटा बिजली उत्पादन करता है। भारत का उत्पादन 726 मेगावाट घंटा है। जब मैं कहता हूं कि हमें अवश्य ही विकास करना चाहिए तो मेरा मतलब है कि हमें अधिक कोयला, इस्पात और बिजली का उत्पादन करना चाहिए। ऐसा करके ही हम इस देश के लोगों के साथ आर्थिक न्याय कर सकते हैं।

मैं इस बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि भाजपा...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

श्री पी. चिदम्बरम: ऐसा प्रतीत होता है कि बी.जे.पी. और एन.डी.ए. इस बात पर एक मत है कि हमारा परमाणु बहिष्कार समाप्त होना चाहिए। इतने व्यवधान के बाद किसी को भी वाम दलों के रवैये (पक्ष) का पता नहीं है। दोनों दलों...(*व्यवधान*) इसके बावजूद दोनों दल...(*व्यवधान*)

मोहम्मद सलीम: महोदय, श्री चिदम्बरम की सरकार वाम दलों के समर्थन से चल रही है।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: मैं अत्यधिक अप्रसन्नता व्यक्त करता हूं। यहां दांव-पेंच चलाया जा रहा है जिसकी मैं निंदा कर सकता हूं। जो भी ऐसा करेगा मैं उसकी निंदा करता हूं।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: मैं इन बातों की निंदा करता हूं।

...(*व्यवधान*)

श्री पी. चिदम्बरम: इसके बावजूद दोनों दल इस विश्वास मत के विरुद्ध मतदान कर रहे हैं।...(*व्यवधान*)

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): नहीं, यह व्यक्तिगत रूप से आप के विरुद्ध है।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: श्री कृष्णदास कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया बैठ जाएं।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जा रहा है। कुछ भी रिकार्ड न किया जाए।

(*व्यवधान*)...*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्री पी. चिदम्बरम: एन.डी.ए. को अमरिका के साथ सामरिक संबंधों से कोई आपत्ति नहीं है। वाम दल सैद्धान्तिक रूप से अमरिका के साथ किसी भी प्रकार के संबंध सामरिक या अन्य - के विरुद्ध हैं। इसके बावजूद दोनों दल इस विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

एन.डी.ए., जैसा कि मैंने सुना है, चाहता है कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन जाये जबकि वामदल सदैव ही परमाणु हथियारों और इसके बनाए जाने का विरोध करते रहे हैं। इसके बावजूद भी दोनों दल इस विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: आपके प्रधान मंत्री भीष्म पितामाह के पास उनके समर्थन के लिए गए थे।...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: एन.डी.ए. का कहना है कि यदि वह सत्ता में आती है - भगवान करे ऐसा न हो - वह नया समझौता करेगी। वाम दलों का कहना है कि वे इस समझौते को अभी और हमेशा के लिए समाप्त करने हेतु समस्त प्रयास करेंगे। इसके बावजूद दोनों दल इस विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

महोदय, मुझे संदेह है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको उनसे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने सभा में व्यवधान नहीं डाला है। आपको परेशानी क्यों हो रही है?

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: मुझे नहीं लगता कि संसदीय इतिहास में इन दोनों दलों द्वारा विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध एक साथ मतदान किए जाने से ज्यादा आश्चर्यजनक कोई और बात हुई होगी।...*(व्यवधान)*

मैं, यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब हद हो गई।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा में उस तरह की टिप्पणियां नहीं चलेंगी।

...(व्यवधान)

श्री एन.एन. कृष्णदास: 1997 में आपको नुकसान हुआ था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी। आपके नेता इस पर बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री कृष्णदास, मुझे लगता है कि मुझे कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसा मत सोचिए कि आप अपने लिए या अपने दल के लिए अच्छा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री एन.एन. कृष्णदास: जी हां। मैं अपने दल की प्रशंसा कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हां, मैं भी यह जानता हूं परन्तु ऐसा करके आप गैर-अनुशासित तरीके से व्यवहार कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ऐसा करके आप गैर-अनुशासित तरीके से व्यवहार कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया यह मत सोचिए कि किसी भी पक्ष के लिए मैं ऐसा करने की अनुमति दूंगा। चाहे कोई पक्ष हो उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: कल, आपने अध्यक्षपीठ से इसका स्वागत किया था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं। हम यह कैसा व्यवहार कर रहे हैं!

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: अध्यक्षपीठ से क्या आपने संसद के सबसे कम उम्र के सदस्य का स्वागत किया था। लाखों युवक और युवतियां, युवा पुरुष और महिलाएं भी हैं जो

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी. चिदम्बरम]

इस संसद की ओर उम्मीद से देख रहे हैं तथा अपने भविष्य को भी देख रहे हैं।

हम अपना भविष्य स्वयं बना सकते हैं, हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। हम अपना भविष्य बना सकते हैं यदि हम अपनी दृष्टि और दूरदर्शिता से काम लेने का निर्णय लें और इस देश को आगे बढ़ायें। 1980 के अंतिम दिनों तथा 1990 में प्रारंभिक दिनों में मेरे प्रिय नेता, श्री राजीव गांधी, उसके बाद नरसिम्हा राव और डा. मनमोहन सिंह ने एक नया मार्ग प्रशस्त किया है जिसने भारत को 15 वर्ष पूर्व के भारत की तुलना में आज इसे मजबूत अर्थव्यवस्था बना दिया है। डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आज यह सरकार एक नया मार्ग बना रही है जिससे परमाणु क्षेत्र में भारत को अलग-थलग रखने की नीति समाप्त हो जाएगी और इससे भारत को आर्थिक सुपर पावर बनने का मार्ग साफ हो जाएगा।

मैं इस सभा से माननीय प्रधान मंत्री को जोरदार समर्थन देने की अपील करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब, मैं उपनेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा का नाम पुकारता हूं। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि आपके दल के पास 39 मिनट बाकी हैं। मैं कोई निर्देश नहीं दे रहा हूं, कृपया मेरी बात सुनिये। हमने चर्चा के लिए 12 घंटे तय किए हैं। कल नौ घंटे, 42 मिनट का समय हमने ले लिया है, और इस सुबह भी 40 मिनट का समय बीत चुका है। निश्चित है कि आपको अपना पूरा समय मिलेगा। यदि आवश्यक हुआ तो हम इस समय को बढ़ायेंगे। इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे लेकिन अभी आपकी पार्टी के पास 39 मिनट बाकी हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, यू.पी.ए. की ओर से लगभग सात मंत्रियों ने यहां भाषण दिए। सब ने आंकड़ों को पढ़ना शुरू किया। देश में आज जो स्थिति है, जितने भी चुनाव यू.पी.ए. के सत्ता में आने के बाद हुए - चाहे पंजाब में हुए, बिहार में हुए, कर्नाटक में हुए, गुजरात में हुए, हिमाचल प्रदेश में हुए, उत्तराखंड में हुए, सब जगह कांग्रेस की पूरी तरह पराजय हुई, कांग्रेस बुरी तरह हारी। आप जो आंकड़े बता रहे हैं, उनका सारा देश समर्थन कर रहा है लेकिन उन आंकड़ों का क्या हाल है, वह आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके अपने सहयोगी दल भी छोड़ गए हैं। आप माइनॉरिटी में आ गए हैं। उसके बाद उन आंकड़ों को यहां रखा जा रहा है। यह आंकड़े आगे चल कर वाइड लाइज बन जाते हैं। यह स्थिति पैदा होती है।...*(व्यवधान)*

कांग्रेस का चार वर्ष का शासन काल जनता विरोधी, जनता के साथ विश्वासघात करने वाला और सबसे निकम्मा रहा है। परन्तु सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा पाप जो यू.पी.ए. ने किया है, वह यह है कि अपनी अल्पमत सरकार को सत्ता में लाने के लिए जिस तरह खरीद-फरोख्त की गई, जिस तरह से धमकियां दी गई, जिस तरीके से मंत्रालय बांटे गए, विश्वास मत प्राप्त करने के लिए जो साम-दाम-दंड-भेद का प्रयोग हुआ है, वह मृगतृष्णा पैदा करने वाला है, जघन्य है। कोई आम आदमी खरीद-फरोख्त करता, कुछ और करता, 25 करोड़, 30 करोड़ और सौ करोड़ रुपए की बात होती तो एक बात थी।...*(व्यवधान)* सबसे शर्म की बात यह है कि इस खरीद-फरोख्त का अड्डा...*(व्यवधान)** बन गया।...*(व्यवधान)** से खरीद-फरोख्त की जा रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: दूसरे सदस्यों को भी बोलने का समय देना होगा। वे इसे नामंजूर कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री किरीप चालिहा (गुवाहाटी): महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, प्वाइंट ऑफ आर्डर सुनना पड़ेगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: वह बार-बार कह रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, एक मिनट रुकिये। मैं देखता हूं उनका व्यवस्था का प्रश्न क्या है। श्री चालिहा; क्या आपने तय कर लिया है कि कौन सा व्यवस्था का प्रश्न आपको उठाना है?

श्री किरीप चालिहा: हां महोदय, मैं नियम 352 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस नियम के

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अंतर्गत बिना किसी तथ्य के किसी सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम कैसे लिया?

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि वे सही हैं। आप नियमों का पालन किए बिना किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। मैं इस प्रश्न को सही मानता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, सी.बी.आई. का कितना दुरुपयोग किया गया और कैसे दुरुपयोग किया गया और पहले कैसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उनके बेटे के पीछे सी.बी.आई. को लगा दिया गया। सी.बी.आई. को उनके पीछे लगाकर क्या-क्या गालियां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने एक-दूसरे को नहीं दीं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बिना सुने हम कैसे निर्णय ले सकते हैं?

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उसके बाद मायावती के पीछे सी.बी.आई. को लगा कर...*(व्यवधान)* सी.बी.आई. का दुरुपयोग कहां तक किया गया, यह आपके सामने है। सजायाफ्ता मुजरिमों, दंडित अपराधियों, हत्या के आरोप में जेल में गए लोगों...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: लेकिन वे अभी भी सभा के सदस्य हैं, उन्हें सभा में आकर मतदान करने की अनुमति है। जहां तक मेरा संबंध है, वे सभा के सदस्य हैं और उन्हें मतदान करने का अधिकार है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोगों के लिए मुश्किल है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने स्वयं कहा है। आप चिंता क्यों करते हैं? आप सभी एक साथ नहीं बोल सकते।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सब एक साथ नहीं बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं जानता हूं कि वे मतदान कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं यह नहीं कह रहा कि उनको वोट देने का हक नहीं है, उनको अधिकार है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने सिर्फ यही कहा है कि प्रत्येक सदस्य अपने दिल की बात माने। श्री मल्होत्रा, उन्हें सभा में आने का हक है; उन्हें कार्यवाही में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार है। आप ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बोलते रहिए। आप सब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अनंत कुमार आप अपने ही नेता, के लिए व्यवधान क्यों पैदा कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, हम व्यवधान नहीं डाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कोई भी व्यक्ति जो मुजरिम है वह आकर वोट नहीं डाल सकता, मैं यह नहीं कह रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि...* मैं यह कहना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

[हिन्दी]

क्या हो रहा है? आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हर व्यक्ति एक रत्न है। हर व्यक्ति अपने आप में एक रत्न है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: ...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि भारतीय संसद में ऐसा व्यवहार होता है तो मुझे पता नहीं कि इस देश का भविष्य क्या है?

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप देखें किस तरह से खरीद फरोख्त हुई है, यह एक बात है लेकिन सेक्युलर पार्टी कहलाने वाले, अपने आपको सेक्युलर कहने वाले और प्रधानमंत्री जी को सेक्युलर बताने वाले...*(व्यवधान)* पंजाब में क्या किया गया?...* लिखा गया...*

[अनुवाद]

चाहते हैं कि अकाली प्रधानमंत्री का समर्थन करें।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। आपने अनुमति नहीं ली है, वे यहां नहीं हैं। उनके नाम का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय,...

अध्यक्ष महोदय: नहीं ऐसा नहीं हो सकता और आप इसे अच्छी तरह जानते हैं आप भी उतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूं। आप लम्बे समय से यहां हैं और आप भी उतना जानते हैं जितना मैं जानता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, इसमें लिखा गया है, मैं नाम नहीं लेता, पंजाब कांग्रेस की अध्यक्षा कह रही हैं - 'पगड़ी के सम्मान में प्रधानमंत्री के लिए वोट दें'। प्राइम मिनिस्टर की टर्बन के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। प्रधानमंत्री किसी एक मजहब का है, प्रधानमंत्री वहां जा कर इस बात पर वोट मांगेंगे?...*(व्यवधान)*

सरकार के अखबारों में छपा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, आप कृपया विषय पर आइए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: सभा में कार्यवाही के संचालन का यह कोई तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप लोग हल्ला कर रहे हैं। मुझे देखने दें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री राजेश रंजन, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, आप विषय पर आइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, कृपया बैठ जाइए। मैं खड़ा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं शीघ्र ही प्रस्ताव को मतदान के लिए रखूंगा यदि आप सभा में इसी तरह व्यवहार करते रहे और सभा इसी प्रकार का बर्ताव करती है तो फिर आप जो चाहे करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: जब मौका आयेगा तो बुलवायेंगे *...(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (मधेपुरा): यह मुझसे जेल में मिले थे।*...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं आपसे नहीं मिला *...(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार (बरेली): सर, यह नहीं मिले*...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं उनसे नहीं मिला*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं नहीं मिला*...(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार: सर, यह सदन में कह रहे हैं, आप इनकी बात पर यकीन करें*...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं इनसे नहीं मिला। मैंने इनसे कभी कोई बात नहीं की। मैं इनसे कभी नहीं मिला। *...(व्यवधान)* इनसे मैं एक बार भी नहीं मिला। यह इस बात को साबित करें।*...(व्यवधान)* मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं इनसे नहीं मिला, मैंने इनसे कभी बात नहीं की और इनसे कभी यहां वोट देने के लिए नहीं कहा।*...(व्यवधान)* यहां गलतबयानी की जा रही हैं। मैं इनसे कभी नहीं मिला। यह झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनसे एक बार भी बात नहीं की। जेल के रिकार्ड से पता चल जायेगा, मैं इनसे एक बार भी नहीं मिला।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 12.15 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.57 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 12.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.15 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.15 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव - *जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

मुझे बड़े भारी मन से अति महत्वपूर्ण वाद-विवाद को स्थगित करना पड़ा क्योंकि इस सभा में किसी प्रकार का शिष्टाचार अथवा ऐसा ही माहौल बनाए रखना असंभव था जिसमें अति महत्वपूर्ण विषय पर जिम्मेदारीपूर्वक चर्चा की जा सके।

मैं पहले दिन से ही बार-बार अपील कर रहा हूं -

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अध्यक्ष महोदय]

यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो पहले आपको दूसरों की बात सुननी होगी और उसके बाद उत्तर देंगे। यदि प्रत्येक वाक्य का विरोध किया जाता है तो आप वाद-विवाद नहीं कर सकते। मैं उन सभी माननीय सदस्यों से भी अनुरोध कर रहा हूं जिन्हें बोलना है, कृपया इस प्रकार के कोई व्यक्तिगत आरोप या आक्षेप न लगाएं; कृपया अपने-आप को मुद्दों तक सीमित रखें; मुझे आपको सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी बहुत जिम्मेदार माननीय सदस्य हैं। पूरा देश हमें देख रहा है। यह मेरे लिए सबसे दुख की बात है कि मैं इस कुर्सी पर बैठकर देखता हूं कि कोई अध्यक्षपीठ की बात नहीं सुनता है और किसी को इस संस्था के प्रति थोड़ा सा सम्मान दिखाने की परवाह नहीं है। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? सत्ता ही सब कुछ नहीं है।

इसलिए, क्या मैं चर्चा में भाग लेने वालों और उसे सुनने वाले प्रत्येक माननीय सदस्य से इस बात पर विचार करने की पुनः अपील कर सकता हूं कि यहां क्या हो रहा है? मुझे मजबूरन इस सभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। मैंने अत्यंत पीड़ा और दुख के साथ यह कार्य किया है।

प्रो. मल्होत्रा अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, वह बात भीड़ में रह गई थी। मैं फिर कहना चाहता हूं कि मैं अपने दोस्त से पिछले 6 महीने में बिल्कुल नहीं मिला।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: छोड़िए न। वह बात छोड़िए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

मैं आपके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ यहां से चिल्ला रहा हूं, परंतु मैं आपको बाहर जाने का आदेश दूंगा तब आपको महसूस होगा कि क्या हुआ।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, न्यूक्लिअर डील पर बहुत बातें की गईं और इतना कुछ कहा गया है कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह किस ने कहा?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हां, यह मैंने कहा है श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव।

अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप यहां आएं और अनुशासन बनाए रखें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, न्यूक्लिअर डील पर इतनी बातें कही जा चुकी हैं, मैं उसमें कुछ बहुत ज्यादा और एड नहीं करना चाहता परंतु एक गोयबल्स की तरह से लगातार...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह शब्द हटा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: गलतबयानी की जा रही है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि इधर डील हुई और उधर सबके यहां बल्ब लग गये और 24 घंटे बिजली जलती रहेगी। कोई इस बात को बताने को तैयार नहीं है कि अगर आज समझौता होता है तो 20-25 साल के बाद दस लाख करोड़ रुपया खर्च करके बिजली इतनी आएगी जितनी कुल मिलाकर हिन्दुस्तान की जो मांग है, उस मांग का कुल पांच प्रतिशत बिजली यहां पैदा होगी। 95 प्रतिशत बिजली फिर भी अलग पैदा होगी और 10-20 लाख करोड़ रुपया खर्च करके यहां पर बिजली आनी है और आज उसका प्रचार किया जा रहा है कि आपका अंधेरा दूर हो जाएगा, आपके यहां बिजली आ जाएगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर न्यूक्लिअर डील होने से जो देशी, विदेशी, न्यूक्लिअर लॉबी हैं, जो यूरेनियम सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट का ठेका लेने वाली देशी कंपनियां जो हैं, यदि अगले चालीस वर्षों तक 20 लाख करोड़ के लाभ वाला व्यवसाय मिलने की गारंटी उन्हें हो तो यह अति लाभ वाला और भारत को न्यूक्लिअर

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गुलाम बनाने वाला धंधा है और इसलिए उनके समर्थक दलों के मैनेजर और वे उद्योगपति यदि विश्वास मत प्राप्त करने के लिए यहां खर्चा कर दें तो उसमें कौन सा आश्चर्य है?

मैं इस बात को भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि यहां बहुत बार कहा गया और प्रणव जी ने भी बहुत बार कहा और हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी यह कहा कि हमारे ऊपर हाइड एक्ट लागू नहीं होता। वे यह कहते हैं कि 123 एक्ट ही लागू होता है और हमारे ऊपर कोई प्रतिबन्ध ही नहीं है कि अगर हम परीक्षण करना चाहें परंतु जिस दिन यह बात कहते हैं, अगले दिन ही अमेरिका से कोंडला राइस हो या कोई हो, वे इसका खंडन करते हैं। वे कहते हैं: "जिस क्षण आपने परीक्षण किया उसी क्षण करार रद्द।" अगर दो पार्टियों में समझौता होता है, दो दलों में और दो देशों में करार होता है तो उसका एक्सप्लेनेशन तो एक होना चाहिए। दोनों का यहां स्पष्टीकरण तो एक होना चाहिए। यह तो नहीं हो सकता कि दोनों में से कौन सच कह रहा है, कौन गलत बात कह रहा है, अमेरिका के जितने वहां के कांग्रेसमैन हैं, उनमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि एक बार हमारे साथ यह संधि हो जाए, उसके बाद सी.टी.बी.टी., एन.पी.टी., इस पर अपने आप ही हस्ताक्षर हो जाएंगे और अपने आप ही यहां पर हमारे हाथ में आ जाएगा।...*(व्यवधान)* इस बात का भी यहां पर जिक्र किया गया कि चाइना कितने लगा रहा है। दुनिया में कितने देश हैं जिनके यहां एटॉमिक पॉवर प्लांट लगाये जा रहे थे, वे उनके साथ हैं। इनमें इंग्लैंड, फ्रांस, यू.के. इत्यादि देश हैं और इन्होंने अपने यहां एटॉमिक एनर्जी पैदा करने के प्लांट लगाने बंद क्यों कर दिये हैं। उनके यहां 15 साल से कोई एटॉमिक प्लांट नहीं लगे हैं और वह इसलिए कि उनको लगता है कि एटॉमिक एनर्जी की बजाए हमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की तरफ जाना चाहिए और यहां थोरियम में से जो हमारे यहां पर हो सकता था, उसके हिसाब से इसे करने की जरूरत थी।...*(व्यवधान)* हमारे देश में थोरियम का भंडार पचास प्रतिशत से ज्यादा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, "प्रतीत होता है कि अमरीका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और जापान सभी अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों की समीक्षा करना चाहते हैं और इन सभी देशों में नए परमाणु विद्युत संयंत्रों को चालू करने का कार्य लगभग रुक गया है। विश्व में यूरेनियम के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता ने अब तक परमाणु विद्युत कार्यक्रम शुरू नहीं किया है।"

[हिन्दी]

आस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा है। वह अपने यहां पर इसे क्यों नहीं लगाता? उसको बेचना है, हमें उसका खरीदार बनाना है, हमें उस कचरे को यहां पर लाकर देना है और उसके बाद कोशिश की जा रही है और यहां बताया जा रहा है कि उसका क्या लाभ होगा? 30-35 साल के बाद 5 प्रतिशत उसमें से कुल बिजली हमें मिलेगी और अपने यहां नॉर्थ ईस्ट में डेढ़ लाख मेगावॉट बिजली पैदा करने की क्षमता है, उसको यहां पर हमने हाइड्रो इलैक्ट्रिसिटी या यहां पर थर्मल पॉवर प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

विशेषज्ञों ने सरकार को सलाह दी कि "आई.ए.ई.ए. संधि में जल्दबाजी मत कीजिए।"

[हिन्दी]

हमारे सारे न्यूक्लिअर एक्सपर्ट्स ने बार-बार सरकार को इस बात की चेतावनी दी है, इसलिए यहां पर यह बात आई है परंतु उसके बाद क्योंकि यह न्यूक्लिअर डील पर ही यहां फैसला नहीं होने वाला है। बड़े आंकड़े दिये गये हैं कि चार साल में हमने देश में क्या कर दिया। 4 साल में हमने देश को इतना खुशहाल बना दिया और इस तरह से ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन 4 साल से यह सरकार गलत बयानी करती आ रही है। अब इनके अपराध इनके सर पर चढ़कर बोल रहे हैं, सबसे बड़ा अपराध आकाश को छूती हुई कीमतें, करोड़ों लोगों की कमर तोड़ती हुई महंगाई, गरीब आदमी की थाली में से पहले से आधा भोजन हो जाए और उसे दिन में भूखा रहना पड़े, वहां पर हालत ऐसी पैदा हो गई। बार-बार प्रधान मंत्री जी ने यह कहा है और हर बार आश्वासन दिया है, कल भी जब बाहर निकल रहे थे तो कहा था कि हम महंगाई को रोकेंगे, महंगाई पर हम प्रतिबंध लगाएंगे, चिदम्बरम साहब

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

ने बजट में भी यह बात कही थी और सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, जब पिछले साल 2007 में जब 5.17 प्रतिशत महंगाई का आंकड़ा था, उस समय उन्होंने प्रधान मंत्री जी को चिट्ठियां लिखी और यह कहा कि इस महंगाई को रोको। उन्होंने यह पत्र लिखा था कि पैट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ायी जानी चाहिए। पंजाब में चुनाव हो रहे थे और इसलिए उन पत्रों को यहां जारी किया गया। सोनिया जी का काम अपनी सरकार को पत्र लिखने का है और वह उनको जाकर बताएं, हमें उस पर ऐतराज नहीं है। परंतु 5.17 प्रतिशत महंगाई को लेकर जिस समय सारा देश इस पर बेचैन हो रहा था, सोनिया जी को चिंता हो रही थी, इसके बाद 12 प्रतिशत महंगाई हो गई और बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई और यह होलसेल प्राइस इंडैक्स है जो कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स है, वह 300 प्रतिशत तक बढ़ा। गरीब आदमी को मिलने वाला आटा, चावल, दाल, चीनी इत्यादि इन सब चीजों की कीमतें आसमान को छूने लगीं। उसकी वजह से सारे देश ने आपके खिलाफ वोट डाला है। जहां तक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने की बात है, आप कहीं उस के बारे में नहीं कहना चाहते हैं। आप बहाना बनाते है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं, दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। यह सही है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन उसका असर उन देशों पर क्यों नहीं हो रहा है? जापान के पास तेल निकालने का एक भी साधन नहीं है, उसके बावजूद वहां महंगाई की दर केवल 0.8 प्रतिशत बढ़ी है जो एक प्रतिशत से भी कम है। इसी प्रकार मलेशिया में 3 प्रतिशत, ब्रिटेन में 3 प्रतिशत, कनाडा में 1.7 प्रतिशत, फ्रांस में 3 प्रतिशत, जर्मनी में 3 प्रतिशत महंगाई बढ़ी है। जब तेल पैदा न करने वाले देशों में 3 प्रतिशत महंगाई बढ़ने पर काबू पा लिया है तो फिर हमारे देश में 12 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कैसे हो रही है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने सरकार को भयंकर और गलत तरीके से चलाया। सरकार ने यहां के किसानों को 800 रुपये गेहूं का दाम दिया जबकि बाहर से 1600 रुपये के दाम पर मंगाया। भारी भ्रष्टाचार के चलते बाहर से गेहूं 1600 रुपये के दाम पर मंगाया गया जब कि हमारे यहां अनाज के भंडार भरे हुये थे। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव यहां बैठे हुये हैं। एन.डी.ए. सरकार के समय सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के चेयरमैन रहे हुये हैं। उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी से सिफारिश की थी कि यहां अनाज भंडारों में भरे हुये हैं, उस अनाज को समुद्र में फैंक देना चाहिये क्योंकि उसे रखने के लिये किराया ज्यादा देना पड़ रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस समय यहां खुशहाली थी। गेहूं के भंडार उतने भरे हुये थे कि लोगों ने राशन कार्ड छोड़ दिये थे लेकिन आज क्या हालत हो रही है? आज गैस की कीमतें कहां जा रही हैं? हिन्दुस्तान का गरीब आदमी कैसे गुजारा कर रहा है, आप इस बात को देखिये। मैं किन्हीं और आंकड़ों में नहीं जाना चाहता लेकिन श्री मणिशंकर अय्यर जी यहां बैठे हुये हैं। उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें कहा गया था कि हाई ग्रोथ हो रही है लेकिन एक आम आदमी के पास नहीं पहुंच रही है। आज हिन्दुस्तान में बड़े-बड़े अरबपति बढ़ रहे हैं और दुनियाभर के अधिक अरबपति यहां बैठे हुये हैं जबकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला आदमी तड़प-तड़प कर मर रहा है। इन महंगाई के आंकड़ों को देखने के बाद...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): अय्यर जी कहां बोले हैं?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उन्होंने एक जगह कहा था, जब ये बाहर गये हुये थे। यहां सारे आंकड़े रखे हैं, जिन्हें मैं पढ़कर सुना देता हूं।

[अनुवाद]

"संप्रग को कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है - अय्यर"। सी.एन.एन.-आई.बी.एन. कार्यक्रम के लिए एक साक्षात्कार "डेविल्स एडवोकेट"

[हिन्दी]

उन्होंने कहा था कि यहां 9.2 प्रतिशत ग्रोथ है जो केवल 3 प्रतिशत की ऐसी एक क्लास को जा रही है जबकि गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर यह सर्टिफिकेट उनकी तरफ से है तो गरीब लोगों को कहां पहुंच रहा है, यह देखने की जरूरत है। इसके बाद श्री चिदम्बरम जी ने जिक्र किया। जहां तक आंकड़ों की बात है, स्टाक एक्सचेंज का आंकड़ा 23 हजार तक पहुंच गया था।

[अनुवाद]

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा में व्यक्तिगत रूप से मेरा नाम लिया गया है, मैं सभा के सामने यह बात स्पष्ट करता हूं कि मेरी टिप्पणी के बाद मेरी सरकार द्वारा समावेशी विकास के ऊंचे लक्ष्य वाली ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को पूरे देश के सामने रखा गया

जिसका प्रो. मल्होत्रा के दल द्वारा शासित राज्यों सहित प्रत्येक राज्य द्वारा समर्थन किया गया था। वह कहते हैं कि लक्ष्य में परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें हुआ है...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इसका रिकार्ड है।

श्री मणि शंकर अय्यर: प्रो. मल्होत्रा, कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए...*(व्यवधान)* महोदय, उन्हें वे प्रत्येक घटनाक्रम पर विचार किए बिना एक वर्ष से अधिक समय पूर्व - मेरे द्वारा दिए गए वक्तव्य का उल्लेख करने के लिए बिल्कुल भी उनका नाम नहीं बुलाया गया था क्योंकि तब से...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह वेबसाइट पर उपलब्ध है।

श्री मणि शंकर अय्यर: सच यह है कि श्री चिदम्बरम ने सामाजिक क्षेत्र को 1,20,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं, इसमें कभी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं रही...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप बैठ जाएंगे। उनका वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात कह चुके हैं। आप दोबारा नहीं बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: श्री चिदम्बरम साहब ने कहा कि स्टॉक मार्किट में आंकड़ा 23 हजार को टच कर रहा था।

[अनुवाद]

शेयर बाजार गिरा है। शेयर बाजार गिरने के कारण लाखों व्यक्तियों के जीवन की बचत राशि डूब गई है। विदेशी संस्थागत निवेशक शेयर बाजार से अपना निवेश वापस ले रहे हैं। भारत में विश्वास कम होने लगा है। 'क्रिस' रेटिंग एजेंसी पहले ही भारत की रेटिंग घटा चुकी है और राजकोषीय घाटे में वृद्धि तथा बढ़ते चालू खाते के कारण और अधिक बुरे प्रभाव की चेतावनी दे चुकी है। राजग ने अपने पीछे विकसित हो रही अर्थव्यवस्था छोड़ी थी, इस सरकार ने इसे नष्ट करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है।

[हिन्दी]

मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। कल भी जिक्र हुआ और उन्होंने इस बात का जिक्र किया। आतंकवाद का मामला क्या हो रहा है? आतंकवाद देश को कैसे ग्रसित कर रहा है! अमरनाथ के यात्रियों पर हमला हुआ, कश्मीर में 10 जवान मारे गए, उनके काफिले पर हमला किया गया। काबुल के राजदूतावास पर हमला हुआ। काबुल के राजदूतावास पर हमला हमारे देश पर हमला है। एम.के. नारायणन साहब जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि यह आई.एस.आई. का काम है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सरकार ने कहा कि इसमें आई.एस.आई. का हाथ है और उन्होंने कहा कि आई.एस.आई. को नेस्त-नाबूत किये बिना शांति नहीं हो सकती। आप क्या कर रहे हैं? आई.एस.आई. किस तरह से खत्म होगा? क्या पोटा खत्म करके आई.एस.आई. को खत्म किया जाएगा? यहां पर उनको प्रोत्साहन देने के लिए जो यहां पर उनको भर्ती करने का काम किया जाएगा, उससे आई.एस.आई. समाप्त होगा? आपकी सरकार ने उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा देने के जो काम किए...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, अब तक एक लाख से ज्यादा लोग आतंकवाद का शिकार हुए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद हमारे देश में है और यहां क्या हो रहा है? आतंकवाद के खिलाफ एकमात्र कानून था जिसको खत्म कर दिया। दुनिया के हर देश में आतंकवाद के खिलाफ कानून है मगर हमने उस कानून को खत्म कर दिया। आतंकवादियों को कहा कि जो चाहे करो, यहां आपके खिलाफ कोई कानून नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर कल श्राइन बोर्ड का मामला आया। अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दी हुई जमीन जिस दिन वापस हुई, जिस दिन इसकी खबर आई, उसी दिन यहां पर खबर आई कि यहां पर दिल्ली में हज मंजिल बनाई जाएगी और उस पर 35 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। लोगों को हज भेजे जाने पर हमें आपत्ति नहीं है। हज के लिए हम 400 करोड़ रुपये की सबसिडी देते हैं। दुनिया के 178 देशों में से कोई देश सबसिडी नहीं देता। यदि कोई देश हज के लिए सबसिडी देता हो तो उसका नाम लें। पाकिस्तान भी सबसिडी नहीं देता। पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगाया, हाई कोर्ट ने आर्डर निकाला। हमारे यहां एयरपोर्ट्स पर उनके लिए स्पेशल जगह बनाई जाती है और इस तरह के हालात पैदा किये जाते हैं। श्राइन बोर्ड

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

से जमीन छीन लेना और मुझे उस पर आपत्ति है कि यहां पर 100 करोड़ हिन्दू हैं और उनको 100 एकड़ जमीन देने पर हाहाकार मच जाता है। 100 एकड़ जमीन देने की बात जब आ जाए तो...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मेरी अनुमति के बिना कोई नहीं बोल सकता।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं केवल पांच मिनट लूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, सौ करोड़ हिन्दुओं को सौ एकड़ जमीन देने पर प्रतिबंध लगाना और चलो, आपने यह काम कर दिया, परंतु उसके विरोध में कश्मीर में जो जुलूस निकले, उसमें पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाए गए, भारतीय झंडे को जलाया गया, हिन्दुस्तान के झंडे को जला दिया गया और इसको आप टॉलरेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बड़ी भारी देशभक्ति का काम है! यहां पर यू.पी.ए. का घटक दल है पी.डी.पी.। कोई खुलेआम बार-बार कह रहा है कि कश्मीर में दो करंसियां चलाई जाएं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हो गया, प्लीज कनक्लूड कीजिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं केवल दो-तीन मिनट लूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आपका समय हो गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप लोग कुछ नहीं समझते। मल्होत्रा जी बोल रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं। प्लीज बैठ जाइए। हरिन पाठक जी, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल अपनी अंतर पीड़ा व्यक्त कर सकता हूं।

[हिन्दी]

ये क्या हो रहा है?

[अनुवाद]

यह शर्मनाक आचरण है। श्री मल्होत्रा यदि यह इस प्रकार होता है तो मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा। आपके अपने दल के सदस्य विघ्न डाल रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह बिल्कुल शर्मनाक बात है। यह बात हर किसी पर लागू होती है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, कश्मीर में पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगें और यहां पर कांग्रेस के पूर्व मुख्य मंत्री कनाडा में उस गुरुद्वारे में गए जहां खालिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगते थे, अकालियों ने जहां जाकर इनके पुतले जलाए थे और यहां पर इस तरह के हालात पैदा किये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने कल कहा कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: जी, कनक्लूड कर रहा हूं। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि शुभ करमन ते कबहूं न टरीं - शुभ कर्मों से डरना नहीं चाहिए। क्या इस देश को अमरीका का पिछलग्गू बनाना शुभकर्म है, क्या पूंजीपतियों के हाथों में खेलकर आम आदमी का गला घोंटना शुभकर्म है, क्या वोट बैंक के लिए देश में आतंकवादियों को प्रोत्साहन देना शुभकर्म है, क्या अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दी हुई जमीन वापस लेना शुभकर्म है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं अगले वक्ता का नाम पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आज इसलिए मैंने कहा कि हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कोई सर्टिफिकेट की बात नहीं, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री चालिहा, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। यह गलत बात है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, इस सरकार के चार साल के शासन में इन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है और यहां पर इस सरकार को विश्वास मत देने का मतलब है जनता से भयंकर विश्वासघात करना और जो विश्वासघात करना चाहें वे करें, मैं अपनी पूरी शक्ति से सरकार ने जो मोशन रखा है, उसका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री राहुल गांधी (अमेठी): अध्यक्ष महोदय, मुझे सरकार की ओर से बोलने का अवसर देने पर धन्यवाद। कल जब मैं यह सोच रहा था कि मैं इस सभा में क्या बोलूंगा तो मैं आसान से निष्कर्ष पर पहुंचा। मैंने निर्णय किया कि इस समय एक राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में न बोलकर एक भारतीय के रूप में बोलना महत्वपूर्ण है। मैंने यह भी निर्णय लिया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ये टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। किसी के मन में इस सभा के प्रति सम्मान नहीं है। यह अत्यंत आपत्तिजनक बात है। यह बुरी बात है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री शाहनवाज हुसैन, आप युवा हैं, कृपया अन्य युवा सदस्य को बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

ऐसी गंदी टिप्पणियां मत कीजिए।

[हिन्दी]

यह आपको शोभा नहीं देता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अपने दल के वक्ता को परेशान कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर): आप हिन्दी में बोलिए। ...*(व्यवधान)*

श्री राहुल गांधी: मैडम, आप मुझे बोलने तो दीजिए। मैं हिन्दी में भी बोलूंगा और अंग्रेजी में भी बोलूंगा। मगर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है, करिए। आप हमसे बुजुर्ग हैं, आप हमारी बात सुन लीजिए, मानिए मत, मगर सुन लीजिए।

[अनुवाद]

जैसा कि मैंने कहा मैंने निर्णय लिया है कि मैं एक राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि एक भारतीय के रूप में बोलूंगा।

एक माननीय सदस्य: सभी भारतीय हैं।

श्री राहुल गांधी: मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं कि आप भी एक भारतीय हैं और आपको एक भारतीय की भांति बोलना चाहिए। मैं यह भी कहूंगा कि आप एक भारतीय की भांति बोलते हैं और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः, मैंने निर्णय किया है कि मैं एक ऐसा कदम उठाऊंगा जो सामान्यतः हमारे अधिकतर राजनीतिज्ञ नहीं उठाते हैं।

मैंने निर्णय किया है कि मैं अपने भाषण में एक धारणा लेकर चलूंगा। वह धारणा यह है कि इस सभा में जो भी व्यक्ति बैठा है, चाहे वह किसी भी दल का हो, भाजपा का हो अथवा शिव सेना अथवा समाजवादी पार्टी अथवा बसपा अथवा कांग्रेस पार्टी का हो, वह राष्ट्र हित में बोलता है। अतः, मैं कहना चाहता हूं कि यही वह धारणा है जो मैं अपने पूरे भाषण के दौरान बनाए रखूंगा।

कल, मैंने आज की बैठक के बारे में सोचा, इस सभा को बैठक की क्या आवश्यकता है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हम यह बैठक इसलिए कर रहे हैं कि भारत में एक गंभीर समस्या है और यह समस्या ऊर्जा सुरक्षा की है।

एक माननीय सदस्य: यह गरीबी है।

श्री राहुल गांधी: गरीबी सीधे ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी है और मैं स्पष्ट करूंगा कि कैसे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप निर्णय करेंगे कि वे क्या बोलेंगे?

श्री राहुल गांधी: मैं अपने भाषण में माननीय सदस्य को स्पष्ट करूंगा कि गरीबी कैसे प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी है। पुनः, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि मुझे दस मिनट दें और मेरी बात सुनें। मैं केवल यही कह रहा हूं।

तीन दिन पूर्व, मैं विदर्भ गया और वहां, मैं एक युवा महिला से मिला जिसके तीन लड़के हैं। शशिकला नामक यह महिला, एक भूमिहीन मजदूर है जो 60 रुपए प्रतिदिन में गुजारा करती है। उसका पति जो नजदीक के एक खेत में काम करने जाता है और 90 रुपए प्रतिदिन कमाता है और वे जो ये कुल कमाई करते हैं, उसी में उन्होंने अपने तीनों बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला दिलाया है। मैंने इन लोगों के साथ एक घंटा बिताया। वे झोंपड़पट्टी में रहते हैं। मैंने बच्चों से और उनकी मां से बात की। सबसे बड़े लड़के का सपना कलक्टर बनने का है, बीच वाले लड़के का सपना इंजीनियर बनने का है और छोटा निजी काम करना चाहता है। जब मैंने शशिकला से पूछा कि वह क्या सोचती है कि उसके बच्चे सफल होंगे या नहीं तो उसने मेरी ओर देखा और कहा "निस्संदेह"। जब मैं उनके घर से निकल रहा था तो मैंने देखा कि घर में बिजली नहीं थी। मैंने बच्चों को बताया कि जब मैं छोटा था तो शाम के समय पढ़ता था और पूछा कि आप कैसे पढ़ते हैं? बच्चों ने एक दीपक की ओर इशारा किया, वहां पीतल का एक दीपक रखा था। उन्होंने कहा "हम उस दीपक की रोशनी में पढ़ते हैं। ऊर्जा सुरक्षा की इस समस्या का प्रतिदिन हम सबको सामना करना पड़ता है; गरीबों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे शशिकला के घर में; उद्योगों और सभी भारतीयों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय: यदि कोई माननीय सदस्य उनकी बात नहीं सुनना चाहता तो वह बाहर जा सकता है। यह टीका-टिप्पणी गलत है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या हम गलत बोल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राहुल गांधी: ऊर्जा भारत को प्रभावित करती है;

ऊर्जा भारत के विकास को प्रभावित करती है और ऊर्जा ही हमें विकास दर नौ प्रतिशत वृद्धि का अवसर देती है और वह वृद्धि हमें गरीबों के लिए कार्यक्रम बनाने का अवसर देती है जैसे भाजपा ने किया है, यथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना; और जैसे कांग्रेस ने किया है, यथा एन.आर.ई.जी.पी. और शिक्षा की गारंटी।

मैं यहां जो बात कह रहा हूं वह यह है कि यदि हम भविष्य में अपनी ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित नहीं करेंगे तो विकास रुक जाएगा और हम गरीबी से नहीं लड़ सकेंगे जो इस सभा का प्रत्येक सदस्य करना चाहता है।

मैंने बता दिया है कि समस्या क्या है। संभावित समाधान क्या हो सकता है, यह देखने के लिए मैं दोबारा विदर्भ जाऊंगा। मैं एक अन्य युवा महिला कलावती के घर जाऊंगा जिसके नौ बच्चे हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सन्तोष गंगवार जी, आप क्या बोल रहे थे?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राहुल गांधी, अपनी बात जारी रखें।

श्री राहुल गांधी: मैं विदर्भ में कलावती के घर जाऊंगा *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हमने तो उन्हें सिखाया नहीं, हम क्या करें?

श्री राहुल गांधी: अध्यक्ष महोदय, आपने हमें सिखाया है। हम आपसे सीखे हैं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं कलावती के घर जाऊंगा। मुझे खुशी है कि आपको मजाक लगा। लेकिन कलावती वह औरत है जिसके पति ने आत्महत्या कर ली है। इसलिए, मैं आपसे उसका आदर करने का आग्रह करता हूं। मैं आपको कलावती के घर ले जाऊंगा जहां मैं तीन दिन पूर्व गया था। कलावती के नौ बच्चे हैं और उसके पति ने तीन वर्ष पूर्व आत्महत्या कर ली थी। उसके पति ने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि वह एक ही फसल, कपास पर निर्भर था। जब मैंने कलावती से पूछा कि उसके पति ने आत्महत्या क्यों की तो उसने बताया कि वह आय के केवल एक ही स्रोत पर निर्भर था...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: इसे हटा दीजिए। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी: मैंने कलावती से पूछा कि उसने क्या किया। कलावती ने बताया कि वह दूसरे क्षेत्रों में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि भारतीय संसद में घोर गिरावट आ रही है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप लोग बहुत इंटेलीजेन्ट हैं?

[अनुवाद]

आप अपने आपको बहुत समझदार समझते हैं। कृपया बैठ जाएं। मैं आपका नाम लिख लूंगा। आप समझ जाएंगे क्या होता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्य से नियंत्रण करने का अनुरोध कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको कुछ समय के लिए बाहर जाना होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: तो क्या हुआ? क्या आपको व्यवधान

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अध्यक्ष महोदय]

डालने का अधिकार मिल गया। आप कृपा अपने स्थान पर बैठिए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आप उनके सूचना-दाता नहीं है। कृपया अपनी बात जारी रखिए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: यदि कोई सदस्य मेरी अनुमति के बिना बोलेगा तो यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय: सभा के नेता के रूप में श्री प्रणब मुखर्जी, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, मैं मतदान के लिए समय निर्धारित कर रहा हूं। अब और विचार-विमर्श नहीं होगा। आप मुझे बताएं, आप के लिए कब उपयुक्त होगा?

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने एक गम्भीर विषय लाना चाहता हूं। हमारी बात को रखने का मौका दिया जाए। हमें धमकियां दी जा रही हैं...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि हमें समय निर्धारित करना चाहिए।

...(*व्यवधान*)

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): उनका भाषण समाप्त होने के पश्चात, वे जो भी कहना चाहे वे कह सकते हैं ...(*व्यवधान*)। कल जब श्री ब्रजेश पाठक बोल रहे थे तब हमने उनका भाषण सुना। मैं बसपा के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपना स्थान ग्रहण करें और इस वाद विवाद को चलने देने...(*व्यवधान*) कल आप बोले थे और यदि माननीय अध्यक्ष महोदय आपको अनुमति दें तो आज भी बोल सकते हैं। इसलिए कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और उनका भाषण पूरा होने दें। वाद विवाद को चलने दें और तत्पश्चात हम निर्णय करेंगे कि मतदान कब हो। वाद विवाद केबीच में आप अनावश्यक रूप से क्यों बाधा डाल रहे हैं। कृपा वाद विवाद को चलने दें।...(*व्यवधान*)

श्री राहुल गांधी: महोदय, जब मैंने कलावती से पूछा ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: अचानक मेरे माननीय मित्र खड़े हो गए हैं। मैं कुछ नहीं समझ रहा हूं कि क्या हो रहा है। कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी व्यवधान डालेगा और जो भी वे कहना चाहते हैं, वे कहेंगे। कोई शिष्टाचार नहीं है, कोई नियम नहीं है और कोई प्रक्रिया नहीं है।

मेरे विचार से वह समय आ गया है जब इस संसद के सदस्यों को मतदाता का सामना करना चाहिए ताकि देश इन सदस्यों द्वारा यहां किए जा रहे आचरण के लिए अपना निर्णय दे सके। श्री राहुल गांधी, हां, कृपया अपनी बात जारी रखिए।

...(*व्यवधान*)

श्री राहुल गांधी: जब मैंने उस विधवा से पूछा कि वह अपनी समस्या को कैसे हल करती है, तो उसने कहा कि अब वह एक फसल के बजाय तीन फसलें उगाती है। उसने मुझे बताया कि उसने किस प्रकार से दो भैंस खरीदी और अब दूध उसकी आय का स्रोत बन गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उसने मुझे यह भी बताया कि उसने खोदकर एक छोटा-सा तालाब बनाया, जिसे वह पानी से भर देती है और उसे वह वर्षा न होने पर बीमा पालिसी के रूप में इस्तेमाल करती है।

अतः, हमारी ऊर्जा संबंधी समस्या का उत्तर इस बात में...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(*व्यवधान*)...*

अध्यक्ष महोदय: एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए।

(*व्यवधान*)...*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: एक मैम्बर बोल रहा है, आप हमको कुछ नोटिस भी नहीं देते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। राजेश जी, यह क्या हो रहा है।

[अनुवाद]

आप एक जिम्मेदार नेता हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे कुछ नहीं पता।

[हिन्दी]

आपने कुछ नहीं बताया और आप खड़े हो गये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस सभा में क्या चल रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, श्री राहुल गांधी जी आप भोजनावकाश के पश्चात अपना भाषण जारी रखें।

अब सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.57 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्यों द्वारा निवेदन

माननीय संसद सदस्य को कथित धमकी के बारे में

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मिस्टर ब्रजेश पाठक, आप बोलिए। आपकी बात सुनने के लिए हम तैयार हैं, केवल एक नोटिस देने से हमें आपकी बात मालूम होती है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गांधी जी, मैं आपको उनके बाद बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। आज सुबह जब लोकसभा के विशेष सत्र के लिए हम अपने घर साउथ एवेन्यू से निकलने वाले थे, तो एक शख्स हमसे मिलने के लिए आया और कुछ कागज उसके हाथ में थे। उसने हमारे लोगों से अनुरोध किया कि मुझे मिलना है। मैंने कहा कि कागज दे दो, मैं लोकसभा जा रहा हूं, जल्दी में हूं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे सांसद जी से कुछ विशेष बात करनी है, तो हम उसे बाहर बरामदे तक लेकर आए। उसने कहा कि आज सरकार में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सब एडमिसिबिल नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे पढ़ा रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं पता लगाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: उसने बताया कि आज सरकार के पक्ष में मतदान होना है। आज आपको निर्णय लेना है। कल आपने हाउस में बहुजन समाज पार्टी की ओर से सरकार का इतना विरोध किया, यह बात ठीक नहीं है। आप अपने सांसदों से या तो सदन के मतदान में सरकार के पक्ष में मतदान कराओ या सदन के बाहर चले जाओ अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, छोड़िए।

...(व्यवधान)

श्री ब्रजेश पाठक: उसने यह भी कहा,...*(व्यवधान)* मैं पूरी बात बताना चाहता हूं, उसने कहा कि हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी, जो देश के दलितों का सम्मान हैं, दलित समाज का सम्मान हैं, अगर सरकार विश्वास मत हारती है, तो उनको सी.बी.आई. के द्वारा जेल भेज दिया जाएगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सुनिए। ब्रजेश जी, हमें कुछ बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक: उसने यह भी कहा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग मेहरबानी करके सीट पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग): महोदय, ये मनगढ़ंत कहानियां कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक: महोदय, सदन में बहुमत...*(व्यवधान)* यह गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सरकार बहुमत के लिए इस तरह का काम करेगी, तो यह स्वीकार नहीं किया जाएगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सुनिए, आपने उसका कोई आइडेंटिटी नहीं दिया।

...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक: मैं पूरी बात तफसील से बताऊंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, बोलिए। अपने दोस्तों को कहिए कि सब शांत हो जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक: हमने उससे कहा कि तुम इस बात को कैसे कह सकते हो? आप मुझे धमकी दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक: आप अगर धमकी देंगे, तो हम दबने वाले या डरने वाले नहीं हैं। हम इस बात पर कैसे भरोसा करें कि आप सी.बी.आई. के जिम्मेदार अफसर हैं।...*(व्यवधान)* अब देखिए, सदन में क्या हो रहा है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या हो रहा है? आप ही मुझे बताइए।

...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक: मैं क्या कभी बीच में टोकाटाकी किया हूं? मुझे बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम तो आपकी बात सुन रहे हैं, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक: लालू जी अगला नंबर आपका है। ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): आप यहां से वहां चले गए।...*(व्यवधान)*

श्री अकबर अहमद 'डंपी': आप यहां से वहां चले गए। वे यहां थे, वहां चले गए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर जाइए।

[हिन्दी]

आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक: उसने कहा कि अगर सरकार के पक्ष में आप लोग मतदान नहीं करते हैं, तो वह हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी को सी.बी.आई. के माध्यम से फंसा करके जेल भेज देंगे और उन्हें दंडित करेंगे।...*(व्यवधान)* उसने हमें कुछ डाक्यूमेंट्स दिए। उसने अपनी बात को सही साबित करने के लिए कुछ डाक्यूमेंट्स दिए, जिन्हें मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। उसने यह भी कहा कि यह वे गंभीर पत्र हैं, गंभीर चिट्ठियां हैं, जिनसे यह

साबित होता है कि हमारी नेता निर्दोष हैं। केवल सी.बी.आई. के डायरैक्टर ने निर्णय लिया है, इसलिए डायरैक्टर के माध्यम से हम आपकी नेता को बचा देंगे। नीचे के अधिकारियों ने हमारी नेता, बहन कुमारी मायावती जी को क्लीन चिट दी है। चूंकि यह निर्णय डायरैक्टर स्तर पर हुआ है, इसलिए यह हमारे हाथ में है। आप दो घंटे में निर्णय लेकर बता दीजिए कि यदि सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे तो आपकी नेता को सी.बी.आई. साफ-साफ बचा देगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान से मत उठिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): यह बहुत गंभीर सवाल है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ब्रजेश जी, आप अपने साथियों को थोड़ा मना कीजिए। पहले इनका बोलना बंद करवाइए, उसके बाद बोलिए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): हमारे दो मैम्बर्स जो एयरपोर्ट पर बैठे हैं...*(व्यवधान)* उन्हें डायरैक्शन दीजिए कि उन्हें दिल्ली आने दिया जाए।...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक: उसने यह भी कहा कि आप दो बजे तक निर्णय ले लीजिए अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए।...*(व्यवधान)* मैं अभी घर नहीं जा पा रहा हूं। यह स्थिति है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मेरे संरक्षण में हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: आपको निर्णय लेना है कि हिन्दुस्तान में जनतंत्र का किस तरह से गला घोंटा जाएगा। आज पूरा देश देख रहा है।...*(व्यवधान)* लोकतंत्र का गला घोंटने वाले ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप थोड़ा धीरे बोलिए, थोड़ा शान्ति से बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक: आप हमारे गार्जियन हैं, आपको इस पर निर्णय लेना चाहिए और तत्काल सरकार को निर्देश देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप थोड़ा धीरे बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सब लोग बैठ जाइए, नहीं तो हम कुछ नहीं सुनेंगे। आप मेहरबानी करके बैठ जाइए। हम इनकी बात सुन रहे हैं। ब्रजेश जी, आप थोड़ा धीरे बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक: माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि ऐसे गंभीर मामले में आप तत्काल सरकार को निर्देश दें कि इस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटकर अगर सरकार विश्वास मत जीतने का काम करेगी तो हिन्दुस्तान की पीढ़ियां उसे कभी माफ नहीं करेंगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री ब्रजेश पाठक द्वारा दिए गए पत्र को स्थिति का पता लगाने के अनुरोध के साथ जांच कराने हेतु सभी की उपस्थिति में तत्काल गृह मंत्री को भेज रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप सब एक-एक करके बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक-एक करके बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या आप यह पेपर होम मिनिस्टर को देंगे?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: फिर किसे देंगे?

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप हाउस की कमेटी बनाकर जांच करवाइए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, हम सोचेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने अभी पेपर दिए हैं, हमें सोचने दीजिए। आपको सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, हमारे ऊपर है, आपकी बहुत मेहरबानी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप सरकारी जांच नहीं चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय गृहमंत्री जी कृपया इसे मुझे लौटा दीजिए। वे चाहते हैं कि मैं जांच करूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचेंगे, यह आपसे वायदा करते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक: माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि यह गंभीर मामला है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप डम्पी साहब को दो मिनट बोलने का वक्त दे दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अकबर अहमद 'डम्पी' (आजमगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह गहरी चिंता का विषय है। विश्वास मत पर मतदान वाले दिन सी.बी.आई. श्री ब्रजेश पाठक के घर जाती है और उन्हें धमकी देती है कि यदि वह उनके साथ नहीं आते हैं और सरकार के लिए मतदान नहीं करते हैं...*(व्यवधान)* मेरा केवल यही निवेदन है कि यह गहरी चिंता का विषय है कि इस सभा के सदस्यों पर सरकार के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव डालने हेतु सी.बी.आई. का उपयोग किया जा रहा है और हमें धमकी दी जा रही है कि यदि हम सरकार के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, तो हमारी नेता कुमारी मायावती, जिन्हें दोषमुक्त किया जा चुका है ...*(व्यवधान)*

हमारे पास सबूत हैं...*(व्यवधान)* महोदय, क्या वह पीठासीन अधिकारी हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? आप हमें एड्रैस कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सब बैठ जाइये। हम एक-एक करके सबको सुनेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (कैसरगंज): अध्यक्ष महोदय, क्या हमारा नम्बर आयेगा?

अध्यक्ष महोदय: आपका नम्बर आयेगा। आप बोलिये, ज्यादा टाइम नहीं है। अभी डिबेट भी शुरू करनी है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अकबर अहमद 'डम्पी': महोदय, बहन कुमारी मायावती को आयकर अधिकरण द्वारा दोषमुक्त किया गया था...*(व्यवधान)* उन्हें जांच अधिकारी द्वारा दोषमुक्त किया गया था...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? हम आपको सुन रहे हैं इसलिए आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अकबर अहमद 'डम्पी': बसपा के संसद सदस्यों पर

दबाव डालने के लिए सी.बी.आई. को गैर-कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है...(*व्यवधान*) परंतु हम सरकार के विरुद्ध खड़े हैं...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत खतरनाक बात है।

[अनुवाद]

मेरी आपसे यही अपील है कि आप याद रखें कि आप इस सभा के सदस्य हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी अंतरात्मा, अपने निर्णय के अनुसार मतदान कीजिए। मैं यहां आपको यहां पूरी सुरक्षा दूंगा।

श्री अकबर अहमद 'डम्पी': परंतु संसद से बाहर सुरक्षा का क्या होगा?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आउटसाइड भी हम बोल देंगे। हमारी इतनी पुलिस नहीं है। हम होम मिनिस्टर साहब को बोल देते हैं कि वे आपको प्रोटेक्शन दें।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री अकबर अहमद 'डम्पी': महोदय, क्योंकि बहन कुमारी मायावती दलित हैं, केवल इसी कारण वे हम पर दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं...(*व्यवधान*) वे हम पर इसलिए दबाव डाल रहे हैं क्योंकि हमने उनसे समर्थन वापस ले लिया है...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह सीरियस मुद्दा है।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आप सुनिये। बहुत हो गया।

[अनुवाद]

श्री पाठक जी और आपने बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाया है। आप चाहते हैं कि मैं मामले की जांच करूं। मैंने रिकार्ड रखा है। मैं इसकी जांच करूंगा। जहां तक संरक्षा का संबंध है, आप सब की उपस्थिति में और राष्ट्र भी मुझे सुन रहा है, मैं माननीय गृहमंत्री जी से यह अनुरोध कर रहा हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि सभी संसद सदस्यों को पूरी सुरक्षा मिले।

...(*व्यवधान*)

श्री अकबर अहमद 'डम्पी': महोदय, क्योंकि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि दलितों पर दबाव डाला जा सकता है।...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपने बोल दिया है इसलिए अब आप बैठ जाइये। श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी आप बोलिये।

...(*व्यवधान*)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (कैसरगंज): आप इनको बोलिये कि ये हमारी बात सुनें।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: अहमद जी, आपको हमने सुन लिया है इसलिए आप बैठ जाइये।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री अकबर अहमद 'डम्पी': महोदय, हम पूरी सुरक्षा चाहते हैं...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहूंगा...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य जी मैं आपकी बात सुनूंगा।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: ये सीमा के अन्दर बोल सकते है।

श्री अकबर अहमद 'डम्पी': हम चाहते हैं कि इस मामले की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति गठित की जाए।...(*व्यवधान*) हमें सरकार पर विश्वास नहीं है। हमें गृह मंत्री जी पर विश्वास नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति गठित की जाए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, यह एक अत्यंत गंभीर विषय है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, हम देखेंगे। यह क्या बात है?

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, यहां पर प्रधान मंत्री जी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें। श्री मल्होत्रा जी, आप अपनी हैसियत का दुरुपयोग कर रहे हैं। श्री बेनी प्रसाद वर्मा के निवेदन के अलावा, कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप सब बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम बेनी प्रसाद वर्मा जी के बाद आपको सुनेंगे।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, हमारे दो सदस्यों को यहां आने से रोका जा रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम छः बजे वोटिंग करेंगे।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मंत्री जी उन्हें पहले आने नहीं दे रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उनको कौन नहीं आने दे रहा?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं छोड़िये।

[अनुवाद]

मैं नहीं जानता कि क्या होगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप मेहरबानी करके बैठिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अकबर अहमद 'डम्पी': महोदय, हम आपसे इस गंभीर मामले की जांच करने का अनुरोध करते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी जांच करूंगा। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: अध्यक्ष महोदय, अगर भाजपा के लोग किसी को बोलने नहीं देंगे, तो हम भी उनको बोलने नहीं देंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको जो बोलना है, वह आप बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: अध्यक्ष महोदय, ये लोग क्यों नहीं बैठते हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या यह हमारे हाथ में है? हाउस में कोई भी हमारी बात नहीं सुनता है। ये सीनियर मैम्बर्स पहले सब मिनिस्टर्स थे। कोई भी हमारी बात नहीं सुनता है। उनके खड़े होने पर भी आप बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: अध्यक्ष जी, आप इस सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, विद्वान भी और अध्यक्ष के आसन पर हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सा विषय किस उद्देश्य से उठाया जा रहा है। क्या विपक्ष अपनी हार को देखते हुए इस तरह के विषय उठा रहा है।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: इन लोगों में सुनने की क्षमता नहीं है। ये लोग किसी की बात सुन नहीं सकते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपकी बात हो गयी। अब आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ब्रजेश पाठक: महोदय, यह एक अत्यंत गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, अब आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, माननीय सदस्य श्री ब्रजेश पाठक जी ने जिस मामले को उठाया है, मैं नहीं जानता हूं कि वह सत्य है या असत्य है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि माननीय पाठक जी इस सदन के सदस्य हैं और जो बात उन्होंने उठायी है, वह पूरी जिम्मेदारी से उठाई होगी। जिम्मेदारीपूर्वक जो बात उठाई गयी है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरह से किसी सदस्य के डेरे पर जाकर सी.बी.आई. का कोई पदाधिकारी, सरकार के इशारे पर, इस तरह से धमकी देता है, तो यह बहुत गंभीर बात है। आप कह रहे हैं कि आप इसकी गृहमंत्री से जांच कराएंगे। अगर सी.बी.आई. का इस्तेमाल हो रहा है तो वह गृहमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यालय से होता होगा। ऐसी परिस्थिति में कभी भी इस जांच के मामले में सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसकी जांच के लिए आप सदन की एक कमेटी गठित कीजिए और अगर मायावती जी दोषी हों तो वे जेल जाएं, हमें उससे कुछ लेना-देना नहीं है, लेकिन अगर किसी पदाधिकारी के माध्यम से धमकाया जाता है या हस्तक्षेप किया जाता है, तो उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी आपसे मांग है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, हमने आपकी पूरी बात ध्यान से सुनी है, हम इसके बारे में सोचेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: महोदय, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वर्मा जी, आप बैठ जाइए। आपने अपनी बात कह ली है।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा): यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जब विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, तब बहुजन समाज पार्टी से संबद्ध, इस सभा के एक सदस्य को सी.बी.आई. अधिकारियों ने धमकी दी है और उन्हें अनुपस्थित रहने के लिए कहा गया है; केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि बी.एस.पी. के अन्य सदस्यों को भी। बहुमत प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार सी.बी.आई. का दुरुपयोग किया जा रहा है, वह अत्यंत निन्दनीय है। हम इसकी निन्दा करते हैं और मैं मांग करता हूं कि एक निष्पक्ष जांच कराने के आदेश दिए जाएं और ऐसा एक समिति गठित करके ही किया जा सकता है। इसलिए, हम मांग करते हैं कि इस गंभीर मामले की जांच के लिए एक सभा समिति गठित की जाए।

अध्यक्ष महोदय: आपके सुझाव का ध्यान रखा जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सभी समिति का गठन चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, इस सदन के दो सदस्यों को एयरपोर्ट पर रोका जा रहा है। प्रफुल पटेल जी की ओर से इसके निर्देश दिए गए हैं कि उनको वहां न जाने दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: लगाए जा रहे आरोप गंभीर हैं। मेरा यही काम रह गया है। मैं वहां जाकर उनको विमान से नहीं ला सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, उनको वहां जाने से रोका जा रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात सुन रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, हम आपसे निदेश चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं विनम्रतापूर्वक केवल यही कह सकता हूं कि जो भी माननीय सदस्य सभा में आने का प्रयास करेगा, उसे रोका नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इतना बोल दिया है, अब और क्या कहूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं विमान नहीं भेज सकता। मेरे पास विमान नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप उन्हें कह तो सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यहां हर प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं।

अब, श्री दासगुप्त।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत गंभीर शिकायत है और इस से पूर्व इस सभा के किसी भी सदस्य से ऐसी शिकायत नहीं सुनी गई।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने कुछ ऐसे भाषण सुने हैं, जो इस सभा में पहले कभी नहीं सुने गए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, कृपा मेरी बात सुनें।

अध्यक्ष महोदय: मैं सुन रहा हूं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैंने ऐसी शिकायत कभी नहीं सुनी। यह एक अत्यंत गंभीर शिकायत है, जो 14वीं लोक सभा में पहली बार की गई है। मैं नहीं कहता कि वे ठीक हैं। मैं नहीं कहता कि वे गलत हैं। लेकिन यह शिकायत इस सभा के एक माननीय सदस्य ने की है। इसलिए, इस सभा को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, न कि सरकार को। इस सभा को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और सभा की ओर से माननीय अध्यक्ष को स्वत: ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामले की तह तक जाने तथा सच्चाई का पता लगाने के लिए सभा की एक समिति गठित हो। महोदय, इसमें अत्यंत गंभीर जटिलता है। इसका मतदान से कोई वास्ता नहीं है। इसका श्री लालू प्रसाद जी से कोई संबंध नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा। मैं आपके सुझाव पर गौर करूंगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, जब यह पक्ष सत्ता में आएगा तो यही बात उनके साथ भी हो सकती है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि सभा इस मामले का संज्ञान ले और एक समिति गठित करे। महोदय, कृपा ऐसा यहीं और अभी करें।

अध्यक्ष महोदय: यह एक अदभुत सुझाव है। आप चाहते हैं कि रिपोर्ट भी यहीं और अभी अभी आ जाए।

अब, श्री अनंत गीते।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): मेरा एक व्यवस्था संबंधी प्रश्न है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: नियम 369 में निम्नवत उल्लेख है:-

"पटल पर रखा गया पत्र या दस्तावेज, उसे प्रस्तुत करने वाले सदस्य द्वारा उचित प्रकार से प्रमाणित किया जाएगा।"

महोदय, उन्होंने दस्तावेज को प्रमाणित नहीं किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि वे इसे प्रमाणित कर देंगे। श्री ब्रजेश पाठक,

[हिन्दी]

उनके द्वारा अथेंटिकेट करने के बाद हमारे पास आएगा।

[अनुवाद]

आपका कहना ठीक है। मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को ठीक मानता हूं। अब, श्री अनंत गीते।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष जी, सदन में इसके पहले भी कई बार विश्वास मत के प्रस्ताव पेश हुए हैं और उन पर चर्चा हुई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: विश्वास प्रस्ताव के सिवाय किसी अन्य विषय पर भी चर्चा हो रही है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं प्रस्ताव पर नहीं बोल रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले कभी भी किसी विश्वास मत के प्रस्ताव पर किसी सांसद ने इस प्रकार की शिकायत नहीं की कि प्रस्ताव के समर्थन में मदद देने के लिए उसे धमकाया गया हो।

अध्यक्ष महोदय: मैंने इस पर कहा है।

श्री अनंत गंगाराम गीते: माननीय सांसद को धमकाया जा रहा है और वह भी सी.बी.आई. के द्वारा। कल तो मैंने इतना ही कहा था कि आज इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए जो घिनौने प्रयास किए जा रहे हैं, तो मुझे लालू जी ने याद दिलाया कि यह रिवीजन हो सकता है। अब लालू जी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जब एक सांसद डाक्युमेंट को अथेंटिकेट करके दे रहा है,

अध्यक्ष महोदय: अभी नहीं दिया है।

श्री अनंत गंगाराम गीते: यह जो सदन में मामला आया है और कहा गया है कि इसकी जांच करने के लिए सदन के सदस्यों की एक समिति बनाई जाए, तो मैं इसका समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि समिति बनाई जाए, जो इस मामले की जांच करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे सहमत हूं।

अब, हम पुनः विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। श्री किन्जरपु येरननायडु, आपका क्या कहना है? सब कुछ कहा जा चुका है।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, मैं श्री गुरुदास दासगुप्त और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा इस मुद्दे पर प्रकट किए गए विचारों से सहमत हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: जो-जो सपोर्ट करते हैं, वे स्लिप भेज दें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपकी गम्भीर चिंता को नोट कर लिया है। आपसे प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात् ही मैं इस पर विचार करूंगा। आपको सरकार पर विश्वास नहीं। मैं आशा करता हूं कि आपको मुझ पर विश्वास है।

[हिन्दी]

अब इसे छोड़िए। अब प्रस्ताव पर चर्चा होने दें।

अपराह्न 02.25 बजे

मंत्रिपरिषद् में विश्वास प्रस्ताव - *जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राहुल गांधी अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री राहुल गांधी (अमेठी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह मैंने दो गरीब परिवारों के बारे में बोला...*(व्यवधान)* हां, बिलकुल सही...*(व्यवधान)* मैंने दो गरीब परिवारों के बारे में बोला था...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इसमें से वही हटा दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राहुल गांधी: मैं दो गरीब परिवारों से मिला। उनमें

[श्री राहुल गांधी]

से एक का नाम श्रीमती कला है...*(व्यवधान)* श्रीमती कला ने कहा कि अपने परिवार को स्थिरता देने और नौ बच्चों के पालन पोषण के लिए उसकी आय के स्रोत भिन्न-भिन्न हैं।

महोदय, कम से कम परमाणु ऊर्जा श्रीमती कला के लिए वरदान साबित होगी और आवश्यकता के समय यह इस देश के लिए बीमा पालिसी की तरह कार्य करेगी। परमाणु ऊर्जा का अधिकतम लाभ श्रीमती कला की मुख्य फसल की तरह होगी। अत: समस्या है कि जिस तरह आज हमारे परमाणु उद्योग की स्थिति है उससे कुछ नहीं होने वाला। न तो यह बीमा पालिसी की तरह कार्य कर पायेगी और न ही इसमें इतनी क्षमता है कि यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सके। और इसका कारण यह है कि आज हमारे वैज्ञानिकों तथा संगठनों के हाथ बंधे हुए हैं, जिसका कारण है कि एक ओर उनके पास ईंधन नहीं है और दूसरी ओर उनके पास न तो इतना निवेश है और न ही प्रौद्योगिकी है।

महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने समस्या को पहचाना और उसका संभावित समाधान ढूंढ निकाला है। लेकिन यह स्वीकार करना मेरे लिए अनुचित होगा अगर मैं यह स्वीकार नहीं करता कि श्री वाजपेयी ने भी अपने समय में समस्या को पहचाना और समाधान ढूंढने के लिए कार्य किया।

[हिन्दी]

इस बात पर ताली तो मार दीजिए...*(व्यवधान)*

अब जैसा कि मैं कह चुका हूं और हम सब जानते हैं कि इस देश में ऊर्जा सुरक्षा के बारे में समस्या है, और इस संबंध में हमें काफी विचार करने की आवश्यकता है। यह ऐसी समस्या है जिसे हम सबको मिलकर सुलझाने की आवश्यकता है।

जैसा कि मैंने कहा, वरिष्ठ नेताओं ने भी माना है कि इसका हल विविधिकरण और ऊर्जा के एक से अधिक स्रोतों पर निर्भरता है, तथा संतुलन किए जाने की आवश्यकता है जिसमें अन्य स्रोतों के साथ-साथ नयूक्लियर, हाईड्रोकार्बन, सौर और पवन ऊर्जा शामिल हैं।

लेकिन महोदय, समस्या को पहचानने और उसका संभावित हल ढूंढने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। मनमोहन सिंह जी जो वाद कर रहे हैं वह यह है कि उन्होंने समस्या के भीतर अवसर को पहचान लिया है, जो समस्या से भी बड़ा है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने जिस अवसर को पहचाना है वह साधारण तथ्य पर आधारित है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि दोनों देश अगले 30-40 वर्षों में सृजित की जाने वाली नई ऊर्जा का उपयोग करेंगे। चीन और भारत वे देश हैं जो आ जायेगी, यह परिभाषित करने की क्षमता रखते हैं कि विश्व की ऊर्जा का भविष्य क्या है।

महोदय, मेरा सुझाव है कि अपनी ऊर्जा की समस्या को समस्या मानने के बजाय हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। बड़े खरीददार की तरह, जो किसी भी बाजार में जाता है, हममें विश्व ऊर्जा उद्योग को एक स्वरूप प्रदान करने की क्षमता है और ऊर्जा विश्व में किसी अन्य उद्योग की तरह नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह सभी जगह उपयोग होती है, आर्थिक और सामाजिक जीवन के हर पहलू में इसका उपयोग होता है। ऊर्जा ने राष्ट्रों को नष्ट कर दिया है और इसने राष्ट्रों का निर्माण भी किया है।

हमारे पुराने प्रतिद्वंदी, अंग्रेज इसलिए आगे बढ़ सके क्योंकि उनका कोयले पर नियंत्रण है। आज हाईड्रोकार्बन पर अमेरिका का नियंत्रण है। हाईड्रोकार्बन पर उनका बहुत प्रभाव है और हम सब जानते हैं कि वे कितने शक्तिशाली हैं। मैं सुझाव दे रहा हूं हमने एक बड़े देश, एक शक्तिशाली देश, की तरह विचार करना शुरू कर दिया है। यह विचार करने की बजाय कि विश्व का हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम यह विचार करने लगते हैं कि हमारा विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

वर्षों पहले इस देश ने एक रास्ता बनाया था जिसके बारे में बहुत से लोगों ने सोचा भी नहीं था। हमने एक उद्योग का विकास किया था जिसे आई.टी. उद्योग और दूरसंचार उद्योग कहते हैं। उस समय बहुत कम लोग थे जो यह विश्वास करते थे इस उद्योग में भारत कभी एक मुख्य भूमिका निभा पाएगा। बहुत कम लोगों को विश्वास था कि गरीबों को शक्तियां प्रदान करने और देश की तस्वीर बदलने में कम्प्यूटर कुछ कर सकता है। लेकिन आज हम सब कम्प्यूटर का प्रभाव देख सकते हैं। हम इस देश पर आई.टी. और संचार के क्रांतिकारी प्रभाव देख रहे हैं, और यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे न भूलें। यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे न भूलें क्योंकि मैं समझता हूं आज हम दोराहे पर है, ठीक वैसी ही स्थिति में, जब हमें आई.टी. पर निर्णय करना था।

यहां निर्णय तीन प्रतिशत या सात प्रतिशत ऊर्जा का नहीं है। यह भारत की परमाणु ऊर्जा के उपयोग के बारे में नहीं है। अगर हम यहां व्यापक तस्वीर देखते हैं तो हम पाते हैं कि उस क्षेत्र में क्या भारत उस ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व शक्ति बन सकता है जो भविष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। हाईड्रोकार्बन से उत्पन्न समस्याओं के बारे में हम सब जानते हैं। हम सब प्रदूषण के बारे में जानते हैं।

पूर्व में, एक सदस्य ने मुझसे पूछा था कि ऊर्जा और गरीबी के बीच क्या संबंध है। संबंध हम जानते हैं, संबंध है हाईड्रोकार्बन पर निर्भरता और भारत में अनाज मूल्य। महोदय, जब हम ऊर्जा के बारे में विचार करते हैं, जब हम परमाणु ऊर्जा के बारे में विचार करते हैं, तो हमें निर्धनतम व्यक्ति के बारे में भी विचार करना चाहिए। ज्यादातर लोग जो सोचते थे उसके विपरित जब हमने इस देश में आई.टी. के बारे में निर्णय लिया तो हमने इस देश के गरीब लोगों के बारे में विचार करते हुए लिया था। इस हद को पार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अन्तर्ज्ञान का विरोधी है। लेकिन उद्योग, ऊर्जा और गरीबों के बीच संबंध को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

महोदय, मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया है अत: मैं इस संबंध में और आगे नहीं बोलना चाहता। लेकिन मैं अंत में कुछ कहना चाहता हूं। मैं बहुत खुश हूं कि अब सभा सुन रही है।

एक शक्तिशाली देश और उस देश में जो शक्तिशाली नहीं है तथा जिसका विश्व स्तर पर प्रभाव वैसा नहीं है, के बीच यह अंतर है कि शक्तिशाली देश इस बारे में सोचता है कि वह विश्व पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। जो देश शक्तिशाली नहीं होता वह सोचता है कि विश्व का प्रभाव उस पर कैसा होगा।

महोदय, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सी सरकार इस देश को चला रही है। भविष्य में बहुत सी सरकारें इस देश को चलायेंगी। लेकिन यह मायने रखता है कि विश्व में अपनी स्थिति के बारे में हम क्या सोचते हैं। महत्वपूर्ण है कि हमें इस बात की चिंता छोड़ देनी चाहिए कि विश्व का प्रभाव हम पर कैसा होगा, हमें इस डर को निकालना होगा कि विश्व का प्रभाव हम पर कैसा होगा और हमें आगे कदम उठाकर सोचना चाहिए, हम विश्व पर कैसा प्रभाव डाल सकते हैं।

महोदय, जैसाकि मैंने पहले कहा था, आज मैं किसी कांग्रेसी की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं अपितु एक भारतीय की हैसियत से बोल रहा हूं। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं दो बातें और कहना चाहता हूं।

पहली बात यह है कि हम अभी एक साथ मिलकर इस देश का निर्माण कर रहे हैं। इस देश का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, इस बारे में हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं। इसे क्या करना चाहिए इस बारे में हमारी भिन्न राय हो सकती है। लेकिन हम अनिवार्यत: इस कमरे में एक साथ बैठते हैं और ये एक साथ अपनी समस्याओं को सुलझाना होता है। यही बातें हमें अलग करती है और यही बातें हमें सही मायने में शक्ति प्रदान करती हैं कि इस कमरे में किसी की भी आवाज सुनी जा सकती है और इस कमरे में कोई भी व्यक्ति किसी का भी विरोध कर सकता है। मैं गंभीर हूं। यह हमारे लिए असुविधाजनक है। लेकिन मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि इस देश में हरेक आदमी की आवाज सुनी जा सकती है।

मैं दो बातें कहते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि हमें कभी भी भय से निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें कभी भी अज्ञात भय अथवा हमारे कार्य से क्या होने जा रहा है, के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें मात्र एक नियम के साथ कार्य करना चाहिए और वह है साहस। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं हमारे देश में एक बिलियन लोग रहते हैं और हममें से 70 प्रतिशत लोग युवा होते हैं। मैं इस देश के लिए मैं युवा नहीं हूं, मैं औसत उम्र से काफी अधिक उम्र का हूं। यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि यह देश विश्वास से लबरेज है, और आत्म विश्वास से भरा हुआ है। दूसरी बात इसे यह कभी नहीं भूलना चाहिए जब इस देश के नेता के रूप में निर्णय लेने हैं। इसे हमारे लोगों में विश्वास को कायम रखना है और हमें अपनी क्षमताओं में विश्वास को बनाए रखना है। वे जो कह रहे हैं, उन पर हमें विश्वास करना है।

मैं समझता हूं कि ये सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के लिए मार्गदर्शक नहीं है बल्कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए मार्ग-दर्शक है, जब आप कार्य करते हैं चाहे आप जो कुछ भी हो, या है आपकी जो कुछ भी राय हो, आप विश्वास और साहस के साथ कार्य करें। इन बातों के साथ हम एक साथ मिलकर इस देश को बदल सकते हैं और विश्व को प्रभावित कर सकते हैं।

[श्री राहुल गांधी]

अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं हमारे माननीय प्रधान मंत्री का समर्थन करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय लोगों में बहुत साहस और विश्वास दिखाया है और मैं यह भी कहना चाहता हूं और मैं ऐसा इस रूप और वैसे सभी अन्य दलों के एक युवा सदस्य के रूप में कहता हूं कि ये बातें मायने नहीं रखती हैं कि आज यहां क्या होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम साथ मिल जुलकर कार्य करें और इस देश की समस्याओं को एक साथ मिल जुलकर सुलझाने का प्रयास करें।

मैं माननीय प्रधान मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: श्री अनंत कुमार बोलेंगे। आपके पास अपनी पार्टी के लिए मात्र पांच मिनट का समय बचा है।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर, दक्षिण): इतना कम समय कैसे, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: बोलने की समयावधि का सही आकलन किया गया है। आप बोलना शुरू करें।

श्री अनंत कुमार: मैं माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी इस देश के मतैक्य को छोड़ चुके हैं। हम अभी-अभी सुन रहे थे कि इस सभा के सभी वर्गों को एकजुट होकर, संयुक्त रूप से और सहमति से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में उनका अपना संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अलग-थलग हो गया है। वे साथ चलने में असमर्थ हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बाधा न डालें। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री सायं पांच बजे उत्तर देंगे और मतदान सायं 6 बजे होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: महोदय, जिस दिन से वे इस करार समझौते की वकालत कर रहे हैं, पार्टी दर पार्टी ने संप्रग का साथ छोड़ दिया है और 61 सदस्यों ने समर्थन वापस ले लिया है। महोदय, मुझे आपके बारे में पता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने समर्थन वापस नहीं लिया है। मैं आपको या उनको समर्थन नहीं दे रहा हूं। मैं इस सभा का समर्थन कर रहा हूं।

श्री अनंत कुमार: उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) के उनके अनेक सहयोगियों ने उनका साथ छोड़ दिया है। इतना ही नहीं पिछले चार वर्षों से वे इस सभा पटल पर यहां एक मजबूत जनादेश और एक मजबूत भाव तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान वे उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब और गुजरात के बाद हाल में कर्नाटक में चुनाव हार गए हैं। हमें आशा है कि गुजरात और कर्नाटक के बाद वे आज 22 जुलाई, 2008 को विश्वास मत हार जाएंगे। उनके साथ यही होने जा रहा है।

महोदय, सभी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं जिससे वे लोगों को 'अंधकार से प्रकाश की ओर' ले जाने का वादा कर रहे हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि डा. मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ वार्ता की घोषणा करते हुए पूरे देश को अंधेरे में रखा है। जब उनके सहयोगी, विदेश मंत्री एक संवाददाता सम्मेलन को यहां संबोधित करते हुए कह रहे थे कि विश्वास मत हासिल करने के बाद ही वे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से जाएंगे, जबकि दूसरी ओर प्रधान मंत्री जापान की यात्रा के दौरान विमान में यह कह रहे थे कि समझौते पर बातचीत जारी है।

महोदय, उन्होंने अपने सहयोगियों, अपनी गठबंधन पार्टियों और विदेश मंत्री को अंधेरे में रखा है। श्री लालू प्रसाद हमेशा से अंधेरे में रहे हैं।

[हिन्दी]

उनको छोड़ दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, परमाणु करार और इसके प्रभावों के बारे में इस गठबंधन का हर व्यक्ति अंधेरे में था।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने पूर्व के करार से सबक नहीं सीखा है। वर्ष 1989 में उन्होंने बोफोर्स सौदा किया था और वे सत्ता से बाहर हो गए। बोफोर्स सौदे के बाद अब वे यह परमाणु करार करने का प्रयास कर रहे हैं जो राष्ट्र हित के विरुद्ध है और मैं भविष्यवाणी

करता हूं कि देश के लोग उन्हें दंडित करने और इस संप्रग सरकार को सत्ता से बाहर करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने पूर्व के अनुभवों से कोई सबक नहीं सीखा है।

बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति है। कल माननीय विदेश मंत्री हमसे धैर्य रखने का अनुरोध कर रहे थे। हम धैर्य रखे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि वे राष्ट्र हित की शर्त पर परमाणु करार करने की जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, श्री एम.के. नारायणन साक्षात्कार ले रहे थे तो उन्होंने अपने पहले वाक्य में कहा, "मैं उनमें से एक हूं जो यह विश्वास करते हैं कि यदि आप जो बातचीत कर रहे हैं और आपको सब कुछ मिल जाता है जो आप चाहते हैं तब यह जाहिर है कि इसमें कुछ तो गलत है।" राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने साक्षात्कार में यही कहा है। इसके बाद दूसरा प्रश्न यह है कि "चूंकि इस बारे में यह स्पष्ट है कि भारत अमेरिकी आपूर्ति का उपयोग तब तक कर सकता है जब तक इसका प्रतिस्थापन उपलब्ध न हो, फिर चाहे, अमेरिका इसे वापिस भी लेना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।" इसका सार यही है। मैं यहां कोई भगवान तो नहीं हूं..."

[हिन्दी]

इसका मतलब है कि यह सरकार भगवान भरोसे चल रही है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): क्या आपको भगवान पर भरोसा नहीं है?

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि वे कोई भगवान नहीं है...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से कुछ सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बेहतर होगा कि आप इसे पूरा कर लें क्योंकि इस मुद्दे पर बोलने के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: माननीय प्रधान मंत्री से मेरा पहला प्रश्न यह है। क्या यह सरकार इस समझौते के माध्यम से भावी सभी परिक्षणों पर स्थायी रूप से रोक लगाने पर सहमत हो गई है? उन्हें इस मुद्दे पर अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने की आवश्यकता है। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 123 समझौते और हाइड एक्ट के माध्यम से रोक लग जाएगा। क्या प्रधान मंत्री इस रोक के लिए सहमत हैं?

दूसरी बात, हाइड एक्ट में अमरीकी सरकार के लिए यह भी आवश्यक है कि वह भारत से एक विशेष तिथि तय करे जिसके बाद वह अपने असुरक्षित रिएक्टरों से भी हथियार-श्रेणी के प्लुटोनियम नहीं बनाएगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप जल्दी बोलिये, ज्यादा समय नहीं है।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: माननीय प्रधान मंत्री और सरकार जानती है कि हमारे भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक, अर्थात् श्री होमी भाभा ने वर्ष 1960 में परमाणु आजादी के लिए तीन-स्तरीय कार्यक्रम की अभिकल्पना की थी। इसमें प्राथमिक कदम के रूप में, संपीड़ित गुरू-जल रिएक्टरों की स्थापना शामिल है, जिससे थोरियम का उपयोग करने के लिए ब्रीडर रिएक्टरों की स्थापना का भी मार्ग प्रशस्त होगा। भारत में थोरियम का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है, और यह पूरे विश्व के कुल भंडार का 30 प्रतिशत है। यह हमेशा के लिए परमाणु स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है। हम अमेरिका के साथ यूरेनियम आधारित परमाणु समझौता क्यों करने जा रहे हैं और जब ऐसा मामला है तो हम अपने हाथ क्यों बांध रहे हैं?

संप्रग सरकार से मेरा अगला प्रश्न यह है। वे कौन-सी बाध्यताएं थीं जिसके कारण वे प्रौद्योगिकी के लिए हमारी अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार से करोड़ों रुपए व्यय करने की योजना बना रहे हैं और ऐसा भंडार जिसकी हमारे परमाणु निर्भरता के लिए आवश्यक नहीं है?

महोदय, मुझे कुछ और अधिक समय चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मुझे खेद है, मैं आपको और ज्यादा समय नहीं दे सकूंगा। मैं नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

आपका समय खत्म हो गया है। आपको पांच मिनट का टाइम दिया गया था, ऑलरेडी 11 मिनट हो गए हैं।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: क्या इस सरकार को यह विश्वास है कि भारत और अमरीका के बीच परमाणु समझौते के संबंध में अमरीकी सरकार की कार्रवाई हाइड एक्ट के प्रावधानों का विषय बनने जा रही है अथवा नहीं? श्री पी. चिदम्बरम कह रहे थे कि हाइड एक्ट का 123 समझौते अथवा इस परमाणु समझौते से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री इस सभा के समक्ष यह स्पष्ट करें कि क्या भारत और अमरीका के बीच यह परमाणु समझौता हाइड एक्ट के प्रावधानों का विषय बनने जा रहा है अथवा नहीं?

माननीय प्रधान मंत्री ने कई बार इस सभा को आश्वस्त किया है कि इस परमाणु समझौते से हमें जो भी हासिल होगा वह बराबरी का होगा, और भारत और अमरीका के बीच यह समझौता परस्पर लाभदायक होगा। पांच परमाणु-हथियार सम्पन्न देश हैं अर्थात् चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, क्या इस समझौते से भारत को वही दर्जा हासिल होगा जैसा अमरीका जैसे पांच परमाणु-हथियार सम्पन्न देशों को प्राप्त है अथवा क्या इसे एक गैर-परमाणु-हथियार देश के रूप में समझा जाएगा?

मैं जानता हूं कि उनके पास इन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं है। इसलिए, मैं आरोप लगाता हूं कि यह सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु विकल्प को दांव पर लगाने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री अनंत कुमार: महोदय, मैं डा. मनमोहन सिंह से निवेदन करता हूं कि उन्होंने वर्ष 2004 में प्रधान मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी कि: "मैं भारत की सम्प्रभुता और एकता को अक्षुण्ण रखूंगा।"

आज, यहां ऐसे प्रधान मंत्री हैं जो भारत की सम्प्रभुता को अक्षुण्ण नहीं रख रहे हैं, मेरा मतलब है, वह भारत की परमाणु सम्प्रभुता को अक्षुण्ण नहीं रख रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय: यह सम्बोधित करने का तरीका नहीं है। वे देश के प्रधान मंत्री हैं। कोई भी प्रधान मंत्री बन सकता है। उन्हें आदर के साथ सम्बोधित किया जाना चाहिए।

श्री अनंत कुमार: मेरा उनके प्रति बहुत आदर है, लेकिन उन्हें अपने शपथ के अनुरूप सच्चा होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें, मैंने आपको दोगुना से भी ज्यादा समय दे दिया।

श्री अनंत कुमार: ऊर्जा सुरक्षा के बारे में लंबी-लंबी बातें हो रही हैं। अभी-अभी भाषण दिए गए कि इससे पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि उस ऊर्जा को पाने के लिए उन्हें 30 वर्षों की अवधि के लिए 8.0 लाख करोड़ रु. की आवश्यकता पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री अनंत कुमार, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री अनंत कुमार: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इससे कुल ऊर्जा में मुश्किल से 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इस परमाणु ऊर्जा से, मैं समझता हूं, यह संप्रग सरकार दूसरे मोर्चे अर्थात् मूल्य वृद्धि पर डांवाडोल हो रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ रहा था। उन्होंने यह पुस्तक तब लिखी थी जब वह विपक्ष में थे, "ए वीव फ्राम आउटसाइड: व्हाई गुड इकोनामिक्स वर्क्स फार एवरीवन बाई चिदम्बरम," उन्होंने जो लिखा है मैं उसे पढ़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: बहुत ज्यादा लाइनें नहीं। आप एक-दो लाइनें पढ़ सकते हैं।

श्री अनंत कुमार: महोदय, मैं उसे पढ़ रहा हूं-

> "वर्ष 1999-2000 में, वर्ष के अंत में मुद्रास्फीति की दर 2.5 प्रतिशत थी, लेकिन अगले दो वर्षों में, यह केवल 5.5 प्रतिशत और अविश्वसनीय रूप से 1.6 प्रतिशत थी। वर्ष 2002-03 के अंत में, मुद्रास्फीति की अनुमानित दर 4.4 प्रतिशत थी, और 52 सप्ताह के औसत का अनुमानित दर 2.6 प्रतिशत था।"

उन्होंने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स को उद्धृत किया है। हमारे प्रधान मंत्री भी अर्थशास्त्री हैं। मैं उद्धृत करता हूं:

> "मुद्रास्फीति कराधान का एक रूप है, जिससे जनता बड़ी ही मुश्किल से बच पाती है और जब कमजोर से कमजोर सरकार भी इसे लागू कर सकती है तो यह कुछ भी लागू नहीं कर सकती।"

केन्स ने ऐसा कहा था। महोदय मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। एक आम आदमी की भाषा में, मुद्रास्फीति कराधान का सबसे खराब रूप है। इससे अमीर और गरीब

पर एक जैसा कर लगेगा। यदि मुद्रास्फीति की दर 10 प्रतिशत है तो अमीर आदमी की 10 लाख रुपए की आय में से 1,00,000 रुपए निकल जाएगा और निर्धन आदमी की 1000 रुपए की आय में से 100 रु. निकल जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: अब ज्यादा समय नहीं बचा है, और मैं आपको अब ज्यादा समय नहीं दे सकता।

श्री अनंत कुमार: महोदय, मैं अब अपनी बात खत्म कर रहा हूं। वे प्रवचन दे रहे हैं। यह सरकार अपना जनादेश और नैतिक अधिकार खो चुकी है और वे शासन करने का मत भी गंवाने जा रहे हैं। वे सभी मोर्चों पर पूरी तरह से विफल रहे हैं। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि उन्हें अपने विवेक से मत देना चाहिए और सरकार तथा उसके विश्वास मत के विरोध में मत देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री लालू प्रसाद बोलेंगे।

[हिन्दी]

अभी दो घंटे बाकी हैं, उसके बाद माननीय प्रधान मंत्री जी रिप्लाई देंगे।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश के इतिहास में और संसदीय इतिहास में जो एक साहसिक कदम उठाया है और सोनिया जी ने जो एक साहसिक कदम उठाया कि यह जो सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ा मंदिर पार्लियामेंट है, इसमें प्रजातंत्र का विश्वास मत वह खुद लाए हैं। अगर इनकी हिम्मत होती कि भाजपा और आजकल तरह-तरह के दल-काशी जी के पंडे और रंग-बिरंग झंडे लेकर जो इकट्ठे होकर आए हैं, वे नो-कांफीडेंस मोशन लाते लेकिन हिम्मत नहीं हुई। महाभारत में लिखा है कि एक राक्षस था जिसको वरदान मिला हुआ था कि न दिन में मरेगा न रात को मरेगा।

अध्यक्ष जी, आपने विश्वास मत के लिए गौ बेला में 6 बजे का समय तय किया है, उस से आगे आप समय मत बढ़ाइये। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि गौ बेला में सन सैट और नाइटफाल से समय आगे नहीं बढ़ाइयेगा। इस विषय पर बहुत से माननीय सदस्य सभी राजनैतिक दलों की ओर से बोल चुके हैं। इस विषय पर शिव सेना के सदस्य भी बोले हैं। देश और दुनिया के सभी लोगों के अंदर यह न्यूक्लीयर डील चर्चा का मूल विषय है। आज हमारे सभी दलों के एमपीज को बाहर कितना बेइज्जत किया जा रहा है, आप माने या न माने, एमपीज को यह मालूम ही नहीं कि न्युक्लीयर डील क्या चीज है। इस संसद में आप चाहे इधर रहें, चाहे उधर रहें या जहां कहीं भी रहें, चंद नेताओं द्वारा उसका स्तर गिराने का काम किया गया है। आज ये लोग डिप्रैशन में हैं क्योंकि कल तक वे हमारे साथ थे, हमारी आयु तय करते थे, आज वे यहां नहीं है। जब भी हम मीटिंग करते थे तो घड़ी देखकर बताते थे। मैं माननीया सोनिया जी और प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक कमेटी बनायी थी जिसका मैं बोनाफाइड मैम्बर हूं। उस में यह चर्चा एक दिन से नहीं बल्कि दो साल से हो रही थी। आज वे नेता नहीं है। सी.पी.एम. में वामदलों की पुरानी पीढ़ी के लोगों का कोई महत्व नहीं है। अब नई टैक्नीलीजी का जमाना आया है। इन लोगों को यह मालूम नहीं कि वे जिस डाल पर बैठे हैं, उसे छांट रहे हैं या उसे काट रहे हैं। ऐसा कालीदास ने भी कहा था। जब लोगों ने पूछा कि सी.पी.एम. और सी.पी.आई. के लोग वापस चले गये हैं, अब क्या होगा? मैंने कहा कि हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। वे कन्फ्यूजन क्रिएट करने में माहिर लोग हैं, एड़ियां लगाकर जिन्हें भाषण करने में विशारद हासिल है।

मैंने कोलकाता में ममता जी की रैली को देखा। यह एक इशारा है। डील के मामले में क्या होने वाला है, हम 'सब लोग जानते हैं। लोगों ने पूछा कि हमारा क्या रिश्ता रहेगा?' हमने कहा कि हमने चार साल पहले एक फिल्म देखी है जिसमें हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा लेकिन लक्ष्मण अच्छा नहीं लगता है। श्री मुलायम सिंह यादव ने ठीक कहा कि देश का फेट कौन तय करता है? हर आदमी के मन में यह इच्छा है, मायावती के मन में, सब के मन में इच्छा है और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है, क्यों नहीं रहनी चाहिये? लेकिन हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। इसलिये बिना मेल के सिर पर सेनूर रखने से कोई नहीं बनता।

[अनुवाद]

मैं इसका हिन्दी में अनुवाद भी कर सकता हूं। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं बाद में इसकी व्याख्या करूंगा।

[हिन्दी]

कोई कहता है कि हाइड एक्ट क्या है, कोई कहता

[श्री लालू प्रसाद]

है कि 1-2-3 क्या है? आप लोग सभी जानते हैं कि 1-2-3 क्या है, आप हमसे ज्यादा विद्वान आदमी हैं। एक से एक बढ़कर वहां थिंकटैंक बैठे हुये हैं। यह 1-2-3 एग्रीमेंट का नाम है।

अपराह्न 3.00 बजे

जो हाइड एक्ट है, वह अमेरिका की सीनेट का है। वह हम पर बाध्यकारी नहीं है। अगर यह अपनी सीनेट में ले जाएगा तो राष्ट्रपति को यह हाइड एक्ट अधिकार देता है। बासुदेव जी, हम अकेले रेल मंत्री नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): माननीय अध्यक्ष जी, आज सुबह टेलीविजन चैनल पर आ रहा था कि देश के रेल मंत्री लालू जी ने कहा कि दलित की बेटी प्रधान मंत्री नहीं बन सकती। दलित की बेटी का अपमान पूरे हिन्दुस्तान के दलितों का अपमान है, संविधान का अपमान है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अरे क्या हो गया? उन्होंने आपके बारे में तो कुछ नहीं बोला।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री ब्रजेश पाठक, उन्होंने आपके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: आप सुन लीजिए। हम जवाब दे देते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीट पर जाइए। वहां खड़े नहीं होना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ब्रजेश जी, ठीक है, हो गया।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी रिकार्ड नहीं कीजिए।

...*(व्यवधान)**

अपराह्न 3.02 बजे

तत्पश्चात श्री बृजेश पाठक और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से चले गए

अध्यक्ष महोदय: लालू जी, आप बोलिये।

श्री लालू प्रसाद: यह मामला ब्रजेश पाठक जी और बी.जे.पी. के साथियों ने ठीक उठाया था कि एक इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोग सबेरे से हमारे यहां आए थे। रोज ये लोग पूछते रहते थे कि मायावती जी बनेंगी या नहीं? हमने कहा कि इस अभिजात्य वर्ग का जो वर्चस्व इस देश में है, उस कारण दलित की बेटी, पिछड़ा और मुस्लिम को कोई प्रधान मंत्री नहीं बनने देता है। यह मैंने कहा। मायावती जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध अच्छा है। मैं जानता हूं। अब ये लोग टिकट एश्योर करने के लिए ऐसी बातें कहते हैं। ...*(व्यवधान)* ये दिखाते रहते हैं। मायावती ने हाल के चुनाव में हमारे उम्मीदवार को मतदान किया। प्रधान मंत्री बनने की इच्छा सबकी है, लेकिन कौन बनने देता है? कौन मुलायम सिंह यादव को, कौन लालू यादव को, कौन मायावती को, कौन माइनारिटी के लोगों को पी.एम. बनने देना चाहता है? पी.एम. साहब तो इसमें अपवाद हैं। और फिर यह अकाली दल के लोगों को सोचना चाहिए। "वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।" हम लोग गुरु गोविन्द सिंह जी की धरती से आते हैं। इसलिए गुरु का, देवी, देवता, सारे धर्मों का आशीर्वाद है क्योंकि हम लोग अच्छा काम करते हैं। हाइड एक्ट और एन.एस.जी. की बात है। सी.पी.आई. के नेता दासगुप्ता जी नहीं हैं। मल्होत्रा जी और नायडू जी मेरी बात सुनें। आप लोगों की पार्टी बहुत मोबाइल करती रहती है। स्टेबल रहो। मैं जानता हूं कि कांग्रेस से आप लोगों का संघर्ष है, मैं जानता हूं कि सी.पी.एम. की किन राज्यों में लड़ाई है। बात समझिए कि

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

असली बीमारी क्या है। इन सांसदों की वास्तविक बीमारी क्या है? इनकी डिसीज है कलकत्ता में कांग्रेस से लड़ाई। ये तो हमको अपना एक वोट देकर अपना काम निकाल लेते हैं।...*(व्यवधान)* हमने बिहार के 70 लाख बिहारियों का वोट आपको कराया। यह रियल डिसीज है। बी.जे.पी. के साथी लोग भी जरा सुन लें। आपका तो कहीं फेट में है ही नहीं। केरल में इनकी लड़ाई है। ये बोलते थे कि ऐन मौके पर, जब चुनाव का टाइम आएगा तो हम लोग सरकार से अलग हट जाएंगे। ये जनता में क्या मुंह दिखाएंगे? क्या स्लोगन रहेगा? इस देश में आपने जो लकीर खींची है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बोलता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमें बीच में मत लाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, नहीं, मैं आपको बोलता हूं। यह आपका दायित्व है, आप गार्जियन हैं। ज्योति बाबू को साफ-साफ इशारा किया है, आपको जवाब देना पड़ेगा। हमारी तो इनसे लड़ाई रहती है और हम लड़ रहे हैं। हमने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया और रथ को रोका, डिस्टेब्लाइज करनेके लिए और वी.पी. सिंह जी को हटाने का इन लोगों ने काम किया। सन् 1977 में दोहरी सदस्यता के सवाल पर मोरारजी भाई की सरकार को भी हम लोगों ने हटाया और चौधरी चरण सिंह जी को प्रधान मंत्री बनाया। भाई अजीत सिंह संसद में नहीं हैं।...*(व्यवधान)* अरे भाई बनाया।...*(व्यवधान)*

आप बैठिए, आपको क्या पता है। आप कहीं अमेरिका में घूमते होंगे। मेड इन अमेरिका घड़ी पहनते हो। बच्चे और रिलेटिव्स अमेरिका में काम करते हैं और यहां अमेरिका फोबिया, अमेरिका फोबिया। आप जो बोलते हैं कि अमेरिका ईस्ट इंडिया कम्पनी बन के यहां आ जाएगा। क्या अमेरिका आ जाएगा? कौन लड़ा, हम लड़े, हमारा दल पटना में गया था। हमने कहा कि तेल पिला कर आओ, इराक युद्ध के समय में, तेल पिला कर आओ। अमेरिका में, दुनियाभर में बुश के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, कुरान में लाठी की चर्चा है, इस बात को शाहनवाज जी जानते होंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जनता दल ने कहा था कि बुश को हटाओ, दुनिया बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। आईडेंटिफाइड अमेरिका, ये हैं लोग। इनकी हिम्मत नहीं हुई, इतिहास में रिकार्ड है। हम राज्यसभा के मेम्बर थे। कांग्रेस पार्टी, सारे सी.पी.आई. और सी.पी.एम. के लोग, सारे लोग अमेरिका के एक्शन को कंडेम करने के लिए, कि भारत सरकार हस्तक्षेप करो, कंडेम करो। भारत कल दुनिया का गुरु हो सकता है। एशिया को लीड करो और अमेरिका के एक्शन को कंडेम करो, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। इराक के खिलाफ नहीं लिख पाए, यह रिकार्ड में है और लिखा डिप्लोरड। यह आपकी हिम्मत है।

अध्यक्ष महोदय, आडवाणी जी इस समय संसद में नहीं हैं, वे सुन रहे होंगे। एन.डी.ए. के बिहाफ पर, कल उन्होंने जो फोन किया, उन्होंने एक भी शब्द अमेरिका के खिलाफ नहीं बोला। परमाणु डील के खिलाफ नहीं बोला, कहां चले गए? कम्युनल वायरस निकालना, छोड़ना शुरू किया और फिर वे हिन्दुत्व की ओर चले गए तथा मल्होत्रा जी भी उसी राह पर चले गए। हम देश को जोड़ने वाले लोग हैं और यहां देश को तोड़ने वाली शक्तियां बैठी हैं। कल प्रणव बाबू और सभी लोगों ने पोखरान का जिक्र किया। इन्होंने इसे दो महीने में कैसे बनाया? ये फोड़ने का क्रेडिट लेने गए, इकोनोमिक सैंक्शन हो गया, ईंधन परमाणु पर रोक लग गया और आज भी रोक है। हमने कहीं दस्तखत नहीं किए हैं। ये सारे लोग तालबोट हैं।...*(व्यवधान)* जसवंत जी - तालबोट, क्या लिखा है। इसमें जो लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ लेना, आप पढ़े-लिखे लोग हैं। मैं उसे पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनना। मैं रिलेवेंट पार्ट को पढ़ता हूं। बी.जे.पी. के माननीय सदस्यों को, प्रो. गोपाल जी ने ठीक कहा कि जब भी कोई सरकार जाती है तो जो मंत्रिमंडल, केयरटेकर रहता है, आप लोग आऊट होइएगा। बात यह नहीं है, इसे समझना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा।

[अनुवाद]

सैंडी की उग्रता से स्पष्ट रूप में अर्थमित, श्री जसवंत ने इस बात पर जोर दिया कि वाजपेयी जी ने सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने का पक्का मन बना लिया था।

[हिन्दी]

इसके मायने यह हैं कि इस डिसीजन से पीछे हम नहीं हट सकते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस डिसीजन को ले चुके हैं। कब और कहां, इसका एनाउंसमेंट हो, केवल जसवन्त सिन्हा नहीं, यू.एन.ओ. में वाजपेयी जी का ऑन रिकॉर्ड भाषण है कि सी.टी.बी.टी. पर दस्तखत करने हैं।

जॉर्ज साहब, आप कहां फंसे हुए हैं? जॉर्ज साहब,

[श्री लालू प्रसाद]

आप मूकदर्शक हैं। आपने हमें और श्री मुलायम सिंह को समाजवाद का पाठ पढ़ाया था। आप कहां बैठ गए और टुकुर-टुकुर देख रहे हैं?...*(व्यवधान)* हमारे सी.पी.आई. के नेता, गुरुदास दासगुप्ता जी टी.वी. पर भाषण कर रहे थे। इनका एक इंटरव्यू आया था। उसमें ये बोल रहे थे कि हमें रोटी चाहिए। ऐसा लगता है कि ये इतने दिनों से भूखे हैं। रोटी कहां से आएगी? ऐसा लगता है कि गुप्ता जी ने सात साल से इन्होंने रोटी खाई ही नहीं है। देशवासियों, मैं संसद के माध्यम से बताना चाहता हूं कि रोटी कहां से आएगी। रोटी आसमान से नहीं आएगी, रोटी यहां से नहीं छलकेगी, इंडस्ट्री वहां से नहीं छलकेगी। रोटी आएगी, तो इन्फ्रास्ट्रक्चर से आएगी। आधारभूत संरचना से रोटी आएगी और यह हमारी कमी है कि हमने देश की आजादी के 60 साल के बाद अभी तक उस आधारभूत संरचना का सृजन नहीं किया, जिस पर हमारी यू.पी.ए. गवर्नमेंट की कंसनट्रेशन है।

महोदय, जब पॉवर की बात होती है, तो ये लोग हमेशा पीछे हट जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हाइडल प्रोजैक्ट के बारे में बी.जे.पी. गवर्नमेंट, उत्तराखंड की गवर्नमेंट, खंडूरी जी का मंत्रिमंडल निर्णय लेने वाला था और हाइडल के दो प्रोजैक्ट अभी कैबीनेट में क्लीयरेंस हेतु आए थे, लेकिन वहां कोई प्रोफेसर साहब आमरण अनशन पर बैठ गए और उन दोनों प्रोजैक्टों को उन्हें वापस लेना पड़ा। विश्व हिन्दू परिषद के लोगों की वजह से उन प्रोजैक्टों को वापस लेना पड़ा। जब-जब इस देश में बिजली बनाने की बात आई, फिर चाहे वह टिहरी डैम हो या गुजरात का सरदार सरोवर अथवा नर्मदा सरोवर हो जहां से पानी आ रहा है, उन्हें हमेशा रोकने की कोशिश की जाती रही है। जब सरदार सरोवर बनाने की बात आई, तो माननीय सुन्दर लाल बहुगुणा जी खड़े हो गए और दिल्ली का शासन हिलने लगता है। बहन मेधा पाटकर आ जाती हैं, एन.जी.ओ. आ जाते हैं और पॉल्यूशन की बात होने लगती है। गुप्ता जी, रोटी कहां से आएगी, मुर्दाबाद के नारे लगाने और एड़ी रगड़कर भाषण करने से नहीं आएगी। आपने बोलते-बोलते बाल पका लिए। मैं भी आपके साथ पाइप लाइन में लगा हूं। इसलिए बात वह नहीं है। मैं जानता हूं कि आप पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार से संतुष्ट नहीं हैं। कलकत्ता के शासन से सी.पी.आई.(एम) खुश नहीं है। यह मैं जानता हूं, लेकिन मैं आगे भंडाफोड़ नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि आपको हम रिझाते रहें। 'ओ दूर के मुसाफिर आजा, हमें भी साथ ले ले' आप कहां जा रहे हैं, इसका जवाब आप देश को नहीं दे पाएंगे। लाल झंडा, हरा झंडा, नीला झंडा और केशरिया झंडा, बोलो, सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा, वोट कीजिएगा, पकड़े जाएंगे, आप भाषण करिए और वॉक-आउट कर के चले जाइए। यह हो गया, प्रत्यक्ष हो गया।

इस सरकार को आपने मजबूती से समर्थन दिया, इसके लिए आपको शुक्रिया, धन्यवाद जितना दिया जाए कम है, लेकिन दिया जा रहा पूरा धन्यवाद आप लोग खत्म करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आडवाणी जी अपने भाषण में अमरीका और न्यूक्लियर डील के खिलाफ कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा कि री-निगोशिएट करेंगे, यदि हम सत्ता में आएंगे। किसने कहा कि आप आइए? देहात में भोजपुरी में एक कहावत है - पुतवो मीठा, भत्रो मीठा। इसका मतलब है, पुत्र भी प्यारा है और पति भी प्यारा है - हम किसकी कसम खाएं? क्योंकि एक तरफ बेटा है और दूसरी तरफ पति है। आडवाणी जी का यही हाल है। वे हिन्दुत्व का नारा देते हैं, लेकिन जिन हिन्दुओं के माता-पिता, सास-ससुर स्वर्गवासी हो जाते हैं, वे बिहार के गया में विष्णुपथ के पेड़ों पर प्रतीक्षा करते हैं कि मेरी संतान पिण्ड करने आई या नहीं? आपमें से कितने लोग पिण्ड दान करने गए हैं?...*(व्यवधान)* हरिद्वार में नहीं होता है।

महोदय, मैं सी.पी.एम. के साथियों को बताना चाहता हूं कि अभी आप सम्भल जाइए। इस देश को तुड़वाइए मत। मुलायम सिंह जी ने सही कहा कि इन लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिरवाया, अक्षरधाम पर हमला हुआ। आतंकवाद की आप लोग चर्चा करते हैं। *(व्यवधान)** आपको देश को जवाब देना होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय: आप बोलें। केवल आपका भाषण कार्यवाही वृत्तांत में दर्ज होगा।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: संसद और अक्षरधाम पर हमला हुआ। लेकिन सबसे बड़ा टैररिस्ट वही है, जिसने आस्था की जगह, बाबरी मस्जिद को ि..ाकर, गुजरात को जलाने का काम किया है। दुनिया में देश का सिर झुकाने का काम किया है। मुलायम सिंह जी ने ठीक कहा है कि क्या बाबरी मस्जिद के बाद सी.पी.आई. और सी.पी.एम. के लोग लाल किले को गिरवाना चाहते हैं? सरकार रहेगी, सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन आज सारा देश देख रहा है।

कौन है धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक, कौन है सेवियर ऑफ दि मुस्लिम्स? लोग बोलते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ हैं, आप वोट बैंक के लिए देश में कम्युनलिज्म करना चाहते हो। पूरा पाकिस्तान अमेरिका के मामले में अमेरिका के साथ है, डील के साथ है। चीन ने किया, रूस ने किया, यह जो लैफ्ट आइडियोलोजी है, यह आइडियोलोजी हमारे यहां की आइडियोलोजी नहीं है। हमारी आइडियोलोजी गांधी बाबा की आइडियोलोजी है। सत्य नाम के सहारे हमारे पुरखों ने जलियांवाला नरसंहार सहा। शहीदों के शहीद भगत सिंह ने कुरबानी देकर हमने ब्रितानी सरकार को सात समन्दर पार किया। सलीम साहब, वह आइडियोलोजी पुरानी पड़ गई है, जार खत्म हो चुका है, रानी-महारानी की बात खत्म हो गई है। भगत सिंह और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, जो आजादी की लड़ाई के दिनों में जो साथी नहीं थे, आप उनका साथ दे रहे हो। पता करिये, किसके साथ आप जा रहे हो।...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): देश के साथ।

श्री लालू प्रसाद: देश हमारा है। मैं बताना चाहता हूं, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, लालू यादव, जितना वोट आज होने वाला है, वह 290 से बेसी है। ये सारे देशभक्त हैं और हम किसी भी कीमत पर कहीं भी यह जो प्रोवीजन है, उसमें 45 कंट्री हैं, उन कंट्रीज में से हम किसी से ले सकते हैं, हम अपना सामान ले सकते हैं, जो सप्लाई ग्रुप है, आस्ट्रेलिया से, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, रूस से ले सकते हैं और कोई खैरात में नहीं। अगर किसी देश को सूट नहीं करता है तो जो सैक्शन 14 है, उसमें डाइवोर्स करने का भी प्रोवीजन है। ओ.के. गुडबॉय, टाटा, आजकल डाइवोर्स बहुत होता है, इसलिए कि अरेंज मैरिज नहीं हो रहा है। बेकार की बात हो रही है, इसलिए डाइवोर्स का भी प्रोवीजन है। आप डाइल्यूट करते हैं, आप कन्फ्यूज करते हैं। यह अभी हम लिखकर लाये हैं :

"तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं,
तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी।"

महोदय, आज आडवाणी जी रेलवे के टर्न एराउंड के बारे में कह रहे थे। आडवाणी जी, ठीक है, कोशिश करते हैं, करनी चाहिए, आई प्लान में रहना चाहिए, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी वाजपेयी जी नहीं हैं। वाजपेयी जी को वोट कुछ दूसरे ढंग से भी मिलता था। अब ये सब जुट गये हैं, सुना मायावती जी का नाम, ये मायावती जी का नाम बी.जे.पी. का यह सारा नाम सुनकर ये सब आपस में...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): आई.सी.यू. में चले गये हैं।

श्री लालू प्रसाद: आई.सी.यू. में नहीं गये हैं, ये लोग स्वस्थ रहें और कोशिश करते रहें। हम पर सी.बी.आई. का केस नहीं चल रहा है क्या? हमारे बी.एस.पी. के साथी चले गये, अब वोटिंग के समय तक मत आना, आप स्वामिमानी लोग हो, मत लौटना। सी.बी.आई. का केस हम पर चल रहा है, हमारे लोक सभा के 24 एम.पी. हैं, एक भी फेवर हमको बता दें कि कांग्रेस और प्रधानमंत्री जी या सोनिया जी से हमने फेवर लिया हो, केस हमारे खिलाफ सी.बी.आई. लड़ रही है। लालू यादव, राबड़ी देवी पर जब केस हुआ तो यहां रिकार्ड है, यहां आप निकालकर देखें, इनकम्पलीट इन्वेस्टीगेशन का नाम यहां लिया गया, मुख्य नम्बर पर किस आदमी का नाम है, स्वर्गीय गुप्ता जी यहां नहीं हैं, वे होम मिनिस्टर थे, इस देश में हमको गिरफ्तार करने के लिए सेना बुलाई गई। सी.बी.आई. के खिलाफ हम बोलते रहे। सी.बी.आई. का इस्तेमाल किसने किया, ये कौन लोग थे? आज यह केस हमारे ऊपर है।

अगर सी.बी.आई. पर सरकार प्रभाव डालती, लेकिन इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देता हूं कि ये फाल्ट प्ले करने वाले लोग नहीं हैं। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी फैसला होगा। मायावती जी पर अगर केस है, तो उन्होंने अपना कागज-पत्र बनाया है, ठीक ही बनाया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब कांग्रेस की कोई बात थी, तो गवर्नर ने अप्रूवल नहीं दिया, लेकिन हमारे खिलाफ तो गवर्नर ने अप्रूवल दिया। इसलिए आजकल राजनीति में फैशन हो गया है जिसमें अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कहा जाता है कि सरकार हमें फंसा रही है। क्या फंसाने से कोई फंसता है? फंसाने से कोई नहीं फंसता है। मैं विरोधी था, जब बादल जी पर कैप्टन ने केस

[श्री लालू प्रसाद]

किया था, मैं कहना चाहता हूं कि लेग पुलिंग नहीं होनी चाहिए। हम पोलिटिकल लोग हैं। एक-दूसरे के खिलाफ केसबाजी या मुकदमाबाजी को हमने कभी नहीं सराहा और न आज सराहना करते हैं। आज बिहार में हमारे साथ ऐसा हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं, यह सब चलती रहती हैं। देश के निष्णांत प्रधानमंत्री और सैक्रीफाइज सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी नौजवान उदयमान नेता हैं, आप कलावती नाम ले रहे थे, कलावती नाम गांव की बेटियों का होता है जिसका ये लोग माखौल उड़ा रहे थे। शायद डंपी-पंपी नाम रहता तो अच्छा रहता।...(*व्यवधान*) ये हाईलाइट करना चाहते थे।...(*व्यवधान*) देश के किसान भाइयों को हम बिजली देना चाहते हैं।

महोदय, आपके पास कोयला नहीं है। आस्ट्रेलिया से कोकिंग कोल हम ला रहे हैं, वह बासुरी में जाता है, फैन चलने के लिए और हमारे पास उस कोयले का भी स्टाक नहीं है। कोयला ढोते-ढोते हमारे रेल का पहिया घिस गया है। फ्यूल का दाम, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम और गैस का दाम मनमोहन सिंह जी नहीं बढ़ाते हैं और न किरोसिन तेल का दाम वे दुनिया में नहीं बढ़ाते हैं। हमें जितना जरूरत है, उतना भारत में नहीं है। आप लोगों को बताना नहीं चाहिए था, लेकिन आपने कितनी बार इसे बढ़ाया और कितनी सबसिडी हम दे रहे हैं? तेल की बात तो लोग भूल गए हैं। हम जो भी कमाई कर रहे हैं, तेल के माध्यम से हमारा पैसा चुसकर बाहर जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर चिदंबरम जी बैठे हैं। देश के किसान, गरीब मजदूर और नौजवान जो हैं, उन सबको गेहूं, चावल, मक्का बंपर खेती, काम का अधिकार और बेकारों को काम दो या बेकारी भत्ता दो, यह तय किया गया। हमारी सरकार ने सौ दिनों का काम दिया। गरीबों के लिए काम का इंतजाम किया और आप बोलते हैं कि काम नहीं दिया। गुप्ता जी आप बोलते हैं कि जॉब नहीं मिला।

राज्यों में सड़कों का निर्माण किया गया। राज्य में हम भी मुख्यमंत्री रहे और राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन दिल्ली से पैसे नहीं मिलते थे। आज राज्यों की वित्तीय हालत कितनी अच्छी दिल्ली के द्वारा कर दी गयी है। हम बेईमानी नहीं करते। 85 हजार करोड़ रुपए का रेलवे का अलग प्रोजेक्ट अकेले बिहार के लिए दिया है और दूसरे राज्यों को भी दिया है। हमने नाइंसाफी नहीं की है। (*व्यवधान*)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

केन्द्र का पैसा अपना नाम जोड़कर कैंप लगाकर बांट रहे हैं।

डा. राम लखन सिंह (भिण्ड): महोदय, यह ठीक नहीं है, इसे काटा जाए।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: इसे हमने काट दिया है।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: यह शब्द हटा दिया जाए।

...(*व्यवधान*)

श्री लालू प्रसाद: गुजरात में भी यही है।...(*व्यवधान*) ये कम्युनालाइज कर रहे हैं।...(*व्यवधान*) शंकर भोले बाबा का कौन भक्त है।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): कितने बजे तक आप बोलेंगे? क्या पांच बजे तक बोलेंगे?

श्री लालू प्रसाद: जब तक कहेंगे तब तक बोलेंगे। ...(*व्यवधान*) टाइम बढ़ेगा, हमें डर क्या है? हम थंपिंग मेजोरिटी से जीतने जा रहे हैं, तो हमें हड़बड़ी क्या है? बढ़िया से आपको हराना है।

महोदय, कल यानी सोमवार से बहस शुरू हुई। कल भोले बाबा का दिन था। सावन के महीने में मुझे भोले बाबा के दर्शन होते हैं। आज संकटमोचक महावीर स्वामी का दिन है। आज आपकी पीठ पर धड़ाधड़ गदा चलेगा।...(*व्यवधान*) हमारे और साथियों ने भी बोला। जो डील हुई है, वह देश हित में है। किसान को सस्ती बिजली, मजदूर को बिजली, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डीजल जो हम वन-थर्ड कन्ज्यूम करते हैं, सारे देश में रेल लाइन इलैक्ट्रीफिकेशन करेंगे। देश की एक अरब दस करोड़ आबादी को रोटी चाहिए और रोटी पावर से, रेल से, जहाज से, हाईवेज से मिलेगी और हम इस पर काम कर रहे हैं। इसीलिए, आप अभी भी संभल जाइए और जल्दी-जल्दी उधर से निकल जाइए। ...(*व्यवधान*) मैं इस मोशन का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें।

श्री बसुदेव आचार्य: कल, जब सदन के नेता श्री प्रणब मुखर्जी बोल रहे थे, तो उन्होंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए। लेकिन वह आंकड़े सही नहा थे। उन्होंने कहा कि जिस दिन वामपंथी दलों ने समर्थन वापस लिया, उसी दिन समाजवादी दल ने सरकार को समर्थन दिया, यू.पी.ए. बहुमत में आ गया और उनकी संख्या 276 हो गई। उन्होंने ऐसा ही कहा। यू.पी.ए. के 220 सदस्य हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी के सदस्यों की संख्या को जोड़ें तो यह 265 बनती है। अत: सरकार अभी भी अल्पमत में है। यह अल्पमत की सरकार है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या एक अल्पमत की सरकार समझौता कर सकती है। हस्तक्षेप करते हुए, वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम ने कहा कि समर्थन वापस लेने और विश्वास मत प्रस्ताव का विरोध करने से हमने बी.जे.पी. के समक्ष हाथ मिला लिया है। वास्तव में, जब हम राष्ट्रपति से मिले, जब हमने सूची और पत्र प्रस्तुत सौंपा, तो हमने मांग की कि सरकार को विश्वास मत हासिल करना चाहिए।

मैं माननीय वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम को याद दिलाना चाहूंगा। वे सभा में थे और 1990 में विपक्ष में थे जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी।

महोदय, श्री आडवाणी जी ने अपनी रथयात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक शुरू की थी। पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल उत्पन्न हो गया था और सैकड़ों लोग मारे गए थे। देश के कई भागों में दंगे भड़क उठे थे। महोदय, जब श्री आडवाणी जी को बिहार में गिरफ्तार किया गया और उन्हें अयोध्या नहीं जाने दिया गया था, तब भा.ज.पा. ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह माननीय प्रधान मंत्री थे तब वे सांप्रदायिकता से लड़ रहे थे। इन्होंने उस समय समर्पण नहीं किया। उस समय कांग्रेस ने भा.ज.पा. से हाथ मिला लिया, सरकार को गिरा दिया और इस तरह से अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी। महोदय, इसे पुन: दोहराया गया...*(व्यवधान)*

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): क्या आपको याद है कि आप भा.ज.पा. के साथ थे?...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: आप भा.ज.पा. के साथ जा मिले और सरकार को गिरा दिया...*(व्यवधान)* महोदय, इसे 1997 में पुन: दोहराया गया जब श्री एच.डी. देवेगौड़ा प्रधान मंत्री थे और कांग्रेस ने सरकार अस्थिर कर दिया। तत्पश्चात् जब श्री आई.के. गुजराल प्रधान मंत्री बने तो यही कांग्रेस भा.ज.पा. के साथ जा मिली और आई.के. गुजराल की सरकार को गिराने के लिए...*(व्यवधान)* आज यह कह रहे हैं कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मत देने के लिए हमने भा.ज.पा. से हाथ मिला लिया है।

महोदय, 2004 के लोक सभा चुनावों का जनादेश किसी भी राजनीतिक गठबंधन के पक्ष में नहीं था। लेकिन इस देश के लोगों ने स्पष्ट जनादेश दिया और वह जनादेश था बदलाव का, परिवर्तन का, अपने रवैये में बदलाव लाने का।

महोदय, वामपंथी दलों ने इस सरकार का समर्थन किया क्योंकि हम सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने, भारत की धर्मनिरपेक्ष विरासत की रक्षा करने और उसे मजबूत करने, लोगों की एकता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिन पर भा.ज.पा. नीत एन.डी.ए. के शासन के दौरान हमला हुआ और जिनका गंभीर रूप से क्षरण किया गया।

अपराह्न 3.38 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, 2002 में गुजरात में जो हुआ उसे हम भुला नहीं सकते। हमने इस सरकार का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि हमारी गम्भीर चिंता 'शाइनिंग इंडिया' की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध थी। अब फिर वे 'फील गुड फैक्टर' और 'शाइनिंग इंडिया' विकास दर का संदर्भ दे रहे हैं, जो 2003 और 2004 में थी।

भा.ज.पा. ऐसा कहा करती थी। लोक सभा भंग हो गई, चुनाव हुए और इस देश के लोगों ने उन्हें जनादेश नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार पुन: उसी रास्ते का अनुसरण कर रही है जिस पर भा.ज.पा. सरकार, रा.ज.ग. सरकार चल रही थी। 'शाईनिंग इंडिया' की आर्थिक नीतियां लोगों के जीवन और उनके जीविकोपार्जन को बर्बाद कर रही थीं। इसलिए लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हमने न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर जोर दिया। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के महत्वपूर्ण मुद्दों को अभी क्रियान्वित किया जाना बाकी है। लेकिन आज यू.पी.ए. के न्यूनतम साझा कार्यक्रम की बजाय

[श्री बसुदेव आचार्य]

रणनीतिक भारत को साझीदार बनाने के लिए बुश प्रशासन का यह साझा न्यूनतम कार्यक्रम बन गया है, जिसे सरकार क्रियान्वित कर रही है।

आप राष्ट्र की सम्प्रभुत्ता से समझौता कर सांप्रदायिक ताकतों से नहीं लड़ सकते। आप साम्राज्यवादी आर्थिक नीतियों को अपना कर, जिसकी वजह से मूल्यों में वृद्धि और लोगों के बीच असमानता बढ़ी है, सांप्रदायिक ताकतों से नहीं लड़ सकते।

वित्त मंत्री ने बड़ी वाक्पटुता के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात् कृषि, खाद्य उत्पादन, दलहनों तथा अन्य उत्पादन, के संबंध में विकास के आंकड़े प्रस्तुत किए। सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में बढ़त हुई है लेकिन उन्होंने लोगों की बदतर स्थिति का उल्लेख नहीं किया है। जब विकास दर 9 प्रतिशत है तो सरकार अपनी रिपोर्ट में क्या दावा कर रही है? यह हमारी रिपोर्ट नहीं है। यह इस सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट है। समिति ने अपनी पिछली रिपोर्ट में सरकार को बताया कि अपने देश की 77 प्रतिशत जनसंख्या को केवल 20 रुपये पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे यहां 46 करोड़पति हैं। एक वर्ष वर्ष पहले यहां 26 करोड़पति थे। एक वर्ष के अंदर करोड़पतियों की संख्या 46 हो गई जबकि 77 प्रतिशत जनसंख्या को केवल 20 रुपये पर निर्भर रहना पड़ता है। यह हमारी रिपोर्ट नहीं है बल्कि यू.पी.ए. सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट है।

आज मुद्रास्फीति ने पहले ही 12 प्रतिशत का आंकड़ा छू लिया है। लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। सरकार मूल्यों को नियंत्रित करने और रोकने की स्थिति में नहीं है। इस देश के लोगों की आजीविका बदतर हो गई है। पारिवारिक बजट बढ़ गया है। उनके पारिश्रमिक और अर्जन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है जबकि सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

हमने अनेक सुझाव दिए हैं। मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री सभा के समक्ष तथ्यों को रखें। वाम दल - यू.पी.ए. समन्वय समिति, जो दो वर्ष तक चली, में हमने मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु अनेक सुझाव दिए थे। हमने चार सुझाव दिए थे। पहला सार्वजनिक वितरण प्रणाली कों सुदृढ़ करना और इसको जन-जन तक पहुंचाना...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब भाषण समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: मैंने भाषण आरंभ ही किया है।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है आप समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: मैंने परमाणु समझौता जो मुख्य मुद्दा है इस पर अभी बोला ही नहीं है...*(व्यवधान)* मैं कुछ ही मिनटों में इस पर बोलूंगा। कृपया मुझे थोड़ा समय और दें।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने अपना भाषण अपराह्न 3.31 बजे आरंभ किया था।

श्री बसुदेव आचार्य: सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ और जन-जन तक पहुंचाना है। यह नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: मोहम्मद सलीम यह शोर-गुल करने का स्थान नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य: एन.डी.ए. सरकार द्वारा सभी जिंसों पर आरंभ किए गए 'फार्वड' और 'फ्यूचर्स' ट्रेडिंग को समाप्त नहीं किया गया है। शुल्क और उप-कर तथा आयात समानता जिसे पूर्व सरकार द्वारा लागू किया गया था को समाप्त करने के बजाए अनेक बार पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ाई गई हैं। सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करने और नियंत्रित करने हेतु ठोस उपाय करने में असफल रही है। किसान अब भी आत्महत्याएं कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में संकट गहराता जा रहा है। देश के निर्धन लोगों की स्थिति में सुधार हेतु सरकार ने कोई उपाय नहीं किए हैं। हमने इस सरकार से अपना समर्थन वापस क्यों ले लिया है?

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, आपके दल का समय समाप्त हो गया है। कृपया अब समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: सरकार का गठन न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर हुआ था।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी को जितना समय अलाट किया गया था, उससे ज्यादा समय तो आपकी पार्टी के नेता सलीम जी ने ही ले लिया। आप भी दस मिनट ले चुके हैं, इसलिए अब अपनी बात समाप्त करें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: कहा यह गया था कि हमें इस

सरकार से कुछ नहीं चाहिए था। हम सरकार में शामिल भी नहीं हुए। हम बाहर से समर्थन दे रहे थे। हमारी मांग यह थी कि यू.पी.ए. सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत निर्धनों के हित में कार्यक्रम लागू करने पर ध्यान दें। विदेश नीति के संबंध में, यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि हम अमेरिका के साथ सामरिक संबंध कायम करेंगे। हम अमेरिका विरोधी नहीं हैं। हम अमेरिका का आंख मीच कर विरोध नहीं कर रहे हैं। हम अमेरिका से अच्छे संबंध चाहते हैं परन्तु अच्छे संबंध और सामरिक संबंध में अन्तर है। जब एन.डी.ए. सत्ता में थी तो उन्होंने हमारी गुटनिरपेक्ष नीति के महत्व को कम कर दिया था। इसका उदाहरण इराक पर हुआ हमला है। इराक पर हमले से 15 दिन पूर्व मैं वहां गया था। मैं सात दिनों के लिए गया था। जब हमने इस सभा में इराक हमले की निंदा करने हेतु प्रस्ताव पारित करने की मांग की तो हमें कम से कम तीन दिन तक इस सभा का कार्य रोकना पड़ा था। तत्पश्चात प्रस्ताव अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिन्दी में पहली बार स्वीकृत हुआ, 'निंदा' के स्थान पर 'खेद' व्यक्त किया गया था।

महोदय, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे तो वे इराक में सेना भेजने हेतु तैयार थे। उस समय कांग्रेस दल और वाम दल विपक्ष में थे और हमारे विरोध के कारण वे इराक में सेना नहीं भेज पाए। हमें आशंका थी। यद्यपि, न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रारूप में सामरिक संबंध का उल्लेख था हम इस पर सहमत नहीं हुए और इसे इसमें से हटा दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं मुख्य बिन्दु पर आ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने ज्यादा समय ले लिया है। मैं क्या कर सकता हूं?

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, सभी ने आधा घंटा बोला है। कृपया मुझे 7-8 मिनट दें। मैं भाषण समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं मैं आपको मात्र दो या तीन मिनट दूंगा। आप इस में ही अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, न्यूनतम साझा कार्यक्रम में निम्नवत उल्लेख था:

"यू.पी.ए. सरकार, परंपराओं को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेगी। यह नीति विश्व में बहु-ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगी तथा एक पक्षीय व्यवस्था हेतु सभी प्रयासों का विरोध किया जाएगा। यू.पी.ए. सरकार घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक और अन्य संबंधों को कायम करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता देगी..."

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में 'सामरिक महत्व' कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है।

महोदय, डा. मनमोहन सिंह और श्री जार्ज बुश का संयुक्त वक्तव्य लिखा जाने से ही बात-चीत की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी और अमेरिका के साथ सामरिक संबंध कायम करने का प्रयास किया गया था। उस समय हमने क्या देखा? हमने देखा कि ईरान के मामले पर भारत सरकार के प्रतिनिधि ने अमेरिका सरकार के कहने पर ईरान के विरुद्ध एक बार नहीं दो बार मतदान किया था। हमारे प्रतिनिधि ने अमेरिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन किया था। उस समय देश भर में मुंबई, लखनऊ और अन्य स्थानों पर व्यापक विरोध हुए थे। लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की गई थी जिसमें समाजवादी दल के अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव और वाम दलों के नेताओं ने भाग लिया और भाषण दिए थे। श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा दिए गए जोरदार भाषण की प्रति मेरे पास है। अब इस दल को क्या हो गया?

[हिन्दी]

अब क्या परिवर्तन हो गया। क्या बुश बाबा इस स्थिति से पार करेगा। अभी बुश बाबा इस स्थिति से पार नहीं कर सकता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें और कृपया शीघ्र समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: जब यह परमाणु समझौते की परिकल्पना की गई थी और हाइड एक्ट का प्रारूप तैयार किया गया था हमने नौ आशंकाएं व्यक्त की थीं। यह सच्चाई है कि राज्य सभा में वाद-विवाद का उत्तर देते हुए - बाद में इस सभा में भी वाद-विवाद हुआ था - प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि हमारी सभी चिंताओं को उचित रूप से दूर किया जाएगा। हाइड एक्ट को दिसम्बर, 2006 में

[श्री बसुदेव आचार्य]

अधिनियमित किया गया था। हमने देखा कि हमारी चिंताओं को दूर नहीं किया गया था।

आश्वासन निरर्थक साबित हुआ। तत्पश्चात एक प्रणाली निर्धारित की गई थी। एक संयुक्त समिति गठित की गई थी, संयुक्त समिति का निष्कर्ष क्या था? वाम दलों - यू.पी.ए. संयुक्त समिति की पहली बैठक में स्वीकार किए गए संकल्प के अनुसार समझौते को लागू किया जाना इस समिति के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा।

मैं माननीय प्रधान मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या समिति ने अपने निष्कर्ष दे दिए हैं? समिति निष्कर्ष कैसे निकाल सकती है? दिनांक 16 नवम्बर को सरकार के साथ लिखित समझौता हुआ था कि सरकार आई.ए.ई.ए. के साथ वार्ता आरंभ करना चाहती थी और आश्वासन दिया गया था कि सरकार द्वारा समिति के समक्ष समझौते का पाठ प्रस्तुत किया जाएगा और यदि समिति सहमत होती है तब ही सरकार आई.ए.ई.ए. और इसके बाद एन.एस.जी. से वार्ता आरंभ करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैंने भाषण समाप्त नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं क्या कर सकता हूं? आपने बहुत ज्यादा समय ले लिया है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के 15 सदस्य बोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य जी, आप 25 मिनट बोल चुके हैं। आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: जून माह में समिति की बैठक में समिति को समझौता नहीं दिखाया गया। समिति, समझौते के पाठ को देखे बिना निष्कर्ष कैसे दे सकती है? समिति को बताया गया कि यह गोपनीय है। उसी दिन, आई.ए.ई.ए. द्वारा कहा गया कि इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है और सरकार इसे परिचालित कर सकती है।

माननीय विदेश मंत्री ने 8 जुलाई के प्रैस सम्मेलन में कहा कि सरकार विश्वास मत से पहले आई.ए.ई.ए. से बातचीत आरंभ नहीं करेगी। जिस दिन उन्होंने वक्तव्य दिया, प्रधानमंत्री ने भी उसी दिन घोषणा की तथा सरकार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में गई। यदि यह कोई छलावा नहीं है तो यह क्या है? यह हमारे लिए मात्र छलावा और अपमान ही नहीं है बल्कि राष्ट्र के लिए भी अपमान की बात है।

यहां क्या कहा जा रहा है?

[हिन्दी]

श्री लालू जी बता रहे थे कि बिजली चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी बिजली मिलेगी। राम गोपाल जी बता रहे थे कि हमारे पास 30 साल तक के लिए कोयले का डिपोजिट है।

[अनुवाद]

हमारे पास 230 बिलियन टन का प्रमाणित भंडार है। यह 200 वर्षों तक चलता रहेगा।

अपराह्न 4.00 बजे

[हिन्दी]

कल विदेश मंत्री जी ने बताया कि हमारे देश में इतने पोर्ट नहीं हैं कि हम बाहर से आमदनी कर सकें।

[अनुवाद]

12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक हमें केवल 71 मिलियन टन का आयात करना पड़ेगा। कल श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि 2030 तक हमारे यहां 4 लाख मेगावाट बिजली की कमी होगी। 4 लाख मेगावाट बिजली की इस कमी को मात्र 40,000 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा द्वारा कम करके 30,000 मेगावाट तक कैसे किया जाएगा। हमें 200 बिलियन डॉलर खर्च करने होंगे।

हम चीन से तुलना कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उसका जवाब दूंगा। उन्होंने कहा था - यह बहुत ही गंभीर बात है - कि हम चीन की ओर से इस करार का विरोध कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप खत्म करेंगे अथवा नहीं?

श्री बसुदेव आचार्य: जब चीन ने हम पर एन.पी.टी.,

सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला, तो हमने इसका विरोध किया था। हमने कहा था कि एन.पी.टी. और सी.टी.बी.टी. भेदभावपूर्ण हैं; हम उससे सहमत नहीं हो सकते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब, कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: अब कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री मोहन जी से अनुरोध करूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, कृपया बैठ जाइए, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं एक गंभीर मामला उठाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.04 बजे

इस समय, श्री अशोक अर्गल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 4.15 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.04½ बजे

तत्पश्चात, लोक सभा अपराह्न 4.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 4.19 बजे

लोक सभा अपराह्न 4.19 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 5.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.19½ बजे

तत्पश्चात, लोक सभा अपराह्न 5.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 5.01 बजे

लोक सभा अपराह्न पांच बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा सायं छह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.01½ बजे

तत्पश्चात, लोक सभा अपराह्न छह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 6.00 बजे

लोक सभा सायं 6.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

(एक) सभा में घटित कुछ घटनाएं

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

[अध्यक्ष महोदय]

कृपया जब तक मैं आपको न पुकारूं, इतंजार कीजिए। माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

कुछ समय पूर्व जब मेरे विशिष्ट सहयोगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय सभा की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे थे तब कुछ अप्रिय घटनाएं हुई जो मेरे अनुसार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। संसद के इतिहास में यह बहुत ही दुखद दिन है जब ऐसी घटनाएं हुई हैं। इसलिए, मैंने माननीय नेताओं की बैठक बुलाई है। मैं माननीय नेता, प्रतिपक्ष का आभारी हूं। वे भी यहां उपस्थित थे।

हमने सभा में तीन माननीय सदस्यों का भाषण सुना है। उन्हें कुछ शिकायतें करनी थी। मैंने उनसे लिखित में अपनी शिकायतें मुझे भेजने का अनुरोध किया है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है, मैंने नेताओं और सभा को आश्वासन दिया है कि इस संबंध में जो भी जरूरी कदम होंगे सभा के संरक्षक के रूप में मेरे द्वारा यथा संभव उठाए जायेंगे। ऐसा करना मेरा कर्तव्य है और इसमें मैं सभा के सभी पक्षों का सहयोग चाहता हूं।

कृपया मुझे अपने निर्णय पर अमल करने, मामले की जांच करने दीजिए और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, अर्गल जी ने कहा है कि उन्होंने सी.डी. आपके पास भेज दी है। अगर वह सी.डी. आपके पास आ गई है तो...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या उसे यहां डिसप्ले करेंगे? क्या उसे यहां सबको दिखाएंगे?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब इसे छोड़ दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपसे अनुरोध किया है कि आप इसे मुझ पर छोड़ दें।

मोहम्मद सलीम: महोदय, हमारा सबसे बुरा डर सच हो गया है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन यह है कि तीन सदस्य जो आपके यहां चैम्बर में जाकर अपनी बात बताकर आए हैं, उन लोगों को सदन में अपनी भावना रखने का मौका दिया जाए और दूसरी बात यह है कि जो घटना घट गई, सरकार अल्पमत में है कि बहुमत में है, यह बात तो अलग हो गई, नैतिकता के आधार पर प्रधान मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए।...*(व्यवधान)* इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, क्षमा कीजिए। माननीय सदस्यों कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए।

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैं सभा की कार्यवाही स्थगित कर रहा हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह अपना उत्तर सायं 6.30 बजे दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मतदान सायं 7.15 बजे होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधान मंत्री सायं 6.30 बजे उत्तर देंगे। मतदान सायं 7.15 बजे होगा।

सभा सायं 6.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सायं 6.03 बजे

तत्पश्चात लोक सभा सायं 6.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 6.30 बजे

लोक सभा सायं 6.30 बजे पुनः समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। सिर्फ एक सेकंड।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं अभी इतना बुड्ढा नहीं हुआ हूं।

[अनुवाद]

मुझे याद है कि मैंने आपसे क्या वादा किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी - *जारी*

(दो) सदस्यों को भीतरी दीर्घा से मतदान करने की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सम्माननीय सभा को सूचित करना चाहता हूं कि मुझे संसद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक पत्र मिला है जिसमें चार माननीय विशिष्ट सदस्यों को भीतरी दीर्घा से मतदान करने की अनुमति देने के लिए कहा गया है। ये सदस्य - हमारे परम आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री महेश कनोडीया, श्री धर्मेन्द्र और श्री हरिश्चंद्र चव्हाण हैं। अनुरोध यह है कि उन्हें भीतरी दीर्घा से मतदान करने की अनुमति दी जाए क्योंकि वे अस्वस्थ हैं और वे स्वचालित रिकार्डिंग मशीन से मतदान करने की स्थिति में नहीं हैं।

माननीय सदस्यों की स्थिति को ध्यान में रखकर मैंने उन्हें भीतरी लॉबी से मतदान रिकार्डिंग पर्ची को भरकर मतदान करने या इन विशिष्ट सदस्यों के लिए जिस प्रकार से सुविधाजनक हो उस प्रकार से मतदान करने की अनुमति दे दी है।

मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे साथ मिलकर आदरणीय वाजपेयीजी और अन्य सभी माननीय सदस्यों को अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामना देंगे।

सायं 6.31 बजे

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव - *जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, छोटे दलों द्वारा कुछ समय, दो-तीन मिनट के लिए अनुरोध किया गया है। अब श्री ओवेसी बोलेंगे।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, क्या सदस्यों को अपना भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाएगी?

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें अनुमति दूंगा? मैं केवल यह जानने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं कितने सदस्यों को अनुमति दे सकता हूं। माननीय प्रधानमंत्री मुझे थोड़ा समय देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री ओवेसी कृपया आप बोलिए।

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: महोदय, माननीय प्रधानमंत्री को त्याग-पत्र देना चाहिए। आज देश के लिए बड़े दुख का दिन है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या मुसीबत हो गई है?

[अनुवाद]

अध्यक्षपीठ के प्रत्येक निर्णय को तत्काल चुनौती देने की बात बड़ी आम हो गई है।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: नहीं, महोदय। हम चुनौती नहीं दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसे चुनौती दे रहे हैं। हर कोई चुनौती दे रहा है।

श्री अनंत कुमार: नहीं महोदय। हम इसे चुनौती नहीं दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आप यह कर रहे हैं। जानबूझकर या अनजाने में, इच्छा या अनिच्छा से आप यह कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, गलत परंपरा लाई जा रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बात मैं पहले ही कह चुका हूं। 'मैं तुझ से अच्छा हूं' वाला रवैया न अपनाएं। मुझे बहुत चिंता है। मुझे सबसे अधिक चिंता है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री ओवेसी, आप बोलिए। केवल आपके भाषण को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

श्री असादूद्दीन ओवेसी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मोहम्मद सलीम, आप क्या चाहते हैं? सिर्फ एक मिनट।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं जानना चाहूंगा। वह अध्यक्षपीठ की तरफ हाथ से इशारा कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): नहीं महोदय ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप अध्यक्षपीठ की ओर हाथ से इशारा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं मोहम्मद सलीम आप क्या चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मुझे आपकी बात सुननी है।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: महोदय, मैं अध्यक्षपीठ से जानना चाहता हूं...*(व्यवधान)* आप इस सभा के अभिरक्षक हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, ये जो लोग पैसा बांटने का काम कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप जानते हैं, यदि आपको व्यक्तिगत रूप से जानकारी है कि किसने किसको धनराशि दी है तो आप आइए और उस बात को यहां से कहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अत्यधिक जिम्मेदारी ले रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री ओवेसी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री असादूद्दीन ओवेसी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता, विपक्ष का उस भाषण के लिए धन्यवाद करता हूं जिसमें उन्होंने वामदलों की पोल खोली है और कहा है कि वे देवदूत के संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं...*(व्यवधान)* यही कारण है कि हम इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। यह साधारण सा कारण है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री ओवेसी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री असादुद्दीन ओवेसी: यह तो नेता विपक्ष को अथवा भाजपा को सत्ता में आने से रोकना है।

मैं सभा को वह सब बताना चाहता हूं जो इस सरकार ने पिछले चार वर्षों में किया है। इसने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सृजन और उसे 1,000 करोड़ रुपए देने की पहल की है। पिछली राजग सरकार ने दसवीं योजना में केवल 200 करोड़ रुपए दिए थे जबकि संप्रग सरकार ने 2007-08 में 500 करोड़ रुपए आबंटित किए जिसे 2008-09 में बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया। यह एक अच्छा उदाहरण है कि यह सरकार क्या करती है।...*(व्यवधान)*

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वाम मोर्चे ने बिना किसी कारण अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसके साथ ही, एक महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां कहना चाहता हूं वह यह है कि यह सरकार अल्पसंख्यक छात्रों को योग्यता-सह-साधन (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्तियों के रूप में 17,000 छात्रवृत्तियां दे चुकी है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम के लिए निधियों में वृद्धि की है और मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिए निधियां दी गई हैं।...*(व्यवधान)*

यह अफवाह फैलाई गई है कि मुस्लिम इस करार के विरुद्ध हैं। यह बात क्यों फैलाई गई है? मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाम मोर्चा के लोगों ने यह क्यों नहीं कहा कि हिन्दू इस करार के विरुद्ध हैं और दलित इस करार के पक्ष में हैं। हमारा नाम ही क्यों लिया जा रहा है?...*(व्यवधान)*

एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर दो समुदायों अथवा दो धर्मों के बीच नहीं होते हैं; ये दो देशों के बीच होते हैं। हां, इस करार के बारे में हमारी आपत्तियां हैं। हम यह तथ्य जानते हैं कि हमारी स्वतंत्र विदेश नीति पर इसका प्रभाव होगा। यह प्रधानमंत्री पर है कि जब ऐसी परिस्थितियां बनें...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, यह प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वे स्पष्ट करें कि हमारी विदेश नीति के मामले में स्वतंत्रता से समझौता नहीं होगा इसकी स्वतंत्रता बनी रहेगी।...*(व्यवधान)*

मैं यहां कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के प्रति वाम मोर्चे की घृणा छिपी हुई है और उनके तथाकथित उदारवाद से ओत प्रोत है। यहां वे हमारी समस्याओं, मुस्लिमों की समस्याओं, के बारे में बात करें तो मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में जहां वे 33 वर्ष से शासन कर रहे हैं सरकारी सेवाओं में मुस्लिम प्रतिनिधित्व केवल 2.1 प्रतिशत क्यों है जबकि यहां, 28 प्रतिशत मुस्लिम हैं। क्या यही उनकी धर्मनिरपेक्षता है? क्या आप उनका समर्थन करना चाहते हैं? क्या आप उनके पक्ष में मत देना चाहते हैं? यदि कल श्री आडवाणी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो दिक्कत किसे होगी? दिक्कत मुझे होगी, उनको नहीं। उन्होंने क्या खोया है? मैंने बाबरी मस्जिद खोई है और अनेक लोग गुजरात की जेलों में सड़ रहे हैं।

मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि यह प्रस्ताव पारित किया जाए। मैं विभिन्न दलों से, आप सबसे अनुरोध करता हूं कि भाजपा को सत्ता में न आने दें।

*1. मैं नेता विपक्ष का धन्यवाद करता हूं। अपने भाषण में उन्होंने वाम दलों की पोल खोली है।

2. एम.आई.एम. दल देवदूत संरक्षक के रूप में 2004 से संप्रग के साथ है जिससे वामदलों द्वारा समर्थन वापसी न्यायोचित सिद्ध होती है। एम.आई.एम. दल ने सामान्यतः अल्पसंख्यकों और विशेषतः मुस्लिमों के कल्याण के लिए संप्रग द्वारा उठाए गए कदमों का ध्यान रखा।

1. बर्बर 'पोटा' अधिनियम की समाप्ति जिसके अंतर्गत देश भर से सैकड़ों निर्दोष मुस्लिमों को गिरफ्तार किया गया और कारागारों में डाल दिया गया।
2. संप्रग सरकार ने संविधान की धारा 30 के अनुसरण में व्यावसायिक महाविद्यालयों में होने वाले 5% आरक्षण से अल्पसंख्यक व्यावसायिक महाविद्यालयों को छूट दी है।
3. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा आयोग का गठन।
4. गुजरात दंगा-पीड़ित परिवारों को अनुग्रह राशि की मंजूरी।
5. भागलपुर दंगे।
6. वर्ष 2006 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का सृजन। इसके बजट को बढ़ाकर 2007-08 में 500 करोड़ रुपए और 2008-09 में 1000 करोड़ रुपए किया। यह ज्ञातव्य है कि राजग सरकार ने दसवीं योजना के दौरान केवल 200 करोड़ रुपए दिए थे।
7. राजग सरकार अल्पसंख्यकों से संबंधित केवल दो योजनाओं, एन.एम.एफ.डी.सी. और एम. आजाद

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री असादुद्दीन ओवेसी]

के लिए आबंटन कर रही थी और 5 वर्ष में दोनों योजनाओं के लिए केवल 20 करोड़ रुपए दिए गए। जबकि संप्रग सरकार ने - एम.ए.एफ.ई. समग्र निधि को दो वर्षों में 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया और 11वीं योजना में 500 करोड़ रुपए दिए हैं। इससे समग्र निधि बढ़कर 750 करोड़ रुपए हो जाएगी। एन.एम.डी. एफ.सी. की प्राधिकृत शेयर पूंजी 750 करोड़ रुपए है। इस निगम से चार लाख लोगों ने ऋण लिया।

8. सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार पी.एम.एच. एल.एस. का गठन।

9. अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए तीन छात्रवृत्तियों को मंजूरी दी।

योग्यता-सह-साधन (मेरिट कम मीन्स) 17,177 - वर्ष 2007 और 2008 में 28 राज्यों के छात्रों को 413 (छात्रवृत्तियां) सूचीबद्ध संस्थानों यथा आई.आई.एम., आई.आई.टी. में। मैट्रिकोत्तर - वर्ष 2007 और 2008 में 55,771 छात्र। 2008 और 2009 एम.सी.एम. 20,000 योग्यता-सह-साधन।

मैट्रिकोत्तर - 2,50,000, मैट्रिक-पूर्व 4 लाख - अल्पसंख्यक बहुल जिले।

10. एम.सी.डी., 90 एम.सी.डी.आई.डी. जो मूल सुविधाओं और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, में विसेष विकास पहल। 11वीं योजना में कुल 3150 करोड़ रुपए वर्ष 2008 और 2009 के लिए आबंटित। 11वीं योजना में 500 करोड़ रुपए दिए गए। पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल के 12 जिले - 686 करोड़ रुपए।

पश्चिम बंगाल - वाम दल समर्थन वापस क्यों ले रहे हैं? यह दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम क्षेत्रों की कैसे उपेक्षा की जाती है।

11. सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों को पहचान किए गए एम.सी.डी. में और शाखाएं खोलने के निदेश दिए गए, 31-03-2008 तक 523 शाखाएं खोली गई।

अगले 3 वर्ष (2010) के दौरान अल्पसंख्यकों को 9 से 15% ऋण देने के लिए पी.एस.बी. कदम उठाएगा।

वर्ष 2008 और 2009 का लक्ष्य 13% है। एम.आई.एम. दल का मानना है कि हमारे देश में, विशेषतः विद्युत की कमी है। एम.आई.एम. को भारत-अमरीकी असैनिक परमाणु सहयोग पर इसलिए आपत्ति है कि यह हमारी विदेश नीति को प्रभावित करेगा। इस पहलू पर हमें घोर आपत्ति है। यदि निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर मुस्लिम कार्ड खेला जाता है अर्थात यह कहा जाता है कि मुस्लिम क्रोधित हैं तो एम.आई.एम. को दुख होता है।

(1) मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बाबरी मस्जिद को ढहाये जाने से संबंधित न्यायमूर्ति जगदीश भल्ला की अदालत में 12 फरवरी, 2001 को रायबरेली, लखनऊ में आये मामले जिसमें लालकृष्ण आडवाणी अभियुक्त हैं, के साथ 2 आपराधिक मामलों को मिलाकर, और एक वक्तव्य जारी कर मुस्लिमों के प्रति अपनी सच्ची हमदर्दी प्रदर्शित करें।

(2) आप यह क्यों नहीं कहते कि हिन्दू इस करार का समर्थन कर रहे हैं अथवा सवर्ण अथवा दलित इस करार का विरोध कर रहे हैं। यदि मुसलमानों की राय इतनी महत्वपूर्ण है तो क्या इस बारे में मुसलमानों से परामर्श किया गया था? देश में हुए दंगे में उन्हें मारा गया और उनकी आर्थिक स्थिति को तहस-नहस किया गया।

- यदि मुस्लिमों का गुस्सा जायजा है तो बाबरी मस्जिद को क्यों ढहाया गया?
- केवल मुस्लिमों के विरुद्ध ही टी.ए.डी.ए. (टाडा) और पी.ओ.टी.ए. (पोटा) का प्रयोग क्यों किया गया?

क्या गुजरात में हत्याकाण्ड के समय मुझसे परामर्श किया गया था। यदि सी.पी.एम. के संसद सदस्य एम.के. पंधे की राय सही है तो पश्चिम बंगाल की 28 प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या में से सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों का हिस्सा मात्र 2.1 प्रतिशत क्यों है? नन्दीग्राम में मुस्लिमों को क्यों भुला दिया गया।

एम.आई.एम. का मानना है कि भाजपा और माकपा, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक तो मुस्लिमों के प्रति सीधे

घृणा रखते हैं और दूसरे की घृणा उनके उदारवाद और विचारधारा से ओत-प्रोत है।

गुजरात मामले में सरकार को फातमी उप-समिति के प्रतिवेदन का क्रियान्वयन करना चाहिए।

फातमी उपसमिति के प्रतिवेदन का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए! फातमी उपसमिति के अंतिम आकलन इस प्रकार हैं:

1. एस.एस.ए., के.जी.बी.यू.	–	230 करोड़ रुपए
एस.एस.ए.	–	1425.85 करोड़ रुपए
फ्रंट लिटरेसी कार्यक्रम	–	750 करोड़ रुपए
जनशिक्षा संस्था	–	750 करोड़ रुपए
2. मदरसों का आधुनिकीकरण	–	3755.85 करोड़ रुपए
अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय	–	625.00 करोड़ रुपए
ए.एम.यू. विस्तार	–	1153.55 करोड़ रुपए
वित्त समिति के विस्तार के अंतर्गत पहले ही मदरसों के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिये गए हैं।		
पंचवर्षीय -आधुनिकीकरण	–	2278.55 करोड़ रुपए
कुल	–	**5434.40 करोड़ रुपए**

भूतपूर्व विमानन मंत्री ने अल्पसंख्यकों के बारे में एक विचार व्यक्त किया है पर मैं कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिमों का विश्वास है कि भाजपा और इसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार धर्मनिरपेक्षता और मुस्लिमों के साथ न्याय नहीं कर सकते।

हम केवल एक कारण से ही इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लालकृष्ण आडवाणी और भाजपा सत्ता में नहीं आयें - जैसे कि भाकपा उन्हें इसके निकट ले आयी है।*

सुश्री महबूबा मुफ्ती (अनंतनाग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लाये गए विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। जैसा कि श्री लालू प्रसाद ने ठीक ही कहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बहुत से सदस्यों को परमाणु करार के बारे में अधिक पता ही नहीं है। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। परन्तु दोनों पक्षों के सदस्यों की बात सुनकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि भाजपा इस परमाणु करार की प्रवर्तक है परन्तु उनके द्वारा इसका विरोध केवल करार का श्रेय लेने के लिए किया जा रहा है। चूंकि इस समय वे सत्ता में नहीं है इसलिए करार का विरोध किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

महोदय, उनके द्वारा परमाणु करार पर फिर से विचार-विमर्श करने की बात कही जा रही है। वे करार के सकारात्मक पक्षों के प्रति चिन्तित नहीं है। वे परमाणु करार के प्रतिबंधों के बारे में बात कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

मैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लाये गए विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। लालूजी ने ठीक ही कहा है कि दोनों तरफ के अधिकांश सदस्यों को इस समझौते के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। मुझे भी अधिक जानकारी नहीं है।

*परन्तु, कल से दोनों तरफ के सदस्यों की बातें सुनकर जो जानकारी मैंने प्राप्त की है उससे मैं कुछ निष्कर्ष निकाल सकती हूं। भाजपा ने कहा है कि यह परमाणु करार के विरुद्ध नहीं है परन्तु इस पर पुनः विचार-विमर्श किया जाए और साथ ही इसे राष्ट्र-विरोधी भी कहा। यह सत्य है कि भाजपा इस करार की प्रवर्तक रही है और वे इस करार के कार्यान्वयन का श्रेय भी लेना चाहते हैं परन्तु सत्ता में नहीं होने के कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा की 'हाइड एक्ट' के संबंध में आपत्तियां दिखायी देती हैं, उनके अनुसार इससे देश के पास भविष्य में और परमाणु परीक्षण करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। एक समय था जब परमाणु बम परीक्षण करने का अर्थ राष्ट्र के लिए गर्व की बात थी और इसे किसी बाहरी आक्रमण का सामना करने के लिए आवश्यक समझा जाता था। लेकिन क्योंकि हम पहले ही परमाणु कलब में शामिल हो चुके हैं और एक परमाणु (शक्ति संपन्न) देश हैं, और यदि कोई कहता है तो हमें पहले ही काफी गर्व है; यह बाह्य आक्रमण के विरुद्ध एक प्रतिरोधक भी है। लेकिन आज हमारी चुनौती बाहरी कम और अंदरूनी अधिक है। यदि हम भविष्य में कोई परमाणु परीक्षण न करें तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन कम-से-कम हम गरीबी रेखा से नीचे रह रही अपनी जनसंख्या को न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने में

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[सुश्री महबूबा मुफ्ती]

तो सक्षम हैं। अब भी अमीर गरीब के बीच काफी विषमता है हमारे देश में यही बम की भान्ति सुलग रही है। अमीर गरीब के बीच खाई दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। हमारे यहां ऐसे लोग हैं जिनके पालतू कुत्ते आयातित खाना खाते हैं, सर्वोत्तम पशु अस्पतालों में उनका इलाज होता है, लेकिन अब भी लाखों लोग ऐसे हैं जो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और मर जाते हैं लेकिन उन्हें सर पर छत और दो जून का भोजन नसीब नहीं होता जो उनका सपना होता है। हम अभी भी अपनी जनसंख्या के काफी बड़े भाग को आधारभूत सुविधाएं यथा सड़कें, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, लेकिन विश्व के सामने यह सिद्ध करने के लिए कि हमारा एक शक्तिशाली राष्ट्र है, जहां सर्वाधिक कुपोषण है, हम परमाणु परीक्षण के लिए उतावले हैं। अतः भाजपा की आपत्ति ठोस न होकर मात्र दिखावा लगती है। लेकिन जहां तक अन्य दलों, विशेषतः वामदलों का संबंध है, मुझे संदेह है कि यह करार हमारी विदेश नीति को किस प्रकार प्रभावित करेगा। मैं निश्चित तौर पर चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सभा को पुनः आश्वस्त करें कि हमारी विदेश नीति वैसे ही स्वतंत्र रहेगी जैसे यह हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के कार्यकाल में आरंभ की गई थी। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हम अब भी विश्व के साथ, जैसे चाहे संबंध रख सकते हैं, विशेषतः अपने पड़ोसी देशों के साथ, जिनमें से अधिकतर मुस्लिम देश हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमें अपने देश के लिए ऊर्जा के अन्य नए साधन तलाशने से हमें रोका नहीं जाएगा अथवा उसमें बाधाएं उत्पन्न नहीं की जाएंगी। हम जानना चाहते हैं कि ईरान से आने वाली गैस पाइपलाइन प्रभावित न हो। हम फिलस्तीन की स्वतंत्र राज्य की मांग का समर्थन करना चाहते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता के समय से नीति रही है। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो संप्रग के अन्य घटक दलों के साथ मिलकर इस करार का समर्थन कर रहे हैं के पास निश्चित रूप से ऐसा करने के काफी बेहतर कारण हैं। मेरा मानना है कि यह करार देश के हित में होगा, जिसका अर्थ है कि यह करार सभी के हित में है चाहे वह मुस्लिम हों, हिन्दू हों, सिख आदि कोई भी हों। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि करार को अल्पसंख्यक-विरोधी बताया जा रहा है और मुझे आश्चर्य है कि जो चीज देश के लिए अच्छी अथवा बुरी है, वह समाज के एक वर्ग के लिए अच्छी और दूसरे के लिए बुरी हो सकती है। यह मात्र एक दुष्प्रचार प्रतीत होता है। निस्संदेह, अधिकतर मुस्लिम और मुस्लिम देश अमरीकी नीतियों के विरोधी हैं, लेकिन इससे दुनिया भर के लाखों मुस्लिमों ने अमरीका के साथ व्यापार करना, वहां रहना, वहां सेवा करना और अन्य सभी प्रकार के कारोबारी लेनदेन बंद नहीं किए हैं। मैं इसलिए भी प्रधानमंत्री जी का समर्थन करती हूं क्योंकि संप्रग एक धर्मनिरपेक्ष मोर्चा है और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, जिससे सांप्रदायिक ताकतों को केन्द्र में आने का मौका मिले। इसके आलावा मैं 'श्राइन बोर्ड' मुद्दे से संबंधित विवाद के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि नेता विपक्ष श्री एल.के. आडवाणी जी और श्री मल्होत्रा जी ने यह मुद्दा उठाया है। मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर के लोग अमरनाथ यात्रियों की लगभग 150 वर्षों से आगवानी करते आ रहे हैं। इस पूरे काल के दौरान जम्मू-कश्मीर के लोग और वहां की सरकार ही इस यात्रा का प्रबंध करते आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, जब राजग के रूप में भाजपा और नेशनल कांफ्रेन्स का गठबंधन था, तब राजग के शासनकाल के दौरान श्राइन बोर्ड बनने के पश्चात, कानून पारित करके इस बोर्ड को असीमित शक्तियां दी गईं कि यह बोर्ड आवासीय मकान बना सकता है, स्वच्छता का प्रबंधन और यात्रा को विनियमित कर सकता था। अंतिम राज्यपाल के आने पर और उनके उग्र दृष्टिकोण के कारण, बोर्ड विवादों से घिरना आरंभ हो गया। बोर्ड 3600 कनाल भूमि श्राइन बोर्ड को स्थानांतरित करने की मांग कर रहा था, जिसे देने से 2003 में मेरे पिताजी के नेतृत्व वाली सरकार ने इंकार कर दिया था। कांग्रेस मुख्य मंत्री को सत्ता हस्तांतरित होने के बाद यह प्रस्ताव पुनः मंत्रिमंडल के सामने लाया गया और पी.डी.पी. मंत्रिमंडल ने इसे खारिज कर दिया।

अंततः, बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष, जिनके तत्कालीन कांग्रेस मुख्यमंत्री के साथ अत्यंत अच्छे संबंध थे, ने मुख्यमंत्री को कम-से-कम 800 कनाल भूमि अस्थायी रूप से हस्तांतरित करने के लिए मना लिया, ताकि बोर्ड के लिए शौचालय सुविधाओं और अन्य शेडों का निर्माण किया जा सके। इसके जंगली भूमि होने के कारण, लोग शौचालय निर्माण हेतु इस भूमि हस्तांतरण के विरोध में आ गए, क्योंकि यह पर्यावरणीय संकट होगा। पर्यावरण की चिंता ही लोगों को सड़कों पर ले आई। मंत्रिमंडल द्वारा यह किए जाने के पश्चात श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रेस कांफ्रेन्स की ओर उन्होंने यह दावा किया कि भूमि हस्तांतरण अस्थायी नहीं है बल्कि यह भूमि श्राइन बोर्ड की संपत्ति है। उन्होंने मुस्लिम प्रदूषण और हिन्दू प्रदूषण का मामला भी उठाया, जिससे

समूचा प्रकरण सांप्रदायिक हो गया। इसलिए सरकार को अपना फैसला उलटने के लिए कहा गया, जिसे उनसे अंततः किया भी, लेकिन 6 लोगों की जान जाने के पश्चात। इसलिए, मैं संसद से पूछती हूं कि देश में कौन-सी सरकार हजारों कनाल जंगली भूमि कहीं भी किसी श्राइन अथवा मंदिर को हस्तांतरित करती है? जम्मू-कश्मीर से श्राइन बोर्ड को भूमि हस्तांतरित करने की उम्मीद क्यों की जाती, जबकि सरकार सारे प्रबंध करने में सक्षम है? इसलिए, कृपया स्थिति को सांप्रदायिक न बनाएं। जम्मू-कश्मीर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसे ऐसा ही बना रहने दें। मैं श्री मल्होत्रा, जिन्होंने हिमायत के रूप में कश्मीरी मुस्लिमों को हज राजसहायता देने का जिक्र किया था, को सूचित करना चाहती हूं कि ईरान से होकर गुजरने वाले हमारे पुराने मार्ग को बहाल करने पर विचार किया जाए और हम वहां से हज यात्रा कर लेंगे और हमें भारत सरकार की किसी राजसहायता की आवश्यकता नहीं होगी।"

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती मेनका गांधी जी। आप नहीं बोल रही?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जो माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: राम विलास जी, आप दो मिनट बोलना चाहते हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): नहीं सर।

[अनुवाद]

श्री अमर अब्दुल्ला (श्रीनगर): अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद। मैं समझता हूं कि यह हमारे जैसे दलों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।...*(व्यवधान)* मैं नहीं जानता कि यहां दिखाया गया एक करोड़ रुपया असली है या नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यदि अन्य कुछ भी नहीं तो भी इस एक करोड़ रुपये की धनराशि से हमारे जैसे दलों की चुप्पी खरीदने की मंशा की गई है, जिनको इस सभा में सही ढंग से बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

मैं 10 वर्ष से इस सभा का सदस्य हूं, और इन 10 वर्षों में मैंने कभी भी इस सभा में व्यवधान उत्पन्न नहीं किया। मैं उनके साथ भी बैठ चुका हूं और इस ओर भी बैठ चुका हूं क्या मैंने कभी भी अध्यक्ष महोदय के साथ टोका-टाकी की और फिर भी वे यहां मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है।...*(व्यवधान)*

मैं मुस्लिम हूं और एक भारतीय हूं। मुझे इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं दिखाई देता।...*(व्यवधान)* मेरी समझ नहीं आता कि एक मुस्लिम होने के नाते मैं भारत और अमरीका के बीच करार से क्यों डरूं।...*(व्यवधान)* यह दो देशों के बीच करार है। हमें उम्मीद है कि यह करार दो ऐसे देशों के बीच है, जो भविष्य में एक-समान देश होंगे। ...*(व्यवधान)*

महोदय, भारतीय मुस्लिमों के दुश्मन अमरीकी नहीं है और न ही और भारतीय मुस्लिमों के दुश्मन इस तरह से 'करार' नहीं करते। भारतीय मुस्लिमों के दुश्मन नहीं हैं, जिनका सामना भारत के सभी गरीब लोग करते हैं अर्थात गरीबी, भूख, बेरोजगारी, विकास का अभाव और इनके लिए आवाज उठाया जाना। हम उसी अर्थात हमारी आवाज दबाने के प्रयास के विरुद्ध हैं...*(व्यवधान)*

मैं संप्रग का सदस्य नहीं हूं और मेरी संप्रग की सदस्यता प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं है। परंतु मैं अपने वामपंथी मित्रों के उस तरीके से अत्यंत अप्रसन्न हूं जिसके द्वारा उन्होंने यह प्रमाणित करने का स्वारोपित रवैया अपनाया है कि कौन धर्म निरपेक्ष है और कौन नहीं...*(व्यवधान)*

कुछ वर्षों पूर्व तक मैं राजग का सदस्य था और उसकी सरकार में मंत्री था। वामपंथियों ने मुझे राजनीतिक रूप से अस्पृश्य समझा और उन्होंने मुझे बिरादरी से बाहर माना क्योंकि मैं राजग का सदस्य था। आज वही वामपंथी मुझसे कह रहे हैं कि सभी धर्म-निरपेक्ष दल इस सरकार को गिराने के लिए भाजपा के साथ आ जाएं...*(व्यवधान)*

मैंने एक बार उनके साथ खड़े होने की गलती की। जब मेरी अंतर-आत्मा ने गुजरात के मुद्दे पर त्यागपत्र देने को कहा तो मैंने त्यागपत्र नहीं दिया और मेरी अंतर-आत्मा ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है। मुझे पुनः वैसी ही गलती करने की आवश्यकता नहीं है...*(व्यवधान)*

[श्री अमर अब्दुल्ला]

[हिन्दी]

आप लोग अमरनाथ की बात करते हो, आपने अमरनाथ का आरोप लगाया...*(व्यवधान)* आप एक जगह दिखाइए, जहां पर किसी कश्मीरी ने यात्रा के खिलाफ बात की हो, जहां किसी कश्मीरी ने कहा हो कि हमें यात्री नहीं चाहिए, जहां यात्रियों के ऊपर हमला हुआ हो।...*(व्यवधान)* हमारी जमीन का मुद्दा था, हम अपनी जमीन के लिए लड़े और मरते दम तक अपनी जमीन के लिए लड़ेंगे, लेकिन हम आपकी तरह फिरकापरस्त नहीं हैं।...*(व्यवधान)* हम आपकी तरह कम्युनल नहीं हैं। हम मस्जिद नहीं गिराते और मंदिर भी नहीं गिराते। ...*(व्यवधान)* वहां एक सौ साल से ज्यादा अमरनाथ की यात्रा चलती आ रही है और जब तक कश्मीर में मुसलमान हैं, श्रीनगर और अमरनाथ में आपकी यात्रा चलती रहेगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इन लोगों की तरह मेरी सियासत बदलती नहीं है, आज इस तरफ और कल उस तरफ।...*(व्यवधान)* हमने सेक्यूलर फोर्सेस के साथ हाथ मिलाया है और मिलाते रहेंगे।

[अनुवाद]

जम्मू एंड कश्मीर नैशनल कान्फ्रेंस (जे एंड के. एन.सी.) प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में मतदान करेगी।

[हिन्दी]

***प्रो. महादेवराव शिवनकर** (चिमूर): मैं प्रधानमंत्री के विश्वासमत प्रस्ताव पर कहना चाहता हूं कि चार साल दो महीने की यह सरकार सभी मोर्चे पर विफल हुई है। इस सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है।

अणुशक्ति करार को शक्ति प्रदर्शन का विषय बनाकर लोक सभा को विभाजित कर दिया है। अणुशक्ति करार के नाम पर यह सरकार भारत को अमेरिका का पिछलग्गू बनाना चाहती है। विश्व व्यापार संघठन के द्वारा शुरुआत में भारत का जैसा नुकसान हुआ और बाद में जनमत के दबाव में आकर सरकार ने उस संबंध में नीति बदली ऐसी ही स्थिति अणुशक्ति करार की हो गयी है। चार वर्ष दो महीने की श्री मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री की सरकार का अवलोकन करने पर पता लगता है कि इस सरकार ने किसान को राहत नहीं दी।

इस देश के लाखों किसानों ने आत्महत्याएं की। महाराष्ट्र के विदर्भ अंचल में चार हजार से ज्यादा लोगों ने चार वर्ष में आत्महत्याएं की हैं। किसान को उसके माल का दाम नहीं मिल रहा है। मंडियों में उसके उपज का लिलाव होता है। यह उपज का लिलाव नहीं बल्कि उसकी इज्जत का लिलाव होता है। धान का भाव इस वर्ष 850 रुपये घोषित हुआ। जबकि 1200 रुपये प्रति क्विंटल लागत खर्चा है। हमारी मांग है कि 150 रुपये क्विंटल वाहतूक खर्चा या बोनस दिया जाये जिससे धान का कम से कम 1000 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिल सकेगा।

यह सरकार इस देश के गेहूं उत्पादकों को भाव नहीं दे सकी। गत वर्ष गेहूं का दाम 1000 रुपये प्रति क्विंटल था। जबकि विदेशी सड़े गेहूं को 1500 रुपये प्रति क्विंटल दाम दिया गया। जो गेहूं आयात किया गया वह सड़ा था। उसमें यूरिया भी मिश्रित था। उसी गेहूं को सस्ते अनाज की दुकानों से वितरित किया गया।

यह सरकार सिंचाई का प्रबंध नहीं कर सकी। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने नदियों को जोड़ने की योजना बनाई थी। उसे भी मनमोहन सिंह की सरकार ने छोड़ दिया। पिछले छह महीने से महाराष्ट्र के गोसे खुर्द प्रकल्प का लगभग 400 करोड़ रुपये के काम होने के बाद भी कॉन्ट्रक्टर का पेमेंट नहीं मिल पाया। बावनथडी, साकोली की चुरूबंद योजना, पुराडा, लाहोरा अनेक योजनाएं बंद पड़ी है। यह सरकार मूक दर्शक रहीं।

इस सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपये के विमान खरीदे हैं। इन साठ हजार करोड़ में एक-एक करोड़ रुपये के 60 हजार छोटे बांध बन जाते कम से कम 60 लाख एकड़ से ज्यादा सिंचाई हो सकती थी। यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। यह किसानों की सरकार नहीं है। यह सरकार महात्मा गांधी के कांग्रेस की नहीं है यह सरकार पर अंग्रेज हावी है।

हमने किसानों के कर्ज मुक्ति की मांग की। यह सरकार ने 31 मार्च, 2007 को जो कर्ज वापस नहीं कर सकते उनका कर्जा माफ किया। विदर्भ में लोग 1 अप्रैल को कर्जा चुकता करके नया कर्जा खेती पर लेते हैं। उनका कर्जा माफ नहीं किया गया। अब तक विदर्भ में तथा देश में किसानों को नया कर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। कर्ज माफी का

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

प्रमाणपत्र प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह से दिया जाने वाला है ऐसा अधिकारी बताते हैं। प्रधानमंत्री जी को अभी तक फुरसत नहीं मिली। आधे से ज्यादा बरसाल का पीरियड निकल चुका है मगर फसल कर्जा प्राप्त नहीं हो सकता।

क्रॉपलोन अंगूर के लिये प्रति एकड़ 5 लाख दिया जाना है। गन्ने के खेती के लिये प्रति एकड़ 1 लाख रुपये दिया जाता है। गन्ने के खेती के लिये प्रति एकड़ 1 लाख दिया जाता है। और धान की खेती के लिए केवल पांच हजार रुपया दिया जाता है। इसी प्रकार के कर्ज माफी की नीति बनी। इससे स्पष्ट साबित होता है कि धान उगाने वाले किसान का सम्पूर्ण कर्जा माफ हुआ है। यह सरकार किसानों किसानों में भेदभाव कर रही है। आपस में लड़वा रही है किसानों को।

इस सरकार की नीति किसानों को लूटने की नीति है। सेझ (स्पेशल इकोनोमिक जोन) के नाम पर किसानों को लूटा गया है। किसानों की जमीनों को कम दाम देकर हथिया लिया गया है।

बेरोजगारी इस सरकार की देन है। गांव के प्रत्येक परिवार में बारहवीं पास या फेल युवक युवतियां दो से ज्यादा बेरोजगार हैं। यह किसान एवं मजदूर की बेटी, बेटियां हैं। जिनको रोजगार के अवसर नहीं है। इस देश में ऐसे 20 करोड़ से ज्यादा युवक-युवतियां बेरोजगार हैं। बेरोजगारी, भूखमरी, किसानों की आत्महत्यायें, बलात्कार, खून अपराध यह इस सरकार की देन है।

महंगाई आसमान छू रही है। किसानों को भाव नहीं मिल रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थ के 5 बार इस सरकार के काल में दाम बढ़ाये हैं। गैस के दाम अभी-अभी 50 रुपये सिलेंडर पर बढ़ाये गये। यह सरकार महंगाई रोक नहीं सकती। 15 जून, 2004 को कच्चा तेल 34.22 रुपये था 4 जून, 2008 को इसका दाम 113 रुपये हुआ। पैट्रोल 15 जून, 2004 का 35.71 रुपये प्रति लीटर था। 4 जून, 2008 को 50 रुपये 62 पैसे हुआ। डीजल 4 जून, 2004 को 22.74 रुपये था। नागपुर में 4 जून, 2008 को 40.78 रुपये हुआ और अक्तूबर में पैट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ेंगे ऐसा लोग कहते हैं। महंगाई का इंडेक्स 12.3 आज हुआ है। अब यह स्वतंत्रता के पश्चात सबसे ज्यादा है। 15 प्रतिशत इंडैक्स पहुंचने में देर नहीं लगेगी। किसान उत्पादक है वैसे ही खरीदार है। वह सस्ता बेचता है और महंगा खरीदता है।

अब कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस के हाथ गरीब के गर्दन पर पड़ा है।

यह सरकार इंटेंसिव केयर यूनिट में है। लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कृत्रिम ऑक्सीजन पर क्या सरकार बचेगी। जनता से विमुख सरकार जितनी जल्दी जायेगी उतनी जल्दी जनता को राहत मिलेगी। जनता इस सरकार को अब नहीं चाहती। जनता स्वयं लोकहितकारी सरकार का इंतजार कर रही है।

श्री मनमोहन सिंह जी के साथ के लोग भाजपा को सांप्रदायिक कहते हैं। क्या हिन्दू होना सांप्रदायिक है। अयोध्या के राम मंदिर की बात करना सांप्रदायिक है। सेतु समुद्रम की बात करना सांप्रदायिक है। बाबा अमरनाथ के यात्रियों को भूमि की मांग करना सांप्रदायिक है। कृष्ण भूमि मथुरा की बात करना सांप्रदायिक है। कदापि नहीं। श्री मनमोहन सिंह जी के सरकार ने वोट के लिये मुस्लिम भाइयों को लुभाने का प्रयत्न किया है। मगर अब उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। ये फेल हो गये हैं। अब उन्हें किसी के पल्लू में छुपने के लिए जगह नहीं बची है। इस सरकार का आज या कल जाना निश्चित तय है।

[अनुवाद]

***श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोब्बिली):** महोदय, मैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर बोलने का अवसर देने के लिए आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और सभी राजनीतिक दलों तथा उनके नेताओं से इस विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने का आग्रह करती हूं।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में संप्रग सरकार ने गत चार वर्षों में बहुत अच्छा कार्य किया है और सभी निर्णय हमारे देश के हित में लिए हैं। एक भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया जो देश के हित में न हो। हाल ही में सरकार ने केवल राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्यवृद्धि जैसे राजनीतिक रूप से कुछ अलोकप्रिय निर्णय लिए हैं।

मैंने यह उदाहरण केवल इस बात पर जोर देने के लिए दिया है कि एक अर्थशास्त्री और दूरदर्शी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी देश के हित को पहले

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोका]

रखते हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहने में रुचि नहीं है। हम सभी को इस बात पर गर्व होना चाहिए। आदरणीय मित्रो, हम सभी जानते हैं कि अमरीका के साथ परमाणु करार का विरोध करते हुए हमारे कम्युनिस्ट साथियों के संप्रग सरकार से समर्थन वापस लेने के कारण यह विशेष सत्र बुलाना आवश्यक हो गया था। सभा में चर्चा के दौरान हमने देखा है कि वे आरोप लगाते हैं कि परमाणु करार राष्ट्र हित के विरुद्ध है। उनकी राय में करार से परमाणुरोधक विकल्प पर प्रतिबंध लगाने के अतिरिक्त भारत की विदेश नीति में हस्तक्षेप होने की संभावना है। क्या वास्तव में ऐसा है?

अब यहां मैं विपक्ष के अपने मित्रों के ध्यानार्थ कुछ तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करना चाहती हूं।

2007/2008 यू.एन.डी.पी. मानव विकास रिपोर्ट (एच.डी.आर.) के अनुसार

- यह बड़ी चिंता का विषय है कि भारत की जनसंख्या के लगभग 45% (48 मिलियन) व्यक्तियों के पास अब तक बिजली की सुविधा नहीं है; यह विश्व में किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी संख्या है।
- भारत में विश्व की 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या बिजली की सुविधा के बिना रह रही है। चीन, जो 15 वर्षों पूर्व भारत की बराबरी पर था, अब उसने प्रत्येक नागरिक के लिए बिजली कनेक्शन सुनिश्चित कर लिया है।
- हमारी मौजूद प्रति व्यक्ति बिजली खपत विश्व औसत की मात्र 20 प्रतिशत है और विकसित देशों की प्रति व्यक्ति खपत की तुलना में 6% है।
- इसी प्रकार, हम चीन के 7 मिलियन बैरल और अमरीका के 20 मिलियन बैरल की तुलना में प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल पेट्रोलियम की प्रतिदिन खपत करते हैं, जो भारत की जनसंख्या का केवल 28% है।
- ऊर्जा की खपत के स्तर देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। भारत की प्रति व्यक्ति बिजली खपत अमरीका की 14500 यूनिट और चीन की 1600 यूनिट की तुलना में 618 यूनिट प्रति वर्ष है। स्पष्ट शब्दों में हमने विद्युत उत्पादन क्षमता को वर्ष 1947 में 1500 मेगावाट से बढ़ाकर वर्ष 2008 में एक लाख पैंतालीस हजार मेगावाट करके अच्छा कार्य किया है। परंतु यह निरंतर बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- चीन की भी वर्ष 1978 में हमारे जितनी क्षमता थी परंतु अब यह क्षमता बढ़कर 4 लाख मेगावाट हो गई है। इसके बावजूद, चीन की प्रति व्यक्ति खपत विकसित देशों की खपत का केवल 15% ही है।
- मानव विकास सूचकांक के रूप में भारत का 128वां स्थान है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, अधिकारिता, सामाजिक सुविधाओं, मानवाधिकारों आदि जैसे विभिन्न मानदंडों का भारित औसत सूचकांक है।
- अब इस बात को पूरे विश्व में स्वीकार किया जा चुका है कि गरीबी उन्मूलन करने और मानव विकास में तेजी लाने के लिए तीव्र आर्थिक विकास एकमात्र उपाय है।

हमें विकसित राष्ट्र बनने के लिए अगले 50 वर्षों में 9% प्रति वर्ष की विकास दर की आवश्यकता है।

इसके लिए हमें विद्युत ऊर्जा में पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि कोई विकास प्रक्रिया ऊर्जा पर निर्भर है - चाहे वह विद्युत ऊर्जा हो या अन्यथा। हमें इस्पात, सीमेंट, एल्युमीनियम का उत्पादन करने, कृषि संबंधी कार्यों हेतु पानी, खींचने, प्रकाश व्यवस्था, रेल चलाने आदि के लिए हमें बिजली की आवश्यकता है।

हमारी प्रति व्यक्ति विद्युत खपत को कम-से-कम विश्व के औसत तक ले जाना होगा जो कि 3000 यूनिट प्रति वर्ष है। इसके बिना हम न तो कभी गरीबी समाप्त कर सकते हैं और न ही हम अपनी जनता को उपयुक्त जीवन स्तर मुहैया करा सकते हैं। यदि हम केवल कुछ निराश विपक्षी राजनीतिक दलों को खुश करने के लिए इस विकल्प को गंवा देते हैं, तो भावी पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। हमें अपने ऊर्जा भंडार में वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता है और इसीलिए अमरीका के साथ परमाणु करार करके सक्रियता से इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इससे हम परमाणु ईंधन और विभिन्न प्रौद्योगिकियां प्राप्त कर पाएंगे जिन पर लंबे समय से प्रतिबंध था।

देश में विद्युत ऊर्जा के वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य ज्ञात स्रोत केवल कोयला आधारित ताप इकाइयां, जल विद्युत परियोजनाएं और परमाणु ऊर्जा हैं। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को अपनी बहुत अधिक पूंजी लागत और जो प्लांट लोड फैक्टर्स के कारण वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्पर्दी बनने कम-से-कम 20 वर्ष और लगेंगे।

शायद हिमालयी राज्यों के सिवाय जल विद्युत क्षमता में और कोई वृद्धि करने के लिए चिंताजनक सीमा है। कोयला आधारित ताप इकाइयों और परमाणु केंद्रों दोनों में प्राप्त 80% की तुलना में जल विद्युत अत्यधिक ऋतुकालिक होने के अतिरिक्त अविश्वसनीय भी है और इसमें 40% की बहुत कम पी.एल.एफ. है।

विभिन्न नदी बेसिनों में उपलब्ध प्राकृतिक गैस का पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में यूरिया और हमारे उर्वरकों हेतु यूरिया के उत्पादन में नापथा के प्रतिस्थापन के काम में सर्वोत्तम ढंग से उपयोग किया जा सकता है। इसे एल.पी.जी. के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

इसलिए हमारे पास अपनी अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा में वृद्धि करने हेतु कोयला और परमाणु ऊर्जा का विकल्प बचा है। यद्यपि विश्व के कोयला भंडार का 6% भाग भारत के पास है फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कोयले में राख (ऐश) और सल्फर की अधिक मात्रा होने कारण पर्यावरणीय दृष्टि से इसका ज्यादा उपयोग नहीं किया जा सकता। हम अपने वर्तमान संयंत्रों के लिए आयातित कोयले पर पहले से ही निर्भर हैं। मुख्यतः आयातों पर निर्भर देश में विभिन्न पत्तनों पर अतिरिक्त 30,000 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत परियोजनाएं बनने के समय अगले 3 से 4 वर्षों में बहुत वृद्धि होगी।

हमने देखा है कि विगत चार वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में सीमांत वृद्धि के फलस्वरूप उसकी कीमतों में 280 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। कोयला के मामले में भी ऐसा ही होने की संभावना है। यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था का विकास प्रति वर्ष 9% की दर पर बनाए रखना चाहते हैं तो अगले 10 वर्षों में हमें अपनी विद्युत क्षमता में कम-से-कम 100,000 मेगावाट वृद्धि भी करनी होगी, जो उपर्युक्त 30,000 मेगावाट के अतिरिक्त होगी।

कल्पना कीजिए कि कोयले की कीमतें क्या होंगी तथा उत्सर्जन का स्तर क्या होगा? इसलिए हमें परमाणु ऊर्जा पर विचार करना होगा, जिसके कई लाभ हैं; विद्युत उत्पादन और प्रति यूनिट कम लागत से उत्सर्जन का कोई संबंध नहीं है।

यहां मैं अपने कामरेड साथियों से चाहता हूं कि वे दोबारा इस पर सोचें क्योंकि चीन ने अमरीका के साथ 123 करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और वह परमाणु ऊर्जा के सारे लाभ प्राप्त कर रहा है यदि यह उनके देशहित के विरुद्ध होता, तो क्या चीन इस पर हस्ताक्षर करता? निश्चित रूप से नहीं।

इसलिए, मेरे प्रिय साम्यवादी मित्रों आप लोग जरा अपनी अंतरात्मा से सोचिए। दोहरे मानदंड मत अपनाइए। पूरा राष्ट्र हम सभी को देख रहा है। बस, इतना विश्वास कीजिए कि परमाणु 123 करार हमारे हित में है।

अब हम अपने भाजपा के मित्रों की बात करते हैं। जब वे स्वयं सत्ता में थे तब उन्होंने अमरीका के साथ परमाणु करार पर वार्ता शुरू की थी और उससे समझौता किया था। संप्रग सरकार ने मात्र उसी का सम्मान किया है और वह इस करार को विधिक निष्कर्ष तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसलिए, भाजपा का यह विरोध मात्र एक राजनीतिक अवसरवादिता है।

यदि हम विपक्ष के नेताओं की गतिविधियों पर नजर डालें, जैसा कि उन्होंने खुलेआम घोषणा की है तथा जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार-पत्रों में आया है, उनका एकमात्र एजेंडा यह है कि श्री मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व वाली सरकार को गिराओ।

आगे क्या होगा, इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है। मैं ईमानदारीपूर्वक विपक्ष के सभी सदस्यों से अपनी सोच को बदलने तथा विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट करने की अपील करती हूं। इससे हमारे राष्ट्र को राष्ट्रमंडल देशों के बीच बड़ी विश्वसनीयता मिलेगी और हमारा ध्वज ऊंचा होगा।

अंत में मैं यह कहना चाहती हूं कि हम जब कोई काम शुरू करते हैं, तो हमें तीन चरणों से गुजरना पड़ता है - अपमान, विरोध और स्वीकृति। मूर्खजन पहले चरण पर ही रुक जाते हैं, हारने वाले दूसरे चरण पर रुक जाते हैं और विजेता तीसरे चरण को पार करते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि इस चर्चा के अंत में हम सभी विजयी रहेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्वास-मत प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

***श्रीमती किरण माहेश्वरी** (उदयपुर): पूरे देश में भविष्य और लोकतंत्र के प्रति अविश्वास का संकट उत्पन्न करने वाले आज हमारी सबसे बड़ी पंचायत से समर्थन मांग रहे हैं। इस पर बोलने से पहले मैं वीर सावरकर को नमन करती हूं। महान देशभक्त वीर सावरकर ने हमारी आजादी की पहली लड़ाई पर पहला प्रमाणिक ग्रंथ लिखा। वे क्रांतिकारियों में ऊर्जा भरने वाले नायक थे। इंदिरा कांग्रेस ने 2004 में सत्ता संभालते ही पहला काम किया वीर सावरकर के अपमान का। यह अपमान देश पर प्राणों की आहुति देने वाले लाखों करोड़ भारतवासियों का अपमान था। यह हमारी राष्ट्रीयता का अपमान था।

भाजपा का विरोध क्यों

भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस (इ) के गठजोड़ संयुक्त प्रतिगामी गठबंधन सरकार के विश्वास मत का कड़ा विरोध करती है। इस गठबंधन को अब तक प्रगतिशील बताने वाले इनके प्रमुख सहयोगी ही इसे अब तक का सबसे बड़ा प्रतिगामी नीतियों वाला समूह बता रहे है। आम आदमी के साथ छलावा, देश की सुरखा की अनदेखी, आतंकवाद पर दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव अर्थव्यवस्था का भारी कुप्रबंधन, बढ़ती महंगाई और किसानों की दुर्दशा इस संप्रग सरकार की अब तक की उपलब्धियां हैं।*

कांग्रेस (इ) गठजोड़ को शासन का नैतिक अधिकार नहीं

झूठ की बुनियाद पर सत्ता प्राप्त करने वाली संप्रग सरकार पहले दिन से ही आम आदमी का विश्वास खोती चली गई। आम आदमी के साथ अपना हाथ बताने वाली कांग्रेस (इ) का इतिहास छल कपट और लालच से साधारण नागरिक का जीवन कष्टमय बनाने का रहा है। आज देश का बच्चा बच्चा एक ही बात कह रहा है।

कांग्रेस (इ) का हाथ, आम आदमी से विश्वासघात। सबसे बड़े सहयोगी समूह द्वारा समर्थन वापसी के बाद अल्पमत में आई सरकार को तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए था। इन्हें सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं था। किन्तु कांग्रेस (इ) पार्टी से नैतिकता की आशा करना रेत से तेल निकालना है। त्याग पत्र देने के स्थान पर धन बल और सत्ता के दुरुपयोग से देश की राजनीति को एक मण्डी बना बना दिया है। समाचार पत्रों में करोड़ों रुपये के लेनदेन की चर्चा हो रही है। सरकार ने इनका खंडन करना भी उचित नहीं समझा। किसी को मंत्री पद का लालच तो किसी को आपराधिक प्रकरणों में शिथिलता का आश्वासन। यह लोकतंत्र को कमजोर करने की, जनता में अविश्वास बढ़ाने की एक कोशिश मानी जायेगी।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना एक झांसा

2004 में भाजपा के अंध विरोध की धुरी पर संप्रग गठबंधन की नींव रखी गई थी। सुन्दर लच्छेदार भाषा में लोकलुभवन वादों पर एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया गया। आम आदमी को समर्पित इस प्रलेख में शिक्षा, कृषि, औद्योगिक विकास, महिला सशक्तिकरण, मूल्यों पर नियंत्रण आदि की बड़ी-बड़ी बातें की गई थी।

आज 4 वर्ष बाद आम आदमी पूछ रहा है कि इसका हुआ क्या? एक भी वादा नहीं निभाया गया। कहां देश 2020 तक एक महाशक्ति बनने की दौड़ में था। आज पड़ोसी देशों से भी पिछड़ने का खतरा सामने खड़ा है।

लुभावनी बातों से जनता को भ्रमित करने से विकास नहीं होता है। सरकार के सहयोगी दल ही साझा कार्यक्रम की उपेक्षा की बातें कह रहे हैं।

राजग सरकार के कीर्तिमान

जननायक माननीय अटल जी ने राजग सरकार के 6 वर्षों में देश को विश्व शक्ति बनाने की नींव रखी। 1998 में राजस्थान के पोखरण में अणु विस्फोटों से देश को अणु शक्ति संपन्न देश बनाया। मूलभूत विकास की केवल बातें ही नहीं की। विकास के सपने को साकार कर दिखाया।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से देश के लाखों गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा। सरकार 250 की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव तक पक्की सड़कें बना रही थी। किन्तु संप्रग सरकार ने इस सर्व हितकारी योजना पर बजट ही कम कर दिया।

स्वर्ण चतुर्भुज एवं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे की राजमार्ग बनाने की योजना देश की एकता बढ़ाने की एक बड़ी योजना थी। उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम और मध्य भारत के बीच संपर्क सहज बनाने की इस योजना ने आर्थिक विकास के नये कीर्तिमान बनाए। कांग्रेस ने 50 वर्षों में जितनी 4 पथों वाली सड़कें नहीं बनाई, वे एक दिन में बनने लगी। इस योजना पर इस सरकार ने काम की गति कम कर दी।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

ग्राम सड़क योजना की उपेक्षा करके केन्द्र सरकार ने गांवों के तीव्र विकास के सपने को चूर-चूर कर दिया।

नदियों को जोड़ने की योजना

देश के किसानों की दुर्दशा बढ़ाने में वर्षा की कमी या अधिकता एक बड़ा कारण है। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ इस देश के अन्नदाताओं की नियति बन गई है। जन नायक अटल जी ने इसके मूल कारण को पहचाना। देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनवाई। 2 लाख करोड़ रुपयों से अधिक वाली यह योजना कृषि में एक नई क्रांति ला देती। किन्तु संप्रग सरकार ने इसकी पूरी तरह से उपेक्षा की। इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। अटल जी ने 6 वर्षों के संक्षिप्त काल में वह कर दिखाया जो कांग्रेस अपने 50 वर्षों के शासन में नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी ने शासन का सूत्र सुशासन, सुराज को माना। अंत्योदय उसका राजदर्शन है। आज अनाज उत्पादन में देश पिछड़ता जा रहा है। खाद्यान्न आयात हमारी विवशता बन गई। किन्तु केन्द्र सरकार केवल लाचारी बता रही है।

तुष्टीकरण का भ्रमजाल

संप्रग सरकार की एक और उपलब्धि करोड़ों नागरिकों के रोम-रोम में बसे भगवान राम के अस्तित्व को नकारना है। सदियों से देश की आस्था के प्रतीक राम सेतु का विनाश इस सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम रहा है। अमरनाथ तीर्थ स्थल बोर्ड यात्रियों को सुविधा मिले, इसलिये वहां पर कुछ काम करना चाह रहा था। कांग्रेस (इ) को यह भी सहन नहीं हुआ। 100 करोड़ हिन्दुओं को देश की सबसे बड़ी यात्रा के लिए 100 एकड़ भूमि भी नहीं दी जा सकती है। सच्चर समिति का प्रतिवेदन झूठे एवं भ्रामक तथ्यों के आधार पर देश की एकता को नष्ट करने का एक बड़ा प्रलेख है। इस समिति की कार्य प्रणाली ने सेवा निवृत न्यायाधीशों के अध्यक्षता में जांच आयोग की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए हैं सरकार इसकी आड़ लेकर बजट का साम्प्रदायिकीकरण कर रही है। देश की जनता में इससे भारी विरोध है।

आतंक के समक्ष घुटने टेके सरकार ने

संप्रग गठजोड़ ने सत्ता में आते ही आतंकवाद निरोधक कानून को निरस्त कर दिया। आतंकवादियों के मनोबल को तोड़ने एवं राज्य सत्ता में जनता का विश्वास बनाए रखने में इस कानून की बड़ी भूमिका थी। अफजल गुरू को देश का सर्वोच्च न्यायालय मृत्युदंड देता है। सरकार उसकी पालना नहीं करती है। पूरे देश में आतंकवादी जहां चाहे, मौत का वीभत्स खेल खेल रहे हैं। सरकार अब तक किसी को भी पकड़ने में सफल नहीं हो पाई है।

सारे विश्व में यह बात प्रचलित हो गई है। संप्रग गठजोड़ ने आतंकवाद के सामने समर्पण कर दिया है। उसमें इसे समाप्त करने की कोई इच्छा शक्ति नहीं है।

किसानों की दुर्दशा

आर्थिक दुरावस्था एवं निर्धनता के कारण प्रतिदिन किसान भाई आत्महत्यायें कर रहे हैं। संप्रग गठजोड़ मूक दर्शा बन कर बैठा हुआ है। कांग्रेस (इ) ने ऋण मुक्ति की बड़ी-बड़ी बातें कर किसान भाइयों के जल घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है। बैंक जिन ऋणों को वसूल ही नहीं कर पा रहा था, उनसे मुक्ति एक ढकोसला मात्र है।

किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग तो इस योजना की सीमा में ही नहीं आता है। यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। खेती को लाभदायी बना कर ही किसान भाईयों का जीवन स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। अटल जी ने फसल बीमा एवं किसान साख पत्रों की योजना चालू की थी। सरकार ने इस पर भी कोई काम नहीं किया।

महिला सशक्तिकरण

महिलाओं में प्रेरणा एवं आत्म विश्वास के लिए राजग सरकार ने स्त्री शक्ति पुरस्कारों को प्रारंभ किया था। इस सरकार ने ये पुरस्कार भी रोक दिए। महिला आरक्षण पर कांग्रेस (इ) की दो-मुंही नीतियों के कारण महिलाएं आहत है। महिलाओं को आयकर में छूट की भी सरकार ने अनदेखी की है। महिलाओं के उत्पीड़न को कम करने हेतु सरकार ने कोई पहल नहीं की है।

क्या करे आम आदमी

संप्रग सरकार के 4 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धी आकाश छूती महंगाई है। इसने आम आदमी के जीवन को पटरी से उतार दिया है। सरकार महंगाई पर केवल चिंता व्यक्त करती है। 15 से 20 रुपये किलो गेहूं, 45 से 50 रुपये किलो दालें, 80 रु. किलो तेल, किस किस के भाव बताएं। आज सामान्य व्यक्ति बाजार जाने से ही डरने लगा है। बच्चों को दूध पिलाना एक सपना बन गया है। सब्जियों के भाव मुंह का स्वाद बिगाड़ रहे हैं।

[श्रीमती किरण माहेश्वरी]

सरकार ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि आम आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की सोच ही नहीं पा रहा है। भारतीय प्रबंध संस्थानों का शिक्षा शुल्क राजग सरकार ने 1.5 लाख रुपयों से घटाकर 60 हजार करने का निर्णय किया था। इस सरकार ने इसे बढ़ा कर 5 से 6 लाख रुपये कर दिया है। भ्रष्टाचार और महंगाई साधारण नागरिक के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह सरकार दोनों को बढ़ाने वाली नीतियां अपनाती रही है। देशभर में नारा गूंज रहा है कि-

"कांग्रेस आई, कमरतोड़ महंगाई लाई"

करोड़ों देश वासियों का विश्वास खो चुकी सरकार

यह सरकार देश के करोड़ों वासियों का विश्वास भंग करने की दोषी है। कमर तोड़ महंगाई से आम आदमी की दुर्दशा करने की दोषी है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के कमजोर करने की दोषी है। कांग्रेस (इ) देश की सबसे बड़ी साम्प्रदायिक पार्टी है। हिन्दु आस्थाओं का अपमान कांग्रेस (इ) का एक मात्र कार्यक्रम है। कांग्रेस (इ) अणु समझौते के नाम परदेश को धोखा देने की दोषी है। हजारों किसान भाईयों की आत्महत्या की दोषी है कांग्रेस (इ)। इस सरकार की शीघ्र विदाई सबसे बड़ा देश हित है।

मैं तो यही कूहंगी कि,

घातक है, जो देवता सदृश दिखता है,
लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है।
रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा,
अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा।।

मैं इस सदन से सरकार में अविश्वास व्यक्त करने का अनुरोध करती हूं।

*श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वार): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी इस सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव लाए हैं। मैं अपने प्रिय दल आर.एस.पी. की तरफ से इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जहां तक महंगाई का सवाल है, मौजूदा संप्रग की सरकार इस पर काबू पाने में बिल्कुल विफल रही है और इसका सीधा प्रभाव हमारे देश की आम जनता पर पड़ रहा है, जो काफी परेशान है।

मुद्रास्फीति पर भी इस सरकार का कोई अंकुश नहीं है और न ही वह गंभीरता से इस पर विचार कर रही है।

बेरोजगारी की मार से युवा वर्ग घबड़ाया और बौखलाया हुआ है। कृषि की अवहेलना से किसानों की हालत बदतर है, वे आत्महत्या के लिए मजबूर हैं।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने के लिए सरकार इच्छुक नहीं, जिसके आधार पर वामदलों ने विशेष परिस्थिति में देश को अस्थिरता एवं सांप्रदायिक ताकतों से बचाने के लिए संप्रग सरकार बनाने में सहायक हुए। उसने गठबंधन के धर्म को मानने से इन्कार किया। असैनिक परमाणु करार पर सदन को विश्वास में लेने की इच्छा जाहिर नहीं की, फलस्वरूप उन्हें समर्थन वापस लेना पड़ा।

देश की सरकार साम्राज्यवादी मंसूबों को पूरा करने का काम करे, इसकी अपेक्षा हम कदापि नहीं करते, बल्कि उसे राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए।

हमारी पार्टी सरकार के प्रस्तावित विश्वास मत के खिलाफ खड़ी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कमजोर है। विकास दर ज्यादा है, पर गरीबी उससे कहीं ज्यादा है, ऐसा क्यों? ये सारे बुनियादी प्रश्न हैं। क्या इनका जवाब सरकार के पास है?

अतः मैं विश्वास मत का विरोध करता हूं।

*श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सरकार द्वारा सदन में विश्वास मत प्रस्ताव लाया गया है। इस सरकार का गठन बेमेल गठबंधन द्वारा होने के कारण अंतःविरोधों से ग्रसित इस सरकार का पतन अवश्यंभावी था। आम आदमी के नाम पर चुनकर आयी इस सरकार के कार्यकाल में आम आदमी खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहा है। महंगाई से जीवन दूभर हो चुका है। आम आदमी आंतरिक सुरक्षा से भयग्रस्त है। सरकार में उत्पन्न जनाक्रोश ही सरकार का पतन का कारण बन सकता था लेकिन सरकार के स्थापना काल से समर्थन दे रहे वामदलों ने समर्थन वापस लेने के कारण सरकार को सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ रहा है। इस विश्वास मत के विरुद्ध हुई इस पर हो रही चर्चा में मेरे पूर्ववक्ताओं ने सरकार के कुशासन और विफलता के अनेक उद्धरण पेश किये हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती विदर्भ क्षेत्र से आता हूं। इस क्षेत्र में राज्य और केंद्र सरकार की उपेक्षा के कारण लोग बदहाली में जीवन यापन कर रहे हैं। प्रचुर मात्रा में खनन सामग्री, घने जंगल और बारहमासी नदियां होने के बावजूद विदर्भ पिछड़ा क्षेत्र कहलाता है। सिंचाई सुविधाओं के अभाव में किसानों की आत्महत्या के कारण विदर्भ की पहचान होना दुखदायी है।

- आज विदर्भ वर्षा न होने के कारण अकाल की चपेट में आया है। किसानों को दुबार, तिबार बुआई करने के बावजूद भी फसल हाट में आने की कोई आशंका दिखाई नहीं दे रही है। मवेशियों को चारा उपलब्ध नहीं होने के कारण मवेशियों को खुला छोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ राज्य सरकार द्वारा बिजली कटौती करने कारण किसानों को लघु सिंचाई के माध्यम से अपने फसलों को बचा पाना कठिन हो रहा है। प्राकृतिक आपदा में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किसानों को मझधार में छोड़ने के कारण कृषक समाज में आक्रोश पनप रहा है।

- बुआई के पहले केंद्र सरकार द्वारा मात्रा के अनुपात में अनुपात में उर्वरकों की उपलब्धता नहीं करने से किसान परेशानी में पड़े हुये थे साथ में नकली बीजों के कारण भी किसान त्रस्त रहे हैं।

- केंद्र सरकार द्वारा 72 हजार करोड़ रुपये कर्ज मुक्ति की घोषणा की गयी लेकिन विदर्भ के किसानों को इसका सही लाभ नहीं मिल पाया है। कर्जमुक्ती के नाम पर किसान खुद को फंसाया हुआ समझ रहे हैं। 30 जून, 2008 के बाद नये कर्ज उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता के कारण किसानों को अपने कृषि कार्यों के लिये पुनः साहुकारों के पास जाने की नौबत आई है। नाबार्ड द्वारा इस वर्ष जिला बैंकों को 9 प्रतिशत की दर पर कर्ज उपलब्ध कराने के फैसले के बाद किसानों को सरकार की घोषणा के अनुरूप कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कैसे कराया जायेगा यह प्रश्न उपस्थित हो रहा है। यह सरकार नाकाम साबित हो रही है।

- सरकार द्वारा हाल ही में कपास का आयात शुल्क समाप्त करने की घोषणा की गई है। विदर्भ कपास उत्पादक क्षेत्र कहलाता है। आयात शुल्क समाप्त करने से कपास उत्पादकों को कपास का मूल्य कम हो सकता है। सरकार द्वारा कपड़ा मिल मालिकों के दबाव तथा उनके हितों की रक्षा करने के लिए कपास उत्पादक किसानों की बली देने का षड्यंत्र इस रूप से इसे लिया जा रहा है। आत्महत्या प्रभावित विदर्भ के किसानों की हित रक्षा हेतु आयात शुल्क अधिक से अधिक बढ़ाना आवश्यक है।

- सरकार द्वारा विदर्भ के किसानों के साथ लगातार छल किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा दिये गये विशेष पैकेज में 239 करोड़ रुपये की राशि बढ़ाकर दिखाई गई कैग द्वारा (कंट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल) हाल में जारी की गयी रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसी तरह ए.आई. बी.पी. (ऑक्सीलरेटेड इरीगेशन बेनीफीट प्रोग्राम) के द्वारा आत्महत्या प्रभावित क्षेत्रों के लिए सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी जाने वाली 273.27 करोड़ रु. की सहायता राशि केंद्र सरकार ने विदर्भ सिंचाई महामंडल को उपलब्ध नहीं करायी है।

- पिछले कई वर्षों से महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी का पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि से जीवन दूभर हो गया है। विशेष कर घरेलू रसोई गैस की मूल्य वृद्धि के कारण जनाक्रोश बढ़ गया है। सीमेंट, लोहा और जीवनावश्यक वस्तुओं के लगातार बढ़ते दामों के कारण देश की जनता बदहाल होने के बावजूद सरकार इसकी लगातार उपेक्षा कर रही है।

- महंगाई के कारण त्रस्त जनता को सरकारी राशन की दुकानों द्वारा नियंत्रित मूल्य पर अनाज उपलब्ध नहीं किया जा रहा है। अंत्योदय योजना द्वारा गरीब परिवारों को दिये जा रहे राशन की मात्रा भी कम की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की असफलता से गरीबों को दो जून का भोजन भी उपलब्ध कराने में सरकार नाकाम साबित हो रही है।

- केंद्र सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी घोषित की गई एन.आर.ई.जी.एस. योजना के क्रियान्वयन में भारी

[श्री हंसराज गं. अहीर]

धांधली और गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नीत सरकार के होते हुए भी योजना का बंटाधार हो रहा है। लोगों को जॉब कार्ड देने के बाद भी काम उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। काम मांग पत्र देने के लिए सरकारी स्तर पर की जा रही कोताही के कारण असंतोष निर्माण होकर विदर्भ के कई हिस्सों में लोगों ने आंदोलन प्रदर्शन किये हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गयी राशि खर्च नहीं करना यह केंद्र सरकार के क्रियान्वयन की असफलता स्पष्ट करता है।

*श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

महोदय, मैं सभा के सभी माननीय सदस्यों का ध्यान न्यूक्लियर डील की तरफ दिलवाना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्वाभिमान सुरक्षा और सार्वभौमिकता को त्याग कर यदि कोई भी निर्णय लिया जाता है तो मैं और मेरी पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी। सरकार किसानों की समस्या, जनहित की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में शत प्रतिशत फेल है। महंगाई बढ़ती जा रही है और आम आदमी का जीवन जीना कठिन होता जा रहा है। मुद्रास्फीति को पहली बार दो अंकों में देखा गया है, जो कि काफी शर्मनाक है। आम आदमी की आम आवश्यकताओं के दामों में जिस प्रकार से बढ़ोत्तरी हुई है, उससे पता चलता है कि आम आदमी के साथ सरकार की पार्टी का हाथ नहीं है बल्कि पूंजीपतियों के हाथ में सरकार का पंजा कैद है। महिलाओं और बच्चों, विशेष तौर से अनुसूचित जाति की महिलाओं और बच्चों के मुंह पर एक तमाचा था। मेरे दृष्टिकोण से इस अलोकतंत्रिक, अनैतिक और अवसरवादी सरकार को अवसरवादियों ने जिस प्रकार से समर्थन देने की पहल की है उनको भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी क्योंकि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने देश की प्रगति को पीछे धकेला है और इसी परम्परा को बढ़ाते हुए यह सरकार पुनः देश को आर्थिक गुलामी की ओर ले जा रही है, जिसका परिणाम जनता द्वारा दिया जायेगा।

अतः मैं सरकार के विश्वास मत का विरोध करता हूं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह विशेष सत्र सदन का विश्वास प्राप्त करने के लिए बुलाया है। बहुमत के संकट से जूझ रही इस सरकार की यह मजबूरी थी।

किसी को आज यह परवाह नहीं है कि परमाणु करार देश के लिए अच्छा होगा या बुरा, बल्कि अपने-अपने राजनीतिक हित किस किस स्थिति में पूरे होंगे, उसे देश हित के नाम पर पूरा करने का अवसर दे दिया है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन को जैसे ही मंत्री पद के साथ-साथ और भी कई लाभ मिलना तय हो गया, परमाणु करार के पक्षधर हो गए। पहली बार जब मनमोहन सिंह ने शिबू सोरेन को मंत्री बनाया था तो इसे गठबंधन सरकार की मजबूरी करार दिया था। इस बार फिर मंत्री बनाने का आश्वासन दे डाला। यह सरकार बचाने की मजबूरी है। कुल मिला कर यह सरकार ही मजबूर है जबकि देश को मजबूत सरकार चाहिए।

इतना ही नहीं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए सांसद को भी यह तय करने का अधिकार मिलना चाहिए कि सरकार रहे या जाये? परमाणु करार देश हित में है या अहित में। लेकिन इन सांसदों का सहयोग लेने में भी सरकार नहीं बच रही है। सिर्फ मकसद है सरकार किसी तरह से बच जाए। प्रधान मंत्री जी परमाणु करार करके अपनी जिद पूरी करके देश की संप्रभुता को दांव पर लगा दें।

सांसदों का भाव आज यू.पी.ए. ने 25 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक रख दिया है। सांसद को यू.पी.ए. ने कमोडिटी के रूप में पेश कर डाला है। विदेशों में और विदेशी चैनलों में इसकी चर्चा बहुत गंदे तरीके से हो रही है। सांसदों की जो प्रतिष्ठा इज्जत थी वह यू.पी.ए. ने खत्म कर डाली।

आज देश की आंतरिक हालत बहुत खराब है। खास कर जम्मू और कश्मीर। हिन्दुओं के पवित्र अमरनाथ यात्रा पर भी हमेशा आतंकवादियों का साया है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले मंत्री पर हमला किया जा रहा है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दी गई जमीन वापस ली जा रही है। वहां आतंकवाद को बढ़ावा भी सन् 1989 में रूबइया सईद अपहरण कांड के बाद आतंकवादियों को और मिला है। उस वक्त

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के वी.पी. सिंह सरकार में गृह मंत्री की कुर्सी पर मुफ्ती मोहम्मद सईद बैठे थे, पांच खूंखार आतंकवादियों को मुक्त कर दिया था। यह सारे आतंकवादी जे.के.एल.एफ. के थे जो आज वहां के प्रमुख आतंकवादी संगठन हैं। उनकी बहन महबूबा मुफ्ती आज सांसद हैं। उनकी पार्टी कांग्रेस का सहयोगी दल है यहां। क्या सरकार ने आतंकवाद को रोकने के लिए कुछ प्रयास पिछले चार सालों में किए हैं?

सरकार आज सिर्फ महंगाई से बेपरवाह होने में ज्यादा ध्यान लगा रही है। आम जनता इतनी परेशान है कि अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि वाजपेयी जी की सरकार में महंगाई क्या थी और अब क्या है। सरकार के पास एक बहाना है कि महंगाई सभी देशों में बढ़ रही है। सभी देशों के बारे में आम जनता को क्या पता होता है। सरकार सिर्फ एक बहाना बनाकर छुटकारा चाह रही है और सरकारी खजाना भर रही है। सर्विस क्लास आदमी टैक्स देते देते परेशान है। व्यापारी सरकारी खजाने में वैट और अन्य टैक्स डाल रहे हैं परन्तु सरकार आंखें बंद किए बैठी है।

[अनुवाद]

***डा. सी. कृष्णन** (पोल्लाची): मैं तमिलों के नेता श्री वाइको के नेतृत्व वाली पार्टी - मरुमालारची द्रविड़ मुन्नेत्रकषगम की ओर से बोल रहा हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत-अमरीका परमाणु करार वर्तमान रूप में, हमारे देश को बेहतरी तथा प्रगति के लिए नहीं है।

ईंधन, खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों तथा मुद्रास्फीति से लोग बहुत चिंतित तथा दु:खी हैं। इसलिए मैं भारत के माननीय प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के समर्थन चाहने वाले विश्वास मत के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। करार में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

अनुच्छेद 5-2 में निम्नलिखित को एस.एन.टी. के रूप में व्याख्या की गई है, जैसा कि अमरीकी विनियमों में उल्लिखित है। जिसके तहत प्रौद्योगिकी पुन:प्रसंस्करण, संवर्धन से संबंधित उपकरणों के हस्तांतरण तथा भारी जल के उत्पादन को प्रतिबंधित किया गया है।

नए रियेक्टरों की स्थापना में बिलियनों डालर खर्च करने के बाद भी 2020 तक परमाणु ऊर्जा के उत्पादन से हमारी ऊर्जा जरूरतों की लगभग 7 प्रतिशत की पूर्ति हो पायेगी। सबसे पहले पहल तो हमें परमाणु रियेक्टरों के विदेशी निजी विनिर्माताओं - मुख्यत: फ्रांस, रूस तथा अमरीका - को भारी भरकम धनराशि अदा देनी होगी।

परमाणु ऊर्जा की प्रति यूनिट अनुमानित लागत कोयला, गैस और यहां तक की कच्चे तेल की तुलना में भी बहुत ज्यादा होगी।

आयातित रियेक्टर-आधारित परमाणु संयंत्रों की पूंजीगत लागत कितनी है?

केवल आयातित रियेक्टरों वाले संयंत्रों की पूंजी लागत से उत्पादित विद्युत की कीमत 3.65 रुपये प्रति यूनिट होगी और कैगा के मामले में ईंधन तथा भारी जल सहित प्रचालन लागत तथा परमाणु विद्युत निगम द्वारा गणना की अन्य लागत 1.48 रुपये है। यदि हम इसमें पूंजी लागत भी जोड़ दें परमाणु विद्युत वाली बिजली की कीमत 5.13 रुपये प्रति यूनिट हो जाती है। कोयले से उत्पादित विद्युत की कीमत से दोगुनी है, जो 2.20 से 2.60 रुपये है, जो कोयला खानों से उसकी दूरी पर निर्भर करती है। अधिक दक्षता से कोयला भंडारों या कोयला खानों का पता लगाने के लिए वाशिंगटन, फ्रांस और रूस से महंगे रियेक्टर खरीदने से काफी कम धनराशि की जरूरत पड़ती है। यदि हम स्वदेशी रियेक्टरों का इस्तेमाल करें, तो परमाणु संयंत्रों की पूंजी लागत आयातित रियेक्टरों वाले संयंत्रों की लगभग दो-तिहाई होगी। भारतीय रियेक्टरों से उत्पादित परमाणु विद्युत आयातित रियेक्टरों से मिली बिजली से काफी सस्ती होगी। इसके बावजूद भी यह कोयला चालित संयंत्र की तुलना में ज्यादा खर्चीली होगी। हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि भारत द्वारा अन्य परमाणु परीक्षण करने के बाद भी अमरीका अन्य देशों से भारत द्वारा विखंडनीय पदार्थों की आपूर्ति को संरक्षण की नजर से देखेगा। डा. मनमोहन सिंह पर हमारी सरकार की संप्रभुता को खतरे में डालने के लिए दबाव डाला गया है। चिंता इस बात की है कि यदि भारत 'निरंतरता' के तहत सुरक्षण के अंतर्गत सहमत हो जाता है, तो तारापुर परमाणु पावर स्टेशन के अनुभव को देखते हुए जब अमरीका ने भारत द्वारा पोखरण-I परमाणु-परीक्षण करने के बाद इस संयंत्र को ईंधन की आपूर्ति रोक दी थी, क्या ईंधन की निर्बाध आपूर्ति बनी रहेगी।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. सी. कृष्णन]

यदि वर्तमान करार लागू हो जाता है, तो भारत अमरीका, फ्रांस और रूस से आयातित परमाणु रियेक्टरों के लिए ईंधन तथा भारी-जल का आयात कर सकता है।

सुस्पष्ट शब्दों में कहें, तो सुरक्षण के तहत खर्च किए गए ईंधन के पुनः प्रसंस्करण का अधिकार स्वतः नहीं है, यदि इसकी आपूर्ति वाला देश अमरीका है, क्योंकि ऐसा हस्तांतरण 123 करार के तहत शासित होगा जिसके तहत स्वतः प्रसंस्करण का अधिकार नहीं मिलता। इस करार को '123 करार' इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे अमरीका के परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1954 जिसका शीर्षक "अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग" है की धारा 123 संशोधित हो जायेगी, जो अमरीका और किसी अन्य देश के बीच परमाणु करारों की पूर्व-अपेक्षा के रूप में सहयोग का आधार बनाता है।

कुछ खंडों से हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता को भी खतरा उत्पन्न होता है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है "किसी भी परमाणु-सामग्री, उपकरण, इस करार के तहत दिये गए अवयवों की गैर-परमाणविक सामग्री और इसका उपयोग करके बनाई गई कोई भी विखंडनीय सामग्री को वापस लेने का अमरीका के पास एकपक्षीय अधिकार है। 'वापस लेने का अधिकार' का अर्थ "किसी अन्य (अनुच्छेद 14.5) के नियंत्रण से या उसके क्षेत्र से इस उपकरण या सामग्री को हटाना है न कि वापस लेना।" करार के इस भाग का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा से आयातित 40 जी.डब्ल्यू.ई. के जले ईंधन के पुनः प्रसंस्करण से अन्य किसी भी पदार्थ के निर्माण संबंधी हमारी स्वतंत्रता में कटौती करना है।

अमरीकी राष्ट्रपति को प्रति वर्ष वहां की कांग्रेस को बताना होगा कि "क्या भारत ईरान को रोकने या अलग-थलग करने में अमरीकी तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में पूर्ण रूप से तथा सक्रिय रूप में सहयोग कर रहा है या यदि आवश्यक हुआ तो ईरान पर प्रतिबंध लगाने और उसे रोकने के प्रयासों में सहयोग करेगा, यदि वह स्वदेशी प्रयासों से परमाणु क्षमता विकसित करने का प्रयास करता है। इस अधिनियम की ये धाराएं हमारे स्वतंत्रत रूप से निर्णय लेने तथा नीति-निर्माण में हस्तक्षेप करती हैं।"

यदि यही हमारी रणनीति रही, तो अंमरीका हमें किस दिशा में ले जा रहा है, कब हमारी तटस्थता की उस नीति, जिसका हमने संरक्षण किया था और जिसको 'आदरणीय स्व. प्रधानमंत्री नेहरूजी, इंदिरा गांधी जी ने आगे बढ़ाया था', ईरान में हमें क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए।

इन परिस्थितियों में हम, मारुमालाची द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी जिसके नेता श्री वाईको हैं, जो विश्व तमिलों के नेता भी हैं, के सदस्य भारत के माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाले प्रस्ताव का विरोध करते हैं।

***श्री अधीर चौधरी** (बहरामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मैं प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आज से कुछ दिन पहले से सरकार के बचने के बारे में मीडिया में अटकलें लगाई जा रही हैं। राजनेताओं के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। देश में हमारा उपहास किया जा रहा है।

मैं कह सकता हूं कि मुद्दा सरकार के बचने का नहीं है क्योंकि ऐसा ही होगा यह सबको पता है। हमें सरकार को बचाना ही है। हम बचाएंगे, इसी के साथ ही मेरे विचार से यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे दुःखद दिन है क्योंकि हमारी सरकार को ऐसे मुद्दे पर अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है जिसका करोड़ों निर्धन व्यक्तियों के रोजी-रोटी के संघर्ष से कुछ लेना नहीं है।

ऐसी स्थिति भारतीय राजनीति में पुरानी सोच वाले समूहों जो अपने को वाम दल कहते हैं द्वारा उत्पन्न की गई है। अन्य लोगों की तरह मैं दिल्ली में भ्रम की स्थिति में आया हूं। इस विश्वास प्रस्ताव संबंधी वाद-विवाद में शामिल होने से मैं और भी भ्रम में पड़ गया हूं। मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूं कि यह वाद-विवाद क्यों हो रहा है और वाम दल इस प्रकार का रवैया क्यों अपना रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि कोई परमाणु ऊर्जा का विरोध कर सकता है। देश में तथा विश्व में इस पर भिन्न-भिन्न राय है। कुछ जानकार और भली मंशा वाले लोगों का मानना है कि इस समय विश्व में परमाणु ऊर्जा का कोई स्थान नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस राय का सम्मान करता हूं हालांकि मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं। परन्तु भारतीय वामपंथी दलों ने परमाणु ऊर्जा का कभी भी विरोध नहीं किया है। बल्कि कुछ समय पूर्व पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य राज्य के मिदनापुर जिले में

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

होपीपुर तटीय क्षेत्र में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु दबाव डाल रहे थे। कुछ समय पहले सी.पी.एम. के कुछ सांसद पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन में परमाणु विद्युत संयंत्र की मांग कर रहे थे। मेरा सीधा सा प्रश्न यह है कि आपको परमाणु संयंत्र कहां से प्राप्त हो रहा है? क्या आपको आकाश से मिल रहा है? क्रेमलिन से, या चीन की 'ग्रेट वाल' से? यहां तक की रूस और चीन भी जिनको भारतीय कम्युनिस्ट अपना सब कुछ मानते हैं हमें परमाणु समझौता करने की सलाह दे रहे हैं। परमाणु समझौता हो जाने के पश्चात वे हमें सहयोग का आश्वासन दे रहे हैं। यदि विश्व में जो भी वामपंथ बचा है, की यह राय है तो भारतीय वामपंथ को क्या आपत्ति है? वे डायनोसर जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? वे वास्तविकता से मुंह क्यों मोड़ रहे है? उनकी क्या परेशानी है? मैसर्स करात और बर्धन कंपनी की परेशानी क्या है?

महोदय, मैं यह सब अजय भवन या ए.के. गोपाल भवन के कामरेडों का उपहास करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं गंभीरता से यह सारे प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि यह ही सारे समस्याओं की जड़ है। इससे मेरा मतलब भारतीय वामपंथ के एक धड़े की सोच से है, धड़ा जिसका नेतृत्व प्रकाश करात और ए.बी. बर्धन जैसे लोग करते हैं, धड़ा जिसका लोगों के प्रति कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है क्योंकि वे कभी चुनाव लड़ते ही नहीं हैं, कभी भी संसद में नहीं आए और लोगों के भाग्य का निर्णय करने का स्वयं को अधिकार देते हैं। प्रकाश करात स्काटलैण्ड के शौकिया कम्युनिस्ट के लिए अमेरिका एक शैतान है जो कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकता है जैसे कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कोई भी गलती नहीं कर सकती है। प्रकाश करात ने संगठन में अपने पद का उपयोग करते हुए अपने निरर्थक और असंगत वैचारिक हठधर्मी रवैये से स्वयं की पार्टी को बंधक बना रखा है। विद्यमान उथल-पुथल और संकट के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जिम्मेदार नहीं हैं। श्री करात की गलती है कि जब सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था तो उन्होंने अनावश्यक रूप से संकट पैदा किया। पार्टी के सबसे वयोवृद्ध आदरणीय नेता श्री ज्योति बसु अपने युवा कामरेड 'करात' के कारनामों पर मौन हैं। श्री सुभाष चक्रवर्ती, परिवहन मंत्री और बसु के शिष्य ने पार्टी के अहित में इस दृष्टिकोण हेतु अपने पार्टी नेतृत्व का विरोध किया है।

इस सभा और विशेषकर इस सत्र में मुझे आशा थी कि श्री सोमनाथ चटर्जी अपने साथियों के साथ बैठ कर सरकार का विरोध करेंगे। मुझे उम्मीद थी कि अपने पूर्व कामरेडों की तरह हमारी सरकार का कल विरोध करते या आज करेंगे। परन्तु अत्यधिक दबाव के बावजूद श्री चटर्जी अपनी बात पर अड़े रहे और अब भी लोक सभा के अध्यक्ष हैं। इस सभा के सभी सही सोच वाले सदस्यों की ओर से मैं श्री चटर्जी को अनुकरणीय साहस जिसकी देश को अति आवश्यकता थी के लिए बधाई देता हूं, मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि श्री चटर्जी को उनकी पार्टी के साथ इतने लंबे रिश्ते को छोड़ने के सही निर्णय लेने के लिए उनको धन्यवाद देने में मेरा साथ दें। श्री चटर्जी मैं बहरामपुर से अपनी सीट त्यागने के लिए तैयार हूं यदि आप पश्चिम बंगाल में आगामी लोक सभा चुनाव सी.पी.एम. के विरुद्ध लड़ने हेतु हमारी पार्टी में शामिल हों।

मूल मुद्दे पर आते हुए मैं दोहराना चाहता हूं कि भारतीय वामपंथ आज चौराहे पर खड़ा है। वर्तमान बदलती हुई वास्तविकताओं के अनुसार अपने को ढालने हेतु किए जाने वाले उपायों को लेकर वे स्वयं ही असमंजस्य में हैं। एक तरफ बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के कल्याण हेतु अमेरिकी पूंजी आमंत्रित कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके कामरेड दिल्ली में अलग सोच रखते हैं। पश्चिम बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य यह कहते हुए कि वैश्विक पूंजी का विचार धारा से कोई लेना-देना नहीं है भारत के डेंग-सिमो-पिंग बनना चाहते हैं। दिल्ली में उनके कामरेड अभी भी स्टालिन की राह पर चल रहे हैं। मेरे विचार से आज जो हम देख रहे है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में उत्पन्न भ्रम को दर्शाता है। यह समस्या उनके सोच की तथा बर्लिन की दीवार के ढहने के बाद के विश्व के साथ चलने में उनकी असमर्थता को दर्शाता है। जब तक वामपंथ अपनी गलती महसूस कर अपनी सोच नहीं बदलता है तब तक उनका भ्रम दूर नहीं होगा।

भारतीय वामपंथ का इतिहास महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण में लिए गए गलत निर्णयों से भरा है। वामपंथ ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया और 1947 की स्वतंत्रता को झूठा बताया। परन्तु यह कहना भी उचित होगा कि समय के साथ उन्होंने अपनी भयंकर भूल को स्वीकार भी किया है। अतः मैं इस सभा के वामदलों के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे श्री करात द्वारा बिछाए गए वैचारिक जाल में फंसे और अपने नेता श्री सोमनाथ चटर्जी का अनुकरण करें।

यहां कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। महोदय, 31 देश

[श्री अधीर चौधरी]

परमाणु ऊर्जा का उपयोग अपनी विद्युत आवश्यकता को पूरा करने हेतु कर रहे हैं। विश्व में कुल 443 वाणिज्यिक परमाणु संयंत्र कार्य कर रहे हैं। इनकी क्षमता 369.9 गीगावाट है। यह 68000 टन यूरेनियम ईंधन के बराबर है अर्थात विश्व ऊर्जा का 16 प्रतिशत है, इससे प्रति वर्ष 2.5 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाईआक्साइड का उत्सर्जन बचता है। इससे विश्व भर में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होता है। कुल 12,000 टन खर्च हुए ईंधन का अनुमान है। 2013 तक 31 रिएक्टर और आरंभ हो जाएंगे। चीन 2020 तक परमाणु ऊर्जा संबंधी खपत पर 65 बिलियन डालर व्यय करने की योजना बना रहा है। फ्रांस के पास तेल नहीं है परन्तु अन्य उपाय हैं। फ्रांस में इस पर एक राय है। मेरा सुझाव है कि सरकार हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने और अंतर्राष्ट्रीय मांग हेतु अतिरिक्त क्षमता के साथ ईंधन पुनःप्रसंस्करण सुविधाओं का निर्माण करे।

18 यूरोनियम का उत्पादन करने वाले देशों में से हम खानों से 230 टन उत्पादन करते हैं। सबसे आगे कनाडा और फिर आस्ट्रेलिया है। भारत को विद्युत की आवश्यकता है। देश की विद्युत आवश्यकता का आधा से अधिक उत्पादन कोयले से होता है। परन्तु देश के पास सीमित कोयला भंडार हैं। हमारे पास 14 छोटे और 8 मध्यम आकार के परमाणु रिएक्टर हैं। हमारा लक्ष्य परमाणु ईंधन चक्र में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। देश में 54,000 टन यूरेनियम भण्डार हैं। हमें अपने को 1974 से प्रौद्योगिकी से वंचित की गई व्यवस्था और राजनीतिक-राजनयिक रूढ़िवाद से मुक्त करना होगा। ईंधन और उपस्कर की कमी के कारण हमारे रिएक्टर पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं करते हैं। सुरक्षित रिएक्टर का निरीक्षण आई.ए.ई.ए. द्वारा न की अमेरिकी निरीक्षकों द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का आह्वान कम्यूनिस्टों के अनुसार अंग्रेजी औपनिवेशवाद के साथ समझौता करने वालों द्वारा लोगों पर अपनी पकड़ बनाने का एक बहाना था। 1935 में कम्यूनिस्ट पार्टी का पुनर्गठन किया गया था तथा इसके समक्ष फासिज्म का खतरा था। अगस्त 1935 में मास्को में कम्यूनिस्टों की सातवीं कांग्रेस की अंतर्राष्ट्रीय बैठक में इसकी पूर्व स्थिति में बुनियादी परिवर्तन किये गए और पूंजीवादी देशों में समाजवादी और फासीस्ट विरोधी लोगों के साथ संयुक्त मोर्चा (यूनाइटेड फ्रन्ट) के गठन और उपनिवेशी देशों में राष्ट्रीय आंदोलन की वकालत की गयी।

एक बार फिर राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलाये जा रहे राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा में कम्यूनिस्टों ने भाग लिया। भारत में विचारधारा के आधार पर कम्युनिस्टों की नीति में परिवर्तन काफी पहले वर्ष 1936 में लाए गए एक दस्तावेज के माध्यम से आया जिसे दत्त-ब्रैडले थीसिस के नाम से जाना जाता है। इस थीसिस के अनुसार साम्राज्यवाद विरोधी लोगों का मोर्चा बनाने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस एक बड़ी और अग्रणी भूमिका निभा सकती थी। वर्ष 1938 में इसमें कुछ और प्रगति हुई और यह स्वीकार किया गया कि कांग्रेस साम्राज्यवाद के विरोध में उठ खड़े हुए भारतीय लोगों का एक केन्द्रीय और आम लोगों से जुड़ा हुआ राजनीतिक संगठन है। वर्ष 1939 में पी.सी. जोशी ने पार्टी के साप्ताहिक पत्र 'नेशनल फ्रन्ट' में लिखा: 'आज का सबसे बड़ा वर्ग संघर्ष हमारा राष्ट्रीय संघर्ष है और कांग्रेस इसका प्रमुख भाग है।' अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (ए.आई.सी.सी.) के तेरह कम्यूनिस्ट सदस्यों ने महात्मा गांधी द्वारा लाये गए 'भारत छोड़ो प्रस्ताव' का विरोध किया था। महात्मा गांधी ने जो कहा मैं उसे उद्धृत करता हूं "मैं उन 13 मित्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया है। ऐसा करने में उन्हें कोई शर्मिन्दगी नहीं होनी चाहिए। पिछले 20 वर्षों में हमने यही सीखने का प्रयास किया है कि जब हम निराशाजनक अल्पमत में हों और हम पर हंसा जा रहा हो तब भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है।" हमने सीखा है कि कैसे अपने विश्वास को बनाये रखें कि हम सही हैं और लोगों में दृढ़ विश्वास की यह हिम्मत पैदा करनी है क्योंकि इससे हमारा उत्थान होता है और हमारा चारित्रिक बल भी बढ़ता है।

वर्ष 1947 में कम्यूनिस्टों ने यह स्वीकार किया कि भारत स्वतंत्र हो गया है और सभी प्रगतिशील ताकतों को, प्रतिक्रियात्मक सांप्रदायिक और साम्राज्यवादी ताकतों के समर्थकों के विरुद्ध एकत्रित होकर नेहरू के साथ आने की सलाह दी। बाद में, सोवियत राष्ट्र के निर्देशन में दिसम्बर 1947 में यह घोषित किया गया कि भारत की स्वतंत्रता नकली है, 15 अगस्त का दिन राष्ट्रीय बहिष्कार का दिन है, नेहरू साम्राज्यवाद का पिछलग्गू और संविधान गुलामी का चार्टर है।

वर्ष 1953 में मदुरै कांग्रेस में कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि सरकार स्वतंत्र विदेश नीति का अनुपालन कर रही है। 1956 में पालघाट कांग्रेस में पार्टी ने स्वीकार किया कि भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की और यह अब एक संप्रभु राष्ट्र है। वर्ष 1958 में अमृतसर कांग्रेस में पार्टी ने

घोषित किया कि शांतिपूर्ण और संसदीय तरीके से ही समाजवाद की प्रगति सम्भव है। वर्ष 1961 में विजयवाड़ा कांग्रेस में पार्टी ने निर्णय लिया कि वह संघर्ष की नीति के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी से एकत्व स्थापित करने की नीति अपनायेगी।

माकपा ने कहा था कि भारतीय संविधान लोकतंत्र विरोधी है और इसमें समग्र रूप से परिवर्तन किया जाना चाहिए और संविधान को संघर्ष के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे भीतर से ही तोड़ने का प्रयास किया। कम्यूनिस्ट राष्ट्र-निर्माण और सामाजिक विकास का नेतृत्व करने, और एक समग्र राष्ट्र के रूप में जाति प्रथा, समानता, स्वतंत्रता की रक्षा, राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा के लिए संघर्ष हेतु शिक्षा, वैज्ञानिक प्रवृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और उत्पादकता बढ़ाने के प्रसार के मामले में असफल रहे।

चीन ने पाकिस्तान के परंपरागत और परमाणु सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करने में सहयोग किया। पाकिस्तान के ग्वाडर पत्तन पर अरब सागर में प्रवेश की सुविधा सहित चीन की नौसेना के पोतों और पनडुब्बियों के बेस के लिए प्रावधान किया गया है। भारत की मिसाइलों और अंतरिक्ष कार्यक्रमों संबंधी आंकड़े प्राप्त करने के लिए कोको द्वीप का उपयोग करने हेतु म्यांमार के साथ भी सहयोग है। 1500 किलोमीटर लम्बी सड़क बनाने का प्रस्ताव है जिसका प्रयोग अरुणाचल तक परिवहन रूट के लिए किया जाना है; ल्हासा और जर्मो के बीच रेल लाईन बनायी जा रही है और भारत को लक्ष्य करके मिसाइल डिविजन को उन्नत किया जा रहा है। सड़क नेटवर्क की दिशा मैकमोहन लाइन की तरफ है। परन्तु कम्यूनिस्ट मित्र इससे कभी-भी परेशान नहीं हुए।

दशकों से, अमरीका द्वारा आपूर्ति किया गया ईंधन भारत में एकत्रित हो रहा था। उन्होंने न तो इसे वापिस लिया न ही इसको पुनः संसाधित करने की अनुमति दी। अतः हमें समझौता करने की आवश्यकता पड़ी। 1960 के दशक में बाढ़ और सूखे से प्रभावित लोगों का पेट भरने के लिए भारत अमरीका पर निर्भर था। भारत ने अमरीका और चीन के समर्थन से 110 राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्ताव को चुनौती दी और बंगलादेश को आजाद कराया। भारत गरीब विकासशील देश से उन्नत होकर विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। परन्तु भारत ने हमेशा देश के सर्वोत्तम हित में स्वतंत्र नीति को अपनाया है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र): महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा लाये गए विश्वास प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं।

इस प्रस्ताव को लाना आवश्यक हो गया था क्योंकि अमरीका के साथ असैन्य परमाणु सहयोग समझौते के मुद्दे पर वामदलों ने अचानक संप्रग सरकार से समर्थन वापिस लेने का निर्णय लिया। उन्होंने सरकार का चार वर्ष से अधिक की अवधि तक समर्थन किया, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। मूल्य वृद्धि, पेंशन सुधार, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत आदि अनेक मुद्दों पर उनके सरकार के साथ मतभेद थे परन्तु उन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया। इन सभी मतभेदों के बावजूद वे सरकार को गिराना नहीं चाहते थे क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सांप्रदायिक ताकतें शासन करें। कई मुद्दों पर हमने उनसे सामंजस्य बनाया। कुछ मुद्दों पर उन्होंने हमारा साथ दिया। आखिरकार, गठबंधन का धर्म ही राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर सामंजस्य बनाने पर आधारित है।

जहां तक असैन्य परमाणु करार का संबंध है वामदलों को इसके सभी पहलुओं पर गहन चर्चा का अवसर प्रदान किया गया। मैं माननीय विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी को उनके धैर्य और निरन्तर प्रयास पर बधाई देता हूं जिन्होंने वामदलों के साथ इस विषय पर लम्बी चर्चा की। वामदलों के साथ आगे चर्चा के लिए कुछ और बैठकें प्रस्तावित थी परन्तु उन्होंने इसकी प्रतीक्षा नहीं की और इस तर्क के आधार पर समर्थन वापस लिया कि सरकार आई.ए.ई.ए. के पास सुरक्षोपाय समझौता प्रारूप परिचालन हेतु क्यों गयी।

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि आई.ए.ई.ए. के समक्ष समझौता प्रारूप प्रस्तुत करने मात्र से किसी आश्वासन या सरकार और वामदलों या किसी अन्य के मध्य किसी समझौते का उल्लंघन नहीं होता है। आई.ए.ई.ए. को इस प्रारूप पर चर्चा करने और किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने में हफ्तों का समय लगेगा। उससे काफी पहले सरकार ने सभा का विश्वास प्राप्त कर लिया था। प्रधानमंत्री ने ऐसा करने के लिए प्राप्त इस अवसर का लाभ उठाया। यदि हमारे वामदलों के साथियों ने समर्थन वापस नहीं लिया होता तब भी विश्वास मत प्राप्त किया जाता। सरकार यह कहती रही है कि सभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पश्चात ही समझौते का क्रियान्वयन किया जाएगा। मैं समझता हूं कि वामदलों द्वारा उतावली में यह तमाशा करने और

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री नवीन जिन्दल]

उन सांप्रदायिक ताकतें, जिन्हें वे देश का सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं और पिछले पांच दशकों से जिनकी आलोचना करते आ रहे हैं, के हाथों में खेलने के बजाय कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। मुझे इस बात का दुख है कि इन्होंने उन ताकतों से हाथ मिलाया है जिन्होंने भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को नष्ट-भ्रष्ट करने का प्रयास किया है।

जहां तक भाजपा का संबंध है, तो यह स्पष्ट है कि वे ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए उन्होंने वामदलों को अपने प्रभाव में लेकर सरकार गिराने का प्रयास किया। पिछले चार सालों में उन्होंने दो बार ऐसे प्रयास किये परन्तु सफल नहीं हुए। वामदलों के अनपेक्षित समर्थन के कारण अब उन्हें अपना अवसर दिखा।

मैं वामदलों को याद दिलाना चाहता हूं कि उनके अपने दल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि भाजपा और वामदलों के असंभावित मैत्री को स्वीकृति नहीं देते हैं। वामदलों को यह भी जान लेना चाहिए कि भाजपा का यह समर्थन उनके इस विशेष उद्देश्य अर्थात सुरक्षोपाय समझौते या असैन्य परमाणु सहयोग समझौते के विरोध करने के लिए नहीं बल्कि सत्ता छीनने की उतावली के लिए है। भाजपा ने कई बार यह कहा है कि जब वह सत्ता में आएगी तो वह अमरीका के साथ इस समझौते पर पुनः विचार-विमर्श करेंगी। इससे स्पष्ट है कि वे सिद्धांततः इस समझौते का समर्थन करते हैं। सभा को याद होगा कि अमरीका के साथ परमाणु करार की शुरुआत की प्रक्रिया भाजपा द्वारा की गयी थी। तत्कालीन विदेश मंत्री माननीय जसवंत सिंह ने तत्कालीन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट श्री टालबोट से इस पर चर्चा की थी। दुर्भाग्य से, हठधर्मिता और स्पष्ट दूरदर्शिता के अभाव में, चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। भाजपा को इस असफलता का दुख आज भी है। इसी कारण से वे चाहते हैं कि अमरीका के साथ परमाणु करार तो हो पर उसमें उनकी पार्टी को श्रेय मिले और संप्रग सरकार इस ऐतिहासिक समझौते का श्रेय न ले पाये। मुझे आशा है कि वामदलों के मेरे मित्र इस खेल को देखेंगे और सरकार के कार्यकाल के पूरा होने के अंत में समर्थन वापस लेने के बजाय सरकार को अपना समर्थन जारी रखेंगे।

महोदय, मैंने इस समझौते को ऐतिहासिक क्यों कहा है। सबसे पहले, मैं श्री बृजेश मिश्र द्वारा इस महीने एक टेलीविजन चैनल पर कही गई बातों को उद्धृत करना चाहता हूं। श्री मिश्र सं.प्र.ग. से संबंधित नहीं हैं। वे रा.ज.ग. सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री आदरणीय वाजपेयी जी के प्रधान सचिव तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे हैं। एक निर्विकार तथा ज्ञानवान विशेषज्ञ होने के नाते उन्होंने आई.ए.ई.ए. के साथ एक हितकारी सुरक्षोपाय समझौता करने का प्रयास करने पर सं.प्र.ग. सरकार को बधाई दी। यह समझौता वाम दलों के लिए सरकार से समर्थन वापस लेने का बहाना और भा.ज.पा. और उसके सहयोगी दलों के लिए बिन मांगे मन की मुराद पूरी होने जैसा था। श्री मिश्र ने कहा कि सुरक्षोपाय समझौते का प्रारूप बहुत संतोषजनक है और वस्तुतः भारत के लिए इससे अच्छा समझौता नहीं हो सकता। "यह उतना ही अच्छा है जितना कि संभवतः हम कर पाते" उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी चेताया कि भविष्य में किसी भी सरकार को संयुक्त राज्य अमरीका के साथ इस समझौते पर पुनः सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री मिश्र ने आगे बताया "दो पक्षों के बीच पुनः सौदेबाजी एक-तरफा रास्ता नहीं है, हमें कुछ छोड़ना भी पड़ सकता है, यह तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।"

यहां तक कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति, डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, एक महान परमाणु वैज्ञानिक, ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि डा. मनमोहन सिंह ने असैनिक परमाणु समझौते के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित को ध्यान में रखना चाहिए; देश राजनीति से बड़ा है। जब उनसे यह पूछा गया कि यह समझौता ऊर्जा के बारे में है या रणनीतिक हितों के बारे में तो उन्होंने बताया, "मैं यह महसूस करता हूं कि यह ऊर्जा के बारे में है। क्योंकि हमारे परमाणु वैज्ञानिकों के पास एक दृष्टि है। वे प्रतिवर्ष लगभग 1000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा करना चाहते है और 2020 तक वे इससे 20,000 मेगावाट बिजली बनाना चाहते हैं। वे भारत को, प्रतिवर्ष 1000 मेगा-वाट अतिरिक्त बिजली पैदा करते हुए इससे 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं।"

हमारे अधिकांश राज्यों में बिजली की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए 20,000 मेगावाट का यह लक्ष्य, बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। जिसके परिणामस्वरूप लंबी अवधि तक तथा बारंबार बिजली की कटौती करनी पड़ती है जिससे हमारे औद्योगिक और कृषि विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। विभिन्न राज्यों में 20 से 30 प्रतिशत तक बिजली की कमी है। इस संकट से निपटने के लिए हमें

अपने किसानों तथा उद्यमियों की सहायता करने के लिए बड़े पैमाने पर परमाणु ऊर्जा को अपनाना होगा।

इससे जलवायु में परिवर्तन के दुष्परिणाम से निपटने में सहायता मिलने के साथ-साथ हमारी विद्युत उत्पादन की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। वाम दलों तथा अन्य आलोचकों का यह कहना है कि इसमें बहुत समय लगेगा और यह बहुत खर्चीला कार्य है। इसकी इस प्रकार से आलोचना करने के स्थान पर हमें आरंभिक समस्याओं, यदि कोई हैं तो, के सामने घुटने टेकने के स्थान पर अन्य देशों के अनुभव से सबक लेना चाहिए। उदाहरण के लिए फ्रांस को ही देखिए। फ्रांस ने परमाणु ऊर्जा को बड़े पैमाने पर अपनाया और कुछ ही वर्षों में ऊर्जा के इस स्रोत को बहुत अधिक विकसित कर लिया। उन्होंने भी प्रारंभ में बहुत सी आलोचनाओं का सामना किया था लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया और आज उनकी विद्युत का 70 प्रतिशत भाग परमाणु ऊर्जा से आगे है। उन्होंने बहुत थोड़े से समय में ही यह उपलब्धि हासिल कर ली। वर्ष 1985 में फ्रांस ने लगभग 7000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता से शुरुआत की थी उसकी तुलना में वर्तमान में हमारी कुल परमाणु ऊर्जा क्षमता 3800 मेगावाट से कम है। वर्ष 1989 से 1999 के बीच, केवल 10 वर्षों में ही फ्रांस परमाणु ऊर्जा पर आधारित 42,000 मेगावाट बिजली बनाने की स्थिति में आ गया था।

मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि चीन परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में क्या करने की इच्छा रखता है क्योंकि इसमें हमारे वाम दलों को बहुत दिलचस्पी होगी। चीन की 2010 से 2015 के बीच 23,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा पैदा करने की योजना है तथा वह 2018 तक लगभग 20,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा करना चाहता है। यदि वाम दलों को अपने चीनी कामरेडों के कार्य पर कोई आपत्ति नहीं है तो मैं यह समझने में असफल हूं कि उन्हें हमारे संयुक्त राज्य अमरीका के साथ समझौता करके परमाणु ऊर्जा के आधार पर बिजली उत्पादन के अपने लक्ष्य हासिल करने पर क्यों आपत्ति है।

महोदय, अंत में, मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि यह सभा हमारे देश में राजनैतिक स्थिरता, जो कि देश के सतत् आर्थिक विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे देश की साख बनाए रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक है, को बनाए रखने के लिए विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेगी। कुछ राजनैतिक दल देश में होने वाले आम चुनावों से केवल कुछ माह पूर्व ही सत्ता में आने की जल्दबाजी में देश में अव्यवस्था और उथल-पुथल पैदा कर रहे हैं। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस दुष्चक्र को असफल करे तथा प्रधानमंत्री द्वारा रखे गए विश्वास मत का समर्थन करे।

[हिन्दी]

*श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): क्या भारत अमेरिका परमाणु करार अर्थात 123 समझौते का नामकरण अमेरिका के परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 की धारा 123 के आधार पर हुआ है। यह अधिनियम अमेरिका को ऐसे देशों के साथ असैन्य परमाणु सहयोग करने की अनुमति देता है जो अपनी परमाणु गतिविधियों की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) द्वारा कराए जाने के लिए तैयार हों। अमेरिका का भारत के साथ परमाणु करार का मामला अनोखा है। अमेरिका ने अब तक किसी भी ऐसे देश के साथ परमाणु समझौता नहीं किया है जो परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य न हो और न ही एन.पी.टी. के तहत परमाणु संयंत्र देश हो। अमेरिका ने भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी संपन्न देश मानते हुए करार किया है, हालांकि वह भारत को बराबरी का दर्जा नहीं देता।

क्या भारत को अमेरिका के साथ परमाणु करार करने के लिए पहले अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) के संचालक मंडल से स्वीकृति लेनी होगी। जिसके तहत भारत को 2001 में तय किए गए न्यूक्लियर्स सप्लायर्स ग्रुप के प्रक्रिया प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए आई.ए.ई.ए. के सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना पड़ेगा। इसके बाद उसे 45 देशों के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एन.एस.जी.) की स्वीकृति लेनी होगी, जहां परमाणु अप्रसार संधि (एन.पी.टी.) में भारत के शामिल नहीं होने को लेकर कुछ आपत्तियां हैं। फिर अंत में जब अमेरिकी संसद इस करार पर अपनी मुहर लगाएगी, तब कहीं जाकर यह करार अपने अस्तित्व में आ पाएगा।

क्या भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के साथ मिलकर काम करेगा। कोई कितना भी अमीर बन जाये, सुख सुविधाएं मिल जायें अगर उसका गुलाम रहना पड़े या फिर हर समय उसकी जायज नाजायज शर्तों को मानना पड़े, तो एक व्यक्ति भी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री अविनाश राय खन्ना]

अपनी इज्जत और सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेगा। तो फिर भारत क्यों।

परमाणु समझौते की ए(4) उपधारा में लिखा है कि यदि कोई परमाणु संपन्न राष्ट्रों के साथ सहयोग के समझौते से अलग, इस समझौते के अंतर्गत सहयोग की हामी भरने वाला देश परमाणु परीक्षण करता है तो ऐसी स्थिति में अमेरिका भारत को उस देश से ली हुई परमाणु सामग्री एवं अन्य उपकरण लौटाने के लिए बाध्य कर सकता है।

चूंकि यह नागरिक परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों से संबंधित करार है, इसलिए भारत को अपने रक्षा परमाणु प्रतिष्ठान एवं नागरिक परमाणु के बीच एक रेखा खींचते हुए अलग-अलग करना होगा, जिससे कि यह आई.ए.ई.ए. की निगरानी के दायरे में न आ सके। लिहाजा भारतीय परमाणु रक्षा अनुसंधान का खर्च काफी बढ़ जाएगा।

अगर समझौता कभी रद्द हुआ तो अमेरिका ने जो भी आपूर्ति की है उसे वापस लेने का अधिकार होगा। गौरतलब है कि 1974 के परीक्षण के बाद अमेरिका ने अपने देश के कानून का हवाला देते हुए तारापुर संयंत्र वाला करार तोड़ दिया था और ईंधन देने से मना कर दिया था। इस बात से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। करार के तहत ईंधन पुनः प्रसंस्करण का अधिकार भारत को नहीं दिया है। आई.ए.ई.ए. के साथ होने वाले सेफगार्ड समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत द्वारा परमाणु ईंधन के पुनः उपयोग या दूसरे काम में उपयोग लाने पर करार टूट सकता है।

करार टूटने पर अमेरिका द्वारा हर्जाना देने की बात कही गई है, लेकिन हर्जाना देने का आधार, नियम एवं शर्तें स्पष्ट नहीं।

123 समझौते के तहत भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने पर दोनों देशों के बीच सभी प्रकार का परमाणु सहयोग स्वतः खत्म हो जाएगा। साथ ही समझौते के दायरे में आने वाली सामग्री को लौटाना पड़ेगा, जिसमें पुनः प्रसंस्कृत सामग्री भी शामिल है।

देश के 22 रिएक्टरों में से 14 अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में होंगे। जबकि बाकी बचे 8 रिएक्टरों की निगरानी अमेरिका या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अपने खुफिया सूत्रों से करवा सकते हैं। निश्चित तौर पर इससे भारत के सैन्य परमाणु कार्यक्रम की गोपनीयता भंग होगी।

जो अपने पास है, उसका इस्तेमाल नहीं हो दूसरे के पास है, उसको लेने के सपने लेना कहां की बुद्धिमता है। यह करार देश के हित में नहीं। मैं इसका विरोध करता हूं।

भारत के पास थोरियम का पर्याप्त भण्डार है। लेकिन अमेरिका दबाव के चलते हम थोरियम का अनुसंधान और भारी जल के रिएक्टर की स्थापना करने में असहज महसूस करेंगे।

*प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): मैं पट्टाली मक्कल काच्ची, इसके संस्थापक अध्यक्ष, डा. अय्या तथा लोक सभा में इसके छह माननीय सदस्यों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत किए गए विश्वास मत का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वर्तमान मंत्रिपरिषद में अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हैं।

पट्टाली मक्कल काच्ची, मई 2004 में सं.प्र.ग. के गठन से ही इसका अभिन्न अंग है तथा हमारे डा. अय्या, अन्य नेताओं के साथ इस गठबंधन के निर्माताओं में से एक रहे हैं। जब हम इस गठबंधन में शामिल हुए थे तो हमने यह पुष्टि की थी कि पी.एम.के., सं.प्र.ग. के साथ प्रत्येक परिस्थिति में बना रहेगा। यहां तक कि आज भी हमारी वही स्थिति है। हम मैडम सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखते हैं क्योंकि केवल कांग्रेस पार्टी ही एक योग्य तथा स्थिर सरकार दे सकती है तथा देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।

आरंभ में हम माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने, सं.प्र.ग. सरकार से वामदलों द्वारा अपना समर्थन वापस लेने के बाद तकनीकी रूप से बहुमत होते हुए भी विश्वास मत प्रस्तुत किया। इससे संसदीय लोकतन्त्र में उनकी एकनिष्ठता, ईमानदारी तथा विश्वास का पता लगता है।

महोदय, इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद के दौरान, राजनैतिक दलों को निम्न दो मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए अपना विश्वास या अविश्वास व्यक्त करना चाहिए।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

(1) गत चार वर्ष और दो माह में सं.प्र.ग. सरकार की नीतियां, कार्यक्रम तथा कार्यनिष्पादन।

(2) भारत-अमरीका समझौते के .गुण-दोष।

पट्टाली मक्कल काच्ची निम्न दो बिंदुओं से संतुष्ट है और इसलिए इस सरकार का समर्थन करती है।

मैं इस अवसर पर श्रीमती सोनिया गांधी को सं.प्र.ग. सरकार को एक दूरदर्शी नेतृत्व प्रदान करने पर बधाई देता हूं।

वे सर्वोच्च बलिदान की प्रतीक हैं क्योंकि 2004 के आम चुनाव के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री का पद अस्वीकार कर दिया था हालांकि राजनीतिक दलों तथा देश के नेताओं ने उनसे नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था। दलितों के प्रति उनकी चिंता यू.पी.ए. सरकार की ओ.बी.सी. छात्रों हेतु उच्च शिक्षण संस्थाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण और राज्य सभा में महिला आरक्षण विधेयक पुरःस्थापित किए जाने की नीति से परिलक्षित होता है।

हम अपने प्रधानमंत्री के असाधारण प्रदर्शन से भी उत्साहित हैं। उनकी दूरदर्शिता, क्षमता और लगन के कारण ही आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अत्यधिक सफलता मिली है। वे एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रधानमंत्री हैं। अर्थशास्त्र के प्राध्यापक, अर्थशास्त्र के नीति निर्माता, सार्वजनिक व्यक्तित्व के रूप में डा. मनमोहन सिंह एक सफल व्यवसायिक और विवेकपूर्ण प्रधानमंत्री रहे हैं। 1991 में जब वे वित्त मंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बिना सफल अर्थव्यवस्था के राजनीति सफल नहीं हो सकती और बिना सफल राजनीति के अर्थव्यवस्था सफल नहीं हो सकती। आज, 17 वर्षों के बाद उन्होंने अपने चार वर्षों की उपलब्धियों जो स्वच्छ राजनीति और सफल अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं, से अपनी बात सच साबित कर दी।

एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर डा. मनमोहन सिंह ने दिखा दिया है कि समाज को उनकी सृजनशीलता के उपयोग हेतु नेता की शिष्टता और शालीनता अति सहायक हो सकती है। विभिन्न बाध्यताओं और समस्याओं को देखते हुए उनकी सरकार की उपलब्धियां वास्तव में शानदार है। दुर्भाग्यवश, विपक्ष के माननीय नेता जिनका मैं बहुत आदर करता हूं डा. मनमोहन सिंह द्वारा किए गए अच्छे कार्य की सराहना नहीं कर पाए हैं।

वास्तव में कल उनका भाषण असत्य और विरोधाभास से भरा था। वे हमें बता रहे थे कि प्रधान मंत्री जिनकी 1964 में मृत्यु हो गई थी, उन्होंने अपनी कब्र से बाहर आकर 1974 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, यू.पी.ए. सरकार के चार वर्षों का आकलन करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को लकवा मार गया है तथा इसकी तुलना आई.सी.यू. में रोगी से की। यह पुनः एक अत्यधिक गलत वक्तव्य है। यदि किसी को निष्पक्ष आकलन करना है तो उसे कम से कम दो दस्तावेज देखने होंगे। पहला साझा न्यूनतम कार्यक्रम जो यू.पी.ए. सरकार का महाधिकार पत्र है तथा 'रिपोर्ट टू द पिपुल 2004-2008।' मुझे पता है कि श्री आडवाणी ने यू.पी.ए. सरकार के कार्यनिष्पादन का आकलन करने से पूर्व इन दो दस्तावेजों को पढ़ने की कोशिश नहीं की है। महोदय, मैंने इन दस्तावेजों के हरेक वाक्य और पृष्ठ को पढ़ा है और एक निष्पक्ष मूल्यांकनकर्ता के रूप में मैं कार्यनिष्पादन पर 80 प्रतिशत अंक दूंगा। आपको एक उदाहरण देता हूं: साझा न्यूनतम कार्यक्रम में वायदा किए गए 153 कार्यक्रमों में से सरकार ने 127 (83 प्रतिशत) कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं। इसका अर्थ यह है कि इस सरकार ने भारत के लोगों को किए गए वायदों में से 83 प्रतिशत को पूरा किया क्या यह सरकार लकवा का शिकार है? क्या सरकार की स्थिति आई.सी.यू. में रोगी की तरह है? मेरे विचार से आडवाणी की निष्पक्षता में त्रुटि है।

आप आज अर्थव्यवस्था को देखें। यह तेजी से बढ़ रही है। जब भाजपा सत्ता से हटी थी तो अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब थी। परन्तु पिछले 4 वर्षों में यू.पी.ए. सरकार ने आवश्यक विश्वास पैदा किया, उपयुक्त नीतियां और कार्यक्रम विकसित किए और चरमराती हुई अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित की। भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 4 वर्षों में निरंतर 9 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है जो स्वतंत्रता के पश्चात् देश की सबसे अधिक विकास दरों में से है। लोगों को जानना चाहिए कि मात्र अधिक विकास दर से ही लोगों की आय, उपभोग, बचत, निवेश और विकास संभव होगा। गरीबी को उच्च विकास दर से ही दूर किया जा सकता है। यही हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने पिछले 4 वर्षों में अनुभव किया है।

हाल ही के सकल घरेलू उत्पाद का उल्लेखनीय तथ्य सकल घरेलू बचत और निवेश में तेजी का रुझान है। यह निवेश दर 2002-03 में जी.डी.पी. के 25.2 प्रतिशत से बढ़ कर 2006-07 के जी.डी.पी. का लगभग 35 प्रतिशत हो गया है। सकल घरेलू बचत 2002-2003 में 26.4 प्रतिशत से बढ़कर 2006-2007 में 34.8 प्रतिशत हो गई। प्रति

[प्रो. एम. रामदास]

व्यक्ति आय के विकास में तेजी आई है और यह पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रति वर्ष औसतन 7.2 प्रतिशत रही है। इसका अर्थ यह है कि प्रति व्यक्ति आय एक दशक में अब दुगुनी हो जाएगी जिसके कारण गरीबी कम होगी। आर्थिक प्रगति के कारण गरीबी जो 2004-2005 में 27.5 प्रतिशत थी 2005-06 में 24.0 प्रतिशत रह गई अर्थात इसमें 3.5 प्रतिशत की कमी आई है।

सरकार ने आय, शिक्षा, अवसंरचना, सड़कों, रेल, विमान-पत्तनों, कर राजस्व, राजकोषीय आदि क्षेत्र तथा महिला और, श्रमिक वर्ग, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों हेतु अच्छा कार्य किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि यह सरकार बनी रहे।

मूल्यांकन का दूसरा आधार भारत-अमेरिकी समझौते के लाभ हैं। यह समझौता देश में विद्युत संयंत्र स्थापित करने के बारे में है ताकि बिजली की आपूर्ति बढ़ाई जा सके जो आर्थिक विकास हेतु अनिवार्य है। भाजपा भी इससे मोटे तौर पर सहमत है परन्तु यह तर्क गलत है कि हाइड एक्ट से हानि होगी, कि भारत पिछलग्गु हो गया है, भारत अपनी संप्रभुता खो देगा और इसका न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लेख नहीं है। 123 समझौते के पाठ के पढ़ने से सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। इस समझौते से इस देश को लाभ होगा और इसके आधार पर इस सरकार को गिराने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त उद्धृत सभी कारणों को देखते हुए हम विश्वास मत का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे।

*श्री श्रीपाद येसो नाईक (पणजी): मैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सभा में पुरःस्थापित किए गए प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं। महोदय, कांग्रेस के नेतृत्व में सं.प्र.ग. की इस सरकार को वाम दलों के बाहरी समर्थन से न्यूनतम साझा कार्यक्रम के साथ सत्ता में आए हुए चार वर्ष और दो माह बीत चुके हैं। तभी से ही वे हमेशा संयुक्त राज्य अमरीका, के साथ परमाणु समझौते को लेकर चर्चा करते रहे हैं। मुझे यह नोट करके आश्चर्य होता है कि जब आम चुनाव होने में केवल कुछ ही माह शेष हैं, अचानक वामदलों ने सं.प्र.ग. सरकार से समर्थन वापस ले लिया है।

महोदय, यदि प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी वामदलों को परमाणु समझौते तथा हाइड एक्ट के बारे में मनाने में सफल हो पाते, तो सभा में यह विश्वास मत प्रस्तुत न किया जाता। वामदलों का यह कहना है कि उन्हें अंधेरे में रखा गया और कांग्रेस पार्टी उनकी सहमति के बिना परमाणु समझौता करने जा रही है। कांग्रेस की यही नीति है कि वह सफलता पाने के बाद, उपयोग करो और फेंक दो, की नीति पर चलती है। उन्होंने पहले भी कई बार अपने निहित स्वार्थों के कारण सरकार की चेन खींची है।

महोदय, गत चार वर्ष और दो महीने से सं.प्र.ग. और कांग्रेस इस देश के लोगों को धोखा दे रही हैं। सरकार मूल्य नियंत्रित करने, मुद्रास्फीति और किसानों को आत्महत्या से रोकने, कानून-व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के मामले में पूर्णतया असफल रही है। वर्तमान सूचकांक ऊपर चढ़ गया है। इस देश की 77 प्रतिशत जनसंख्या केवल 20 रुपये प्रतिदिन की आय पर गुजारा कर रही है। आज मुद्रास्फीति की दर 12 प्रतिशत है।

महोदय, देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद की गंभीर समस्या है। हमारे सामने अभी तक बंगलौर तथा जयपुर में हाल ही में हुए बम विस्फोटों के समुचित परिणाम नहीं आए हैं। आई.एस.आई. हमारी सीमा और सेना के शिविरों पर हमला कर रही हैं। संसद पर हुए आतंकवादी हमले का मामला लंबित है। अतः यह सरकार पूर्णतया असफल रही है।

महोदय, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के ऋण माफ करने के लिए 60,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है। परन्तु आज तक कुछ नहीं किया गया है। अब बैंक किसानों को कोई ऋण नहीं दे रहे हैं। आज किसानों की हालत पहले से भी बदतर है।

महोदय, कृषि हमारे देश का मेरुदण्ड है। लेकिन इस सरकार ने किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 10 रुपये करने की मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर वह 14 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं का आयात कर रही है। इसलिए उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब, उन्हें सत्ता छोड़ ही देनी चाहिए।

परमाणु समझौते को लेकर, कांग्रेस सरकार ने देश में राजनैतिक संकट पैदा कर दिया है। यह मुद्दा पूर्णतया असत्य पर आधारित है। सरकार का यह कहना है कि इस समझौते के अंतर्गत हाइड एक्ट हमें प्रभावित नहीं करेगा। हम हाइड एक्ट से बाहर हैं। यह एक्ट अन्य देशों के लिए

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

है। यह पूर्णतया झूठ है। अमरीकी पहले ही दिन से यह कह रहे हैं कि इस समझौते का उद्देश्य भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार व्यवस्था के अंतर्गत लाना है। उनका उद्देश्य भारत के परमाणु अस्त्र कार्यक्रम पर रोक लगाना, उसे कम करना तथा अन्ततः समाप्त कर देना है। इसका तात्कालिक उद्देश्य भारत को परमाणु अस्त्र प्रौद्योगिकी के आरम्भिक चरण में ही रोक कर, उसके द्वारा आगे परीक्षण करने पर रोक लगाकर उसके इस विकल्प को हमेशा के लिए समाप्त कर देने का है।

महोदय, हमारे नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी पहले ही इस तथ्य का उल्लेख कर चुके हैं कि यदि हमने यह समझौता किया तो हम कभी भी पोखरण-परीक्षण नहीं कर पाएंगे। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के मंत्री ने अपने भाषण में यह उत्तर दिया कि "हम पोखरण III-IV जैसे और अधिक परीक्षण नहीं करना चाहते," क्योंकि हमारी परमाणु शक्ति का परीक्षण पहले ही किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यहां यह उल्लेख करना पड़ेगा कि पोखरण एक, दो या तीन परीक्षण पर्याप्त नहीं हैं। हमें और अधिक परीक्षण करने पड़ेंगे, हम यह नहीं चाहते कि हमारी प्रौद्योगिकी जड़ हो जाए। आपकी जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि संयुक्त राज्य अमरीका ने 1030 परीक्षण किए, रूस ने 715 और चीन ने 45 परीक्षण किए हैं। इसलिए और अधिक परीक्षण करना परमावश्यक है। जहां तक भारत-अमरीका के बीच इस परमाणु समझौते का संबंध है, हाइड एक्ट से हमारी विदेश नीति भी प्रभावित होगी।

अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ प्रश्नों का माननीय प्रधानमंत्री जी से उत्तर चाहिए:

(एक) हाइड एक्ट के अनुसार यदि अमरीका हमें निशस्त्र करने के लिए हमारी विदेश नीति में फेरबदल करता है तो हम दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा बाजार होने के नाते अमरीका पर पाकिस्तान को निशस्त्र करने के लिए इसी प्रकार के कदम क्यों नहीं उठा सकते क्योंकि ईरान की अपेक्षा आतंकवादियों के हाथ परमाणु हथियारों का लगना कहीं अधिक खतरनाक है।

(दो) ईरान के साथ सांस्कृतिक संबंधों और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दिनों का क्या होगा? क्या भारत सरकार ने ईरान से सहानुभूति रखने वाली बहुसंख्यक भारतीय मुस्लिम जनसंख्या को विश्वास में ले लिया है?

(तीन) इस समझौते की धारा 103 ख. 1 (1) के अनुसार भारत, पाकिस्तान और चीन को परमाणु विस्फोट करने हेतु विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन पर यथाशीघ्र रोक लगानी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पर भारत सरकार क्या राय है?

अध्यक्ष महोदय, एक देश के रूप में इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से पूर्व हमें तीन प्रयोजनों पर आम सहमति बनानी होगी।

(1) **सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गठजोड़:** पूरे देश के साथ इस एक स्पष्ट मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए कि **क्या भारत अमरीका के लिए एक खतरा है और उसी तरह अमरीका भी भारत के लिए एक खतरा है?** यदि अमरीका को खतरा माना जाता है तो, आम सहमति से, हमें उसके साथ ऐसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिएं जिसमें हमें अपनी जानकारी इतनी गहराई तक उनके साथ बांटनी पड़े। यदि आम सहमति में यह धारणा बनती है कि एक सहयोगी के रूप में संबंध बनाए जाएं तो जानकारी का आदान-प्रदान अच्छा है।

(2) **ऊर्जा के प्रति दृष्टिकोण:** बढ़ते औद्योगीकरण, भारी मांग और ग्रामीण भारत में नियमित रूप से बिजली की कटौती के कारण भारत के सामने एक प्रमुख ऊर्जा संकट मौजूद है। अतः हमारे यहां ऊर्जा की सुस्पष्ट कमी है। वर्तमान में इस मांग को पूरा करने या इस संकट से निपटने के लिए हमारे पास परमाणु ऊर्जा ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, जिससे तेजी से तथा बड़े पैमाने पर इस संकट को हल किया जा सकता है क्योंकि इससे बहुत तेज गति से और बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में हमारे सामने भारत में क्या संकट मौजूद हैं। हमारे यहां भारत के विरुद्ध कार्य कर रहे सैकड़ों आतंकवादी संगठन हैं जो कश्मीर, असम, नागालैण्ड और मणिपुर में सक्रिय हैं तथा नक्सलवादी भी हैं। भारत भर में विभिन्न परमाणु संयंत्र स्थापित करके क्या हम

[श्री श्रीपाद येसो नाईक]

अपने नाजुक पर्यावरण के दीर्घकालीन क्षति पहुंचने से रोकने हेतु उनकी सुरक्षा के लिए और अधिक धन का निवेश करेंगे। यूरोपीय विकसित अर्थव्यवस्थाएं परमाणु ऊर्जा को छोड़कर वैकल्पिक ऊर्जा यथा पवन, तरंग आदि की ओर क्यों अग्रसर हो रही हैं। क्या उनको परमाणु ऊर्जा का कोई नकारात्मक अनुभव हुआ है? चूंकि हमारे पास एक ही ग्रह (पृथ्वी) है परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करेंगे और परमाणु कचरे को इसी संवेदनशील ग्रह अथवा देश में डाल देंगे। तो क्या यह मानव-निर्मित प्रौद्योगिकी प्रदूषण रहित विद्युत उत्पादन की वर्तमान विधियों की तुलना में ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा रही है? यदि वर्तमान सरकार का यह वर्तमान परमाणु ऊर्जा संबंधी दृष्टिकोण, भविष्य में समाज और पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचाती है तो क्या इन दो सरकारों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन्हें दंडित किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा से ऊर्जा मांग की कितने प्रतिशत पूर्ति हो सकेगी। क्या परमाणु ऊर्जा संबंधी दृष्टिकोण और जलवायु परिवर्तन संबंधी वैश्विक गतिविधियों में कोई विरोधाभास तो नहीं है?

(3) **प्रतियोगी परिदृश्य** - क्या घरेलू भारतीय परमाणु कंपनियां अमरीकी कंपनियों से प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं अथवा उन्हें प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग करने के लिए बाध्य किया जाएगा। परमाणु संयंत्र लगाने से लेकर मशीनरी के आयातकों/निर्यातकों, प्रौद्योगिकी और कच्चे माल तक के लिए इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की नीति क्या है?

महोदय, कांग्रेस सरकार इस परमाणु करार संबंधी मुद्दे पर आम सहमति बनाए बिना ही परमाणु करार पर हस्ताक्षर करना चाहती है। उन्होंने इस मुद्दे पर न तो संसद में चर्चा की है और न ही अपने सहयोगियों को कुछ बताया है। इसलिए इस विश्वास प्रस्ताव के समर्थन का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजपाल सिंह रावत (गढ़वाल): संप्रग सरकार का चार वर्ष का कार्यकाल सभी मोर्चों पर खराब प्रदर्शन की एक निराशाजनक कहानी है। विदेश नीति से लेकर, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्रबंधन, आम आदमी का सामाजिक कल्याण, छठा वेतन आयोग और अंततः परमाणु करार तक, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यह सरकार विफल ही रही है।

चार वर्ष तक विदेश नीति वामपंथी दलों द्वारा संचालित की जाती रही जो चीनी विचारधारा पर चल रहे थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के अमरीका-विरोधी रुख से परमाणु करार डांवाडोल स्थिति में आ गया। तिब्बत विद्रोह, भारत से ओलम्पिक मशाल का गुजरना और नेपाल का चीनी खेमे में जाना एक कमजोर और दब्बू विदेश नीति के दुखद उदाहरण हैं।

सुरक्षा मोर्चे पर, इस सरकार के दृष्टिकोण ने सांप्रदायिक पथ अख्तियार कर लिया है। 'पोटा' समाप्त कर दिया गया। अफजल गुरु को मृत्युदंड मिलने के बावजूद वह चार वर्ष से जेल में है। न तो आतंकवाद नियंत्रित हुआ और न ही आतंकवादियों को सजा मिली। आतंकवादी और मुखर हो गए हैं और 'वोट बैंक' बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई है।

नक्सलवाद का प्रसार राष्ट्र के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। देश में हुए अनेक विस्फोटों से आंतरिक सुरक्षा और खराब हो गई है। असम, कश्मीर और अन्य अंदरूनी क्षेत्र खतरे में हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और महानगरों में अतिवादियों का खतरा बढ़ गया है। रेलगाड़ियों, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, बंगलौर, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, लुधियाना और अजमेर में आतंकवादी घटनाओं में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं।

रक्षा तैयारी उपेक्षित है। रक्षा के लिए बजट का मुश्किल से 1.9% आबंटित किया गया है। तीनों सेनाओं को अपनी रक्षा तैयारी के लिए विमानों, तोपों, विमान वाहकों, यूरोकॉप्टरों की अत्यधिक आवश्यकता है जिसमें अत्यधिक विलंब हो चुका है।

तीनों सेनाओं के अध्यक्षों का अलग वेतन आयोग का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया और न ही सेनाओं के किसी प्रतिनिधि को वेतन आयोग का सदस्य बनाया गया है। नौकरशाही के वेतन में भारी वृद्धि करके वेतन आयोग ने उनका तो ख्याल रखा लेकिन सैन्य बलों की अनदेखी की गयी जो राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी जान देते हैं। आक्रोश के कारण अनेक सैन्य अधिकारी और कर्मचारी स्वैच्छिक

*भावण सभा पटल पर रखा गया।

सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। पूर्व-सैनिकों की 'एक रैंक एक पेन्शन' की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है और न ही अर्धसैनिक बलों के पेंशनभोगियों को कैंटीन की सुविधा दी गई है।

आर्थिक मोर्चे पर, बढ़ती मुद्रास्फीति से पूरा देश और विशेषत: आम आदमी प्रभावित हुआ है। हजारों करोड़ रुपए दोषपूर्ण योजनाओं में लगा दिए गए हैं। किसान अब भी आत्महत्या कर रहे हैं और बैंक ऋण देने में कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं।

गरीबों और पददलितों के उत्थान पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया है। जाति और धर्म आधारित योजनाएं ही मानदंड बन गई हैं।

कुल मिलाकर यह ऐसी सरकार का एक निराशाजनक प्रदर्शन है जो सभी मोर्चों पर विफल हो चुकी है और इसे अपना बोरिया-बिस्तर बांधना चाहिए।

***श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी** (नालगोंडा): प्रधान मंत्री ने संसद से विश्वास मत देने की बात कही है। यह परमाणु करार पर मतदान नहीं है, बल्कि यह उनके चार साल और दो माह के शासनकाल के लिए मतदान है।

हम राजनीतिक कारणों से इस करार का विरोध करते हैं। जैसा कि उनका दावा है, इससे हम अमेरिका के सामरिक साझीदार बन जायेंगे। अमेरिका कभी भी भारत का मित्र नहीं था। क्या आपको वे दिन याद है जब अमेरिकी नौ सेना के कुख्यात सातवें बेड़े ने हमें डराने के लिए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश किया था जब भारतीय सेना बांगलादेश की आजादी में सहयोग के लिए बांगलादेश की ओर बढ़ी थी? क्या आपको भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को हथियारों, एफ-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति याद है। आज अमेरिका विश्व में अलग पड़ गया है। उसके अपने ही देश में उसकी नीतियों का विरोध हो रहा है। अब आप भारत को अमेरिका की गोद में डालना चाहते हैं।

मुझे आश्चर्य है कि हम संप्रग का लक्ष्य बनते जा रहे हैं विशेष रूप से जब हम वामपंथी लोग आपकी सरकार का विरोध करते हैं। हमारी देशभक्ति पर यह कहकर सवाल उठाया जाता है कि हम चीन के लिए काम कर रहे हैं, भारत के लिए नहीं। यह कैसा शर्मनाक आरोप है? हमारे धर्मनिरपेक्ष विश्वास पर सवाल उठाया जाता है, क्योंकि भाजपा भी विश्वास-मत के विरुद्ध मतदान करेगी। श्री वी.पी. सिंह, की सरकार, श्री देवेगोड़ा की सरकार और आई.के. गुजराल की सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस ने क्या किया था? क्या आपने भाजपा के साथ मतदान नहीं किया था?

परमाणु ऊर्जा भी उतनी सस्ती नहीं आ रही है जितना आप प्रचारित कर रहे हैं। यूरेनियम की कीमत चार गुणा बढ़ गई हैं और भविष्य में यह और महंगा होने वाला है। जहां तक इस करार का संबंध है तो पहले रिएक्टर से बिजली मिलना आठ वर्ष बाद शुरू होगा जबकि ताप विद्युत परियोजनाओं को अगले छह महीनों में पूरा किया जा सकता है। हमारे पास पन बिजली, ताप विद्युत और पवन-विद्युत की काफी संभावनाएं हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा कोयला भंडार अगले 150 वर्षों के लिए पर्याप्त है। हम अन्य विकल्पों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उस करार पर क्यों जोर दे रहे हैं जो राष्ट्र हित के विरुद्ध है?

आप हम पर भाजपा के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगा रहे हैं। यह सत्य नहीं है। यह एक सनकी आरोप है। प्रधानमंत्री पर प्रमुख विपक्षी पार्टी, भाजपा द्वारा हमला किया गया। प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने के लिए उनके व्यक्तित्व हनन का लगातार प्रयास किए गए। हम, वामपंथी दलों ने इसकी निंदा की और इसे नामंजूर किया।

हमने आपकी आलोचना की और उन प्रमुख नीतियों का विरोध किया जिससे देश का आम आदमी प्रभावित हो रहा है। हमने आपको कभी भी कॉरपोरेट घरानों के मामलों में हस्तक्षेप करने या उनके विवादों को सुलझाने के लिए नहीं कहा। वस्तुत: आपने उस सुझाव को भी नामंजूर कर दिया जब कुछ अन्य लोगों ने ऐसा प्रस्ताव किया। हमारा विरोध और हमारी आलोचना उन मुद्दों पर थी जिनका संबंध आम आदमी से है।

कल आपने प्रेस में कहा था कि हेराफेरी का आरोप निराधार है और इसके लिए सबूत मांगा था। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, सुश्री मायावती के खिलाफ अचानक केन्द्रीय जांच ब्यूरो का मामला कैसे आ गया है? क्या यह राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को डराना नहीं है। क्या इससे लोगों का विश्वास सी.बी.आई. या ऐसा अन्य संस्थाओं पर से नहीं उठेगा।

सभा में आज की घटना से हम सभी का सिर शर्म से झुक गया है। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

इसकी उचित रूप में जांच होनी चाहिए। बिना आग के धुंआ नहीं उठता है। डा. सिंह अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस सरकार को बचाने के लिए बहुत ही अनैतिक तरीके अपनाए जा रहे हैं।

हम भारत-अमेरिकी करार का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह हाइड एक्ट से जुड़ा हुआ है। यह व्याख्या कि यह हम पर बाध्यकारी नहीं होगा, असत्य है; लेकिन यह अमेरिका के लिए बाध्यकारी है। इसलिए, इसका हमारी विदेश नीति पर प्रभाव पड़ेगा। श्री चिदम्बरम का चातुर्यपूर्ण भाषण विश्वास करने योग्य नहीं है। हम साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। इसलिए हम जनता के समक्ष जाएंगे और इसको उन्हें बताएंगे।

हम विश्वास मत का विरोध करते हैं। हम कुछ ही मिनटों में देखेंगे कि सभा में आप विश्वास मत जीतते हैं या हार जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने देश का विश्वास पहले ही खो दिया है।

आपने अपने चार वर्ष के शासनकाल पर विश्वास मत मांगा है। हमें कई मुद्दों पर आपसे असंतुष्टि है क्योंकि आप न्यूनतम साझा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में असफल रहे हैं। सर्वप्रथम, आप साम्प्रदायिक हिंसा निवारण अधिनियम लाने में असफल रहे हैं। जैसा कि इसमें वादा किया गया था। दूसरी, आप महिला आरक्षण विधेयक को कानून बनाने में असफल रहेंगे। तीसरी, आप असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा विधेयक लाने में असफल रहे हैं। 40 करोड़ लोग आपके द्वारा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। चौथी बात, आप कीमतों में वृद्धि और मुद्रास्फीति को नहीं रोक पाये जिससे भारत के करोड़ों लोग परेशान हैं। पांचवीं बात, आप कृषि समस्या को नहीं हल कर पाये। पुनः किसानों द्वारा आत्महत्या जारी है।

इसलिए, हमारी पार्टी ने आपका विरोध करने का निर्णय लिया है और आपके द्वारा लाए गए विश्वास मत के विरोध में मतदान करने का निर्णय लिया है। वास्तव में, हम उन घटनाओं से आहत हैं जो घटित हुई हैं। हम धर्मनिरपेक्ष सरकार के प्रयोग को सफल देखना चाहते हैं लेकिन यह वामपंथी दलों के साथ आपका धोखा है और यह संकीर्ण धर्म का छलावा है जिसने हमें ऐसा कदम उठाने के लिए बाध्य किया है।

[हिन्दी]

***चौधरी विजेन्द्र सिंह** (अलीगढ़): मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे परमाणु डील जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। क्योंकि डील ऊर्जा के संकट के लिए देश के किसानों की कृषि, औद्योगिकीकरण व आम जनता के जन जीवन की समस्या के समाधान का भविष्य तय करेगी।

मान्यवर, हमारे बहुत से विद्वान साथियों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये हैं लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ एन.डी.ए. के साथी डील पर कम बल्कि राजनैतिक द्वेष भावना से चर्चा कर रहे हैं।

मान्यवर, आज पूरे मुल्क का किसान बढ़ती हुई आबादी के खाद्यान्न उत्पादन हेतु सिंचाई के जल संसाधनों के लिए भटक रहा है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है। यही कारण है कि पूरे मुल्क में किसान आत्महत्या कर रहा है।

मान्यवर, नौजवानों की बढ़ती बेरोजगारी के लिए देश का औद्योगिकीकरण नितांत आवश्यक है जिसके लिए बिजली का बढ़ाना अवश्यम्भावी है। यही नहीं बढ़ती हुई आबादी के लिए विद्युत की आवश्यकता आम जनता के जन जीवन के लिए आक्सीजन बन चुकी है। आपने देखा होगा कि बिजली के अभाव में महानगरों में एक घण्टा के लिए विद्युत सप्लाई के अभाव में आम जनता धरने प्रदर्शन पर उतारू हो जाती है।

मान्यवर, आज यह डील इसी समस्या के समाधान के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होनी चाहिए। मान्यवर भारतीय जनता पार्टी व उनके साथियों को उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश की दुर्दशा की तरफ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में 19 वर्षों में किसी भी सरकार द्वारा 1 यूनिट बिजली उत्पादन करने की क्षमता को नहीं बढ़ाया गया। यह बतायें कि इनके द्वारा कौन सा विद्युत उत्पादन का प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाया गया। उत्तर प्रदेश के सारे प्लांट नरौरा एटामिक प्लांट पनिकी ऊंचाहार, कासिलपुर पॉवर हाउस आदि सभी कांग्रेस की देन है। जबकि उनके द्वारा बहुत से विद्युत प्लांट व चीनी मिल प्राइवेट सेक्टर को बेचे गये हैं यह भाजपा और बी.एस.पी. की जनता के प्रति वफादारी के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कारनामे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन दलों को जनता के भावी भविष्य की परवाह नहीं बल्कि सत्ता की कुर्सी की परवाह है।

मान्यवर, एन.डी.ए. के कुछ साथियों का कहना है कि 4 वर्ष 2 महीने में भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, यह एक गम्भीर आरोप है। मैं कहना चाहता हूं कि यू.पी.ए. सरकार ने देश का इस कार्यकाल में सर्वांगीण विकास किया है क्योंकि मिड डे मील, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, पी.एम.जी.एस.वाई., दलित और पिछड़ों को छात्रवृत्ति की योजना गरीबों के लिए रोजगार गारंटी, किसानों की कर्जा माफी, गरीब बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन वृद्धि, टेक्नीकल एजुकेशन को बढ़ावा, संचार क्रांति, सूचना का अधिकार आदि ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं, जिन्हें देश की आम जनता जानती है।

मान्यवर, कुछ विरोधी साथियों की चर्चा से ऐसा प्रतीत होता है कि वे साधारण रूप से जनता को गुमराह करने के लिए यह कहना चाहते हैं कि इस डील से देश की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी यह सरासर गलत ही नहीं बल्कि असत्य है।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि एक समय आजादी के वक्त अंग्रेजों ने देश को सोने की चिड़िया कहा था जबकि उस समय यह देश आर्थिक रूप से दयनीय था जबकि आदर्श, सिद्धान्त, चरित्र और एकता के लिए एक आदर्श के रूप में अंग्रेजों ने इस देश को सोने की चिड़िया माना था क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि जाति, धर्म और गोत्र के नाम पर भारत की जनता की एकता को तोड़ा जाए लेकिन उसका यह सपना पूरा नहीं हुआ। यही कारण है कि एकता की कुर्बानियों पर देश को आजादी मिली और हमारी इसी एकता की ताकत को सोने की चिड़िया कहा गया।

मान्यवर, आज हमारे कुछ साथी बी.जे.पी., बी.एस.पी. व अन्य जाति धर्म और गोत्र की राजनीति को बढ़ावा देकर समाज की एकता को तोड़ना चाहते हैं जिससे देश कमजोर हो रहा है। मान्यवर, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि देश को खतरा बाहर से नहीं बल्कि जाति, धर्म और गोत्र के बढ़ने के कारण अंदर से है। मान्यवर, चर्चा होनी चाहिए थी कि बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए या जिन लोगों ने देश की राजनीति को आदर्श न मानकर साधन बना लिया है, सत्ता की कुर्सी को उद्योग धंधा बना लिया है, इन्हें कैसे रोका जाए लेकिन बी.एस.पी., बी.जे.पी. व उनके साथी लोग इस ज्वलंत समस्याओं के प्रति अपने काले कारनामों से जनता का ध्यान हटाने के लिए अमेरिका के साथ हो रही परमाणु डील का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार ने नीति व सिद्धान्त और ईमानदारी को तोड़ कर अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग का धंधा बना लिया है क्योंकि मुझे कहने में संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री जन समस्याओं, किसानों, मजदूरों, नौजवानों से दूर हट कर कुर्सी हथियाना चाहती हैं। यह उनका असली चरित्र है।

मान्यवर, मैं अन्त में अपने समस्त दलों के साथियों से यही कहना चाहता हूं कि यह परमाणु डील देश का भावी भविष्य है। इसके लिए सभी दलों के साथियों को धर्म, जाति और दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर सरकार का साथ देना चाहिए क्योंकि अमरीका जैसे देश के साथ दोस्ती का पैगाम देश में बहुमुखी रास्ते खोलेगा जिससे पूरी दुनिया में बीसों करोड़ रोजगार पा रहे देश वासियों के माध्यम से देश को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के बाद इस देश के महापुरुष एवं कर्णधारों ने जाति, धर्म और सत्ता के लालच से ऊपर उठकर आदर्शों को प्रथम स्थान दिया था उन्हीं में से चौधरी चरण सिंह, इन्दिरा गांधी महान नेता थे। जिन्होंने जीवन पर्यन्त आदर्श विचारों के साथ देश के भावी भविष्य के लिए अपनी राजनीति को स्थापित किया था। आज बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि स्व. चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र आर.एल.डी. पार्टी के नेता तुच्छ सत्ता के लालच में सिद्धान्त विहीन, भ्रष्टाचार में लिप्त उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री मायावती का साथ दे रहे हैं, यही नहीं वामदल व अजीत सिंह साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष की दुहाई देते हैं ये लोग भाजपा और मायावती के साथ खड़े हैं।

मान्यवर, देश की जनता को स्व. चौधरी साहब की आत्मा चौधरी अजीत सिंह व वामदलों को माफ नहीं करेगी। क्योंकि बी.एस.पी. भाजपा और आर.एल.डी. व इनके साथी लोग आम जनता, किसानों, मजदूरों, नौजवानों की समस्याओं का समाधान नहीं चाहते हैं, बल्कि, यू.पी.ए. सरकार को गिराकर अपनी दुश्मनी निभाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

*विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम,

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[विक्रम केशरी देव]

मैं माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं, वह जनता द्वारा दिए गए जनादेश की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं और ये संप्रग के भागीदार रहे अवसरवादी घटक वाम दल के साथ 4 वर्ष और दो महीने में राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से असफल रहे हैं चाहे, यह कृषि, उत्पादकता, औद्योगिकीकरण, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने की बात हो, मुद्रास्फीति को बढ़ने से रोकने की बात हो क्योंकि जिस आम आदमी से इन्होंने जनादेश लिया था वह इस समय भूखा मर रहा है। किसान आत्महत्या कर रहा है। ऋण माफी के पश्चात के नए ऋण नहीं मिल रहे हैं, ऋण माफी योजना को कालाहांडी में कार्यान्वित नहीं किया गया है।

गैर-कांग्रेस शासित राज्यों की जान-बूझकर उपेक्षा की जा रही है। खनिज नीति संबंधी हुड्डा समिति की रिपोर्ट से उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। खनिज नीति उपर्युक्त राज्यों में औद्योगिकीकरण और रहन-सहन के विकास के विरुद्ध है। राज्यों के हित की रक्षा करने के लिए इसमें संशोधन किया जाना चाहिए क्योंकि ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं।

मैं जानता हूं कि परमाणु ऊर्जा से हमारी ऊर्जा खपत में सहायता मिलेगी परंतु ये परिणाम 30 वर्षों के लंबे समय के बाद प्राप्त होंगे जब हमारा पड़ोसी देश चीन विकास के क्षेत्र में हमसे 50 वर्ष आगे होगा संभवतः यह अवसंरचना, ऊर्जा जी.डी.पी. वृद्धि और मुद्रास्फीति में कमी भी हो सकती है।

दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत और चीन दो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं। अतः यह भी आवश्यक है कि हमारा देश स्थिति में सुधार करे और चीन के साथ प्रतिस्पर्द्धा करे जो पहले से ही वैश्विक और परमाणु शक्ति बनने की दहलीज पर है। हमारे पास सुनिश्चित परमाणु ईंधन आपूर्ति के साथ इसे प्राप्त करने की सक्षमता है। 123 का समझौता उपर्युक्त पहलू से स्वागत योग्य है, परंतु अपने न्यूक्लियर डिफ्रेंट स्टेट के रूप में अपनी परमाणु सक्षमता त्याग कर नहीं। इससे "सर्ववाऊमात्रा" और स्वाभिमान पर प्रभाव पड़ता है।

जैसा कि हम पहले ही सहमत हैं, पोखरण I और II में सिद्ध हुआ, और यदि अमरीका आपूर्ति रोक दे तो हमारी अपनी असैन्य परमाणु क्षमता में और वृद्धि करने का क्या होगा जैसाकि उसने भूतकाल में हमारे ट्रांबे और अन्य स्थानों पर स्थित चार रिएक्टरों के लिए किया है।

हम इस बात से सहमत हैं कि परमाणु ऊर्जा कोयला और मीथेन गैस तथा अन्य प्रकार की ऊर्जा के तुलना में स्वच्छ है। परंतु सामरिक क्षेत्रों में हमारी परमाणु क्षमता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि ऊर्जा सहायता के कारण भारत का औपनिवेशीकरण नहीं किया जाना चाहिए।

हमें अपने पारेषण और वितरण नेटवर्क में सुधार करना चाहिए और पारेषण तथा वितरण संबंधी घाटे में कमी लाकर यथासंभव ऊर्जा बचानी चाहिए जो 35% से 55% तक के औसत तक पहुंचता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है।

सबसे अधिक स्वच्छ विद्युत में से एक जल विद्युत का पूरा दोहन नहीं किया गया है।

55000 मेगावाट की संभावित क्षमता वाले अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों की विद्युत का उपयोग नहीं किया गया है।

महासागर से पवन और सौर ऊर्जा का पूरा उपयोग नहीं किया गया है। अतः नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम हेतु अधिक बजट सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

संप्रग में धान का 1000/- रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा करके उड़ीसा के धान के किसानों को निराश किया है। इसके बजाय इसे 850/- रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया है। पेपर रिपोर्टों के अनुसार उड़ीसा सरकार ने कभी मांग नहीं की। परंतु धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा डा. स्वामीनाथन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विपरीत है।

चीन की पक्षधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एम) की अवसरवादी नीति के बारे में भारत की जनता को जान लेना चाहिए कि भारत का प्रतिद्वंदी होने के कारण चीन ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पर दावा किया है और भारतीय सीमा के 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रखा है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस मुद्दे को संसद के अंदर या बाहर कभी नहीं उठाया है। उन्होंने भारत की एकता के लिए कभी ऊंची आवाजा नहीं उठाई है।

अतः मैं प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*__श्रीमती मेनका गांधी__ (पीलीभीत): महोदय, मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता है कि चाहे यह सरकार गिरती है या नहीं परंतु इसका कार्यकाल तो समाप्त होने वाला है। मैंने सरकार को कभी पूरी तरह से निष्क्रिय, परस्पर विरोधाभास से भरा और ऐसा नहीं देखा है जिसके मंत्री ऐसे कार्य करते हैं जैसे वे अलग देश में हैं जहां वे अपने और अपने दलों के लिए कार्य करते हैं। एक करार जिस पर कभी हस्ताक्षर नहीं होंगे और जिसका कभी सम्मान नहीं होगा और जिसका भारत के लिए कोई अर्थ नहीं है तथा जिससे देश में किसी को कोई लाभ नहीं मिलेगा उसे अंततः ऐसे विचित्र तुच्छ कार्य को आगे बढ़ाने को शायद सरकार ने गत चार वर्षों में अन्य सब कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण समझा है। यह सरकार इस बात की प्रतीक है कि रेल मंत्री अपने गांव से अपनी पत्नी के गांव तक रेलवे लाइन बनवा सकते हैं परंतु वह प्रति वर्ष आश्वासन देने के बावजूद एक छोटी लाइन को बड़ी लाइन नहीं बना सकते। यह सरकार आम आदमी से वायदे तथा और वायदे करने की प्रतीक है परंतु उसके जीवन को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अब आप स्वयं को बचाने के लिए, कैदियों और हत्यारों को पुरस्कृत करने के इच्छुक हैं। क्या इससे भारत को सहायता मिलेगी?

8% की विकास दर एक कल्पना है। इसकी रोजगार दर और मुद्रास्फीति की दर के साथ जांच किए जाने की आवश्यकता है जो कि काफी कम है।

महोदय, कृषि के मोर्चे पर इस सरकार की विफलता सुपरिचित त्रासदी है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सी.एम.पी.) में संप्रग सरकार ने वर्ष 2004 में राष्ट्र के सामने घोषणा की थी कि "संप्रग सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कृषि अनुसंधान और विस्तार, ग्रामीण अवसंरचना तथा सिंचाई क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि की जाए..."। खेद की बात है कि सच्चाई इससे कोसों दूर है।

क्या सरकार ने कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कोई आधुनिक औद्योगिकीय नवाचारों को कार्यान्वित नहीं किया गया है? यहां तक कि मिट्टी की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं जैसे साधारण से वादे को भी पूरा नहीं किया गया। हमारे देश का मुख्य भोजन चावल है और फिर भी हमारी धान की प्रति हेक्टेयर उपज मिस्र के मुकाबले केवल 30 प्रतिशत और गेहूं की उपज यू.के. के मुकाबले केवल एक तिहाई है। इसका तात्पर्य है कि मिस्र का किसान उतनी ही भूमि पर भारत के किसान से तीन गुना अधिक चावल पैदा करता है। भारत एक बार पुनः खाद्यान्नों, दालों और तिलहन का वास्तविक आयातक देश हो गया है। वस्तुतः सरकार ने जल्दबाजी में गेहूं पर आयात शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और फिर शून्य कर दिया गया है। इसने गेहूं का आयात किया और पकड़ी गयी क्योंकि वह गेहूं इतना घटिया था कि निर्धनतम व्यक्ति भी उसे नहीं खा सकता है। क्या सरकार इस बात का पता लगाने के लिए इसकी जांच कराएगी कि गेहूं के इस निशुल्क आयात से किसको लाभ पहुंचा है?

प्रस्तावित "शुष्क कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना" संबंधी योजना आरम्भ ही नहीं हो पाई। "राष्ट्रीय वर्षा-जल सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण" का गठन फाइलों में खो गया। "मिनी मिशन II जूट" के कार्यान्वयन की दर इतनी धीमी है कि इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। "राष्ट्रीय किसान आयोग" की सिफारिशें कागजों तक ही सीमित हैं। प्रख्यात वैज्ञानिकों द्वारा की गई कोई भी सिफारिश कार्यान्वित नहीं की गई है और "नैशनल एग्रीकल्चर इन्नोवेशन प्रोजेक्ट", जिसे जुलाई, 2006 में आरम्भ किया गया था, फाइलों में खो गया है।

क्या गत 4 वर्षों में फसलों के विकास पर कोई जोर दिया गया है। हां, मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में 'वाइन' के लिए अंगूर उगाने पर जोर दिया गया है जो कि सरकार के अनुसार भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है।

क्या गत 4 वर्षों में गरीबी उपशमन के लिए कुछ किया गया है। मानव विकास सूचकांक में भारत, नार्वे और अन्य पश्चिम यूरोपीय देशों की बात तो छोड़ दीजिए, चीन और श्री लंका जैसे देशों से भी थोड़ा पीछे ही है? विश्व में हमारा स्थान 124वां है। वर्तमान सरकार के अंतर्गत भारत में रहने वाले लोगों की तुलना में 123 देशों के लोगों को बेहतर अवसर प्राप्त हैं। मानव विकास तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का प्रयास करने के स्थान पर वर्तमान सरकार देश के उच्च शिक्षा और यहां तक कि चिकित्सा संस्थानों में भी छात्रों और शिक्षकों के लिए आरक्षण देने की बेतुकी रणनीति अपना रही है। क्या शिक्षकों के वेतन आकर्षक बनाने या उन्हें बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं। नहीं। ऐसा कैसे किया जा सकता है जबकि सरकार जाति को योग्यता के ऊपर वरीयता देते हुए छात्रों तथा शिक्षकों को आपस में बांटने में व्यस्त है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती मेनका गांधी]

महोदय, संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई भी सरकार भारत की सुरक्षा के लिए इतनी हानिकारक साबित नहीं हुई है जितनी की वर्तमान सरकार। संभवतः पिछली कोई भी सरकार इतनी कमजोर भी नहीं रही है जितनी की यह सरकार है।

इस सरकार ने चीन द्वारा भारत की सीमा में लगातार की जा रही घुसपैठ के प्रति भी अपनी आंखें मूंद ली हैं। चीनी सैन्य बल के त्वरित आधुनिकीकरण या चीन की भारत से लगती सीमा पर आक्रमक अवसंरचना निर्मित करने पर शायद ही कुछ कहा जा रहा है।

महोदय, यह सरकार नेपाल में उन माओवादियों के उद्‌भव का अनुमान लगाने में असफल रही है जिनके भारतीय सहयोगी भारत के 608 जिलों में से 231 जिलों में आतंक फैला रहे हैं। इस सरकार के पास मध्य भारत के दूरगामी क्षेत्रों में माओ या नक्सलवादी आतंकवाद के फैलाव का सामना करने की इच्छा शक्ति नहीं है। ये माओवादी गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर भारत के संसदीय लोकतन्त्र को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और बारंबार हमारे अनुपयुक्त हथियारों से सुसज्जित सुरक्षा बल बहुत सुदृढ़ माओवादियों के विरुद्ध एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल ही में नक्सल-विरोधी 'ग्रे-हाउन्ड फोर्स' पर हुआ हमला भारतीय लोकतन्त्र पर इन अति-माओवादियों के खतरे को दर्शाता है। फिर भी इस सरकार ने माओवादियों/नक्सलवादियों के खतरे की अनदेखी की है।

सरकार की कश्मीर में सबको प्रसन्न करने की नीति असफल हो चुकी है। इसके परिणामस्वरूप केवल धार्मिक उग्रवाद को बढ़ावा मिला है। हाल ही में 'अमरनाथ श्राइन बोर्ड' को भूमि आबंटित करने के विरुद्ध हुए शर्मनाक विरोध ने कश्मीर का साम्प्रदायिक चेहरा उजागर कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह याद दिलाना चाहती हूं कि सरकार श्रीनगर में केवल 3 दिन हुए विरोध के सामने झुक गई लेकिन जम्मू को जलते रहने दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछती हूं कि यदि हज यात्रियों के लिए हज बोर्ड हो सकता है तो अमरनाथ यात्रियों के लिए भी वही मानदण्ड क्यों नहीं अपनाया जाता? क्या भारत में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग नियम हैं? सरकार यह दावा करती है कि उसकी धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता ने इसे एक बनाए रखा है। चलिए हम सरकार के धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण की जांच करते हैं। एक ओर प्रधानमंत्री जी यह कहते हैं कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। क्या यह धर्मनिरपेक्षता है? जब निहित स्वार्थों ने श्रीनगर का जलना सुनिश्चित किया तो सरकार ने अमरनाथ के भक्तों की मामूली सी मांग को भी पलटने में देर नहीं लगाई। लेकिन उस समय सरकार में से किसी ने एक आंसू भी नहीं बहाया जब जम्मू जल रहा था या इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि जम्मू के लोगों का विश्वास यह देखकर टूटता जा रहा है कि उनके साथ उनके ही राज्य में दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जा रहा है।

इस धर्मनिरपेक्ष सरकार का पहला कार्य क्या था। गायों को गौ-वध के लिए रेल से पश्चिम बंगाल ले जाने पर प्रतिबन्ध था। जिस दिन श्री लालू प्रसाद मंत्री बने उसी दिन यह प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया और अब उन्हें राष्ट्रीय मालवाहक में हत्या करने के लिए बांगलादेश ले जाया जाता है।

सरकार की पाकिस्तान को प्रसन्न करने की नीति भी पूर्णतया असफल रही है।

जयपुर के हनुमान मंदिर में हुए शृंखलाबद्ध बम धमाके, मुम्बई की रेल में हुए बम धमाके और काबुल में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुआ हमला, ये सभी चीजें सरकार की पूर्ण असफलता को प्रदर्शित करती हैं। वस्तुतः, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भारतीय थल सेना का सबसे बड़े रैंक का अधिकारी शहीद हुआ। काबुल में हुई ब्रिगेडियर की हत्या किसी बम से नहीं हुई थी अपितु ये वर्तमान सरकार की अदूरदर्शी और कमजोर नीतियों के कारण मारे गए थे।

गृह मंत्रालय के 'स्थिति पत्र' के अनुसार, पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूहों की वर्तमान रणनीति है कि भारत में आतंकवाद के नेटवर्क को बनाए रखने हेतु धन की उपलब्धता बनाए रखें, भारत में महत्वपूर्ण स्थलों तथा आर्थिक अवसंरचना को सफलतापूर्वक निशाना बनायें, स्थानीय लोगों को भर्ती करें तथा बाजारों, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, उपासना के स्थल और लोगों के एकत्रित होने के स्थानों आदि जैसे नाजुक लक्ष्यों को अपनी इच्छानुसार निशाना बनायें आदि। वे समुदायों के बीच तनाव पैदा करने के लिए साम्प्रदायिक तनाव से बढ़ावा देने में भी सफल रहे हैं और वे जमीन तथा समुद्र के रास्ते से इच्छित सामान की आपूर्ति भी शुरू कर रहे हैं।

खुफिया जानकारी हासिल करने की बात को प्राथमिकता

नहीं दी गई है। संयुक्त आसूचना समिति (जे.पी.सी.) की एक भी बैठक आयोजित न होना सत्ता में बैठे लोगों की अक्षमता दर्शाता है।

यह सरकार न केवल अक्षम है अपितु यह जानबूझकर गलत जानकारी दे रही है। सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने में और आम आदमियों के जीवन स्तर में सुधार लाने में अक्षम रही है। इसके विपरीत तदर्थ उप-कर तथा कर लगा कर सरकार ने जीवन को और कठिन बना दिया है। बढ़ती मुद्रास्फीति और महंगाई को रोकने में सरकार पूरी तरह अक्षम रही है।

इसलिए समस्त वेतनभोगी वर्ग, मध्यम वर्ग और किसान कमजोर नेतृत्व वाली अक्षम सरकार के विरुद्ध हो गए हैं। पिछले महीने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव के एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि कमर तोड़ महंगाई के कारण वो या तो अपने परिवार का पेट भर सकते हैं या अपनी मां जिसे कैंसर है का उपचार करा सकते हैं। मैंने उससे पूछा कि ऋण माफी से क्या उसे कुछ राहत मिली है तो उसने बताया कि उसके गांव से मात्र तीन व्यक्तियों ने बैंकों से ऋण लिया था। उसने स्थानीय साहूकार से ऋण लिया था जो उसे राहत नहीं देगा। उसने बताया कि ऋण माफी से उसके गांव में अधिकतर लोगों में गुस्सा है और लोग अलग-थलग महसूस कर रहे हैं जैसे कि उन्हें अत्यंत निर्धन होने के लिए दण्ड दिया गया है क्योंकि वे बैंक से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

सरकार की सबसे बड़ी असफलता पर्यावरण के मोर्चे पर है। बिना किसी नियंत्रण के हमारे वनों को बे-रोक-टोक अंतर्राष्ट्रीय समूहों को दे दिया गया है जिन्होंने इस देश के वनों का अत्यधिक दोहन किया है और वन वासियों को बेघर कर दिया है और इससे देश को कोई लाभ भी नहीं हुआ है। श्रीमती गांधी के तटीय क्षेत्र विनियमों की अनदेखी कर उन्हें ताक पर रख दिया गया है। चीन द्वारा बाघों को समाप्त कर दिया गया है परन्तु इस सरकार में इस मुद्दे पर चीन से बात-चीत करने का साहस नहीं है। सेतुसमुद्रम परियोजना के तहत संरक्षित समुद्री क्षेत्र से गाद निकाली गई है जहां सैकड़ों प्रजातियां नष्ट हो गई हैं, लाखों मछुआरों की रोजी-रोटी छिन गई है और हमें सुनामी का खतरा बढ़ गया है। यह सरकार विदेशी सेना की तरह ऐसे कार्य कर रही है जैसे कि अपने अधीन किसी देश के संसाधनों को लूट रही हो और उसे नष्ट कर रही हो।

यह कहना कि परमाणु ऊर्जा ईंधन है एकदम गलत बात है। यह उतना स्वच्छ नहीं है जितना कि उद्योग द्वारा दावा किया गया है। परमाणु ऊर्जा के समर्थक जल-वायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने हेतु अक्सर इसे एक महत्वपूर्ण समाधान मानते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टीट्यूट के अनुसार परमाणु ऊर्जा "कार्बन रहित विद्युत स्रोत" है। 'वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन' के अनुसार यदि विश्व को इस हो रहे जल-वायु परिवर्तन को रोकना है तो "वर्तमान में परमाणु ऊर्जा एक ऐसा साधन है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है।"

अनुसंधानकर्ताओं का अनुमान है कि पवन टरबाइन द्वारा अपनी जीवन अवधि में परमाणु ऊर्जा का कार्बन समतुल्य उत्सर्जन एक-तिहाई है और जल विद्युत का एक-चौथाई है। "दी आक्सफोर्ड रिसर्च ग्रुप" के अनुसार यदि विश्व की परमाणु क्षमता वर्तमान जितनी ही रहे तो 2050 तक परमाणु ऊर्जा से उतनी ही कार्बन-डाई-आक्साइड प्रति किलोवाट घंटा (के.डब्ल्यू.एच.) का उत्सर्जन होगा जितना गैस आधारित विद्युत संयंत्रों से होता है।

पत्रिका एनर्जी पालिसी के अगस्त, 2008 अंक में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों हेतु ग्रीनहाउस गैस समतुल्य उत्सर्जनों संबंधी 103 जीवन अवधि अध्ययनों के निष्कर्ष दिए गए थे। अनुसंधानकर्ताओं ने गणना की कि यद्यपि परमाणु संयंत्र की जीवन अवधि के दौरान परमाणु ऊर्जा हेतु उत्सर्जन की 'रेंज' संबंधित अध्ययनों की जांच में काफी महत्वपूर्ण है औसत मूल्य ('मीन वेल्यू') लगभग 66 ग्रा. कार्बन डाई-आक्साइड समतुल्य प्रति के.डब्ल्यू.एच. (जी.सी.ओ.2ई./के.डब्ल्यू.एच.) है।

परमाणु ईंधन चक्र के फ्रन्ट-एन्ड संघटक (यूरेनियम खनन, मिलिंग और परिष्करण) 38 प्रतिशत समतुल्य उत्सर्जन का कारण है। परमाणु संयंत्र जब कार्य न कर रहे हों तो इनके 'बैक अप' के रूप में जीवाश्म ईंधन वाले जनरेटरों के उपयोग सहित संयंत्र को बन्द कर देने और संयंत्र प्रचालन से 35 प्रतिशत उत्सर्जन होता है। ईंधन चक्र के 'बैक एन्ड' जिसमें उपयोग किए गए ईंधन का भंडारण तथा 'फ्यूल कन्डिशनिंग' से 15 प्रतिशत तथा संयंत्र निर्माण से 12 प्रतिशत उत्सर्जन होता है।

परमाणु उद्योग द्वारा बताए गए आंकड़ों की तुलना में औसत 66 ग्रा. कार्बन-डाई-आक्साइड प्रत्येक के.डब्ल्यू.एच. के हिसाब से अत्यधिक है। इससे स्पष्टत: यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु ऊर्जा किसी भी तरह से 'कार्बन रहित' या

[श्रीमती मेनका गांधी]

'उत्सर्जन-रहित' नहीं है, तथा परमाणु ऊर्जा से समतुल्य कार्बन उत्सर्जन पुनःप्रयोज्य जेनरेटरों से इसकी जीवन अवधि के दौरान होने वाले उत्सर्जन से अधिक है।

परमाणु संयंत्रों द्वारा जीवन अवधि के दौरान समतुल्य कार्बन-डाई-आक्साइड उत्सर्जन का मोटा अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1000 एम.डब्ल्यू. रिएक्टर 90 प्रतिशत क्षमता पर कार्य करने पर एक दिन में 1427 टन समतुल्य कार्बन-डाई-आक्साइड प्रति दिन या 522, 323 मीट्रिक टन कार्बन-डाई-आक्साइड प्रतिवर्ष उत्सर्जित करता है।

परमाणु संयंत्रों से 2005 में 183 मीट्रिक टन समतुल्य कार्बन-डाई-आक्साइड का उत्सर्जन हुआ था। यदि भारत में कार्बन कर लागू किया जाए तो यू.के. और डेनमार्क में 16 डालर और 31 डालर प्रति टन को ध्यान में रखते हुए यदि हम 24 डालर प्रति टन का अनुमान लगाएं तो यह बहुत ज्यादा नहीं होगा। अतः 1000 एम.डब्ल्यू. के परमाणु संयंत्र द्वारा इसके कार्बन समतुल्य उत्सर्जन हेतु प्रति वर्ष लगभग 12.6 मिलियन डालर का भुगतान करना होगा। विश्व भर में परमाणु ऊर्जा उद्योग को प्रति वर्ष लगभग 4.4 बिलियन डालर कार्बन कर का भुगतान करना होगा।

यू.के. में अनुसंधानकर्ताओं ने 15 पृथक वितरित उत्पादन (जेनरेशन) तथा पुनःप्रयोज्य ऊर्जा प्रौद्योगिकियों संबंधी जीवन अवधि विश्लेषण किया और यह पाया कि सभी ने परमाणु संयंत्रों के औसत उत्सर्जन से काफी कम कार्बन-डाई-आक्साइड का उत्सर्जन किया था।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की जीवन अवधि के दौरान ग्रीन हाउस सघनता के कारण ऐसे संयंत्रों को वैश्विक कार्बन कर या 'कार्बन-कैप-एन्ड-ट्रेड' प्रणाली से प्रत्यक्ष लाभ नहीं होगा। हालांकि परमाणु उद्योग पर निश्चित रूप से जीवाश्म चालित जेनरेटर्स की तुलना में कम कार्बन कर देना होगा परन्तु यूरेनियम खनन प्रचालनों, संवर्धन सुविधाओं, संयंत्र निर्माण, संयंत्र के बन्द किए जाने तथा उपयोग किए गए ईंधन के भण्डारण से समतुल्य कार्बन उत्सर्जन काफी होता है। कार्बन उत्सर्जन पर किसी भी प्रकार के कर से निश्चय ही परमाणु ईंधन चक्र के ईंधनों के मूल्य में वृद्धि होगी जिससे परमाणु ऊर्जा अधिक महंगी हो जाएगी।

अपतटीय पवन ऊर्जा से कार्बन उत्सर्जन परमाणु संयंत्रों की तुलना में सातवां हिस्सा होता है। बड़े पैमाने पर जल विद्युत, तटीय पवन ऊर्जा और बायो गैस की तुलना में छठा हिस्सा और छोटी जल विद्युत और सौर ताप की तुलना में पांचवां हिस्सा होता है। इससे ये पुनःप्रयोज्य ऊर्जा, प्रौद्योगिकियों मौसम में बदलाव से लड़ने के लिए प्रति किलोवाट घंटे के आधार पर सात, छह और पांच गुणी ज्यादा प्रभावी बन जाती है।

सरल भाषा में कहें तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में परमाणु ऊर्जा पवन सौर ऊर्जा और अन्य छोटे स्तर पर जेनरेटरों द्वारा उत्पादित ऊर्जा से ज्यादा खराब है।

परमाणु करार करना इस सरकार का अड़ियल रवैया संभवतः सही होता यदि, जैसा कि आप दावा करते है, इस करार से बिजली मिलती चाहे इससे भारत के सम्मान को ठेस क्यों न पहुंची होती। लेकिन यह अन्य कहानी है। 2006 में जारी योजना आयोग की विशेषज्ञ समिति की समेकित ऊर्जा नीति रिपोर्ट, के अनुसार यदि 2031-32 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता में 20 गुणी वृद्धि हो जाती है, तो भी कुल मिलाकर 4-6 प्रतिशत ऊर्जा, संभवतः इससे भी कम, की आपूर्ति हो पायेगी। इस पर हमारी लागत क्या आएगी?

कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों पर प्रति मेगावाट 4.5 करोड़ रुपये, गैस या नाफ्था आधारित संयुक्त चक्रण गैस टरबाइन संयंत्र पर 3 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट, स्वदेशी स्रोतों पर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर 7 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट तथा आयातित स्रोतों पर 10 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट खर्च आएगा।

इसलिए, यदि हम 2020 तक परमाणु ऊर्जा अपनाने जा रहे हैं, तो आज की दर से हमें 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक धन की आवश्यकता होगी। लेकिन यूरेनियम की कीमत वर्ष के अंत तक बढ़ जाती है, यह लागत संभवतः दो गुणा हो जाएगी।

संभव है किसी स्थिति में कुछ वर्षों में अधिकांश देशों में परमाणु ऊर्जा अपने जन्मजात अस्थायित्व के कारण तथा इसके कचरे से निपटने में विश्व की अक्षमता के कारण ऊर्जा संपन्न में नहीं होगा। फिर यह करार किसलिए है?

इस सरकार को कभी भी सत्ता में नहीं आना चाहिए था। वर्तमान सरकार को जाना चाहिए और एक नई राष्ट्रवादी सरकार सत्ता में आनी चाहिए।

[हिन्दी]

*श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी): महोदय, मैं सरकार द्वारा लाये गये विश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहना चाहती हूं कि सरकार ने जनता का ध्यान देश की प्रमुख समस्याओं से हटाने के लिये परमाणु करार को मुद्दा बनाया जबकि इससे बड़ी समस्याएं देश के सामने थी। उनकी ओर चार साल दो माह तक ध्यान नहीं दिया फिर चाहे वह महंगाई की समस्या हो, आम इंसान के लिये दो वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। लोहे, सीमेंट के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीब को एक कमरा बनाना कठिन हो गया है। शिक्षा महंगी हो गई है और पैट्रोल, डीजल महंगा हो गया है। किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। आन्तरिक सुरक्षा एवं बाह्य सुरक्षा के मामले में सरकार असफल है, चाहे मालेगांव, हैदराबाद, जयपुर के बम विस्फोट हों या अयोध्या, बनारस, बंगलौर, जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले हों या फिर अरुणाचल क्षेत्र में चीन के फैलते पैर हों, इन सबको रोक पाने में सरकार असफल है। छद्म धर्मनिरपेक्षता का आवरण ओढ़ कर वोटों की राजनीति हो रही है। संसद पर हमला करने वाले अभियुक्तों को आज तक सजा नहीं मिली है। कांग्रेस के लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि हिन्दुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाओ और राज करो। एन.डी.ए. की सरकार थी, तब महंगाई पर अंकुश था। हमने विदेशी प्रतिबन्धों के बावजूद बिना डरे कारगिल युद्ध में विजय पाई, पोखरण में परमाणु विस्फोट किया। हमने गांव-गांव में सड़कें बनवाई और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई, जो जनता के सामने है। देश की समस्याओं से जनता का ध्यान हटे, इसके लिए परमाणु करार का मामला लाकर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह करार हो जाने के बाद हर घर में बल्ब जलेगा, जबकि करार होने के बाद हमारी ऊर्जा आवश्यकता का 6 प्रतिशत से भी कम की पूर्ति होगी। परमाणु ऊर्जा के संबंध में हमारी स्वतंत्रता पर भी प्रभाव पड़ेगा और हमारी परमाणु ऊर्जा की कोई गोपनीयता नहीं रहेगी। पोखरण III नहीं हो पायेगा। इससे अच्छा होता कि कांग्रेस की सरकार 4 वर्ष तक बिजली, सड़क, पानी और किसानों की सिंचाई की मांग कैसी पूरी हो, इन साधनों की पूर्ति के लिए ध्यान देती, महंगाई पर काबू पाती ताकि आम जनता का जीवन सरल होता। कांग्रेस की सरकार हर बिन्दु पर असफल रही है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। हम कांग्रेस की सरकार और प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जैसे परमाणु करार को उन्होंने व्यक्तिगत जिद का विषय बना लिया है, जबकि यह देश की सुरक्षा, स्वतंत्रता और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसी प्रकार कभी संसद को बिना बताए कश्मीर पर करार मत कर लेना। आज जो संसद के अंदर देखने को मिला, वह लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक घटना है। इस घटना को विश्व भर में देखा जा रहा है, देश की जनता देख रही है कि नेताओं का क्या हाल है, राजनीति का क्या रूप है? इस सरकार को इस्तीफा देकर जनता के बीच जाना चाहिए और जनता को ही यह तय करने का अवसर देना चाहिए।

*डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): माननीय अध्यक्ष महोदय,

सदन में विश्वास का मत लेकर आई यू.पी.ए. की सरकार,
क्योंकि जिनके समर्थन से बनी थी केन्द्र की सरकार,
उनने समर्थन देने से कर दिया इनकार,
नाभिकीय समझौता देश हित में नहीं है,
यह बना आधार।
इसलिए विश्वास मत जरूरी है,
और इसके लिए सदन में बहुमत जुटाने की तैयारी है।
कुछ इधर जुटाया कुछ उधर से पाया,
कैसे हो बहुमत सब तरह का जुगाड़ बनाया।
न कोई नीति है और न कोई सिद्धांत,
जनतंत्र की स्थिति कैसी बनी है भ्रांत।
खरीद फरोख्त का अजब दौर भी चला
बहुमत जुटाने के लिए कैसा खेल है रचा।
जिसने भी सुना शर्मसार है,
लोकतंत्र के पतन के आसार है।
देश की स्वतंत्रता को
प्राप्त कराने के लिये
शहीदों ने अपनी शहादत से
देश को आजाद कराया था,
और संविधान से हमने
सम्पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य पाया है।
अब इस लोकतंत्र की सुरक्षा का
हम सब पर भार है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. सत्यनारायण जटिया]

जिसे हमें और हमें ही निभाना है।
इसके लिए सत्ता स्वार्थ से
मुक्ति पाना है।
विश्वास का मत सरकार का है
विगत चार साल दो महीने का
जनता से सरोकार का है।
महंगाई जितनी तेजी से बढ़ गई है,
उतनी ही गरीब मेहनतकश जनता की
मुश्किलें बढ़ी गई है।
जनता बेबस और लाचार है,
आटा, दाल, चावल, तेल और राशन के भाव
दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और
भोजन बनाने की गैस के दाम
आसमान चढ़ गये हैं।
गुजारा अब बहुत मुश्किल है,
कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ है
यह अब पूरी तरह से गलत बात है।
देश में आंतरिक सुरक्षा और
बाह्य सुरक्षा की स्थिति बिल्कुल असुरक्षित है।
जहां तक नाभिकीय ऊर्जा की बात है
यह दूर का सपना है।
विदेशी स्रोत पर निर्भर रह कर
कोई कितना अपना है।
क्या फिर से विदेशी को बुलायेंगे
और फिर से क्या देश को
परतंत्र बनायेंगे?
अभी तो हमें शहीदों के बलिदानों
का कर्ज चुकाना है,
भारत को विश्व का शक्ति-सम्पन्न
राष्ट्र बनाना है।
इसलिए ऐसा कोई काम न करें,
देश के राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और प्रभुसत्ता से
कोई समझौता न करें।

[अनुवाद]

***श्री एस.के. खारवेनथन** (पलानी): प्रारंभ में, मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे उस विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया, जिसे प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने प्रस्तुत किया। मैं हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री जी.के. वासन को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस सम्माननीय सभा में सेवा का अवसर प्रदान किया।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने हमारी सरकार को इस सभा में बहुमत साबित करने के लिए प्रस्ताव किया है, क्योंकि वामपंथी दलों ने 9 जुलाई, 2008 को अपना समर्थन वापस ले लिया, जो उस समय तक इसे प्राप्त था।

2004 के आम चुनाव के बाद वामपंथी दलों ने हमारी सरकार को समर्थन दिया था, जिसका नेतृत्व डा. मनमोहन सिंह जी कर रहे हैं और इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन्होंने बिना किसी वैध कारण के जल्दबाजी में अपना समर्थन वापस ले लिया है और यह काम उन्होंने परमाणु प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए अमरीका परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अंतर्गत किए गए भारत-अमरीकी करार के छद्म विरोध के रूप में किया है। अमरीका के साथ 123 करार का मुख्य उद्देश्य भारत का अंतर्राष्ट्रीय अलगाववाद को खत्म करना तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय सिविल परमाणु सहयोग में इसकी पूर्ण सहभागिता कायम करना है।

हमारे देश ने पंडित जवाहल लाल जी के नेतृत्व में 1963 में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किया था और 30 वर्षों की अवधि के लिए 123 करार के तहत आयातित रियेक्टरों के माध्यम से तारापुर परमाणु रियेक्टर शुरू किया गया था, लेकिन 1974 से जब भारत ने श्रीमती इंदिरा जी के नेतृत्व में अपना पोखरन-I परमाणु परीक्षण किया था तब से इसे बंद कर दिया गया था। 1974 के बाद पूरे विश्व ने भारत से परमाणु सहयोग करने से मना कर दिया। लेकिन भारत ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपने परमाणु कार्यक्रमों का विकास जारी रखा। अमरीका के नेतृत्व में परमाणु आपूर्ति समूह का सृजन किया गया था, जिसने भारत को परमाणु प्रौद्योगिकी, उपकरण और परमाणु पदार्थ देना अस्वीकार कर दिया था।

भारत जैसे विकासशील देश के लिए ऊर्जा की उपलब्धता

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हमारी आर्थिक विकास की सब से बड़ी बाधाओं में से एक है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विद्युत-उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1500 मेगावाट से कम थी। आज यह लगभग 1,45,000 मेगावाट है। आज की स्थिति के अनुसार कुल स्थापित क्षमता (1,45,000 मेगावाट) में विभिन्न स्रोतों का योगदान इस प्रकार है: ताप विद्युत क्षमता 66% है, जिसमें से 55% कोयला आधारित लगभग 10% गैस आधारित और 1% तेल आधारित है। जल विद्युत 26%, परमाणु ऊर्जा 3.1% (3,360 मेगावाट) तथा पुनः प्रयोज्य ऊर्जा 5% (6,000 मेगावाट) है। कोयले के दहन से विद्युत उत्पादन ताप विद्युत है, जल के प्राकृतिक बहाव का उपयोग कर विद्युत उत्पादन को पन बिजली कहते हैं। गैस स्टेशनों पर प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के दहन से हम विद्युत प्राप्त कर रहे हैं। कोयले और तेल के दहन का पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है और इससे विश्व स्तर पर प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी हो रही है। पन-बिजली स्वच्छ है, लेकिन देश भर में मानसून के विफल होने और नदियों में जल का बहाव कम होने के कारण इससे विद्युत उत्पादन में कमी आ जाती है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक पिछले छह महीनों से विद्युत आपूर्ति की संकट से जूझ रहे हैं और देश के उत्तरी तथा पूर्वी भाग में विद्युत की समस्या तो नियमित घटना है। इसके बावजूद कि तमिलनाडु में बड़ी संख्या में पवन-चक्कियां हैं, वहां औसतन 1000 मेगावाट विद्युत की कमी है बिजली की उपलब्धता 8300 से 8800 मेगावाट की है जबकि मांग 9200 मेगावाट से 9300 मेगावाट की है।

पिछले दो वर्षों से मानसून के बुरी तरह विफल होने के कारण केरल में विद्युत संकट बहुत गंभीर बना हुआ है और इससे पन-बिजली उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। केरल में 16,600 मिलियन यूनिट बिजली की मांग है और पन-बिजली स्टेशनों से 7,414 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। केरल सरकार ने डीजल पावर स्टेशन और नाप्था पावर स्टेशन स्थापित किये हैं। डीजल विद्युत स्टेशनों से केवल 254 मेगावाट बिजली पैदा होती है। और इसकी कीमत प्रति यूनिट 8.79 रुपये है। केरल के नाप्था पावर स्टेशन से केवल 507 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है और इसकी प्रति यूनिट लागत 11.48 रुपये है। यद्यपि केरल के पास बिजली की मांग की आपूर्ति के लिए स्रोत हैं लेकिन लागत बहुत अधिक है। आंध्र प्रदेश में मानसून की विफलता के कारण बिजली का गंभीर संकट है। कृष्णा, गोदावरी नदियां और सभी जल-भंडार वास्तव में खाली पड़े हैं और इससे पन-बिजली का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पश्चिम बंगाल, जहां दो दशकों से ज्यादा समय से वामपंथी दल सत्ता में हैं, स्थिति बहुत भिन्न है। अधिकांश गांवों में बिजली नहीं है जिसके कारण इन गांवों में अंधेरा रहता है। संप्रग द्वारा केंद्र में सत्ता संभालने के पश्चात भारत निर्माण में प्रमुख कार्यक्रम राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत पूर्वी मिदनापुर जिले में लगभग 807 गांवों में बिजली उपलब्ध कराई गई है।

डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संप्रग सरकार देश में विद्युत की आपूर्ति बढ़ाने हेतु कड़ी मेहनत कर रही है। नवीनतम प्रौद्योगिकियों से हम पवन, बायोगैस और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोतों से ऊर्जा का दोहन करने के योग्य हो पाए हैं।

आधुनिक विज्ञान में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के नए स्रोत की खोज करने में हमारी सहायता की है। इस बात को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वीकार किया था। पूरे विश्व में वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि प्रदूषण से काफी हद तक ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिल रहा है। इसके कारण कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इस गृह पर सभी प्राणियों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए, हमें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने ही चाहिएं। एक परमाणु विद्युत केंद्र हेतु ईंधन की लागत कोयले से विद्युत उत्पादन की अपेक्षा काफी कम है। परमाणु ऊर्जा एक स्वच्छ और सस्ता स्रोत होगी।

मौजूदा परमाणु स्रोतों से भारत की केवल 3% ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। भारत की वर्ष 2020 तक परमाणु क्षेत्र से 20,000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने की योजना है, जिससे वह वर्तमान समय में मेगावाट ऊर्जा के अतिनिम्न स्तर में वृद्धि करेगा। वर्ष 2030 में हमारी ऊर्जा संबंधी आवश्यकता 30,000 मेगावाट होगी।

अनेक देश सक्रिय रूप से परमाणु विद्युत विकसित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 1970 के दशक के शुरू में फ्रांस ने परमाणु ऊर्जा के उपयोग को प्राथमिकता देने और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु अपने द्वार खोलने का निर्णय लिया। आज 42% अपनी प्राथमिक ऊर्जा खपत और 80% अपने बिजली उत्पादन का प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य पर परमाणु ऊर्जा द्वारा ध्यान रखा जाता

[श्री एस.के. खारवेनथन]

है। परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी को औषधि विकिरण और खाद्य उत्पादों के भंडारण के क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। परमाणु ऊर्जा से हमें ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन की दोहरी चुनौतियों का मुकाबला करने में मदद मिलेगी।

संप्रग द्वारा केंद्र में सरकार बनाने के पश्चात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 जुलाई, 2005 को अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश के साथ असैनिक परमाणु सहयोग पर पुनः कार्रवाई करने की दिशा में वार्ता आरंभ की तथा दोनों देशों के नेताओं द्वारा संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।

मार्च, 2006 में अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच पृथक्करण योजना पर सहमति हुई। इसे 7 मार्च, 2006 को सभा पटल पर रखा गया। हेनरी जे. हाइड यूनाइटेड स्टेट्स-इंडिया पीसफुल एटोमिक एनर्जी को-ऑपरेशन एक्ट ऑफ 2006, के अनुसार 'वेवर अथारिटी एंड कांग्रेसनल अप्रूवल' शीर्ष के अंतर्गत धारा 104 के तहत इस पृथक्करण प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है।

इस प्रकार इस करार से भारत को परमाणु हथियार कार्यक्रम किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा। इसके बावजूद, हमारे पास जिम्मेदार परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में परमाणु हथियार बनाने का अधिकार है, भारत परीक्षण और विश्वसनीय न्यूनतम निरोधक और पहले उपयोग न करने की अपनी नीतियों पर, स्वैच्छिक अधिस्थगन काल पर नजर रखना जारी रखेगा। इन नीतियों को तत्कालीन राजग सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 27 मई, 1998 को लोकसभा में इसका उल्लेख किया था। हमारी सरकार भी इस नीति का पालन कर रही है। इसके अनुसार, भारत चरणबद्ध ढंग से वर्ष 2006-2014 के बीच आई.ए.ई.ए. सुरक्षोपायों के अंतर्गत 22 ताप विद्युत रिएक्टरों में से 14 की पहचान करने और इसके तहत लाने के लिए सहमत हो गया है। इस बात को अमरीकी कांग्रेस द्वारा भी सहमति प्रदान करके स्वीकार किया गया था।

अमरीकी सरकार को भारत के साथ सहयोग करने में समर्थ बनाने के लिए दिसंबर, 2006 में अमरीकी कांग्रेस में हाइड एक्ट नामक समर्थक कानून पारित किया गया था। हाइड एक्ट केवल एक अमरीकी कानून है और भारत इससे किसी प्रकार से नहीं बंधेगा।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 अगस्त, 2006 को लोक सभा में एक वक्तव्य दिया है कि भारत तब तक अपनी परमाणु सुविधाओं को सुरक्षोपायों के तहत नहीं लाएगा जब तक कि भारत पर लगे सारे प्रतिबंध हटा नहीं दिए जाते। यह माननीय विदेश मंत्री जी ने 18 दिसंबर 2006 को भारत-अमरीकी असैनिक परमाणु करार के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 13 अगस्त 2007 को राज्य सभा में एक वक्तव्य दिया। भारत-अमरीका परमाणु करार पर 23 अगस्त, 2006 को लोकसभा में पूर्ण-वाद-विवाद हो चुका है। 123 समझौते पर अमरीका के साथ वार्ता पर संसद के दोनों सदनों में तीन बार विस्तार से चर्चा की गई थी। हमारी सरकार ने इस करार पर पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की है और किसी तथ्य को छिपाने का कोई प्रश्न नहीं है।

123 समझौते से (एक) हमारे सामरिक परमाणु कार्यक्रम की स्वायत्तता (दो) हमारे स्वदेशी तीन चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम और (तीन) हमारे अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यकलापों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यह 123 समझौता हमें कभी भी कंप्रीहैंसिव हेस्टबैन ट्रीटि (सी.टी.बी.टी.) अथवा फिसिल मैटिरियल कट आफ ट्रीटि (एफ.एस.सी.टी.) पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। इससे भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हमारे देश में 22 में से केवल 14 ताप विद्युत रिएक्टर आई.ए.ई.ए. सुरक्षोपायों के अंतर्गत हैं और शेष 8 विद्युत रिएक्टरों के साथ हम परमाणु हथियार विकसित कर सकते हैं और इन पर आई.ए.ई.ए. सहित किसी का नियंत्रण नहीं होगा। 123 समझौता अलग किए गए 8 विद्युत रिएक्टरों के माध्यम से किसी प्रकार से परमाणु परीक्षण करने के भारत के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

भारत-अमरीका परमाणु करार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भारत को की गई अभूतपूर्व वैश्विक पेशकश से संबंधित है। हमारे समझौते का रूस, ब्रिटेन और अन्य देशों द्वारा स्वागत किया गया है। यह कहना निराधार है कि यह करार मुस्लिम विरोधी है। हमारे वामपंथी मित्र यह नोट नहीं कर पाए हैं कि चीन गणराज्य ने 1985-अमरीका-चीन परमाणु सहयोग करार (एन.सी.ए.) पर 23 जुलाई, 1985 को हस्ताक्षर किए थे और इसे 13 दिसंबर, 1985 को अमरीकी कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। आज तक वही चीन इस करार को कार्यान्वित कराने के लिए निरंतर अमरीका से अनुरोध करता

आ रहा है। फरवरी, 1995 से बिल क्लिंटन प्रशासन ने भी चीन के साथ परमाणु सहयोग का विस्तार करने के लिए इसे कार्यान्वित करने में रुचि व्यक्त की। वाशिंगटन और बीजिंग ने प्रेजिडेंशियल सर्टिफिकेशन की अनुमति देने के लिए वर्ष 1996 के उत्तरार्द्ध मे गहन वार्ता आरंभ की और 29 अक्तूबर, 2007 को वाशिंगटन में अमरीका-चीन शिखर सम्मेलन में इस पर चर्चा हुई, राष्ट्रपति क्लिंटन ने घोषणा की कि वह प्रमाणित करेंगे कि क्या चीन ने करार को कार्यान्वित करने की आवश्यकताएं पूरी की हैं। बिल क्लिंटन द्वारा रखी गई महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि चीन को सामूहिक जनसंहार के हथियारों के प्रस्ताव पर रोक लगाए और अवांछित देशों विशेषकर ईरान को अन्य अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति न करे। चीन के राष्ट्रपति, होन जियांग, ने इसे स्वीकार किया था और अक्तूबर, 1997 में वाशिंगटन को गोपनीय रूप से यह लिखित आश्वासन दिया था कि चीन ईरान के साथ सभी प्रकार का परमाणु सहयोग बंद कर देगा। इस संबंध में, 29 अक्तूबर, 1997 को संयुक्त राज्य अमरीका-चीन ने संयुक्त रूप से एक वक्तव्य भी जारी किया था। अक्तूबर, 1997 में तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति, बिल क्लिंटन ने 12 जनवरी, 1998 को इस समझौते को कार्यान्वित करने की इच्छा प्रकट की थी। उन्होंने इस समझौते को लागू करने के लिए अमरीकी कानून में आवश्यक औपचारिक प्रमाणपत्रों तथा रिपोर्टों पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे।

12 जनवरी, 2004 को अमरीकी ऊर्जा विभाग तथा चीन परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण ने एक आशय संबंधी वक्तव्य तैयार किया था, जिसमें परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग तथा परमाणु-अप्रसार और आतंकवाद का विरोध के क्षेत्र में आपस में सहयोग करने की बात कही गई थी। अतः चीन ने अमरीका के साथ इस शर्त के एक समझौता किया था कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा परन्तु हमने अमरीका के साथ 123 समझौते के माध्यम से अपने असैनिक तथा रक्षा परमाणु कार्यक्रमों को अलग-अलग कर दिया है। हमारे वामपंथी साथी यह नोट करने तथा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा करने में असफल रहे हैं कि हम चीन के मुकाबले अमरीका के साथ कहीं बेहतर परमाणु समझौते को कार्यान्वित करने में सफल रहे हैं। चीन ने 25 सालों के अपने लंबे प्रयासों के बाद जो हासिल किया हमारी सरकार केवल 3 वर्षों में उसे चीन से कहीं बेहतर ढंग से हासिल करने में सफल रही है।

महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि वामपंथियों ने भा.ज.पा. और अन्य उसी तरह की सोच रखने वाले दलों के साथ हाथ मिलाकर सं.प्र.ग. सरकार को पलटने का प्रयास किया है, जबकि साम्प्रदायिक ताकतें देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को खराब करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इस नाजुक स्थिति में सं.प्र.ग. सरकार से समर्थन वापस लेने से साम्प्रदायिक ताकतों के हाथ मजबूत होंगे और इस देश के लोग इसे कभी माफ नहीं करेंगे। अतः, साम्प्रदायिक ताकतों को विघटनकारी भूमिका से दूर रखने के लिए सं.प्र.ग. सरकार को सभी और कुछ समय तक कार्य करने दिया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** (अल्मोड़ा): महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 21-7-2008 को प्रस्तुत किये गये विश्वास मत प्रस्ताव का विरोध करता हूं और सदन के संज्ञान में इस हेतु अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मैं वाम दलों के इस तर्क से सहमत हूं कि यू.पी.ए. सरकार ने अपने गठबन्धन धर्म का पालन नहीं किया और वह अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम से हटकर भारत-अमेरिका परमाणु समझौते को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़कर आई.ए.ई.ए. में समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बिना अपने वाम समर्थकों व सदन को विश्वास में लिये आगे बढ़े। और वाम दलों द्वारा समर्थन वापस ले लेने के बाद यह सरकार अल्पमत में आ गयी थी। समझौते का मसौदा देश के समक्ष रखे बिना आई.ए.ई.ए. को सौंप दिया गया जो इंटरनेट पर 7 जुलाई, 2008 को उपलब्ध भी हो गया।

प्रधानमंत्री जी ने अल्पमत सरकार का प्रधानमंत्री होने के बावजूद आई.ए.ई.ए. के साथ आगे बढ़े। क्या यह नैतिक मूल्यों, संवैधानिक प्रावधानों और स्थापित परम्पराओं के विपरीत नहीं था?

क्या यह सही नहीं है कि मंत्री परिषद संसद के प्रति जवाबदेह हैं? यदि हां तो क्या संसद को विश्वास में लिये बिना करार पर हस्ताक्षर करना अपने अधिकारों का अतिक्रमण नहीं है? जबकि यह करार विदेश नीति, सैन्य परमाणु कार्यक्रम,

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

व स्वतंत्र ऊर्जा नीति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित करने वाला हो।

महोदय, इस सारे मामले में अनेकों बार दोनों सदनों में चर्चा हुई है और नियम 193 के अन्तर्गत 18-12-2006 व 28-11-2007 को लोक सभा में विस्तृत चर्चा हुई है। चर्चा 2005 से चल रही है। और इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अमेरिकी संसद द्वारा 03 जनवरी-2006 को अमेरिकी-भारत परमाणु सहयोग के संबंध में "हेनरी जे. हाइड यू.एस. इंडिया पीसफुल एटोमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 2006" पारित किया गया जिसे संक्षेप में हाइड एक्ट कहा गया है। को क्या-क्या अधिकार प्रदान करता है - विशेष रूप से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को प्रभावित करने,

इस हाइड एक्ट के पारित होने के बाद यह निश्चित है कि यह परमाणु समझौता होने पर अमेरिका ईरान के विपरीत भारत को खड़ा करने, भारत को सैन्य प्रयोजन हेतु भविष्य में परमाणु परीक्षण से रोकने, व सन्धि में एक मातहत पार्टनर के रूप में आपूर्ति प्राप्तकर्ता का दर्जा प्रदान करता है।

एक यक्ष प्रश्न यह है कि अल्पमत सरकार को प्रधानमंत्री ने व्यापक जन-समर्थन प्राप्त किये बिना जब आई.ए.ई.ए. में हस्ताक्षर किये क्या अब वह सरकार के विश्वास मत प्राप्त न करने की स्थिति में भी अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर हेतु अधिकृत है।

अमेरिकी विदेश उपमंत्री एवं दक्षिण तथा मध्य एशिया मामलों के प्रभारी रिचर्ड बाउचर ने दिनांक 21-7-2008 को कहा है वह अल्पमत सरकार के साथ भी करार करने को तैयार है। तो क्या सरकार सदन में पराजित हो जाने पर भी अमेरिका समझौते पर हस्ताक्षर हेतु सहमत है?

आखिर जल्दी क्या है? वह क्या मजबूरी है जिसके तहत 4 साल 2 माह तक वामपंथियों के सहारे चली सरकार ने अल्पमत में आने के बाद जोड़-तोड़ करके व सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर बहुमत जुटाने की कोशिशें की हैं? क्या सरकार उसके मुखिया या पार्टी प्रमुख की कोई कमजोर नस को बुश-प्रशासन नहीं दबा रहा है? जबकि अगले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डेमांडेट ओबामा का कहना है कि उसे इस करार से कोई विरोध नहीं है? आखिर यह क्या रहस्य है इस जल्दबाजी का?

आखिर संसद में इतने विरोध के बावजूद यदि यह समझौता हो भी गया तो इससे देश को क्या प्राप्त होने वाला है यह भी सरकार को बताना होगा?

इस समय तक जो जानकारी मिली है वह दर्शाता है कि इस समझौते के पारित होने पर पूर्ण क्षमता पर परमाणु बिजलीघर स्थापित होने के बाद देश को उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का मात्र 4 से 6 प्रतिशत ही विद्युत प्राप्त होगी और यह विद्युत वर्तमान भाव में पांच (5) रुपया प्रति यूनिट से कम नहीं होगी।

अर्थात इस समझौते के बाद देश की कुल ऊर्जा का केवल 6% ही प्राप्त होगा, वह भी इतनी महंगी दर पर।

इस सारे उपक्रम में विद्युत गृह स्थापना, परमाणु रिएक्टरों की स्थापना, स्टोरेज, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी आदि पर देश को लगभग 17 लाख करोड़ रुपयों का निवेश करना होगा। यह पैसा कहां से आयेगा? इसका कोई लेखा-जोखा सरकार ने संसद के समक्ष नहीं दिया है?

आज जब देश स्वयं वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है, विकास योजनाओं के धन आवंटन में कटौती हो रही है तब ऐसे समझौते से देश को क्या प्राप्त होने वाला है, यह प्रधानमंत्री जी को देश को बताना ही होगा।

इस समझौते के बाद हाइड एक्ट 2006 के प्रावधानों के तहत भारत को न केवल अमेरिका का पिछलग्गू देश बनना होगा बल्कि ईरान के विरोध में उसकी परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने की अमेरिकी योजना में अमेरिका के साथ खड़ा होना होगा।

इतना ही नहीं इस हाइड एक्ट के अंतर्गत भारत अपना सैन्य परमाणु कार्यक्रम जारी नहीं रख सकेगा और भविष्य में कोई भी पोखरण का परमाणु विस्फोट भी नहीं कर सकेगा।

क्यों नहीं सरकार देश में जल विद्युत क्षेत्र में 1,50,000 मेगावाट क्षमता जिसका दोहन नहीं हो सका उस दिशा में आगे बढ़ती है, जो ऊर्जा सस्ती भी है और साफ व पर्यावरण के अनुकूल भी है। कोयला व गैस आधारित बिजलीघरों की स्थापना, पवन चक्की के द्वारा ऊर्जा उत्पादन, सौर ऊर्जा और कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग कर ऊर्जा का पर्याप्त उत्पादन करने की दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ सकती?

क्यों नहीं देश में उपलब्ध थोरियम के विशाल भण्डार

से टेक्नोलॉजी विकसित कर यूरेनियम में परिवर्तित कर अपना परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा सकती।

अभी बायो-फ्यूल व बायो गैस का क्षेत्र हमारे सामने है जो ईंधन व ऊर्जा दोनों प्रदान करने वाला है।

अतः निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि सरकार की नीयत में कोई खोट है। यह सरकार जिद के लिये नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत कमजोरी के कारण अमेरिका के समक्ष नतमस्तक है। वह कमजोरी या रहस्य क्या है, इसे देश को आपको बताना होगा।

राजग परमाणु समझौते के वर्तमान स्वरूप जो हमारे हितों के विपरीत है उसके विरोध में हैं। और इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दिनांक 21-7-2008 को जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है उससे सब सहमत हैं और उसी दृष्टिकोण को अपना कर आगे बढ़ना चाहते हैं।

क्या यह सरकार विगत 4 साल 2 माह में राष्ट्रहित में कोई निर्णय ले पाई है अथवा इसने देश में एक बार पुनः देश विभाजन के समय व उसके तत्काल बाद मुस्लिम तुष्टीकरण व मुस्लिम आरक्षण को आगे बढ़ाने का मार्ग पुनः नहीं अपना लिया है।

कांग्रेस शासित राज्यों में पहले कर्नाटक व बाद में आन्ध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण की व्यवस्था करने के निर्णय लिये गये जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत थे और धार्मिक आधार पर आरक्षण केवल मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी का था, जो सफल नहीं हुआ।

लेकिन कांग्रेस सरकार द्वारा सच्चर कमेटी का गठन कर पुनः देश के भीतर धार्मिक आधार पर विकास कार्यों का विभाजन, आरक्षण सुविधायें, 15 सूत्री कार्यक्रम आदि चलाना, अलग से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय स्थापित करना, पोटा कानून को समाप्त करना, अफजल गुरू को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद फांसी न देना, देश में आतंकी हमलों पर प्रभावी नियंत्रण न करना यह सब मुस्लिम तुष्टीकरण के उदाहरण हैं।

कांग्रेस का इस सब कृत्यों के पीछे एक ही उद्देश्य है वह है मुस्लिम वोट प्राप्त करने के लिये देश के मुसलमानों का तुष्टीकरण। सरकार को यह चिन्ता नहीं है कि उसकी इस नीति से देश में धार्मिक आधार पर पुनः विभाजन के बीच रोपित हो रहे हैं। देश का जनमानस इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

आजादी से पूर्व व तत्कालीन समय जो देश की परिस्थितियां थी, लगता है कि कांग्रेस पार्टी पुनः उसे दोहराना चाहती है। लोक सभा सचिवालय नई दिल्ली द्वारा डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जीवन वृत्त जो कि 1993 से 2004 में प्रकाशित किया गया है, में निम्नलिखित जानकारी दी गई है।

> "कांग्रेस ने भारत का विभाजन करवाया और जो विभाजन था वह सी.आर. फार्मूलों के तहत व्यावहारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। कांग्रेस कार्यकारी समिति पहले से ही देश के सिन्ध, पंजाब व बंगाल के तीन मुस्लिम लीग शासित प्रान्तों के भारत से अलग होने के अधिकार को मान चुकी थी।"

> "इस विभाजन के विरोध में सर्वप्रथम डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी खड़े हुए थे और उनके आह्वान पर बंगाल की हिन्दू जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिला था और तब ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को झुकना पड़ा था"

> "और डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रयासों से आधा पंजाब व आधा बंगाल भारत के लिये बचाया जा सका।"

देश के मुसलमानों को विधानसभाओं व सेवाओं में आरक्षण को लेकर नेहरू-लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर न रोक पाने के कारण डा. मुखर्जी ने 1950 में मंत्री पद से त्याग पत्र दिया और विपक्ष को देश भर में इसके विरोध में संगठित किया और इसके परिणाम स्वरूप नेहरू-लियाकत समझौते के मूल मसौदे में संशोधन कर मुसलमानों के लिये विधानसभाओं व सेवाओं में आरक्षण के प्रावधानों को समाप्त करना पड़ा।

> "1953 में डा. मुखर्जी भारत की एकता के लिये कश्मीर में शहीद हो गये। डा. मुखर्जी ने देश की एकता अखण्डता के लिये व कांग्रेस की विघटनकारी नीतियों का विरोध करने के लिये राष्ट्रवादी संगठन भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी जो आज भारतीय जनता पार्टी है।"

जब हमारा देश पंथ निरपेक्ष है तो सम्प्रदाय आधारित नीतियां सरकार क्यों अपना रही है। भा.ज.पा. का स्पष्ट मानना है कि सबके साथ समानता का व्यवहार हो। हिन्दू-

[श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा']

मुस्लिम डिवाइड की भा.ज.पा. प्रबल विरोधी है। भा.ज.पा. का मानना है "सभी के साथ न्याय तुष्टिकरण किसी का भी नहीं।"

अतः मैं सरकार की तुष्टीकरण नीति के कारण भी विश्वास मत का विरोध करता हूं।

राजग शासन में महंगाई (मुद्रास्फीति) की दर 4-5% तक थी व विकास दर 2004 में 8.5% थी।

आज महंगाई-मुद्रास्फीति की दर करीब 12% पहुंच रही है और विकास दर वही 8-9% पर है।

हमारी विदेश नीति में भटकाव आया है और हम विश्व में एक कमजोर देश इस सरकार के कार्यकाल में साबित हुए हैं।

चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अपना दावा जताना, चीनी सैनिकों की सिक्किम में घुसपैठ, तिब्बत में बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार, नेपाल में माओवादी नियंत्रण, देश भर में आतंकी हमले, काबुल के दूतावास पर हमले में अधिकारियों की मौत, आदि-आदि पर हमारी सरकार चुप्पी साधे बैठी है, जिस कारण हमारी विदेश नीति के साथ-साथ हमारी बाह्य व आंतरिक सुरक्षा भी इस सरकार के कारण खतरे में है। सरकार द्वारा रामसेतु और अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि आवंटन रद्द करने का मामला हिन्दू भावनाओं को आहत करने वाला है।

2005 में नैनीताल में प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी और घोषणा की थी कि SEZ के लिए कृषि की उपजाऊ भूमि नहीं दी जायेगी, लेकिन तब से अब तक लाखों हेक्टेयर उपजाऊ कृषि भूमि SEZ के नाम पर दे दी गयी है। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल में नन्दीग्राम में जो मानवता की हत्या हुई उसे लेकर कांग्रेस व सरकार चुप्पी साधे रही जो अत्यन्त ही खेदजनक है।

इस सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र की उपेक्षा होने के कारण आज किसानों की आत्महत्या आम बात हो गयी है। देश में रिकार्ड उत्पादन के बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे खाद्यान्न में कटौती की गयी है और किसानों को भ्रमित करने के लिये बैंक कर्जा माफी का शिगूफा चुनाव की दृष्टि से लाया गया है।

आटोवियो क्वात्रोची के खाते को भारत सरकार द्वारा गुपचुप तरीके से पुनः चालू करने का मामला हो या पूर्व विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह उनके पुत्र व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के नाम से तेल के बदले अनाज मामले में जारी कूपनों का गम्भीर प्रकरण हो, इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा, हां श्री नटवर सिंह जी को पद जरूर छोड़ना पड़ा।

इस सरकार के समय लाभ के पद को लेकर जो संसद के इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ा है हम व पूरा देश उससे परिचित हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने तो इस लाभ के पद के कारण इस्तीफा देकर पुनः चुनाव लड़ा और निर्वाचित होने के बाद पुनः लाभ का वही पद ग्रहण किया लेकिन अन्य के मामले में संसद में संख्या बल का दुरुपयोग कर इसे प्रतिगामी प्रभाव से जायज ठहराया गया। जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति ने विचार कर संसद को पुनः बहस करने हेतु लौटाया था। यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ।

सजायाफ्ता गम्भीर अपराधों के अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकते। चुने जाने के लिये भी अयोग्य हैं। लेकिन आज जो गम्भीर अपराधी सांसद जेलों में बन्द हैं उन्हें सरकार अपने पक्ष में मतदान के लिये जेलों से निकालकर संसद में ला रही है। सांसदों की खरीद-फरोख्त की खबरों से समाचार पत्र भरे पड़े हैं। लगता है डील के पीछे डील है और इन डीलों के पीछे भी कई डील हैं।

इस सरकार ने संविधान की शपथ लेने के बावजूद संविधान की भावना के विपरीत विपक्षी दलों की सरकारें विशेष रूप से भ.ज.पा. व राजग शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया है।

उत्तराखण्ड व हिमाचल प्रदेश को एक साथ 07 जनवरी-2003 को वाजपेयी सरकार ने 10 वर्षीय विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किया था जबकि वहां पर कांग्रेस की सरकारें थीं।

परन्तु इस सरकार ने इस पैकेज को अब केवल 7 वर्षीय कर दिया जो सरासर अन्याय है। उत्तराखण्ड के लिये धन का आवंटन हो या खाद्यान्न का कोटा सब में भारी कटौती की गयी है।

यह सरकार जोड़-तोड़, खरीद फोरक्त, पदों के लोभ-लालच से बच भी जाये तो भी यह सरकार अल्पमत की ही सरकार होगी क्योंकि जो आज सरकार के पक्षधर होंगे भी तो वे सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम (CMP) के हस्ताक्षरी

नहीं हैं और न उनका देश की जनता के बीच कोई मर्यादित आधार है।

इसलिये इस सरकार को देशहित में जाना ही चाहिये। और पुनः विश्वास मत का विरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री पी. करुणाकरन** (कासरगोड): महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत विश्वास मत का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह सरकार 4 वर्ष पूर्व वाम दलों के बाहरी समर्थन से सत्ता में आई थी। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र में सं.प्र.ग. सरकार की नीति घोषित की थी।

यह नीतिगत निर्णय सं.प्र.ग. और वाम दलों के सहमत न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आधारित था। इस न्यूनतम साझा कार्यक्रम में परमाणु समझौते का कोई उल्लेख नहीं था।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह उल्लेख है कि "सं.प्र.ग. सरकार हमारे देश की पुरानी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेगी। यह नीति विश्व-स्तर के संबंधों में बहु-ध्रुवीय व्यवस्था को बढ़ावा देती है तथा एक ध्रुवीय विश्व के सभी प्रयासों का विरोध करती है।"

उसमें संयुक्त राज्य अमरीका के साथ रणनीतिक समझौतों का कोई उल्लेख नहीं था क्योंकि यह पूर्णतया स्पष्ट था कि ऐसी रणनीतिक साझेदारी न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लिखित विदेश नीति की मुख्य दिशा के विपरीत होगी।

आपकी सरकार के सत्ता में आने के पश्चात्, न्यूनतम साझा कार्यक्रम द्वारा ठोस निर्णय ले लिये जाने के बावजूद भी आपने अमरीका के साथ 123 समझौते पर हस्ताक्षर करने के कार्य को आगे बढ़ाया। इस पर वाम दलों से कोई चर्चा नहीं की गई और संसद में भी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आपने 2007 में प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे और सभा में वाम दलों तथा अन्य दलों के कड़े विरोध के कारण आप संसद के दोनों सदनों में परमाणु मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बाध्य हुए हैं।

मैं आपको याद दिला दूं कि यह उस चर्चा का परिणाम था। संसद के दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों ने अपने विचार स्पष्ट कर दिए थे। वे इस समझौते का विरोध कर रहे थे। इस सरकार के लिए देश हित में उस समझौते को छोड़ देने का वह सबसे अच्छा अवसर था क्योंकि संसद सर्वोच्च प्राधिकारी है। लेकिन आपने उस समझौते को पूरा करने का प्रयास जारी रखा।

हम पिछले 4 वर्षों से अपना समर्थन दे रहे हैं। यद्यपि हमारे बीच बहुत से मतभेद हैं, फिर भी हम इस सरकार के सुचारू कार्यकरण के लिए अपना समर्थन देते रहे। हमारा समर्थन साम्प्रदायिक ताकतों को सत्ता में अलग रखने हेतु था। हमें इस बात पर गर्व है कि हम उसमें सफल रहे।

इस समझौते के प्रति अपने कठोर विचारों को ध्यान में रखते हुए, हमने सं.प्र.ग. और वाम दलों की एक समन्वय समिति बनाई थी। हमने पुनः आपसे इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। हमने अपने विचारों से इन्हें लिखित में अवगत कराया। हमने अपने विचार स्पष्ट कर दिए और नोट्स सहित अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

इस समय तक प्रणब जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हमने आई.ए.ई.ए. में जाकर इस पर चर्चा की है तथा किसी करार पर बिना हस्ताक्षर किए वापस आ गए। हम वाम दलों के साथ चर्चा करने के बाद ही इस पर आगे बढ़ेंगे।

हमारे विदेश मंत्री ने सभा में यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने वाम दलों का विश्वास हासिल नहीं किया है। हम पिछले 4 वर्ष से पूरा समर्थन दे रहे हैं। इससे हमारे राजनैतिक दल और राजनैतिक नेता को कष्ट पहुंचा है। यद्यपि इसका पाठ वाम दलों को 7 जुलाई को नहीं दिखाया गया फिर भी इसे आई.ए.ई.ए. तथा शासी बोर्ड के समक्ष भी प्रस्तुत कर दिया गया।

प्रधानमंत्री जी तथा सरकार का कहना है कि हम आई.ए.ई.ए. में चर्चा के बाद सभा में आएंगे। इस कथायद का क्या उपयोग है? यह आश्चर्यजनक है कि वाम दल और संसद को भी, आई.ए.ई.ए. को उस की स्वीकृति के लिए भेजने से पहले इस पाठ का देखने नहीं दिया गया। यह वास्तव में वाम दलों तथा इस प्रकार से संसद तथा देश के साथ भी विश्वासघात है। हमें पहले भी इस बात का अनुभव

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री पी. करुणाकरन]

हो चुका है कि जब जी.ए.टी.टी. पर संसद में चर्चा किए बिना ही हस्ताक्षर किए गए थे कांग्रेस और एन.डी.ए. ने गर्व से यह घोषणा की थी कि इससे भारतीय किसानों को राहत मिलेगी। यह 1970 में हुआ था। वर्ष 2008 में हमें भारतीय किसानों की दयनीय स्थिति का पता है। राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1,66,000 किसानों ने कृषि क्षेत्र में व्याप्त गंभीर संकट के कारण आत्महत्या कर ली है। यह, सभा में चर्चा किए बिना 1970 में जी.ए.टी.टी. समझौते पर हस्ताक्षर करने का उपहार मिला है।

प्रणब जी ने कहा कि सभा में ऐसी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। जो कोई भी सत्ता में होता है, वह राष्ट्र के लिए, भारत के लोगों के लिए समझौता करता है। संसद लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सच्चा रक्षक है। यदि संसद को ही विश्वास में नहीं लिया जाता है तो किसको विश्वास में लिया जाएगा और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। यह लोक सदन है जहां चर्चा होती है और निर्णय लेने होते हैं। कार्यकारी अधिकारियों द्वारा इसका पालन होना चाहिए। लेकिन यदि कार्यकारी ही निर्णय लेने लगे और संसद पर इसे थोपने लगे तो फिर लोकतांत्रिक सिद्धांतों का हनन हो जायेगा। हम इस प्रकार के कार्यकरण के तरीके का जोरदार विरोध करते हैं। यही कराण है कि हम लोगों ने तब सरकार का समर्थन किया था जब हमने न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया था। अब सरकार ने परस्पर समझदारी का उल्लंघन किया है। इसलिए यह स्थिति संप्रग सरकार ने पैदा की है।

मैं 123 करार के विस्तार में नहीं जाना चाहता। यह स्पष्ट है कि 123 करार का क्रियान्वयन केवल हाइड एक्ट में निर्धारित निर्देशों और मानकों के अनुसार ही होगा और इसे अमेरिकी संसद पारित करती है।

अमेरिका के साथ हमारा पुराना अनुभव रहा है, हमने अमेरिका के साथ करार किया था। तारापुर परमाणु रियेक्टर जहां प्रथम पोखरन परीक्षण हुआ था और यह भारतीय क्षेत्र में दूसरा था। उन्होंने करार का उल्लंघन किया और यूरेनियम की आपूर्ति रोक दी। क्या यह सत्य नहीं है कि इस मामले में हमें बहुत नुकसान पहुंचा है।

हाइड एक्ट में, इस अधिनियम के कुछ खंड निश्चित रूप से हमारी विदेश नीति की संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे हमें पूरे नियम की आपूर्ति करते रहेंगे। अमेरिका कभी भी इस करार का उल्लंघन कर सकता है। हमें आई.ए.ई.ए. के सुरक्षा मानकों संबंधी करार का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है और उनके द्वारा नियमित निरीक्षण की हमें अनुमति देनी पड़ेगी। वे अपना रियेक्टर और अन्य चीजें वापस ले सकते हैं और हमें क्षतिपूर्ति करनी होगी। सबसे अपमानजनक शर्त यह है कि हमें अमेरिकी संसद में प्रतिवर्ष अपनी विदेश नीति का ब्यौरा रखना होगा। हमारा राष्ट्र अपनी अखंडता के चलते इस प्रकार के मानकों के साथ कैसे समझौता कर सकता है।

इसलिए हाइड एक्ट द्वारा बनायी गई शर्तों को भी स्वतंत्र राष्ट्र स्वीकार नहीं कर सकता है। यह अमेरिकी साम्राज्यवाद के समक्ष एक प्रकार का समर्पण है।

विकास कार्यों हेतु हम परमाणु ऊर्जा के विरुद्ध नहीं हैं। परमाणु ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जिस पर हम निर्भर रह सकते हैं।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा मुख्य रूप से स्वदेशी स्रोतों जैसे कोयला, हाइड्रो और कई अन्य स्रोतों पर निर्भर है। पश्चिमी एशिया के देशों जैसे ईरान, मध्य एशिया को ऊर्जा की आपूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है।

ईरान गैस पाइप लाइन द्वारा गैस आपूर्ति की सुरक्षा अगले 20 से 50 वर्षों के लिए परमाणु रियेक्टर और यूरेनियम की आपूर्ति सुरक्षित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा अमेरिकी परमाणु उद्योग से बिलियन डॉलर के रियेक्टर खरीदने से नहीं होगी। कोई भी अमेरिका से इसे नहीं खरीद रहा है।

सरकार ने भारत-ईरान गैस पाइप लाइन में विलम्ब क्यों किया है - जिससे वास्तव में हमारी ऊर्जा की जरूरतें पूरा होती?

विद्युत क्षेत्र में संकट सार्वजनिक निवेश में भारी कमी तथा निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का यही परिणाम है। आंकड़े बताते हैं कि एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने सार्वजनिक क्षेत्र में और अधिक निवेश के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई तथा कदम नहीं उठाये हैं। आज भी सरकार स्वदेशी ऊर्जा पैदा करने के बारे में गंभीर नहीं है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र (अप्रोच पेपर) में परमाणु लाभ के संदर्भ में लागत लाभ का विश्लेषण

अभी भी नहीं किया गया है और यह किफायती है इस संबंध में कभी मूल्यांकन नहीं किया गया। इसलिए हमें विद्युत क्षेत्र में ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। आंकड़े दर्शाते है कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 1,88 करोड़ रुपये की कटौती हुई है। यह दर्शाता है कि सरकार अपने देश में स्वदेशी ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के बारे में क्या सोचती है।

सरकार कहती है कि इस करार के कारण प्रत्येक गांव को बिजली मिल जाएगी। इस करार की वैधता 40 वर्ष है। इस अवधि तक बिजली का आकलित उत्पादन 8% है। इस समय हम एक लाख 1.44 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। इसमें से मात्र 3% ही परमाणु ऊर्जा है। यदि करार हो भी जाता है तो इस संयंत्र में बिजली के उत्पादन में कम से कम 7 से 8 वर्ष लग जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है कि यदि यह आधारित संयंत्र हो तो इसमें उसे 4 वर्ष लगेंगे। एक कोयला आधारित संयंत्र को परमाणु संयंत्र की तुलना में आधे समय में चालू किया जा सकता है। गैस आधारित संयंत्र इससे भी कम समय में बनाया जा सकता है। इसलिए कम समय में बिजली उपलब्ध कराने का सरकार का दावा निराधार है।

यह कहना भी असत्य है कि परमाणु ऊर्जा कम खर्चीली है। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का कहना है कि कोयले से पैदा की गई बिजली का लागत प्रति यूनिट 2.50 रुपये है जबकि परमाणु ऊर्जा की बिजली की लागत 5.50 रुपये प्रति यूनिट है। इस बड़ी राशि का भुगतान गरीब किसानों और श्रमिकों द्वारा कैसे संभव है। हमें "एनरॉन" का अनुभव है। महाराष्ट्र में बिजली की कीमत 5.50 से बढ़कर 6.00 रुपये हो गई जिससे महाराष्ट्र बिजली बोर्ड को भारी नुकसान हुआ है।

हमने शुरू में ही इस मुद्दे पर आलोचना की थी और यह बात कही थी।

पुनः सरकार यह दावा करती है कि वह ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयातित रियेक्टरों से 40,000 मेगावाट परमाणु बिजली पैदा कर लेगी। इसके लिए 3.624 लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसका मतलब है कि परमाणु विद्युत संयंत्र की न्यूनतम लागत 2000 डॉलर प्रति किलोवाट होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इतना ही निवेश से 40,000 मेगावाट के बदले 1 लाख मेगावाट बिजली कोयला संयंत्र से पैदा की जा सकती है। पुनः इसका मतलब यह हुआ कि परमाणु तापीय संयंत्र के खर्चे में हम तीन कोयला आधारित संयंत्र लगा सकते हैं। इस तरह कोयला आधारित संयंत्र को लगाने से हुई बचत को हम निरक्षरता दूर करने तथा सभी को निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य तथा व्यापक खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में खर्च कर सकते है। इसलिए, परमाणु करार भारत के बहुत हित में उतना नहीं है जितना परमाणु विद्युत उद्योग के हित में है।

जब हम पश्चिमी देशों में परमाणु ऊर्जा के उपयोग की बात करते हैं, तो वे परमाणु ऊर्जा की जगह परमाणु पुनर्जागरण को पसंद करते हैं। अमेरिका, पश्चिम यूरोप और जापान, इन सभी देशों में कुल परमाणु रियेक्टर तीन हैं। 1980 में इन देशों में इनकी संख्या 20 है। अमेरिका ने स्वयं अपना परमाणु संयंत्र 1996 में शुरू किया था। पिछले 20 वर्षों के दौरान कोई मांग नहीं थी। इसका मतलब है पश्चमी देश भी परमाणु संयंत्र के उपयोग के प्रति ज्यादा उत्सुक नहीं हैं।

सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हमारे देश के समक्ष मूल्यवृद्धि किसानों की आत्महत्या, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की असफलता की समस्या है। सरकार कहती है कि हमारी विकास दर अच्छी है लेकिन इस महंगाई का क्या जिसका सामना आम आदमी कर रहा है। हम प्रत्येक सत्र में इन मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं। लेकिन सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसका कारण वह खाद्य नीति है जो हमने लागू की है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली ध्वस्त हो गई है और खाद्यान्नों के भंडार में अदक्षता है। हमने कई कदमों का सुझाव दिया है। लेकिन आपने उन पर ध्यान नहीं दिया। यह सत्य है कि लाखों किसानों ने आत्महत्या की है। यद्यपि सरकार ने किसानों के लिए राहत उपायों की घोषणा की है, फिर भी बहुत से गरीब किसानों को राहत अभी भी नहीं मिल रही है।

सरकार कहती है कि भाजपा या राजग को वामपंथी दलों ने सरकार गिराने के लिए बाध्य किया है। लेकिन भाजपा या वामपंथी दल इस विश्वास प्रस्ताव नहीं लाये हैं बल्कि आप लोग इसे स्वयं लाये हैं। हमने पिछले 4 वर्षों से आपका समर्थन किया है यद्यपि कई मुद्दों पर हमारी असहमति रही हैं। क्या आप कह सकते है कि आपने हमारे समर्थन का सकारात्मक उपयोग किया और चुनावों में राजनीतिक लाभ प्राप्त किया है। केवल वामपंथी दलों ने ही साम्प्रदायिक ताकतों का विरोध किया है। यही कारण है कि पश्चिम

[श्री पी. करुणाकरन]

बंगाल, केरल और त्रिपुरा में वे कमजोर है। आपका बड़ा जनाधार भा.क.पा. (माले) के कारण नहीं घट रहा है बल्कि आपकी नीतियों के कारण घट रहा है।

समर्थन को ठुकराकर तथा वामपंथी पार्टियों को धोखा देकर सरकार को अमेरिका के साथ करार करने की जल्दीबाजी क्यों है? अमेरिका में नवम्बर में चुनाव होने जा रहे हैं। अमेरिका में कराये गए सारे जनमत संग्रह बताते हैं कि बुश प्रशासन लोकप्रिय नहीं है फिर यदि यह इतना ही जरूरी है तो आप अगले चुनाव तक इंतजार क्यों नहीं करते हैं। परमाणु करार कोई रेल का डब्बा नहीं है जिसे किसी लम्बी गाड़ी से अलग किया जा सकता है। बहुत से समझौते और करार हुए हैं। दोनों देशों द्वारा किए गए रणनीतिक बयानों से सी.ई.ओ. का रास्ता साफ हो गया है। औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र में भी सी.ई.ओ. ही निर्णय करता है। सी.ई.ओ. के सदस्य इन दोनों देशों में बहु राष्ट्रीय कम्पनियों के निदेशक होते है। उनके द्वारा दिए गए 30 सुझावों में से 26 सुझाव भारत के हितों के विरुद्ध थे। वे औद्योगिक, कृषि और खुदरा व्यापार आदि के सभी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी के लिए और अधिक स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं।

हमारे देश ने संयुक्त सैनिक अभ्यास किए हैं जहां भारत, अमेरिका, फ्रांस जापान ने भाग लिया था। अमरीका भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में प्रयुक्त हथियारों और गोला बारूद में भी अपना दबदबा दिखाता है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारत में अस्त्र-शस्त्रों तथा गोला बारूद के ज्यादा क्रयादेश प्राप्त किए हैं।

सरकार ने अमेरिका के साथ जो बहुत सारे करार किए हैं उससे इसे आत्म निर्भर बनने में तथा साम्प्रदायिक शक्तियों से लड़ने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं कि हम परमाणु ऊर्जा के विरुद्ध है बल्कि इस कारण कि हम अपने देश में ही स्वदेशी ऊर्जा स्रोत पैदा कर सकते हैं जिससे ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता की रक्षा होगी।

अपने लोगों की दयनीय स्थिति के बारे में सोचिए, 72% लोगों के पास पेय जल नहीं है, 75% लोगों के पास रहने के अच्छे मकान नहीं है, 57% महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं। अल्पसंख्यक समुदाय में अशिक्षित लोगों की संख्या अधिक है। सच्चर समिति ने कहा है कि देश के 90 जिलों में अल्पसंख्यकों की जीवन दशा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की तुलना में दयनीय है। बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की अधिकतम संख्या में मुस्लिम महिलाओ में है तथा तथा 330 मुस्लिम बहुल शहरों में अधिकतम हैं। स्वतंत्रता के बाद साम्प्रदायिक दंगों के शिकार ज्यादा अल्पसंख्यक ही रहे हैं। यह हमारे देश के गरीब लोगों का वास्तविक अनुभव। इसलिए देश के समक्ष ऊर्जा की समस्या बड़ी नहीं है बल्कि गरीबी बड़ी समस्या है।

परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने हेतु द्रुतगामी रेल से वाशिंगटन की यात्रा करने की बजाए, हमें आपस में अधिक वार्तालाप करने की जरूरत है। इसलिए हमें भारतीय बाजार को एक-ध्रुवीय विश्व के लिए नहीं खोलना चाहिए। हम एक बहु-ध्रुवीय विश्व चाहते हैं जहां हम अपने विचारों का आपस में आदान-प्रदान कर सकें। इस करार से एक बहु-ध्रुवीय विश्व को उभरने में बाधा आ रही है जिसमें भारत की भूमिका प्रमुख है।

भारतीय संसद के इतिहास में यह दिन देखना शर्मनाक है कि विश्वास प्रस्ताव को जीतने के लिए धन-बल का उपयोग किया गया। ऐसी सूचना है कि भाजपा के दो सांसदों को एक-एक करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में दिए गए और वे सभा में पैसे लेकर आए थे। संसद और संसद सदस्यों दोनों की गरिमा गिरी है। अध्यक्ष महोदय को इसकी जांच के लिए समिति गठित करनी चाहिए इस मामले को पुलिस जांच के लिए भेज कर उचित कार्रवाई चाहिए। सभा की गरिमा को उचित कार्रवाई द्वारा बनआए रखना चाहिए।

मैं विलियम शेक्सपियर द्वारा कहे गए शब्दों से समापन करता हूं:

"प्रश्न यह है कि करे या न करे, फेंक दिया जाए या नहीं।"

चार वर्ष पहले भारत की जनता ने अपने हिस्से के लिए जनादेश दिया था लेकिन सरकार ने वैसा नहीं किया और उनका हिस्सा नहीं दिया, उसने बुश प्रशासन के द्वारा उन्हें उनका हिस्सा देने का निर्णय किया।

मुझे पूरा विश्वास है कि यह सभा उनका हिस्सा देना चाहेगी और इस विश्वास मत प्रस्ताव को खारिज कर देंगी जिस पर पहले ही विश्वास नहीं रहा।

*श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): मैं माननीय प्रधानमंत्री डा.

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मनमोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत उस प्रस्ताव कि यह सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है का विरोध करता हूं।

गत तीन वर्षों के दौरान भारत-अमरीका परमाणु करार के समर्थकों और विरोधियों द्वारा काफी कुछ लिखा और कहा जा चुका है। इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले हममें से प्रत्येक सदस्य ने इस करार के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास किया है। तथापि, यह जानकर दुख होता है कि सरकार ने इस मुद्दे पर देश में राजनीतिक संकट उत्पन्न करना बेहतर समझा और यह इस मामले का समर्थन करने के लिए सफेद झूठ का सहारा ले रही है। सरकार दावा करती है कि इस करार के अंतर्गत हमारा परमाणु हथियार कार्यक्रम पूरी तरह से सुरक्षित है।

अमरीकी पहले दिन से कहते रहे हैं कि इस करार का पूरा प्रयोजन भारत को वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था के अंतर्गत लाना है। उनका निर्धारित लक्ष्य भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम को सीमित करना, कम करना और अंततः समाप्त करना है। उनका तात्कालिक लक्ष्य हमारे द्वारा आगे परीक्षण करने पर रोक लगाकर परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी के प्रारंभ में ही भारत को जाल में फांसना है।

दूसरे, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हाइड एक्ट के उद्देश्य क्या हैं। इसके उद्देश्य दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों में वृद्धि को रोकने तथा उनकी कमी और अंततः उनकी समाप्ति को प्रोत्साहित करना; और भारत को असुरक्षित परमाणु सुविधाओं (धारा 109) के आधार पर मिसाइल सामग्री के अपने उत्पादन में वृद्धि न करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस परमाणु करार के अतिरिक्त, इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह सरकार इस सभा में बहुमत खो चुकी है; और यह आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करने में सभी मोर्चों पर विफल रही है। मैं इस सम्माननीय सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जब भुज विमानपत्तन का पुनर्निर्माण और उद्घाटन किया गया था तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने अपनी भावना व्यक्त की थी कि भुज विमानपत्तन का नामकरण 'क्रांति गुरू पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा' के नाम पर किया जाए और इस विमानपत्तन के उद्घाटन के समय तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी और 'नागर विमानन राज्य मंत्री माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी ने जनता को आश्वासन दिया था कि भारत सरकार कच्छ की जनता की भावनाओं पर अवश्य विचार करेगी परंतु भुज विमानपत्तन को नाम देने के लिए प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं से पूर्व संप्रग सरकार सत्ता में आ गई जिसने इस बहाने के तहत कच्छ की जनता की भावनाओं की उपेक्षा की कि संप्रग सरकार की सामान्य नीति यह है कि विमानपत्तनों के नाम उस शहर के अनुसार रखे जाएं जिस शहर में ये विमानपत्तन स्थित हैं।

परंतु मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश में लगभग विमानपत्तनों का नामकरण नेताओं के नाम पर किया गया है और अभी हाल ही में संप्रग सरकार ने लखनऊ विमानपत्तन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। यह नाम देने का निर्णय किस प्रकार से लिया गया है यह बात जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। यह सरकार बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने, सुरक्षा बनाए रखने आदि के मोर्चे पर विफल रही है।

इसलिए, मैं माननीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

***श्री बी. विनोद कुमार** (हनमकोंडा): कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार विश्वासघात के कार्य में लिप्त रहने के पश्चात विश्वास मत प्राप्त करना चाहती है। यह विडम्बना है कि विश्वासघाती आज स्वयं विश्वास पाना चाहते हैं।

निसंदेह परमाणु करार हमारे दिमाग पर छाया हुआ है परंतु इस समय यह राष्ट्र के समक्ष एकमात्र मुद्दा नहीं है। मुद्रास्फीति में अभूतपूर्व वृद्धि ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। वह रोज कम से कम एक समय की रोजी-रोटी जुटाने के लिए मेहनत करता है; और वह परमाणु करार की जटिलताओं को नहीं समझ सकता। गत चार वर्षों में अच्छे मानसून के बावजूद कृषि क्षेत्र संकट के कगार पर है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को अति प्रभावशाली विकास दर की डींग हांकते हैं परंतु एकसमान न्याय के अभाव और अमीर तथा गरीब के बीच असमानता में चिंताजनक वृद्धि के कारण उत्पन्न विपत्ति की ओर हमारी आंखें पूरी तरह से बंद हैं। कानून और व्यवस्था का परिदृश्य हमें कोई राहत प्रदान नहीं करता है और ना ही हम राष्ट्र की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर निश्चित रह सकते हैं। कम शब्दों में कहें तो ये स्थिति के केवल कुछ पहलू हैं जो कि निराशाजनक हैं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री बी. विनोद कुमार]

न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि संप्रग सरकार द्वारा इस कार्यक्रम का पालन किए जाने की आशा की जाती लेकिन सत्तारूढ़ दल की मर्जी से इसका पालन और उल्लंघन किया जाता है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम का अभिन्न भाग बनने वाले कुछ मुद्दों पर विचार को मनमाने तरीके से छोड़ दिया जाता है - उदाहरण के लिए, तेलंगाना राज्य बनाया जाना। और कुछ मुद्दे अति दूरगामी स्वभाव के हैं जिनका न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अप्रत्यक्ष उल्लेख तक नहीं किया गया है। उन्हें एकपक्षीय रूप में राष्ट्र पर थोपा जाता है। सबसे अच्छा-या सबसे बुरा - उदाहरण स्वयं परमाणु करार है।

गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही कांग्रेस ने उन सभी शक्तियों पर अपना अधिकार जमाया है जिन्हें संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त अकेले दल की सरकार भी प्रयोग करने में संकोच करती है। यह गठबंधन नैतिकताओं के अनैतिक उल्लंघन का स्पष्ट मामला है।

तेलंगाना राज्य के प्रश्न पर संप्रग सरकार ने क्षेत्र की जनता का बुरी तरह से अपमान किया है। मैं सरकार के विरुद्ध अपने आरोप को सिद्ध करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस सम्माननीय सभा के समक्ष अति संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता हूं।

संप्रग के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि परामर्श करके सर्वसम्मति होने के पश्चात तेलंगाना राज्य बनाने पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले चुनावों के पश्चात संसद के प्रथम संयुक्त सत्र में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह आश्वासन सम्मिलित किया गया था। इस बात को आगे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पहले पत्रकार सम्मेलन में दोहराया गया था। इन आश्वासनों से मेरे दल अर्थात तेलंगाना राष्ट्र समिति की संप्रग और केंद्र सरकार में भागीदारी हुई। संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों के विचार जानने के लिए श्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। राजनीतिक दलों के उत्तरों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि तेलंगाना राज्य को बनाए जाने के पक्ष में सर्वसम्मति अति व्यापक और उत्साहजनक है। परंतु ऐसी धारणा बनाने का प्रयास किया गया है कि इस विषय पर अब तक सर्वसम्मति नहीं हो पाई है। थोड़े शब्दों में कहें तो यह सच का मजाक उड़ाना है। सच यह है कि यदि टी.डी.पी. और अन्य दलों के अतिरिक्त सी.पी.आई. (एम) भी इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते हैं, लोक सभा के कुल सदस्य तेलंगाना राज्य के बनाए जाने का समर्थन करते हैं, यदि कांग्रेस भी समर्थन करती है तो यह 425 से अधिक की अलग-अलग संख्या तक पहुंचेगा। यदि यह सर्वसम्मति नहीं है तो यह और क्या हो सकती है? हम और क्या तलाश कर रहे हैं?

अपने देश के लगभग सभी राजनीतिक दलों का इतना स्पष्ट समर्थन मिलने के बाद भी कांग्रेस द्वारा निरंतर यह कहते हुए धोखा देना जारी है कि अब तक सर्वसम्मति नहीं बनी है। हमने सरकार के विरुद्ध अपने आरोप को सिद्ध करने के लिए इस सम्माननीय सभा में चर्चा की अनुमति देने का अनुरोध करते हुए इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। सत्ताधारी दल ने सभा में खुली चर्चा को टाल दिया, और इसका कारण स्पष्ट है।

इसके विपरीत इसने द्वितीय श्रेणी के शयनयान सवारी डिब्बों के मुद्दे को उठाकर इस मुद्दे को टालने का प्रयास किया है जोकि न्यूनतम साझा कार्य में हुई सहमति के विपरीत है। जब इसके गलत प्रयास पर निशाना चूका तो, यह तेलंगाना के विकास के बारे में बात कर रही है जो कि पहले कभी नहीं हुआ और न ही भविष्य में होने की संभावना है। संप्रग के साथ इन भ्रामक अनुभवों से तंग आकर हमारे पास संप्रग और केंद्र तथा राज्य सरकार का साथ छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस तरह हम कांग्रेस की संदिग्ध विश्वसनीयता और इसके परिणामस्वरूप इस दल में जनता का विश्वास खोने का पर्दाफाश करने के फिर से जनता के बीच हैं।

***श्री फ्रांसिस फैन्थम** (नामनिर्दिष्ट): महोदय, मैं अपने परम श्रद्धेय और प्रिय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति देने पर आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, भारत-अमरीका असैन्य परमाणु करार के प्रारूप को आई.ए.ई.ए. के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व इसे सभा में न दिखाए जाने पर अपनी अप्रसन्नता के कारण वामपंथी दलों द्वारा संप्रग सरकार से समर्थन वापस लेने से यह प्रस्ताव आवश्यक हो गया था। सरकार में कोई पद और जिम्मेदारी लिए बिना चार वर्ष और दो महीनों तक वर्तमान सरकार को समर्थन देने और निरंतर नीति बताए

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जाने के बाद 15वें लोकसभा चुनाव से पूर्व यह स्थिति उभरते देखना अत्यंत निराशाजनक बात है।

महोदय, संप्रग सरकार शासन के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सी.एम.पी.) में वर्णित आपसी सहयोग और पारस्परिक-निर्भरता के सिद्धांतों पर वामपंथियों के समर्थन से बनी थी। संप्रग सरकार ने गत चार वर्षों में भी - अभूतपूर्व रूप से राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में तय कार्यक्रम के अनुसार अनेक कदम उठाए थे: चाहे यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना; राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन; किसानों के ऋण को माफ करना हो; सर्वशिक्षा अभियान हो; और सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं के प्रभाव को बढ़ाने हेतु कार्यक्रम हों। सरकार ने उल्लेखनीय रूप से अच्छा कार्य किया है। परंतु आई.ए.ई.ए. से जुड़े प्रक्रिया संबंधी मुद्दे को इतना अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया है कि राष्ट्र के प्रभुत्व को अमरीका के साथ प्रस्तावित परमाणु समझौते के संबंध में पारदर्शिता दिखाने के लिए लागू संयुक्त तंत्र के वामदल सदस्यों के अहम को संतुष्ट करने हेतु कम किया जाता है।

महोदय, मेरे विचार से विश्व में सम्मानित इस महान राष्ट्र के इतिहास में राष्ट्र ने उस मामले पर इतने उपहास की स्थिति नहीं देखी है जो ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं और विकास के सभी क्षेत्रों में राष्ट्र के प्रभावशीलता में वृद्धि करने संबंधी मामले में हुई है। इस सभा के सामने स्पष्ट हो रही घटनाओं के परिणामस्वरूप इसके प्रतिनिधि खरीद-फरोख्त की जाने वाली ईमानदारी और वफादारी का मोल लगाकर आर्थिक वस्तु बनाने पर उतर आए हैं। किसी सदस्य ने टिप्पणी की थी "न्यूक्लियर एनर्जी इज बींग ड्रिवन बाई हार्सेज।" अर्थात् परमाणु ऊर्जा के मामले में खरीद-फरोख्त चल रही है।

महोदय, भारत-अमरीका असैन्य परमाणु ऊर्जा करार पर भारत की सामरिक आवश्यकताओं की रक्षा करके और राष्ट्र को शांति प्रयोजनों हेतु ऊर्जा का उत्पादन करने के योग्य बनाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में संप्रग सरकार द्वारा वार्ता की गई थी। यह करार भारत को आर्थिक रूप से शक्तिशाली राष्ट्रों के वर्ग में सम्मिलित करने, और परमाणु ऊर्जा में व्यापार हेतु भागीदार बनाने की सुविधा प्रदान करता है जिसकी सुविधा भारत को सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर न करने के कारण नहीं दी गई थी।

महोदय, यह करार भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए है। इसलिए, यह करार इस राष्ट्र के युवकों की आकांक्षाओं और सरोकारों को पूरा करता है जिनकी संख्या आज राष्ट्र के 60 प्रतिशत से अधिक है। भविष्य को वर्तमान की अपेक्षा अधिक सुरक्षित करना सरकार का परम कर्तव्य है। इसलिए, मैं इस राष्ट्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए महान कार्य के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं।

इसलिए, मैं विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर): मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे विश्वास मत पर बोलने का मौका दिया।

मैं महंगाई और आंतरिक सुरक्षा की समस्या जोकि काफी गंभीर हो गई है, के विस्तार में नहीं जाऊंगी क्योंकि आतंकवादी हमले और बम विस्फोट की घटनायें अब आम बात हो गई हैं। मुंबई, मालेगांव, जम्मू, हैदराबाद, जयपुर, समझौता एक्सप्रेस आदि में शृंखलाबद्ध बम विस्फोट हुए हैं।

नक्सलवाद का खतरा बहुत बढ़ गया है। उड़ीसा और हैदराबाद की हाल की घटनाएं इस बात के द्योतक हैं।

जहां तक किसानों के ऋण माफी की बात है मेरे माननीय सहयोगियों ने बार-बार कहा है कि यह दिखावा है और इससे बहुत कम किसानों को लाभ होगा। किसान अभी भी संकट में हैं और आत्महत्याएं अभी भी हो रही हैं। सरकार ने लोगों से किए वायदों और प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया है। सरकार हर मामले में विफल रही है।

हमारा दल भारत-अमेरिका संबंधों या परमाणु समझौते के खिलाफ नहीं है। विश्व में भारत की साख को ऊपर लाने का श्रेय विशेषकर अमेरिका की दृष्टि में इसका श्रेय वाजपेयी जी के शासन को जाता है।

इस विषय पर जिस ढंग से बातचीत की जा रही है और गोपनीयता बरतो जा रही है उसका हम विरोध करते हैं। संसदीय प्रजातंत्र में कार्यपालिक संसद के प्रति जवाबदेह होता है। इतने महत्वपूर्ण समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है और गोपनीयता के नाम पर हमें जानकारी नहीं दी जा रही है। अमेरिकी कांग्रेस में भी इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। परन्तु हमारे ही देश में संसद के महत्व को अनदेखा कर हमें इस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रखा जा रहा है।

मैं कहना चाहूंगी कि हमारे देश में पवन उर्जा, सौर उर्जा

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव]

और 'जियोथर्मल' ऊर्जा पर ध्यान देना चाहिए और इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। यहां तक कि सिनेटर बराक ओबामा और जॉन एम. केन ने सत्ता में आने पर इन ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की बात कही है।

मैं विश्वास मत का विरोध करती हूं।

[हिन्दी]

***श्रीमती करुणा शुक्ला** (जांजगीर): महोदय, भारत के प्रधानमंत्री माननीय डा. मनमोहन सिंह जी ने सदन में जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसके विरोध में अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं विरोध ही नहीं पुरजोर विरोध करती हूं।

महोदय, जब विचार का चिराग बुझ जाता है तो आचार-व्यवहार अंधा हो जाता है। आज देश के लोगों को यही दिख रहा है। चार वर्ष और दो माह में देश के हालात क्या हो गये हैं। यह माननीय प्रधानमंत्री जी से छिपा नहीं है।

पहली बार दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाना पड़ा, सिर्फ आपकी इच्छापूर्ति के लिए आप और आपकी पार्टी बुश के सामने घुटने टेक रही है। देश की जनता जान रही है और देश देख भी रहा है। भारत विश्व का सबसे विश्वसनीय, सबसे मजबूत लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र के सामने आप क्या पेश कर रहे हैं।

महोदय, बात जब विश्वास मत की निकली है तो सभी तरह की बातें आयेंगी। आजादी के बाद देश की सत्ता वर्षों वर्ष आपकी पार्टी ने संभाली और भ्रष्टाचार को जन्म दिया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू जी को जब पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री प्रताप सिंह केरो के नहरों के निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार को बताया तो जवाब था, दाल में नमक के बराबर भ्रष्टाचार चलता है और उसी शुरुआत ने आज सांसदों की बड़ी मंडी खड़ी कर दी। कोई भ्रष्टाचार करके राज्यसभा में आ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव द्वारा खरीद फरोख्त छुपी नहीं है। आप भी क्या करवा रहे हैं, वह देश क्या दुनिया देख रही है। 14वीं लोक सभा में सांसदों की खरीद का तथ्य जो सामने आया है, हम नये सांसदों की आंखें शर्म से झुक गयी हैं।

महोदय, परमाणु करार देश हित में नहीं है। दूसरे जो अन्य ऊर्जा के साधन हैं, हमें उन पर जोर देना चाहिए। चाहे वह विंड ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, थर्मल पॉवर हो और हाईड्रोजन पॉवर हो। न्यूक्लियर ऊर्जा देश के हित में नहीं है।

आज राष्ट्रहित गौण हो गए और व्यक्तिगत हित सर्वोपरि हो गए। आप देश के हितों की तिलांजली देकर अमेरिका के हितों की सोच रहे हैं। आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी।

कल से आज तक मैं सदन के बहुत से वरिष्ठ सांसदों का भाषण सुन रही थी। सलीम जी आपने समर्थन वापसी में बहुत देर कर दी। यदि यह समर्थन महंगाई, नक्सलवाद, आतंकवाद पर वापस होता तो जनता आपका ज्यादा सम्मान करती।

प्रो. राम गोपाल यादव जी आपका नया प्रेम है। इसलिए आपकी स्टोरी सभी को बहुत अच्छी लगी। सांसदों को आपने मंडी की वस्तु बना दिया।

महंगाई से यदि कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वह इस देश की महिलाएं हैं जो महंगी गैस, महंगी दाल, महंगा तेल, महंगा दूध तथा महंगी सब्जी खरीदने को बाध्य है। आने वाले समय में जब भी चुनाव आयेगा महंगाई को सामने रखकर वोट करेंगीं।

महोदय, चार वर्ष दो माह के कार्यकाल में हमारी संस्कृति हमारे संस्कारों पर हमारी आस्था, हमारे विश्वास पर चोट की है। रामेश्वर में राम भगवान के सेतू को तोड़ने का हलफनामा देना, अमरनाथ श्राईन बोर्ड को दी गयी जमीन वापस लेना इस बात का संकेत है कि भारत में रहने वालों की आस्था पर चोट होगी, वोटों की राजनीति के लिए तुष्टीकरण जरूरी हो गया है।

देश के अधिकांश हिस्से आतंकवाद और नक्सलवाद से जूझ रहे हैं। यू.पी.ए. सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। यदि इसे राष्ट्रीय समस्या मानकर कार्य योजना बनाई जाती तो आज इस आतंक का कुछ हल निकलता।

महोदय, एक पार्टी एक परिवार ने 55 वर्षों तक इस देश पर शासन किया और देश में गरीबी बढ़ गई। गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गए। अमीर-गरीब

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

की खाई चार वर्षों में इतनी बढ़ गयी जिसको पाटना आज नामुमकिन हो गया है।

महोदय कुछ लोग तो अपनी हिम्मत से तूफान में किनारा कर लेंगे, कुछ लोग मगर मल्लाहों की हिम्मत के भरोसे डूब गए।

[अनुवाद]

***श्री विजयेन्द्र पाल सिंह** (भीलवाड़ा): महोदय, मैं प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करता हूं। वस्तुतः, इसमें अमेरिका के साथ परमाणु समझौते का उल्लेख नहीं है परन्तु भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इसी के कारण वामपंथियों द्वारा समर्थन वापस लिया गया है और इस पर ही मैं संक्षेप में बोलूंगा। केवल अमेरिका परमाणु समझौते पर ही बोलूंगा। मेरे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस परमाणु ऊर्जा के विरुद्ध नहीं है अपितु हम इस समझौते के विरुद्ध हैं।

महोदय, आपको ध्यान होगा कि एन.डी.ए. सरकार - वाजपेयी जी ने रूस के साथ 2x500 एम.डब्ल्यू. फास्ट ब्रिडर रिएक्टर परमाणु संयंत्र के बारे में रूस से समझौता किया था। यह कुडनकुल्लम में निर्माण के अग्रिम चरण में है। यदि बी.जे.पी. परमाणु ऊर्जा के विरुद्ध नहीं है तो भारत-अमेरिका परमाणु समझौते का इतना विरोध क्यों? हमसे यह प्रश्न किया जा रहा है। महोदय, प्रणब दा ने अति हल्के अंदाज में कहा कि इतने वर्षों से हमने इन.पी.टी. और सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। परन्तु 123 क्या है? क्या यह एन.पी.टी./सी.टी.बी.टी. को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करना और इससे भी कहीं ज्यादा तो नहीं है? सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अमेरिका ने अब तक 900 से ज्यादा परमाणु परीक्षण किये हैं। अब इसे भूमिगत परिक्षण करने की आवश्यकता नहीं है अब इसे कम्प्यूटर पर किया जा सकता है इसे 'कम्प्यूटर सिमुलेशन टेस्ट' कहते हैं।

मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस वार्ता में अमेरिका से भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने की बात की गई है?

यदि हम परमाणु परीक्षण करते हैं तो समझौते के तहत एन.एस.जी. देश परमाणु ईंधन की आपूर्ति रोक देंगे। क्या इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की गई है? यदि नहीं तो हमारी सामरिक रक्षा पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

अंत में मुझे राष्ट्रपति बुश के साथ आपकी मुलाकात और इस मुलाकात के स्थान के बारे में भी आश्चर्य है। समस्त विश्व आपको जानता है। महोदय, प्रधान मंत्री जापान जी-8 और जी-5 बैठक में शामिल होने के लिए गए थे।

क्या यह सही नहीं है कि जापान नागासाकी और हिरोशीमा में हुए तबाही के कारण किसी भी ऐसे परमाणु कार्यक्रम के विरुद्ध है।

महोदय, क्या आप नहीं समझते कि जापान जाकर परमाणु समझौते पर चर्चा करना गलत था? क्या यह एक अपवित्र कार्य नहीं था?

अंत में मेरा यह कहना है कि हमारी सामरिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परमाणु समझौते पर पुनः बातचीत की जाए।

***श्री फ्रांसिस जार्ज** (इदुक्की): महोदय, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा अब अंतिम चरण में है।

चार वर्ष और दो माह पूर्व जब वामपंथियों के सहयोग से यू.पी.ए. का गठन हुआ था तो हम, जो केरल कांग्रेस पार्टी के हैं, भी वाम मोर्चा के एक घटक के रूप में गठबंधन में शामिल हो गए थे। सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर कार्य करने लगी और यदा-कदा यू.पी.ए. समन्वय समिति की बैठक आयोजित होती थी जिसमें हमें, सुश्री महबूबा, श्री ओवेसी, श्री आठवले आदि को भी आमंत्रित किया जाता था। विभिन्न मुद्दों पर हम चर्चा करते थे, परन्तु यह मात्र एक औपचारिकता थी।

मैं इस बारे में विस्तार में नहीं जाऊंगा कि सरकार ने विभिन्न मुद्दों पर क्या किया था उन्हें क्या नहीं करना चाहिए था। आज सुबह माननीय वित्त मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जैसे कि प्राप्त की गयी विकास दर, विशेषकर ऋण माफी जिसे बजट में की गई घोषणा के तहत लागू किया गया था।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसका कोई लाभ नहीं हुआ है। परन्तु बड़ी संख्या में ऐसे किसान भी हैं जिन पर भारी ऋण भी था जिन्होंने ईमानदारी से ऋण का किसी न

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री फ्रांसिस जार्ज]

किसी तरह से भुगतान किया उन्हें ऋण माफी से बाहर रखा गया है। अब वे संसद सदस्यों से पूछ रहे हैं कि क्या ईमानदारी दिखाने का उन्हें दण्ड दिया गया है? मेरी आशा है कि सरकार इस विषय पर ध्यान देगी।

महोदय, यह विशेष सत्र देश में भारत-अमेरिकी परमाणु समझौते से उत्पन्न स्थिति के कारण बुलाया गया था। वाम मोर्चे ने कुछ मुद्दे उठाए हैं - यदि मैं ठीक समझ रहा हूं तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल, देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा के विरुद्ध नहीं है।

मैं समझता हूं कि सरकार, वामपंथियों की चिंताओं व संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाई है।

सबसे विवादास्पद मुद्दा भारत केन्द्रित हाइड अधिनियम के प्रभाव क्षेत्र का है जो भारत के साथ परमाणु करार करने के लिए अमरीकी सीनेट/कांग्रेस को यू.एस.ए.ई. अधिनियम, 1954 की धारा 132 के उपबंधों से छूट देने के लिए विधान लागू करने की शक्ति प्रदान करता है।

इस अधिनियम के कुछ उपबंध इस प्रकार हैः- (1) कि भारत एक ऐसी विदेश नीति का निर्माण करे जो अमरीका आदि के अनुरूप हो; (2) कि अमरीकी राष्ट्रपति प्रतिवर्ष अमरीकी कांग्रेस को सूचना दे कि ईरान जैसे देशों को रोकने के लिए भारत अमरीकी और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में पूर्णरूपेण और सक्रिय रूप से भाग ले रहा है या नहीं, अस्वीकार्य है। आज सुबह माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि अमरीका का आंतरिक कानून हम पर बाध्यकारी नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भी कोई देश किसी समझौते को निष्पादित करने में विफलता का औचित्य सिद्ध करने के लिए अपने आंतरिक उपबंधों में परिवर्तन नहीं कर सकता।

यह उपबंध विशिष्ट रूप से चीन-अमरीका 123 समझौते में किया गया था लेकिन भारत-अमरीका 123 समझौते में इसे छोड़ दिया गया है। हम इसका कारण नहीं समझ पा रहे हैं। अगला मुद्दा प्रयोग किए गए ईंधन के पुनःप्रसंस्करण के हमारे अधिकार का है। जो हमारे त्रिस्तरीय परमाणु विकास कार्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि मैं सही समझ रहा हूं तो श्री आर.बी. ग्रोवर, निदेशक, रणनीतिक नियोजन समूह, आणविक ऊर्जा विभाग जो हमारे वार्ता दल के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, ने आधिकारिक रूप से कहा है कि अमरीका की भारत के स्वदेशी त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को रोकने की योजना थी, क्योंकि पुनःप्रसंस्करण इन तीनों चरणों का मुख्य आधार था। ऐसा लगता है कि अमरीका की मंशा हमें द्वितीय और तृतीय चरण में रोकना है।

क्या हमें प्रयुक्त ईंधन के पुनःप्रसंस्करण का स्पष्ट आश्वासन मिला है? ऐसा लगता है कि हमें यह आश्वासन नहीं मिला है।

महोदय, 123 समझौते में मध्यस्थता उपबंध का अभाव है जबकि जापान-अमरीका 123 समझौते में इसका विस्तृत विवरण है। हमें केवल मामलों को विचार-विमर्श के जरिए निपटाने का आश्वासन दिया गया है। पुनः, इस समझौते में निम्नलिखित हेतु उपबंध हैं:

(क) वापसी का अप्रतिबंधित अधिकार

(ख) सभी आपूर्ति निलंबित करने का निर्बाध अधिकार

(ग) समस्त विदेश-जनित प्रयुक्त - ईंधन एकल सुविधा के जरिए आने का प्रावधान - जो निश्चित तौर पर अत्याधुनिक सुविधा होगी जैसा कि अमेरिका के राजनैतिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी श्री बर्न्स ने प्रस्ताव किया है। इस अत्याधुनिक स्थिति का निर्णय अमरीका करेगा। क्या ये शर्तें हमें स्वीकार्य हैं?

अंततः, महोदय, यहां समन्वय, गठबंधन नैतिकता और शिष्टाचार की बहुत बातें हुई हैं। हमारे जैसे एक/दो सदस्यीय दल, जो संप्रग सरकार का समर्थन कर रहे थे, उनसे किसी महत्वपूर्ण मुद्दे यथा जो हमारे सामने है, उस पर विचार-विमर्श नहीं किया गया अथवा विश्वास में नहीं लिया गया। ऐसा लगता है कि हमें ऐसे मुद्दों पर चिन्ता नहीं है? यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि, कम से कम मैं कहना चाहूंगा, हम चार वर्ष से इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अब हर कोई समर्थन के लिए एक-एक सदस्य के पीछे भाग रहा है। हम, केरल कांग्रेस पार्टी (के सदस्य), महसूस करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो संप्रग सरकार का नेतृत्व कर रही है, उसको वामपंथियों को विश्वास में लेना चाहिए, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, क्योंकि उभरती राजनैतिक परिस्थितियों की यही मांग है। हमारे देश की लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष परम्पराओं की सुरक्षा के लिए वामपंथियों और कांग्रेस को भविष्य में भी इकट्ठे होना पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

***श्री सुखबीर सिंह बादल** (फरीदकोट): मैं अपने दल शिरोमणि अकाली दल की ओर से मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। साढ़े चार वर्ष पूर्व 'कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ' के नारे के साथ सत्ता में आई थी। लेकिन अब उसी हाथ ने आम आदमी का दम घोंट दिया है। अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं सरकार के विरुद्ध बोल सकता हूं। लेकिन मैं संसद का महत्वपूर्ण समय व्यर्थ नहीं करूंगा। मैं केवल महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करूंगा।

1. मूल्य वृद्धि:

कल प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था कि यह सरकार मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने में विफल रही है। मुद्रा-स्फीति 12% तक जा चुकी है जो पिछले 10-15 वर्षों में सर्वाधिक है। राजग सरकार के दौरान यह केवल 3 से 5% के बीच थी। मूल्यों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। केन्द्र में इस कांग्रेस सरकार और पंजाब में हमारे दल की सरकार के बीच अंतर देखिए। आपकी कांग्रेस सरकार ने मुद्रा-स्फीति बढ़ाई और गरीब को कुचल दिया है। हम उन्हें चार रुपए (की दर से) आटा और 20 रुपए की दर से दाल देकर इन मुसीबतों से बचा रहे हैं जिससे हमारी सरकार के 600 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष वहन करने पड़ते हैं। गरीब लड़कियों की शादी पर 15,000 रुपए बतौर शगन दिए जाते हैं। इस कांग्रेस सरकार ने एक बार भी अपनी गलत नीतियों के कारण हमें हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव तक नहीं किया है।

2. किसान

यह केन्द्र सरकार किसानों, विशेषत: पंजाब के किसानों की विरोधी रही हैं। **पंजाब के किसान देश की आवश्यकता का 65% प्रतिशत गेहूं उत्पादित करते हैं।** लेकिन उनको उचित मूल्य नहीं दिया गया है। भारत सरकार ने **1600 रुपए प्रति क्विंटल की दर** से गेहूं का आयात किया है जबकि पंजाब के किसानों को **केवल 1000 रुपए प्रति क्विंटल** दे रही है। चावल के मामले में तो हालत सबसे ज्यादा खराब है। **पंजाब देश की आवश्यकता का 55% प्रतिशत** से ज्यादा का उत्पादन करता है। लेकिन, इस सरकार ने कृषि मूल्य आयोग द्वारा संस्तुत 1000 रुपए से भी कम मूल्य अर्थात् 856 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करके किसानों के मुंह पर तमाचा मारा है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 2000 रुपए प्रति क्विंटल है।

कांग्रेस सरकार ने देश के करोड़ों छोटे किसानों का 72000 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ करने की घोषणा करके एक बड़ा नाटक किया लेकिन पंजाब के किसानों के साथ फिर भेदभाव किया गया। पंजाब के किसान जो देश की आवश्यकता का 65% प्रतिशत गेहूं और 55% चावल उगाते हैं उन्हें इस 7200 करोड़ रुपए की ऋण माफी का केवल 1% हिस्सा मिला है जो पंजाब के किसानों का अपमान है। किसानों को बचाने के लिए हम उन्हें निशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देश की खाद्य समस्या का हल करके पंजाब के किसानों ने देश सेवा की है। लेकिन, इसके परिणामस्वरूप हमारी भूमि की उर्वरता कम हो गई है और जल स्तर भी नीचे चला गया है और कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो 2020 तक पंजाब रेगिस्तान बन जाएगा।

हमने केन्द्र सरकार से निम्नलिखित अनुरोध किया था (1) **सिंचाई पुनरुद्धार परियोजना के लिए 6000 करोड़ रुपए,** लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। (2) **कृषि अनुसंधान के लिए 1000 करोड़ रुपए,** लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए गेहूं संवर्धन कार्यक्रम में भी आरंभ में पंजाब की उपेक्षा की गई। जब हमने विरोध किया तब उन्होंने पंजाब के केवल 13 जिलों को इसमें शामिल किया।

परमाणु करार

मैं पिछले कुछ दिनों से विभिन्न चैनल देख रहा हूं। सभी चैनल लोगों से पूछ रहे हैं कि परमाणु करार क्या है। 95% लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं।

मैं परमाणु करार पर आता हूं। माननीय प्रधानमंत्री और संप्रग सरकार ने परमाणु करार को गलत ढंग से इस रूप में प्रस्तुत किया है कि इससे देश की विद्युत समस्याएं हल हो जाएंगी। वस्तुत:, वे लोगों को धोखा दे रहे हैं। यदि हम परमाणु करार पर हस्ताक्षर कर भी दें तो सरकार के अनुमान के अनुसार परमाणु ऊर्जा देश की कुल ऊर्जा आवश्यकता का केवल 6% उत्पादित करेगी जो नगण्य है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सुखबीर सिंह बादल]

विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार

भारत में कुल अधिष्ठापित विद्युत क्षमता निम्नलिखित है :-

	1,44,565 मेगावाट	क्षमता
तापः	92,216 मेगावाट	
जलः	36,033 मेगावाट	148000 मेगावाट
परमाणुः	4,120 मेगावाट	

भारत सरकार को परमाणु-जनित विद्युत के स्थान जल विद्युत उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। यह परमाणु करार वस्तुतः कांग्रेस सरकार का निजी कार्यक्रम है। कांग्रेस अपने निजी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का बलिदान करने के लिए तैयार है।

उन्होंने स्वयं अपने सहयोगियों को भी विश्वास में नहीं लिया है। माननीय प्रधानमंत्री को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी और संपूर्ण करार स्पष्ट करने के अलावा सारे तथ्य सामने रखने चाहिए थे। गलत छवि प्रस्तुत करके तथ्यों को न छुपाएं और देशवासियों को धोखा न दें। तथापि, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि शिरोमणी अकाली दल कभी भी कांग्रेस दल की सरकार का समर्थन नहीं करेगा।

1. यह 1984 के दंगों के दौरान हजारों लोगों के मारे जाने के लिए जिम्मेदार है।
2. यह वही दल है जिसने स्वर्ण मंदिर पर टैंकों से हमला कराया था।
3. यह दल हमारी एस.जी.पी.सी. को तोड़ने का प्रयास कर रहा है।
4. इस सरकार ने फ्रांस में पगड़ी के मुद्दे को हल करने में सहायता नहीं दी।

पंजाब और इस देश के लोग चाहते हैं कि इस कांग्रेस सरकार को मतदान के जरिए यथाशीघ्र हटा दिया जाए। जितने दिन यह सरकार सत्ता में रहेगी, देशवासियों पर मुसीबतें आती ही रहेंगी।

इसलिए, मेरा दल और मैं इस सरकार के विरुद्ध मतदान करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि यह सरकार दोबारा सत्ता में न आए।

[हिन्दी]

*श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): महोदय, कल देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा न्यूक्लियर इश्यू को केन्द्र में रखकर लोक सभा में विश्वास का प्रस्ताव रखा गया, वह एक परिपक्व प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान है। भारत-अमेरिका नाभिकीय करार के तमाम पहलुओं का अध्ययन करने और कई स्तरों पर विश्लेषण करने का सिलसिला जारी है। भारत के विषम विशेषज्ञों के द्वारा विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श का सिलसिला जारी है। देश की वर्तमान ऊर्जा सुरक्षा क्षमता और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप भविष्य की ऊर्जा-आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर देश के पूर्व राष्ट्रपति डा. अब्दुल कलाम जी, जो एक आणविक ऊर्जा क्षेत्र के वैज्ञानिक भी रहे हैं, ने इस करार को देश हित में और विकासपरक बताते हुए अत्यावश्यक बताया है। अतः परमाणु डील को दुनिया के विकास की मुख्यधारा में शामिल होने का "गेटवे" माना जा सकता है।

परमाणु डील के संदर्भ में माननीय सदस्य प्रो. रामगोपाल यादव जी के उस विचार से मैं सहमत हूं कि माननीय आडवाणी जी को यह मलाल रह गया है कि उस डील पर उनका हस्ताक्षर नहीं हो पाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री आडवाणी जी का विरोध सिर्फ इसी वजह से है। श्री आडवाणी जी ने कहा कि हम ऊर्जा विरोधी नहीं हैं और हम परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता को भी महसूस करते हैं, लेकिन फिर आप करार का नाम सुनते ही बेकरार क्यों हो जाते हैं? ऐसे मौके पर एक कहावत सार्थक लगती है - "गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज"।

सदन में विभिन्न पार्टियों के नेताओं द्वारा विभिन्न मत रखे गए, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विपक्षी नेताओं के भाषणों में परमाणु करार को बहुत महत्व नहीं दिया गया और विभिन्न विषयों पर चर्चा होती रही, जो राजनीतिक पूर्वाग्रहों से प्रेरित थी।

मैं जनहित को और देश के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री जी द्वारा पेश विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): आज, सासंदों के रूप में जब हम एक ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रहे हैं तो

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं वह कहना चाहता हूं जो इस मुद्दे पर मेरे दल को भी कुछ कहना है।

कल, माननीय विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हम अपनी संप्रभुता से कदापि समझौता नहीं कर सकते हैं। तो, क्या सरकार हाइड अधिनियम से संबंधित उन संदेहों को स्पष्ट करेगी जिनके बारे में सरकार का कहना है कि वे हम पर बाध्यकारी नहीं हैं। अमरीकी सेक्रेटरी आफ स्टेट कोंडोलीजा राइस द्वारा फरवरी में 'यू.एस. हाउस फॉरेन अफेयर्स पैनल' में कही गई बात कि "हम हाइड अधिनियम के विपरीत भारत का कोई समर्थन नहीं करेंगे, यह पूर्णतः हाइड अधिनियम के अनुसरण में ही होगा। हमें हाइड अधिनियम का अनुसरण करना ही होगा अन्यथा मुझे विश्वास नहीं है कि अगला कदम उठाने के लिए हम कांग्रेस पर भरोसा कर सकते हैं।" के बारे में आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या है?

क्या प्रधानमंत्री अमरीका के साथ हमारे 123 समझौते की धारा 2 के सहायक विभिन्न सूत्रों पर स्पष्टीकरण देंगे: "प्रत्येक पक्ष...शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के प्रयोग से संबंधित इस समझौते को अपनी संबंधित लागू संधियों, राष्ट्रीय कानूनों, मैं दोहरा रहा हूं, राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार क्रियान्वित करेगा।"

"आदेशात्मक और अप्रासंगिक" तत्वों पर, जो स्वयं सरकार भी मानती है कि इस अधिनियम में है, स्पष्टीकरण कौन देगा?

यद्यपि 123 समझौता और हाइड अधिनियम अमरीका के 'सर्वोच्च कानून' हैं, क्या यह सत्य है कि चूंकि यह समझौता इस अधिनियम के 'अनुसरण' में है, यह अधिनियम ही सतत रूप से समझौते के कार्यान्वयन को नियंत्रित करेगा?

क्या यह सत्य है कि चीन और अमरीका के बीच हुए 123 समझौते में हाइड अधिनियम जैसा कोई एकतरफा प्रतिबंध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: श्री वीरेन्द्र कुमार, आप अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: महोदय, कृपा मुझे एक मिनट दीजिए।

क्या यह सच है कि चीन-अमरीका करार में विशेष रूप से कहा गया है "कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सिद्धांत...कि एक पक्ष सन्धि करने में हुई विफलता को न्यायोचित ठहराने के लिए अपने आन्तरिक कानून के प्रावधानों का प्रयोग नहीं कर सकता?"

महोदय, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं क्या यह सरकार निम्नलिखित खंडों के महत्व के मामले में पारदर्शी होगी: प्रसार सुरक्षा पहल में पूर्ण भागीदारी, ऐसी पहलों के निषेध सिद्धान्तों के विवरण के प्रति औपचारिक वचनबद्धता, वारोनार करार, जिस पर हमने हस्ताक्षर नहीं किए है, के अंतर्गत निर्यात नियन्त्रण कानूनों की पुष्टि करने वाले हमारे निर्णय की सार्वजनिक घोषणा।

हाईड अधिनियम के अंतर्गत अमरीकी राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक धारा 3(ख) के अधीन नीतियों के प्रयोजनों में से प्रत्येक की उपलब्धि के बारे में प्रगति रिपोर्ट हाऊस की कमेटी को प्रस्तुत करें। ऐसी ही एक धारा में कहा गया है "जनसंहार करने वाले हथियारों की प्राप्ति के लिए ईरान द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को रोकने, अलग करने और यदि आवश्यक हो, प्रतिबंधित करने और रोक लगाने के संबंध में अमरीकी प्रयासों में भारत की पूरी और सक्रिय भागेदारी प्राप्त करें।"

अध्यक्ष महोदय: अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: अभी आपके पास तीन पृष्ठ और है। कृपया इसे सभापटल पर रख दीजिए।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: कृपया, मुझे एक मिनट और दे दीजिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मिस्टर वीरेन्द्र कुमार आप अपना भाषण टेबल पर रख दीजिए। आप दो बार एक-एक मिनट कर के समय ले चुके हैं और मैं देख रहा हूं कि अभी तीन पेज आपको और पढ़ने हैं। इसलिए कृपया अपना भाषण टेबल पर रख दीजिए।

[अनुवाद]

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: इस सन्दर्भ में, क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु अप्रसार के लिए भूतपूर्व अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी, स्टीफन रेडमेकर द्वारा दिए गए

[श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार]

वक्तव्य पर स्पष्टीकरण देगी जिन्होंने फरवरी 2007 में, दिल्ली में हुई चर्चा में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि अमरीका ने वर्ष 2005 और 2006 में आई.ए.ई.ए. में ईरान के विरुद्ध वोट देने के लिए भारत पर दबाव डाला था।

123 करार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की जा रही जल्दबाजी आश्चर्यजनक है।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं अपने भाषण का शेष भाग सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

***श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:** जब लोग दो अंकों वाली मुद्रास्फीति, खाद्य वस्तुओं और घरेलू गैस सहित ईंधन के बढ़ते मूल्यों से स्तब्ध हैं तब सरकार करार करने को अडिग है जोकि न तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम का हिस्सा है और न ही यह कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल है। सरकार ने जिस तरह गुपचुप तरीके से आई.ए.ई.ए. प्रारूप करार के पाठ को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में परिचालित करते हुए वामपंथी और इसके सहयोगियों से छिपाया है, वह राजनीतिक चाल में गैर माफी योग्य कार्य है। बाहर से हमारे दल के समर्थन के बिना यह प्रस्ताव लाने तक यह सरकार चार साल तक नहीं चली होती।

भाजपा के साथ हमारे जुड़ने पर जो हाय-तौबा मचाई गई है, राष्ट्र जानता है कि हम उनके सामंजस्य में कार्य नहीं कर रहे हैं और कि हम पूर्णत: भिन्न विचारधाराओं से जुड़े है। यह क़दम मात्र राजनीतिक हितों के मेल के लिए ही है और कांग्रेस स्वयं अपने भीतर झांके कि वी.पी. सिंह (1990) देवगौडा और आई.के. गुजराल दोनों (1997) को हटाने के समय वह कौन से खेमे में थी। समयाभाव के कारण मैं परमाणु ऊर्जा, अविश्वसनीय प्रौद्योगिकी के अवगुणों पर चर्चा नहीं कर सकता। सर्वाधिक परमाणु ऊर्जा पर सर्वाधिक निर्भर रहने वाला फ्रांस परमाणु अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है।

एन.टी.पी. के सन्दर्भ में विदेश मंत्री ने नेहरू के बारे में टिप्पणी की थी कि मृतक व्यक्ति अपना विचार व्यक्त नहीं कर सकता। चूंकि अब सरकार का नेहरूवादी विचारधारा से कोई सरोकार नहीं है इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम गुट निरपेक्ष के मामले में उस विचारधारा को उठाएं। यहां अमरीका के राजनीतिक मामले के भूतपूर्व अंडर सेक्रटरी आफ स्टेट, निकोलस बर्नस की हाल में की गई टिप्पणी को याद करना उचित होगा कि यदि नेहरू जी जीवित होते तो ऐसा करार करना कठिन होता।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं: हम इस विश्वास प्रस्ताव पर इतिहास रचने के दोराहे पर खड़े हैं। यदि यह सरकार जीत जाती है और मैं महसूस करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए राष्ट्र हार जाएगा। अत: हम प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करते हैं क्योंकि हम परमाणु करार के खिलाफ हैं।"

श्री सानछुमा खुंगुर वैसीमुथियारी (कोकराझार): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

[हिन्दी]

तमाम हिन्दुस्तान के आदरणीय प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी ने लोक सभा के पटल पर विश्वास मत का जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसकी मदद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा मदद करने का मतलब यह है कि हिन्दुस्तान में गरीबों की जितनी संख्या है, नौजवान लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए और देश के आर्थिक विकास के लिए प्रधान मंत्री जो कदम उठाने जा रहे हैं, उस कदम को सफल करने के लिए मैं डा. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसे पूरे पांच साल तक जीवित करने और चलाने के लिए मैं मदद करना चाहता हूं। मैं अपनी ओर से और अपने बोडो लैंड के लोगों की ओर से आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी इस "भारतवर्ष" के नाम के मुल्क को प्रगति की दिशा में ले जाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

कृपया मेरी बात सुनिए। मैं पूरे देश की बोडो-जनजातीय जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। हमारी अनगिनत समस्याएं और शिकायतें हैं। जब हम अपनी समस्याओं के बारे में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो आप सभा की कार्रवाई में विघ्न डालते रहते हैं। यदि आपको हमारी कोई चिंता है तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं करनी चाहिए।

---

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

असम के बोडो लोगों को समतल प्राइमिस एरिया में शैड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है, लेकिन असम के दो हिल्स एरियाज - नार्थ कछार और कार्बी आंगलांग जिलों में रहने वाले एक लाख से अधिक संख्या के बोडो लोगों को आज तक भी शैड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि कार्बी आंगलांग और उत्तर कछार जिले में रहने वाले एक लाख से अधिक संख्या के बोडो लोगों को शैड्यूल ट्राइब हिल्स लिस्ट में लाया जाए। क्योंकि अंतिम "बोडो समझौते" में भारत सरकार ने इस मुद्दे पर भी कार्रवाई करने का वादा किया था।

मेरी दूसरी मांग है कि बोडो लैण्ड एरिया के बोडो, राथा, गारी और हाज ट्राइबल्स, शैड्यूल ट्राइब के लोग हैं। इनको लेकर एक एक्सक्लूसिव शैड्यूल ट्राइब की लिस्ट हमारे बोडोलैण्ड टेरीटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाने की जरूरत है। भारत सरकार, असम सरकार और बोडो लिब्रेशन टाइगर्स के बीच में वर्ष 2003 में एक राजनीतिक समझौता किया गया था। उस समझौते के सभी प्रावधानों को कारगर बनाने के लिए हिन्दुस्तान की सरकार को सकारात्मक कदम उठाना होगा। इस समझौते के मुताबिक भारत सरकार ने बोडोलैण्ड टेरीटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट एरिया को हर साल सौ करोड़ रुपये देना स्वीकार किया था, लेकिन पांच साल के अंदर केवल 450 करोड़ रुपया ही दिया गया है। उस समझौते के मुताबिक इस एमाउण्ट को पांच साल के बाद बढ़ाने का वादा किया गया था। मैं मांग करता हूं कि हर साल दो सौ करोड़ रुपया के हिसाब से और पांच साल के लिए कम से कम एक हजार करोड़ रुपये हिन्दुस्तान के राजकोष से देने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। हमारा बोडोलैण्ड उच्च शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए हमारे बोडोलैण्ड एरिया में बोडोलैण्ड सैन्ट्रल यूनीवर्सिटी के नाम से एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की जरूरत है। केन्द्र सरकार ने 6 राज्यों में एम्स की तर्ज पर इंस्टीट्यूट खोलने की कार्रवाई की है। मैं मांग करता हूं कि बोडोलैण्ड एरिया में भी एम्स की तर्ज पर इंस्टीट्यूट खोलने की जरूरत है। इसके अलावा एक सैन्ट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित करने की भी जरूरत है।

इसके अलावा हमारे बोडोलैण्ड अंचल और सीमांत असम के बाकी विभिन्न अंचलों में कम से कम दो हजार से भी अधिक संख्या के बोडो माध्यम के प्राइमरी, मीडिल स्कूल (उच्च प्राथमिक) और हाई स्कूल आज तक सरकार के द्वारा अधिकृत नहीं हो पाए हैं। इसलिए सरकार को कम से कम हर साल के लिए इन स्कूलों को दो सौ करोड़ रुपये देकर प्रांतीयकरण कराने में मदद करने की आवश्यकता है।

अंत में मैं कहना चाहता हूं इंडो-अमरीकी न्यूक्लियर डील को लागू करने में हिन्दुस्तान की अखण्डता, विदेश नीति और सीवरनिटी के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मणि चारेनामै। वे पूर्वोत्तर राज्य से आए हैं। वह एक छोटे राज्य से हैं। उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मणि चारेनामै (बाहरी मणिपुर): बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय। मैं पूर्वोत्तर राज्य से आया हूं। मैं इस परमाणु करार पर बोलने का यह अवसर पाकर अति प्रसन्न हूं। गत चार वर्षों के दौरान मैं बाहरी मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वतंत्र संसद सदस्य के रूप में संप्रग सरकार को अपना समर्थन नहीं दे सका क्योंकि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि पूर्वोत्तर राज्यों की प्रादेशिक सीमा बनाई रखी जाएगी। यह भारत के संविधान के विरुद्ध है। जबकि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत तेलंगाना राज्य बनाया जाएगा परंतु उन दिनों संप्रग ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मानदंड अपनाए थे। इसीलिए, मैं समर्थन नहीं दे सका। परंतु आज मुझे आश्वासन दिया गया है कि इस न्यूनतम साझा कार्यक्रम की पुनः जांच की जाएगी। मुझे आश्वासन दिया गया है कि मेरे राज्य की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संवैधानिक अपेक्षा का ध्यान रखा जाएगा...*(व्यवधान)* यद्यपि मेरा राज्य अविकसित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है और इसमें बहुत सी समस्याएं हैं तो मैंने राष्ट्र की समस्या को हल करने में हाथ बंटाने और परमाणु करार का समर्थन करने का निर्णय लिया है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह एन.एस.सी.एन.-आई.एम. तथा भारत सरकार के बीच गंभीरतापूर्वक वार्ता शुरू करवाएं ताकि नागा जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। महोदय, मैं आपको पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री येरनमायडु - तीन मिनट।

श्री किन्जरपु येरनमायडु (श्रीकाकुलम): नहीं, महोदय।

[श्री किन्जरपु येरननायडु]

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा तेलुगु देशम पार्टी को छह मिनट दिए गए हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं अपनी गलती मानता हूं। आप छह मिनट तक बोल सकते हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं केवल भारत-अमरीका परमाणु करार पर ही नहीं बल्कि संप्रग सरकार की अन्य असफलताओं के लिए भी इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय राजनीतिक समझौतों का काउन्टर बन गया है...*(व्यवधान)* हर किसी को ऊर्जा चाहिए। परन्तु ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर सरकार राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता को बुश प्रशासन के पास गिरवी रख रही है। यह करार दो देशों अर्थात भारत और अमरीका के बीच नहीं बल्कि डा. मनमोहन सिंह और अमरीका के राष्ट्रपति श्री बुश जो कि चार माह के बाद पद छोड़ने वाले हैं, के बीच है। 123 समझौते के लिए इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है। चीन ने समझौते को अंतिम रूप देने में 10 वर्ष का समय लगाया। 'हाईड एक्ट' में काफी विरोधी बातें और जटिलताएं हैं। इसमें काफी खतरनाक प्रावधान भी हैं। जब 'हाईड एक्ट' और 123 समझौते में कोई अस्पष्टता होगी तो 'हाईड एक्ट' को प्राथमिकता दी जाएगी।

सायं 7.00 बजे

123 समझौते में यह स्पष्ट किया गया है कि अस्पष्टता होने के मामले में राष्ट्रीय कानून लागू होंगे। इस प्रकार प्रधानमंत्री कार्यालय इसमें शामिल है; विश्वास मत जीतने के लिए, संसद सदस्यों को अपनी तरफ मिलाने के लिए सभी सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिक संसद सदस्यों को अपनी तरफ करने के लिए वे सी.बी.आई., आयकर विभाग के इस्तेमाल के साथ-साथ अन्य तरीकों का भी उपयोग कर रहे हैं। यह आचार विरुद्ध और अनैतिक हैं; और...* वे विश्वास मत जीतना चाहते हैं; यह अनैतिक है।

आज प्रात: क्या हुआ? मेरे मित्र, श्री पाठक किसी के आवास में सी.बी.आई. अधिकारियों के जाने की घटना के बारे में बता रहे थे। क्या यह शर्मनाक बात नहीं है। भाजपा के संसद सदस्यों को क्या हो रहा है?...*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

श्री किन्जरपु येरननायडु: भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, पहले भी कई प्रधानमंत्रियों ने विश्वास मत प्रस्तुत किये है; परन्तु ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले 15 वर्षों में मैंने भी 3-4 बार विश्वास मत प्रस्तावों पर चर्चा में भाग लिया है। उनमें गरिमा बनायी रखी गयी - चाहे उसमें जीत हुई हो या हार, परन्तु उनकी प्रतिष्ठा थी। परन्तु अब अवैध, अनैतिक और आचार-विरुद्ध तरीकों...* इस प्रकार जीतने का क्या लाभ है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: ऐसे जीतने का क्या लाभ है? लोग देख रहे हैं। इस देश के लोग इस बारे में एकमत नहीं हैं; राजनीतिक दल भी एकमत नहीं हैं; संसद की दोनों सभाएं भी एकमत नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप चिल्ला क्यों रहे हैं, आपका गला खराब हो जाएगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु: राजनीतिक दल भी इस पर एकमत नहीं हैं। संसद की दोनों सभाओं में भी इस पर बहुमत नहीं है।

123 समझौते पर चर्चा के दौरान अधिकांश राजनीतिक दलों ने सभा से बहिर्गमन किया। इन सभी राष्ट्रीय मुद्दों पर एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए; इन पर सर्वसम्मति होनी चाहिए...*(व्यवधान)* यह किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है; यह भारत का, हमारे राष्ट्र से संबंधित मुद्दा है; इसीलिए इस पर सर्वसम्मति होनी चाहिए।

यू.एन.पी.ए. ने इस पर राष्ट्रीय चर्चा की मांग की है: यू.एन.पी.ए. ने संसदीय समिति की मांग की थी परन्तु सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का विदेश मंत्री पर विश्वास नहीं है। 8 जुलाई को हमारे विदेश मंत्री ने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बताया था कि विश्वास मत प्राप्त करने के बाद ही वे आई.ए.ई.ए. जाएंगे। विदेश मंत्री के वक्तव्य का क्या हुआ?

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रधानमंत्री महोदय को विदेश मंत्री पर विश्वास नहीं है। तब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिशद से विश्वास की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। यह निरर्थक है। इसी कारण से आपको भारत-अमरीका परमाणु करार स्थगित करना होगा। ऐसा करने से आसमान टूट नहीं पड़ेगा।

कोयला मंत्रालय भी प्रधानमंत्री जी के पास है। यदि वे ऊर्जा उत्पादन में रुचि दिखाते तो पिछले चार वर्षों में ऐसा कर सकते थे। पिछले चार साल से वे क्या कर रहे थे। कोयला मंत्रालय में कई नवीन उपाय किये जा सकते थे। कोयले की कमी है; विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयला नहीं है; कोयले की कमी के कारण ताप परियोजनाओं से विद्युत का उत्पादन नहीं हो रहा है। यहां तक कि विद्युत मंत्री भी अधिक कोयला प्राप्त करने के लिए कोई समुचित और महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाये। अब इसे यह महत्व कैसे दिया जा रहा है?

कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं; आप केवल छह मिनट बोलने की अनुमति दे रहे हैं; मैं अपने भाषण का शेष भाग सभा पटल पर रखता हूं। इसमें मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत से प्रश्न पूछे हैं। प्रधानमंत्री को इन सबके उत्तर देने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपका धन्यवाद। आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और मुझे आशा है कि वे इनके जवाब देंगे।

अध्यक्ष महोदय: आपके पास केवल आधा मिनट है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: मैं केवल दो मिनट लूंगा।

छोटे वाणिज्यिक विवादों के मामले में भी मध्यस्थता का प्रावधान होता है। परन्तु 123 समझौते जैसे उच्चस्तरीय राजनीतिक-प्रौद्योगिकीय-कानूनी समझौतों में ऐसी मध्यस्थता की व्यवस्था पर जोर क्यों नहीं दिया गया? क्या जापान ने मध्यस्थता के खंड की व्यवस्था के लिए अमरीका से दो वर्षों तक सौदेबाजी नहीं की?

मेरा दूसरा मुद्दा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसका मतलब है कि मध्यस्थ फायदा पहुंचाएंगे।

श्री किन्जरपु येरननायडु: हमारे प्रधानमंत्री और श्री बुश के संयुक्त वक्तव्य में हमारे प्रधानमंत्री ने प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था के प्रति सहमति जतायी है। और यदि ऐसा हुआ तो क्या इससे हमारे सामरिक रक्षा संबंधी परमाणु कार्यक्रम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा?

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है। अब मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं। मैंने आपको आबंटित समय से अधिक समय तक बोलने दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, इस सरकार के पास मूल्यवृद्धि नियंत्रण, मुद्रास्फीति रोकने या प्रगति की समीक्षा के लिए समय नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका लिखित भाषण इसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

***श्री किन्जरपु येरननायडु:** महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिशद में विश्वास व्यक्त करने के लिए इस सम्माननीय सभा में एक प्रस्ताव रखा है। वास्तव में ऐसा भारत-अमेरिका सिविल परमाणु सहयोग करार के ऊपर उठे विवाद के संदर्भ में हुआ है जिस पर वामपंथी दलों ने उचित कदम उठाते हुए इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है।

इस सम्माननीय सभा का विश्वास मत प्राप्त करने के लिए सामान्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री ने हमारे लिए अच्छा किया है। यदि विश्वास मत केवल परमाणु करार के संदर्भ में मांगा गया होता तो कुछ दलों की स्थिति अलग होती। लेकिन एक सामान्य विश्वास मत का प्रस्ताव लाकर प्रधान मंत्री ने उन लोगों को भी जो करार के पक्ष में हैं, सरकार के विरुद्ध वोट करने का अवसर दिया है जो इस सरकार की अन्य मोर्चों जैसे कीमत पर नियंत्रण करना, किसानों की समस्या आदि के चलते सरकार के विरुद्ध मतदान करेंगे। मैं इस प्रस्ताव का विरोध परमाणु करार तथा संप्रग सरकार की अन्य असफलताओं के संदर्भ में करने के लिए खड़ा हूं।

सर्वप्रथम मैं परमाणु करार पर अपनी पार्टी के विरोध

---

*...भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री किन्जरपु येरननायडु]

पर विस्तार से चर्चा करूंगा। इस सारे विवाद के दौरान मेरा मानना था कि प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी तथा संप्रग के अन्य सदस्यों के बीच सहमति नहीं बनी थी। उस बात से मेरी शंका की पुष्टी हुई जिसे राहुल गांधी ने हाल ही कहा था। मैंने उनको टी.वी. पर यह कहते हुए सुना कि उनकी पार्टी ने महसूस किया कि यदि प्रधानमंत्री ऐसा समझते हैं कि यह करार देश हित में है तो इसे अवश्य होना चाहिए और हमें इस बात की चिंता नहीं है कि लोक सभा में हम विश्वास मत खो देंगे। श्री राहुल गांधी के इस महत्वपूर्ण बयान ने इस बात की पुष्टी कर दी कि प्रधानमंत्री अपने व्यक्तिगत अहं को देशहित से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री के पास गिनाने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, वे इतिहास में अपना नाम वैसे व्यक्ति के रूप में दर्ज कराना चाहते हैं जिसने हमारे परमाणु कार्यक्रमों के भविष्य ईंधन आपूर्ति के नाम पर विदेशी हाथों में बेच देने के अतिरिक्त जिसने ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर भारत-अमेरिका के बीच एक नई स्वतंत्र विदेश नीति का प्रारूप तैयार किया हो।

महोदय, मैं अपने प्रधानमंत्री से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। अधिकांश समय प्रधान कोयला मंत्री भी रहे हैं। हमारे देश में कोयला विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत रहा है। लेकिन कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन-कौन से प्रमुख कदम उठाये गए हैं? हम नियमित रूप से इस संबंध में समाचार रिपोर्ट पढ़ रहे हैं कि कोयले के अभाव में विद्युत उत्पादन बड़ी मात्रा में प्रभावित हुआ है। कोल-ब्लॉकों को निजी पार्टियों को दे दिया गया है और वह भी अधिकांश ऐसी अपात्र पार्टियों को जो इन ब्लॉकों में कोयला उत्पादन शुरू ही नहीं कर सकी हैं। कोयला क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। हमारे पास कोयला का पर्याप्त भंडार है लेकिन हमारे पास इसके पूर्ण और प्रभावी ढंग से उपयोग की क्षमता नहीं है।

दूसरी ओर, प्रधानमंत्री एक नये कोयला मंत्री की नियुक्ति पर सहमत हो गए हैं जिन्होंने पिछले चार वर्षों के अपने दो कार्यकाल में मंत्रालय में गड़बड़ी कर रखी है और यह सब परमाणु करार के लिए 5 वोटों के समर्थन जुटाने के लिए हुआ है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह सरकार चाहती है कि हमारा कोयला मंत्रालय असफल हो जाए जिससे कि हम अमेरिका से परमाणु रियेक्टर आयात कर सकें। परमाणु विद्युत निगम के चेयरमैन ने अपनी एक वक्तव्य में कहा है कि सरकार निकट भविष्य में 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर (64,000 करोड़ रुपये से अधिक) खर्च करेगी। इसलिए, यह परमाणु करार परमाणु विद्युत के नाम पर पैसा बनाने का गोरख धंधा है।

हम इस सरकार द्वारा यथाप्रस्तावित परमाणु करार के विरुद्ध हैं क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। 123 करार के अधिकांश प्रावधान अस्पष्ट हैं जो अमेरिकी हित में ही हैं। अबाधित परमाणु ईंधन की आपूर्ति, रणनीतिक ईंधन भंडार, हमारी रणनीतिक परमाणु कार्यक्रम की स्वतंत्रता और विदेश नीति के संबंध, हाइड एक्ट के प्रावधान तथा 123 करार आदि स्पष्ट नहीं हैं। महोदय, यह सरकार और कांग्रेस पार्टी देश के लोगों को गुमराह करने के लिए इस करार के बारे में झूठ और अर्ध सत्य का प्रचार कर रही है। इस सरकार ने "सिविल परमाणु ऊर्जा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में तथ्य" नामक एक सरकारी विज्ञप्ति जारी की है।

इस प्रकाशन (पृष्ठ 17 पर प्रश्न संख्या दो के उत्तर) में इस बात की पुष्टि की गई है कि 123 करार में भारत की विदेश नीति पर कुछ असंगत प्रावधान और टिप्पणियां की गई हैं। वामपंथी दल और हम यही कह रहे हैं। 123 करार स्पष्ट तौर पर हमारी स्वतंत्र विदेश नीति से एक समझौता है चाहे संसद में विदेश मंत्री 12 दिसम्बर, 2006 को दिए गए अपने बयान में भले ही कहा हो कि हमारी विदेश नीति 'हमारा सम्प्रभु अधिकार है।' इसका क्या मतलब है? सरकार ने पहले ही कुछ विदेश नीति पर टिप्पणियों को मान लिया है और केवल विदेश मंत्री के बयान से इसकी स्वतंत्रता को पुनः बहाल नहीं किया जा सकता। यह इस सरकार की स्पष्ट गलती है। किसी भी स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री को अपने विदेश मंत्री तथा मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है।

मैं यह भी समझता हूं कि वे किसी व्यक्ति विशेष को कोयला मंत्री नहीं बनाना चाहते हैं लेकिन विश्वास मत जीतने के बाद वही व्यक्ति कोयला मंत्री बनने जा रहा है।

हाइड एक्ट में भी इस बात की अपेक्षा की गयी है कि हमारी विदेश नीति अमेरिका के अनुकूल हो और यहां तक कि हम ईरान को परमाणु प्रौद्योगिकी के विकास को रोकने में हम अमेरिका की मदद करें। इस संबंध में हमने पहले ही एक बार ईरान के विरुद्ध मतदान किया है जिस पर

विवाद पैदा हुआ था और सरकार इसका सदन में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई थी। हाइड एक्ट हम से यह भी अपेक्षा रखता है कि हम अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले विखंडनीय पदार्थ का उत्पादन बंद करें तथा प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण रेजीम के नियमों का पालन करें। महोदय, सरकारी प्रकाशन, जिसका मैंने पहले ही उल्लेख किया है (पृष्ठ 18 के शीर्ष पर), में कहा गया है कि बुश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे हाइड एक्ट के कुछ प्रावधानों पर केवल परामर्शकारी प्रावधान के रूप में विचार करेंगे। इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। कुछ महीनों में बुश का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। किसी अधिकारी की व्यक्तिगत राय का इस स्थिति में क्या मतलब है। क्या उनके उत्तराधिकारी इससे बंधे हुए हैं? मुझे बहुत खेद है कि ये प्रधानमंत्री और यह सरकार हमारे लोगों को मूर्ख बना रही है। महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रधानमंत्री से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। छोटे-मोटे व्यापारिक झगड़ों में भी पंचों द्वारा निर्णय का प्रावधान है। लेकिन 123 करार जैसे अत्यंत राजनीतिक-प्रौद्योगिकी-विधिक करार के मामले में हम मध्यस्थता पर जोर क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या ऐसा नहीं हुआ है कि जापान ने माध्यस्थम की शर्तों के साथ 2 वर्ष के लिए अमेरिका से समझौता किया है?

क्या यह सत्य नहीं है कि 18 जुलाई, 2005 में प्रधान मंत्री और बुश के संयुक्त बयान में हमारे प्रधानमंत्री एक प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण रेजीम के लिए सहमत हो गए थे। यदि ऐसा है तो इसका हमारे परमाणु कार्यक्रम से संबंधित रणनीतिक रक्षा पर कोई असर नहीं होगा। क्या यह सत्य नहीं है कि राष्ट्रपति बुश ने यह प्रतिबद्धता जताई है कि अमेरिका पूर्ण सिविल परमाणु ऊर्जा सहयोग सुनिश्चित करेगा लेकिन 123 करार में यूरेनियम संवर्धन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की बात थी भारी जल के उत्पादन को सम्मिलित नहीं किया गया है? क्या यह एक दम सरल सत्य नहीं है कि यद्यपि अमेरिका का कानून भारत पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह अमेरिका के लिए बाध्यकारी है और अमेरिकी कांग्रेस भारत की ओर से हाइड एक्ट जैसे कानून के बारे में पुष्टि चाहेगा जिसमें किये गए प्रावधान 123 करार से अलग हैं? 123 करार में हमारे करार करने वाले अधिकारी स्पष्ट और संदेह से परे प्रावधान क्यों नहीं कर पाये हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री ने बुश में कुछ ज्यादा ही विश्वास दिखाया है और जो आज से कुछ माह बाद सत्ता से बाहर हो जायेंगे। हमारी सरकार जल विद्युत और अन्य स्रोतों के अतिरिक्त कोयला उद्योग को विकसित करने में क्यों असफल रही है जिससे बढ़ती मांग पूरी हो सके? प्रधानमंत्री चार वर्ष से सरकार को समर्थन दे रहे दलों को बिना विश्वास में लिए ऐसे महत्वपूर्ण करार को अंतिम रूप देने पर क्यों जोर दे रहे हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि इस प्रकार के करार को करने में चीन को 10 वर्ष लगे हैं जबकि हमारे प्रधानमंत्री इसे 3 वर्ष में ही पूरा करना चाहते हैं?

क्या सही नहीं है कि वर्तमान संकेतकों के देखने से इस सम्माननीय सभा में 50% सदस्य इस परमाणु करार का वर्तमान रूप में विरोध कर रहे हैं? क्या राष्ट्र को दो भाग में बांटकर ऐसा करार करना आवश्यक है। यह सभा इन मुद्दों के बारे में चिंतित है। संप्रग सरकार आवश्यक वस्तुओं के दामों को नियंत्रित करने में असफल रही है। मुद्रास्फीति 13 वर्ष के रिकार्ड को पार कर गयी है और इसमें गिरावट के कोई संकेत नहीं हैं। स्टील और सीमेंट बाजार ने कीमतें काफी बढ़ा दी है और यह सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। आश्चर्य है कि सरकार ऐसे तर्क दे रही है, मूल्य वृद्धि वैश्विक कारणों से हुई है और इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यदि ऐसा है तो अर्थव्यवस्था में विकास दर पर भी वैश्विक प्रभाव होना चाहिए और इसका श्रेय प्रधानमंत्री या सरकार को नहीं जाना चाहिए। उर्वरकों, डीजल और बीजों आदि के अभाव से किसान परेशान हैं। खाद्यान्न उत्पादन की रणनीति और प्रबंधन अस्त-व्यस्त है। अवसंरचना क्षेत्र में सभी प्रकार की समस्याएं हैं। विनिर्माण और औद्योगिक उत्पादन गिरता जा रहा है। विद्युत उत्पाद लक्ष्य से बहुत पीछे है। ऋण माफी योजना की घोषणा की गई है लेकिन इसका क्रियान्वयन अभी शुरू होना है। एन.आर.ई.जी. भ्रष्टाचार का साधन बन गया है।

महोदय, मुझे एक भी कारण नहीं दिख रहा है जिसके लिए मेरी पार्टी सरकार का समर्थन करे। इसलिए मैं प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। अब इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक तथा संवैधानिक अधिकार नहीं है। यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।"

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि मैं एक पार्टी से नहीं बल्कि इस सभा में जितनी महिलाएं

[श्रीमती रंजीत रंजन]

मौजूद हैं, उन सभी महिलाओं में मैं एकमात्र पहली महिला बोल रही हूं।...(*व्यवधान*) चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं चाहूंगी कि कृपया तीन-चीर मिनट शान्त से एक महिला को आदर देते हुए उसकी बात सुनें।...(*व्यवधान*) सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगी कि मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत आदर करती हूं, इसलिए नहीं कि वे आज सीट पर हैं, बल्कि इसलिए कि इतिहास में शायद बहुत कम ईमानदार प्रधान मंत्री मिलते हैं और आज हमें एक ईमानदार प्रधान मंत्री, जिसकी नियति, नीयत और चरित्र तीनों इस तरह के हैं जिसकी आज भारत को बहुत जरूरत है। मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहूंगी कि जिस भारत को अलग-थलग रखा गया था, आज उन्होंने पूरे विश्व में उसे मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। जिस तरह यह डील एक इतिहास बनाएगी, उससे पूरे इतिहास में यू.पी.ए., माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय सोनिया जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। साथ ही मैं कहना चाहूंगी जो लोग मात्र निजी स्वार्थ के लिए, निजी राजनीति के लिए डील को नाकामयाब करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम बहुमत पाएंगे, उनका नाम सिर्फ काले धब्बों में ही नहीं लिखा जाएगा, मैं सोचकर आई थी कि यह बोलूंगी कि आपका नाम काले धब्बे में लिखा जाएगा, लेकिन आज सुबह से आपने जिस तरह इस सदन की गरिमा को गन्दा किया है...(*व्यवधान*) मैं अपनी बहन का आदर करती हूं और मैं बोलूंगी कि यहां मात्र चंद प्रतिशत महिलाएं हैं।...(*व्यवधान*) माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ काले अक्षरों में ही नहीं, बल्कि काला धब्बा भी इनके लिए कम पड़ेगा। यहां सदन की गरिमा को गन्दा किया गया है।...(*व्यवधान*) जब माननीय राहुल जी बोल रहे थे, तो सदन के कुछ सीनियर सदस्य हंस रहे थे, मजाक के लहजे में यह कहना चाह रहे थे कि शायद उन्हें गरीबी के बारे में मालूम नहीं है और वह एक महिला की बात कर रहे हैं। मैं दुआ करूंगी कि मैं आज जिस तरह से हूं, वही रहूं। मैं बताना चाहूंगी कि यह जरूरी नहीं है जिसने गरीबी देखी हो, वही गरीबों के लिए कुछ करता है। मैं बताना चाहती हूं कि महात्मा बुद्ध राजा थे। उन्होंने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा और सारा राज-पाठ छोड़कर संसार का दुख-दर्द दूर करने के लिए जंगल में चले गए।...(*व्यवधान*) जो लोग राहुल जी को बच्चा कहते हैं, मैं दुआ करूंगी कि वे वैसे ही बच्चे रहें।...(*व्यवधान*) मैं दुआ करूंगी कि जो यूथ हिन्दुस्तान की नींव रखने वाला है, वह ऐसा ही जोशीला रहे ताकि श्री उमर अब्दुल्ला जैसे लोग उन राजनीतिज्ञों को जान सकें जो इतनी गन्दी राजनीति करते हैं कि राजनीतिज्ञ न रहकर अपने देश को और देश के गरीब लोगों को, जहां गांव-गांव में बच्चा-बच्चा बिजली के लिए तरस रहा है, उन्हें हम अपनी राजनीति में उलझाकर, इतना गन्दा खेल खेलकर सदन की गरिमा को आहत किया करते हैं और थैला लेकर आते हैं।...(*व्यवधान*) मैं शाहनवाज जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगी कि इन्होंने माननीय प्रधान मंत्री जी पर कल यहां सभा में टिप्पणी की थी। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि वे मेरी बात को ध्यान से सुनें। कुछ लोगों पर ईश्वर की कृपा होती है जो राजनीति करते हैं।

हम सब लोकसभा में आते हैं। आपको मालूम होगा कि क्या सच और असत्य बोलकर इस लोक सभा में आया जाता है लेकिन कुछ लोगों पर ईश्वर की ग्रेस होती है कि उन्हें सच और असत्य के चंगुल में नहीं फंसना पड़े। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को ईश्वर ने राज्य सभा से प्रधानमंत्री बनाकर यहां भेजा है। मैं खासकर अपने भाइयों को एक बात का जवाब दूंगी कि कुछ लोग दूसरों को अपराधी कहते हैं, कुछ लोग दूसरों को क्रिमिनल कहते हैं, कुछ कुर्ता और झोला लेकर चलते हैं लेकिन उनके झोले में एयरकंडीशन भी होता है, मनी भी होती है और क्रिमिनल्स भी होते हैं, लेकिन वे मीडिया के सामने इंटेलीजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं और उनको अच्छी तरह से बोलना आता है। इसलिए जब वे मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं तब वह इतनी गरिमा और सलीके से रखते हैं कि उनको अपराधी या क्रिमिनल नहीं कहा जाता। मैं कहूंगी कि सबसे बड़ा अपराध आज आप लोग करने जा रहे हैं जो पूरे देश को गर्त में डालने के लिए काफी है। आपने आज इतनी नीच से नीच हरकत यहां पर की है। मैं अपनी कम्युनिटी से, शायद कम लोग जानते होंगे कि मेरा मायका पंजाब में है। मैं अपनी कम्युनिटी को कहना चाहूंगी कि कल मेरे कुछ गार्जियन बोल रहे थे कि "देहि शिव बर मोहि एहि, शुभ कर्मन तें कबहू न टरूं, न टरूं, अरसो जान है निश्चै कर अपनी जीत करो।" प्रधानमंत्री जी ने यह सही उच्चारण किया था। मैं कहूंगी - "जब अव की अउध निदान बने, अति ही रण में तब जूझ मरूं।" मैं अपने गार्जियन से कहना चाहूंगी कि आज वक्त है। मैं आपको गुरू गोबिन्द सिंह जी का इतिहास बताना चाहूंगी कि जब आनन्दपुर साहिब का किला गुरू गोबिन्द सिंह जी नहीं छोड़ना चाहते थे, तो

संगतों ने नहीं मानी। उन्होंने कहा हम छोड़ेंगे। गुरू गोबिन्द सिंह जी ने कहा था कि यदि सात दिन आप बिना खाये-पिये रह गये, तो खालसा राज करेगा। खालसा का मतलब सिर्फ सिख नहीं होते। खालसा का मतलब वह खालसा व्यक्ति जो ईमानदार हो, स्वच्छ और चरित्रवान हो, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। संगतों ने उनकी बात नहीं मानी और आज इतिहास गवाह है और लोग कहते हैं, यह आप नहीं समझेंगे, वे समझ रहे होंगे। लोग कहते हैं कि सिखां नूं देश वास्ते मरना आंदा है, सिखां नूं कुर्बानी करनी आंदी है लेकिन सिखां नूं राज करना नहीं आंदा। अज चार साल तो त्वाड़ी कम्युनिटी दा, माइनोरिटी दा साड़ा बंदा भारत दे सर्वोच्च स्थान ते बैठा है। मैं त्वानूं ऐहि कहना चाहवांगी कि तूसी कल कह रहे सी कि पंजाब नूं की दित्ता। मैं कहांगी ऐ सरदारां वास्ते, सिखां वास्ते बहुत शर्म दी गल है। सिख हमेशा अपने देश के लिए कुर्बानी देते आये हैं। कभी भी बदले में उन्होंने कुछ नहीं मांगा। आज भी आपका वक्त है। कुछ लोगों ने टरबन कहा था। मैं आज बता दूं, हम लोग चाहे बिहार में रहें, चाहें पंजाब में रहें, किसी भी धर्म के बारे में, मैं बता दूं कि टरबन से सिखिज्म बहुत कट्टरता से जुड़ा हुआ है। आइंदा कोई टरबन की बात इस लहजे में न करे। मैं आपसे यह कहने आयी हूं कि सिख हमेशा कुर्बान होते रहे हैं, सिर्फ माइनोरिटी के नाम पर नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे सिख हैं। इसलिए कि वे बहुत ही चरित्रवान हैं। उनकी नीयत भी सही है और चरित्र भी सही है और वे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज सिखों का फर्ज बनता है। हमारे गुरूओं ने इतनी कुर्बानी दी, प्रधानमंत्री जी ने आज अपनी सरकार...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहन जी, आपकी बात पूरी हो गयी है।

...(व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन: इसलिए दांव पर लगायी है ताकि वे देश के लिए कुछ कर सकें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दूसरी बहनजी हैं। वे भी हमारी बहनजी हैं। हम उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन: मैं अंत में एक बात बोलूंगी कि आने वाले पांच साल में कभी हमें ऐसे ओनस्ट पी.एम. मिल गये, तो देश की काया पलट जायेगी। इतना कहकर, मैं अपनी बात खत्म करती हूं।

श्री हेमलाल मुर्मू (राजमहल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सदन में जो विश्वास मत लाया गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा यू.पी.ए. के साथ है, हम पिछले दिनों भी यू.पी.ए. के घटक थे और आज भी यू.पी.ए. के साथ हैं। चूंकि माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश के हित में यह प्रगतिशील कदम उठाया है, साहस करके उठाया है, चूंकि यह देश गांवों का देश है और गांवों को हम विकास के रास्ते पर तभी पहुंचा सकते हैं, जब पूरे देश में बिजली पहुंचेगी, ऊर्जा आएगी। आज पूरे देश में बिजली की जो मांग है, उसके अनुरूप हमारे पास बिजली की अत्यंत कमी है। यू.पी.ए. सरकार ने जिस तरह से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, उसके आधार पर निश्चित रूप से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, लेकिन हमारे देश में आज कोयले की कमी है, कोकिंग कोल की कमी है, पवन बिजली और पनबिजली की भी कमी है, इसलिए निश्चित रूप से यह परमाणु करार का जो कदम उठाया गया है, उसका दिल से समर्थन करते हैं, यह करार देश के हित में है। जिस ढंग से विपक्ष के हमारे साथियों ने अपनी बातें कही हैं और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, उससे यह नहीं लगता है कि ये लोग परमाणु करार की वजह से बेकरार हैं, ये लोग सिर्फ कुर्सी हथियाने के लिए बेकरार हैं। आज देश की आवश्यकता है कि विकास को आगे बढ़ाने का काम करें और विकसित देशों के साथ प्रतियोगिता एवं विकास की दौड़ में शामिल हो। इसके लिए निश्चित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के साथ वार्ता करनी होगी और इसके लिए ही प्रधानमंत्री जी इस सदन से अधिकार मांग रहे हैं। पिछले चार सालों से हमारे वामपंथी साथी यू.पी.ए. के एक घटक के रूप में चल रहे थे, लेकिन पिछले दिनों अचानक, चार वर्षों बाद आज उनके अंदर कौन सी ऐसी बात हुई कि वे यू.पी.ए. को तलाक देकर अलग हो गए। मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आचरण नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि जवानी में जान लुटाने का गम था, बुढ़ापे में हाथ छुड़ाने का दम था। जो लोग सरकार को गिराने की मंशा रखते हैं, उनका यह नापाक इरादा किसी भी कीमत पर सफल नहीं होगा। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि फानूश बनकर हवा जिसकी हिफाजत करे, वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे।

[श्री हेमलाल मुर्मू]

महोदय, इसलिए जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और हम लोगों पर छींटाकशी कर रहे हैं, वह आचरण उचित नहीं है। इस आचरण से ये लोग संसदीय गरिमा को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग बार-बार कहते हैं, आज ये लोग पैसे के लेन-देन की बात उठा रहे हैं, आखिर लेने वाला किस दल का आदमी था, वह भी बताइए। आखिर वह पैसा लेने के लिए क्यों तैयार हुआ? इसलिए ये सब बेकार बातें हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी हम चल पड़ेंगे, रास्ता हो जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधानमंत्री अब उत्तर दें।

...(व्यवधान)

सायं 7.20 बजे

इस समय श्रीमती किरन माहेश्वरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

***श्रीमती रुबाब सईदा (बहराइच):** आज, मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के विश्वास मत के पक्ष में अपना मत देने के लिए बोल रही हूं।

समाजवादी पार्टी की स्थापना जिन आदर्शों पर की गई थी आज तक उन आदर्शों पर कायम हैं। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह जी ने हमेशा साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। आज भी ये जंग लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1992-93 में एक समय ऐसा भी आया था जब मुसलमान अपने आपको असहाय और बेसहारा समझ रहे थे और बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे थे। पूरे देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का सरकारी तंत्र मुसलमानों की जान-माल का भूखा नजर आ रहा था ऐसे समय में मुसलमानों की जान-माल की रक्षा के लिए डर और खौफ को चीरती हुई आशा की किरण नजर आई जिसका नाम मुलायम सिंह यादव है। जिस इंसान ने मुसलमानों के लिए गालियां खाई उसका नाम है मुलायम सिंह यादव, जिसने साम्प्रदायिकता की कमर तोड़ दी, उसका नाम है मुलायम सिंह यादव।

अभी कुछ ही वर्ष पहले हमारी पार्टी ने बिना किसी लालच के बल्कि बिना मांगे और कुछ अपमान सहते हुए भी यू.पी.ए. सरकार का केवल इसलिए साथ दिया था कि साम्प्रदायिक तत्वों को सत्ता में आने से रोका जाए। हम आज भी अपने उन्हीं उसूलों पर कायम हैं और साम्प्रदायिकता की कमर तोड़ने के लिए गैर-साम्प्रदायिक संगठन कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सामने जब साम्प्रदायिक और गैर साम्प्रदायिक संगठनों में चयन का मामला आएगा तो हमारी पार्टी गैर-साम्प्रदायिक संगठन के साथ ही खड़ी होगी।

सादी के अनुसार-

कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज
कुनद हमजिंस बा हमजिंस परवाज

कभी बाज और कबूतर एक साथ नहीं रहते इसलिए समाजवादी पार्टी और हमारे नेता मुलायम सिंह यादव को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए कम से कम इन लोगों से प्रमाण-पत्र लेने की तो बहरहाल आवश्यकता नहीं है/जो आज इस सदन में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस देश की सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् मुसलमानों को मताधिकार से भी वंचित कर देना चाहते हैं।

डा. इकबाल ने कहा था-

ये नादां गिर गए सजदे में जब वक्ते कयाम आया।

महोदय, वो मुद्दा जिसका संबंध केवल मुसलमानों से ही नहीं बल्कि इस देश के हर नागरिक से है अर्थात् एटमी डील, फिर इस मामले का इस्लामीकरण किया जाना देश के हित या नुकसान से कहीं ज्यादा कुछ लोगों के व्यक्तिगत हित और आगे की चुनावी जरूरत मालूम होती है। अगर इन लोगों को मुसलमानों की खुशी और नाखुशी की इतनी ही फिक्र थी तो हमारे वामपंथी भाई वर्ष 2007 में इंडो-इस्राइल आर्म्स डील के समय कहां थे? तब आपने समर्थन वापसी की धमकी या कोई विरोध क्यों नहीं किया।

जब 21 जनवरी, 2007 को श्रीहरिकोटा अर्थात् हिन्दुस्तान के लांच पैड से इस्राइल का सेटेलाइट दागा गया था तब आपने कोई शोर क्यों नहीं मचाया? तब भी तो आप यू.पी.ए. के साथ थे।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

4 मार्च, 2007 को इंडियन आर्मी चीफ के नेतृत्व में जब इस्राइल का उच्च स्तरीय दौरा हुआ और आर्म्स डील हुई तब आपने समर्थन वापसी की घोषणा क्यों नहीं की?

8 जून, 2007 को इस्राइल का एक उच्च स्तरीय सैनिक प्रतिनिधिमंडल भारत आया और उसने अन्य कार्यों और मुलाकातों के अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में तैनात भारतीय फौज की कमान के मुख्यालय में जनरल आफिसर कमांडिग के साथ कश्मीर की स्थिति पर विचार-विमर्श किया। आश्चर्य की बात है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी आपने सरकार के खिलाफ जुबान तक नहीं खोली। क्या इस्राइल अमरीका से कम खतरनाक है? इस बात का रहस्योद्घाटन न्यूयार्क टाइम्स जैसे प्रसिद्ध समाचार पत्र में किसी मामूली व्यक्तित्व ने नहीं बल्कि स्वयं अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति ने किया था। मिस्टर जिमी कार्टर के अनुसार इस्राइल के पास 150 न्यूक्लीयर बम मौजूद हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि आज दुनिया को खतरा ईरान से नहीं बल्कि इस्राइल से है। यदि आपने यहीं कठोर कदम इंडो-इस्राइल आर्म्स डी पर उठाया होता तो शायद आज भारत के मुसलमानों को कोई तकलीफ न होती।

पिछले संसदीय चुनाव में जो जनादेश धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को मिला या वो एटमी डील के विरोध या समर्थन में नहीं था। बल्कि गुजरात में नरेन्द्र मोदी के द्वारा करवाये गए सरकारी फसाद जिसमें बेगुनाह, निर्दोष इंसानियत का जनसंहार हुआ, के विरुद्ध था अर्थात् जनादेश बी.जे.पी. विरोधी था, क्या आपने कभी यू.पी.ए. पर ये दबाव डाला या कोई विरोध किया कि मोदी सरकार को खत्म किया जाए कभी आपने इस मामले पर मुसलमानों की राय जानने की कोशिश की?

फिर अचानक एटमी डील पर मुसलमानों की राय की इतनी अहमियत क्यों बढ़ गई? अभी कुछ वर्ष पूर्व यू.पी.ए. सरकार ने अमरीका से एक दस वर्षीय रक्षा समझौता किया है इसमें भारत और अमरीका के संयुक्त सैनिक अभ्यास के समझौते पर आपने मुसलमानों की राय जानने की कोशिश की?

क्या युद्धरत अफगानिस्तान में अमरीका द्वारा मचाई गई तबाही के बावजूद अमरीका की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता करते हुए सिविल प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए सिविल और अर्द्ध रक्षा दस्तों को भेजते समय मुसलमानों की खुशी या नाराजगी का ख्याल रखा गया?

यदि एटमी डील पर मुसलमानों की राय इतनी ही महत्वपूर्ण है तो मुसलमानों से कभी सच्चर कमेटी और श्रीकृष्णा रिपोर्ट के लागू होने के बारे में भी पूछिए? निर्दोष मुस्लिम नौजवानों, बुद्धिजीवियों, दीनी मदरसों के उस्तादों, मस्जिदों के इमामो और उल्माओं को आतंकवादी बनाकर जिस तरह गिरफ्तार किया जा रहा है उस पर तो मुसलमानों की राय जानने की कोशिश कीजिए? उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के इशारे पर हमारे निर्वाचन क्षेत्र के धनी डीह में मुस्लिम महिलाओं के सामूहिक बलात्कार और उस पर कार्रवाई न होने पर भी तो मुसलमानों की राय लीजिए?

मुम्बई के नांदेड़ से लेकर ठाणे तक बम धमाकों में गैर मुस्लिम उग्रवादी संगठनों के नाम आने के बाद भी हर धमाके की जिम्मेदारी केवल मुसलमानों पर डाल देने पर भी आपने कभी मुसलमानों की राय जानने की कोशिश की?

मुसलमानों के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, विधान सभा और संसद और सरकारी नौकरी के बारे में कभी आपने मुसलमानों से राय लेने की जहमत फरमाई? तब तो किसी को अंश मात्र भी इस बेचारे मुसलमान की कोई चिन्ता नहीं थी, उसकी आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, आज अचानक मुसलमानों के एटमी डील पर खुशी या नाखुशी क्यों निर्भर हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस प्रकार एक सोची समझी साजिश के तहत देश के बंटवारे की अधिकतम जिम्मेदारी मुसलमानों के सिर मढ़ दी गई है? उसी प्रकार एटमी डील द्वारा होने वाले देश के सामूहिक और विशाल लाभों से भी मुसलमानों को अलग करने की साजिश तो नहीं है?

अंत में, हम अपने वामपंथी पार्टी के भाईयों से कहना चाहेंगे कि जंग गुजश्ता याद मकुन अर्थात् गुजरी हुई जंग को याद न करिए।

गर हो सके तो फिर गुल ताजा खिलाइए
गुजरी हुई बहार का मातम न कीजिए।

आपने भी हमेशा साम्प्रदायिकता के विरुद्ध जंग लड़ी है, आज व्यावहारिक रूप से इसका प्रमाण प्रस्तुत करने का दिन है, साम्प्रदायिकता को ताकत न दीजिए। धर्मनिरपेक्षता की मजबूती के लिए हमारे साथ आइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और सरकार का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं गत कुछ वर्षों के दौरान इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं...*(व्यवधान)* सर्वप्रथम, मैं आज सभा में हुए असाधारण घटनाक्रम पर गहरा दुःख व्यक्त करना चाहूंगा...*(व्यवधान)* आप कानून के अनुसार जो भी निर्णय लेते हैं हम उसमें आपके साथ हैं ...*(व्यवधान)*

जब मैं अपने विरोध में अवसरवादी समूहों को देखता हूं तो मुझे साफ समझ में आ जाता है कि आज भारत के भविष्य के दो वैकल्पिक दृष्टिकोणों में टकराव है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

***डा. मनमोहन सिंह:** संप्रग और हमारे साथी दलों द्वारा प्रस्तुत एक दृष्टिकोण - विश्व द्वारा दिए गए अवसरों का पूरा उपयोग करते हुए, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मोर्चों पर कार्य करते हुए तथा आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उपयोग करते हुए, भारत को राष्ट्रों के समुदाय में समुचित स्थान दिलाकर, एक आत्म-विश्वासी और एकीकृत राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना है। विपक्षी दृष्टिकोण हमारे विरोध में एक बहुरूपिया भीड़ का द्योतक है, जो अपने क्षेत्रवादी और संकीर्ण हितों को बढ़ावा देने के लिए काम बिगाड़ने हेतु एक साथ हो गए हैं। हमारे वामपंथी मित्रों को हमें बताना चाहिए कि क्या श्री लालकृष्ण आडवाणी उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार हैं। श्री लालकृष्ण आडवाणी को हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह यू.एन.पी.ए. की पसंद के पक्ष में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के रूप में अपनी उम्मीदवारी छोड़ देंगे। उन्हें इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर देश को विश्वास में लेना चाहिए।

विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने मेरे कार्यनिष्पादन के बारे में बताने के लिए सभी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना बेहतर समझा है। उन्होंने मुझे सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, एक निकम्मा प्रधानमंत्री कहा है तथा यह कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा कम की है। उन्होंने अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तीन बार हमारी सरकार गिराने के प्रयास किए हैं। परंतु उनके ज्योतिषियों ने उन्हें हर बार गुमराह किया है। मुझे यकीन है कि आज उसी बात को दोहराया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि श्री आडवाणी जी इतनी वृद्धावस्था में अपनी सोच बदलेंगे। परंतु मैं उनके लिए और भारत के लिए उनसे यह आग्रह करता हूं कि वह कम-से-कम अपने ज्योतिषियों को बदल लें ताकि वे भविष्य में होने वाले कार्यों की अधिक सटीक भविष्यवाणी करवा सकें।

श्री आडवाणी जी के विभिन्न आरोपों के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि मैं इनका खंडन करने में इस सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अन्य लोगों पर अक्षमता का आरोप लगाने से पूर्व श्री आडवाणी जी थोड़ा आत्मनिरीक्षण करें। क्या हमारा राष्ट्र ऐसे गृहमंत्री को क्षमा कर सकता है जो आतंकवादियों द्वारा संसद के दरवाजे पर दस्तक देने के समय सोए हुए थे? क्या हमारा राष्ट्र ऐसे व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, जिसने अकेले बाबरी मस्जिद के विध्वंस की प्रेरणा दी और जिसके भीषण परिणाम सामने आए? अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए उन्होंने अचानक पाकिस्तान की यात्रा करने का निर्णय लिया और वहां उन्हें श्री जिन्ना में नए सद्गुण नजर आए। काश कि उनके दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उनके पथप्रदर्शकों ने इस मुद्दे पर उनसे पल्लाझाड़ लिया होता। क्या हमारा राष्ट्र उस गृहमंत्री के आचरण को स्वीकार कर सकता है जो उस समय सो रहे थे जब गुजरात हिंसा की आग में जल रहा था और जिसके कारण हजारों निर्दोष व्यक्तियों की जानें गईं? वाममोर्चा में हमारे मित्रों को उस संगत के बारे में गहनतापूर्वक सोचना चाहिए, जिसमें वे अपने महासचिव के गलत अनुमान के कारण रहने के लिए बाध्य हैं।

जहां तक मेरे आचरण का संबंध है, इसका निर्णय यह सम्माननीय सभा और भारत की जनता करेगी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इन सभी वर्षों में चाहे मैं वित्त मंत्री के रूप में रहा अथवा प्रधानमंत्री के तौर पर मैंने सत्ता की शक्तियों का एक समाज के प्रति आस्था के रूप में प्रयोग करना ही अपना पावन दायित्व समझा, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था और शासन प्रणाली में बदलाव लाया जा सके, जिससे कि अभी तक गरीबी, अज्ञानता और बीमारियों से ग्रस्त असंख्य लोगों को इन सबसे निजात मिल सके। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है। परंतु इस दिशा में उठाए गए प्रत्येक कदम

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

से स्थिति में बदलाव आ सकता है। गत चार वर्षों से हम यही करना चाह रहे हैं। हम इसमें कितने सफल हुए हैं, उसका फैसला मैं भारत की जनता पर छोड़ता हूं।

मैंने अपनी आरंभिक टिप्पणियों में पहले ही कहा है कि सभा को इस वाद-विवाद में अनावश्यक रूप से घसीटा गया है। हमारा ध्यान कभी भी राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से नहीं भटका है। ये प्राथमिकताएं हैं:-

(एक) तेल की कीमतों में भारी वृद्धि से देश में आई मुद्रास्फीति से निपटना। हमारा प्रयास विकास और रोजगार की दर को कम किए बिना मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है।

(दो) कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना। हमने कृषि क्षेत्र में निवेश और संसाधन प्रवाह की घटती प्रवृत्ति में निर्णायक रूप से कमी की है। इस संबंध में हमारे द्वारा किए गए उपायों पर वित्त मंत्री जी ने कार्रवाई की है। हमने 231 मिलियन टन के रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया है। परंतु हमें कृषि उत्पादकता में सुधार करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुणा करने की आवश्यकता है।

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रव्यापी मध्याह्न भोजन योजना, सड़क, बिजली, स्वच्छ पेजयल, साफ-सफाई, सिंचाई जैसी ग्रामीण अवसंरचना की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन जैसे गरीबी से निजात दिलाने वाले हमारे प्रमुख कार्यक्रमों का कारगर में सुधार लाना। इन कार्यक्रमों से ठोस परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। परंतु कार्यान्वयन के स्तर में सुधार लाने के लिए और बहुत किए जाने की आवश्यकता है।

(चार) हमने उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए बड़े पैमाने पर पहल की है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात को ग्यारहवीं योजना के अंत तक 11.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत और बारहवीं योजना के अंत तक इसे बढ़ाकर 21 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारा एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसमें 30 नए विश्वविद्यालय बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिनमें 14 विश्वस्तरीय होंगे, 8 नई आई.आई.टी., 7 नए आई.आई.एम., 20 नई आई.आई.आई.टी., 5 नए आई.आई.एस.ई.आर., 2 आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, 10 एन.आई.टी., 373 नए डिग्री कालेज और 1000 नए पोलीटेक्निक बनाए जाने हैं। ये मात्र योजनाएं नहीं हैं। तीन नए आई.आई.एस.ई.आर. पहले से ही कार्यरत हैं और शेष दो, शिक्षा सत्र 2008-09 से कार्यरत हो जाएंगे। इस वर्ष दो एस.पी.ए. शुरू होंगे। छह नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इस वर्ष अपनी कक्षाएं प्रारंभ कर देंगे। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का कार्य आयोजना के अग्रिम चरण में है।

(पांच) एक राष्ट्रव्यापी कौशल विकास कार्यक्रम और शिक्षा के अधिकार अधिनियम अधिनियमन, संसद द्वारा नई पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति की मंजूरी और असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ पहुंचाने के लिए विधान का विनियमन।

(छह) अल्पसंख्यकों के लिए नया 15 सूत्री कार्यक्रम, विशेषतया आदिवासियों के लिए भूमि अधिकारों के कार्यान्वयन पर जोर देते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन।

(सात) शासन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाने हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने हमारे लोक प्रशासन के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए हैं।

(आठ) देश की सुरक्षा और स्थिरता को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे आतंकवादी तत्वों, वामपंथी अतिवादियों और सांप्रदायिक तत्वों के साथ दृढ़ता से निपटना। हम बड़ी आतंकवादी घटनाओं की जांच करते रहे हैं और करते रहेंगे। लगभग सभी मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। हमारी आसूचना एजेन्सियां और सुरक्षा

[डा. मनमोहन सिंह]

> बल अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उन्हें हमारे पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है। हम उनके कार्यकरण में सुधार करने और उनकी प्रभावोत्पादकता को मजबूत करने के लिए सभी संभव कदम उठाएंगे।

इन सभी क्षेत्रों में काफी कार्य किया गया है, लेकिन आज जैसा वाद-विवाद इन आवश्यक कार्यक्रमों और हमारी कार्यसूची की बाकी मदों से हमारा ध्यान विचलित करते हैं। इसी प्रकार, प्राथमिक चिन्ताओं के इन क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए हम अपने प्रयासों को दोगुणा करेंगे।

मेरा पूर्ण निष्ठा से यह कहना है कि इस अधिवेशन और चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मैं अनेक अवसरों पर कह चुका हूं कि हमारा परमाणु करार आई.ए.ई.ए. और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात इस सम्माननीय सभा में सदस्यों के विचार अभिव्यक्ति करने हेतु रखा जाएगा। मैंने अपने वामपंथी सहयोगियों से केवल इतना ही कहा था: कृपया हमें बातचीत की प्रक्रिया पूरी करने दें और इस परमाणु समझौते के क्रियान्वित करने से पूर्व मैं इसे संसद में प्रस्तुत करूंगा। यह सामान्य शिष्टाचार भी, जो किसी भी सरकार के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, विशेषत: विदेश नीति के संचालन के लिए आवश्यक है, वे निभाने के लिए तैयार नहीं थे। वे बातचीत के हर कदम पर 'वीटो' करना चाहते थे जो स्वीकार्य नहीं है। वे चाहते थे कि मैं उनके एक गुलाम की भांति कार्य करूं। हो सकता है कि परमाणु समझौते का जिक्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम में न हो। तथापि, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति की बलि दिए बिना संयुक्त राज्य अमरीका के साथ और अधिक घनिष्ठ संबंध बनाने का इसमें स्पष्ट जिक्र था। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में संयुक्त राज्य अमरीका और रूस जैसी अन्य बड़ी ताकतों के साथ रणनीतिक संबंधों की आवश्यकता का स्पष्ट जिक्र था।

1991 में, 1991-92 का बजट प्रस्तुत करते समय, वित्त मंत्री के रूप में मैंने कहा था: जिसका समय आ गया है उस विचार को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैंने उस समय इस सम्माननीय सभा को यह सुझाव दिया था कि भारत का बड़ी वैश्विक ताकत के रूप में उभरना एक ऐसा विचार है, जिसका समय आ गया है।

21वीं सदी के लिए भारत को तैयार करने के लिए श्री राजीव गांधी द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, मैंने आर्थिक सुधारों का एक दूरगामी कार्यक्रम तैयार किया, जिसका परिणाम अब प्रत्येक लक्षित व्यक्ति में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उस समय वामपंथियों और भाजपा, दोनों ने सुधारों का विरोध किया था। दोनों ने कहा था कि हमने भारत की अर्थव्यवस्था को अमरीका के पास गिरवी रख दिया है और यह कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को वापिस लाएंगे। बाद में, ये दोनों दल सरकार में भागीदार रहे हैं। 1991 में कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू की गई आर्थिक नीति को किसी भी दल ने नहीं बदला है। इस कहानी की शिक्षा यही है कि राजनैतिक दलों को इस आधार पर न आंका जाए कि वे विपक्ष में रहते हुए क्या कहते हैं, बल्कि इस बात से आंका जाए कि उनको सत्ता सौंपे जाने पर वे क्या करते हैं।

मुझे विश्वास है कि परमाणु करार पर उनके अवसरवादी विरोध के बावजूद इतिहास विकसित हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुख्य शक्ति केन्द्र में भारत को अग्रसर करने के लिए संप्रग सरकार की सराहना करेगा। परमाणु ऊर्जा को विकास के मुख्य साधन के रूप में प्रयोग करने की जवाहर लाल नेहरू का दृष्टिकोण एक जीती-जागती सच्चाई बन जाएगी।

परमाणु समझौता क्या है? यह हमारे विकास विकल्पों को बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा को इस प्रकार बढ़ावा देना है कि हमारे अमूल्य पर्यावरण को नुकसान न हो और न ही प्रदूषण और 'ग्लोबल वार्मिंग' को बढ़ावा दे।

भारत की चिरकालिक गरीबी, अज्ञानता और बीमारी जिससे अभी लाखों लोग प्रभावित हैं, से छुटकारा पाने के लिए कम-से-कम दस प्रतिशत की वार्षिक की दर से विकास करने की आवश्यकता है। इस विकास दर को प्राप्त करने के लिए एक मूल आवश्यकता ऊर्जा की, विशेषत: बिजली की उपलब्धता है। कृषि, उद्योग और घरेलू खपत के लिए हमें विद्युत की आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। विद्युत उत्पादन में 8 से 10 प्रति की वार्षिक वृद्धि की आवश्यकता है।

अब विद्युत उत्पादन और हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्रोत हाइड्रोकार्बन है। लेकिन, हमारा हाइड्रोकार्बन, तेल और गैस, दोनों का उत्पादन हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताओं से काफी कम है। हम आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। आयातित हाइड्रोकार्बन की आपूर्ति और मूल्यों की अनिश्चितता से हम सभी वाकिफ हैं।

हमें ऊर्जा आपूर्ति के अपने स्रोतों का विविधीकरण करना होगा।

हमारे पास कोयले के विशाल भंडार हैं। लेकिन 2050 तक ये भी हमारी आवश्यकता पूर्ति के लिए कम पड़ जाएंगे। लेकिन कोयले के अधिक प्रयोग से वातावरण और जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हम जल-विद्युत का विकास कर सकते हैं और हमें इसका विकास करना ही होगा। लेकिन इनमें से अनेक परियोजनाएं वातावरण को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करती हैं, और विशाल संख्या में लोगों को विस्थापित करती हैं। हमें नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषतः सौर ऊर्जा के स्रोत विकसित करने होंगे। लेकिन हमें परमाणु ऊर्जा का भी भरपूर प्रयोग करना चाहिए जो ऊर्जा का एक स्वच्छ पर्यावरण अनुकूल स्रोत है। पूरे विश्व में ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए परमाणु ऊर्जा के महत्व को स्वीकार किया जा रहा है।

भारत के परमाणु वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद विश्वस्तरीय हैं। भारी कठिनाईयों के बावजूद उन्होंने परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित कर ली है। लेकिन कुछ बाधाएं हैं, जिन्होंने हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। सर्वप्रथम यूरेनियम का हमारा उत्पादन अपर्याप्त है। दूसरे, हमारे यूरेनियम संसाधनों की गुणवत्ता अन्य उत्पादकों के बराबर नहीं है। तीसरे, वर्ष 1974 और 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के पश्चात बाहरी दुनिया ने भारत का साथ परमाणु सामग्री, परमाणु उपस्कर और परमाणु प्रौद्योगिकी के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके परिणामस्वरूप हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बीस वर्ष पूर्व, परमाणु ऊर्जा आयोग ने बीसवीं शताब्दी के अंत तक 10000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा था। आज, वर्ष 2008 में हमारी क्षमता लगभग 4000 मेगावाट है और यूरेनियम की कमी के कारण इनमें से अनेक संयंत्र अपनी क्षमता से काफी कम कार्य कर रहे हैं।

हम जो परमाणु करार करना चाहते हैं, उससे भारत के परमाणु पृथक्करण, परमाणु के पक्षपात का दौर समाप्त होगा और इससे हमें परमाणु सामग्री, प्रौद्योगिकी और उपस्कर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ मिलेगा। यह करार अपने देश के औद्योगिकीकरण की गति तेज करने हेतु नए मार्ग खोलते हुए दोहरे प्रयोग वाली उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापार के नए अवसर प्रदान करेगा। हमारे परमाणु वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की उत्कृष्ट गुणवत्ता के चलते मुझे यह विश्वास करना होगा कि इतनी अल्पावधि में भारत असैन्य प्रयोजनों हेतु परमाणु प्रौद्योगिकियों और उपस्कर के महत्वपूर्ण निर्यातक के रूप में उभरेगा।

जब मैं यह बात कहता हूं तो मुझे श्री राजीव गांधी जी के दूरदर्शी नेतृत्व की याद आती है जो राष्ट्र निर्माण हेतु कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के पक्के समर्थक थे। उस समय, बहुत से लोगों को इस विचार पर हंसी आई थी। आज, सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्टवेयर एक नया उभरता उद्योग है जिसका वार्षिक कारोबार जल्द ही 50 बिलियन अमरीकी डालर होने वाला है। मैं सोचता हूं कि हमारा ऊर्जा उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था के विकासोन्मुखी बदलाव में ऐसी ही भूमिका निभा सकता है।

इस मामले की मूल भावना यह है कि अमरीका, रूस, फ्रांस और अन्य परमाणु सम्पन्न देशों के साथ करने वाले करार से हम अपने सामरिक परमाणु कार्यक्रम में किसी हस्तक्षेप के बिना असैन्य प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर पाएंगे। सामरिक कार्यक्रम का विकास अपनी इच्छानुसार, गति से करना जारी रहेगा जिसे केवल अपनी सुरक्षा संबंधी धारणाओं के अनुसार तय किया जाएगा। हमने अपने सामरिक कार्यक्रम के किसी बाहरी हस्तक्षेप या निगरानी या पर्यवेक्षण को न तो स्वीकार किया है और न ही करेंगे। हमारी सामरिक स्वायत्तता पर कभी समझौता नहीं किया जाएगा। हम अपनी इस सत्यनिष्ठ प्रतिबद्धता को लागू करना चाहते हैं कि हमारी सामरिक स्वायत्तता पर कभी समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम अपने परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संभावित संशोधनों पर विचार करने के इच्छुक हैं।

मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि इन करारों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें अपने राष्ट्र के सुरक्षा संबंधी हितों के कारण आवश्यकता पड़ने पर आगे परमाणु परीक्षण करने से रोकता हो। हमारी वचनबद्धता सिर्फ आगे किए जाने वाले परीक्षण पर स्वैच्छिक अधिस्थगन के लिए है। इस प्रकार परमाणु करारों से हमारी सामरिक स्वायत्तता किसी प्रकार प्रभावित नहीं होगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमें असैन्य प्रयोग हेतु परमाणु सामग्री, प्रौद्योगिकी और उपस्कर के व्यापार हेतु जो सहयोग देने का इच्छुक है, वह हमें एन.पी.टी. और सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर किए बिना उपलब्ध होगा।

मेरा विश्वास है कि यह इस बात का प्रमाण है कि विश्व भारत का अर्थव्यवस्था के विकास के बढ़े इंजन के रूप में तथा इसकी जनता व उसकी क्षमताओं का कितना

[डा. मनमोहन सिंह]

आदर करता है। मैं प्रायः कहता हूं कि आज भारत के विकास पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं हैं। विश्व इनके कानून के शासन और मौलिक मानव स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध कार्यरत लोकतंत्र के ढांचे में हमारी सामाजिक और आर्थिक मुक्ति पाने के लिए हमारी योग्यता पर आश्चर्य करता है। विश्व चाहता है कि भारत को सफलता मिले। हमारे अपने देश में हमें, विशेषकर हमारे राष्ट्रीय शासन की प्रक्रियाओं में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि जब वर्ष 1998 में पोखरण-II परीक्षण किए गए थे, तब आठ अग्रणी विकसित देशों के समूह ने भारत की निंदा करते हुए कर संकल्प पारित किया था और उन्होंने भारत से, एन.पी.टी. तथा सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने का आह्वान किया था। आज, जापान में हाल ही में हुई जी-8 की होक्काइडो की बैठक में चेयरमैन के सारांश ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का स्वागत किया है। यह असैन्य परमाणु ऊर्जा प्रयोजनों हेतु भारत के साथ व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अवधारणाओं में बहुत बड़े परिवर्तन है, जो दस वर्षों से कम समय में हुआ है।

हमारे आलोचक हम पर झूठा आरोप लगाते हैं कि इन करारों पर हस्ताक्षर करके हमने अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता का समर्पण कर दिया है और इसे अमरीकी हितों के अधीन कर दिया है। इस संदर्भ में, मैं यह बताना चाहता हूं कि असैन्य परमाणु मामलों में हम जो सहयोग चाहते हैं वह अमरीका तक सीमित नहीं है। एन.एस.जी. के दिशा-निर्देशों में परिवर्तन परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के 45 सदस्य देशों के साथ व्यापार करने की स्वीकृति होगा, जिसमें रूस, फ्रांस और अन्य अनेक देश सम्मिलित हैं।

हम इस बात की सराहना करते हैं कि अमरीका ने असैन्य प्रयोग हेतु परमाणु ऊर्जा के लिए भारत के साथ सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए बढ़-चढ़कर कार्रवाई की है। अमरीका द्वारा पहल किए बिना आई.ए.ई.ए. अथवा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह द्वारा स्वीकृति हेतु भारत का मामला आगे नहीं बढ़ पाता।

परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अपने प्रबुद्ध राष्ट्र हित की अपनी अवधारणाओं द्वारा निर्धारित स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने के लिए भारत पर कोई स्पष्ट अथवा अस्पष्ट दबाव होगा। कुछ लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों में कुछ गोपनीय और छिपे हुए समझौते हैं। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि 123 समझौते, पृथक्करण योजना तथा आई.ए.ई.ए. के साथ सुरक्षोपाय समझौते के प्रारूप के अतिरिक्त कोई गोपनीय या छिपे हुए दस्तावेज नहीं हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि हाइड एक्ट भारत द्वारा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने के सामर्थ्य को भी प्रभावित करेगा। हाइड एक्ट अस्तित्व में है और यह पूर्ण सुरक्षोपायों पर दबाव के बिना और एन.पी.टी. पर हस्ताक्षर किए बगैर भारत के साथ असैन्य परमाणु सहयोग करने के लिए अमरीकी प्रशासन को प्राधिकृत करता है। कुछ परामर्शदायी खंड हैं परंतु किसी प्रकार से हमारी विदेश नीति के संचालन को प्रभावित नहीं कर सकते और न ही उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमारी प्रतिबद्धता उसके लिए है जिसकी सहमति 123 समझौते में हुई है। इस समझौते में ऐसा कुछ नहीं है, जो एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने में हमारी सामरिक, स्वायत्तता अथवा सामर्थ्य को प्रभावित करे। मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं कि हमारी विदेश नीति को सदैव हमारे राष्ट्र हित के अपने आकलन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यह बात विगत में सही साबित हुई है और भविष्य में बड़ी शक्तियों और पश्चिम एशिया में हमारे पड़ोसियों विशेषकर ईरान, इराक, फिलीस्तीन और खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंधों के मामले में सही साबित होगी।

इराक में हस्तक्षेप के मामले में अमरीका से हमारे मतभेद रहे हैं। मैंने जुलाई 2005 में वाशिंगटन डीसी में नैशनल प्रेस क्लब में हुई प्रेस कान्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कहा था कि इराक में हस्तक्षेप एक बड़ी गलती थी। ईरान के संबंध में हमारी सलाह आधुनिकीकरण के पक्ष में रही है और हम चाहेंगे कि सामने आए ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के दायरे में वार्ता और चर्चा के माध्यम से हल किया जाना चाहिए।

मैं सभा को यह भी सूचित कर दूं कि अरब देशों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। दो वर्षों पूर्व, सऊदी अरब के महामहिम किंग अब्दुल्ला हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। अभी हाल ही में हमने ईरान के राष्ट्रपति, सीरिया के राष्ट्रपति, जार्डन के किंग, कतर के आमीर और कुवैत के अमीर की मेजबानी की है। इन सभी देशों के साथ हमारे ऐतिहासिक सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंध

हैं। जिनसे हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे पारस्परिक हित लाभ और आगे बढ़ा पाएंगे। आज, हमारे अमरीका, रूस, फ्रांस, यू.के. जर्मनी, जापान, चीन, ब्राजील, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका सहित सभी प्रमुख शक्तियों के साथ सामरिक संबंध हैं। हम पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ नई साझेदारी कर रहे हैं।

विश्व के सबसे बड़े, सबसे विविध और सबसे सक्रिय लोकतंत्र का प्रबंधन और शासन इस विश्व में किसी भी व्यक्ति को सौंपी गई सबसे बड़ी चुनौती है। यह मेरा सौभाग्य है कि चार वर्षों पूर्व मुझे यह चुनौती सौंपी गई थी। मुझमें दर्शाए गए विश्वास के लिए मैं संप्रग की अध्यक्षता, संप्रग घटक दलों के नेताओं और अपने दल के प्रत्येक सदस्य का पूरी निष्ठा के साथ आभारी हूं। मैं कृतज्ञतापूर्वक श्री ज्योति बसु और सरदार हरकिशन सिंह सुरजीत से मिले मार्गदर्शन और समर्थन को पुनः याद करता हूं।

मैंने प्रायः कहा है कि मैं अकस्मात राजनेता बना हूं। मैंने अनेक विविध पदों पर कार्य किया है। मैं अध्यापक रहा हूं, मैं भारत सरकार का अधिकारी रहा हूं, मैं इस महान संसद का सदस्य रहा हूं, परंतु मैं एक दूरवर्ती गांव में नवयुवक के रूप में अपने जीवन को कभी नहीं भूला हूं।

मैंने भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद से प्रति दिन यह याद रखने का प्रयास किया है कि मेरे जीवन के पहले दस वर्ष ऐसे गांव में गुजरे थे, जहां न तो पेयजल की आपूर्ति थी, न ही बिजली थी, न ही अस्पताल था, न ही सड़कें थीं और ऐसा कुछ नहीं था, जिसे हम आज आधुनिक जीवन से जोड़ते हैं। मुझे स्कूल जाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था, मुझे मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप की रोशनी में पढ़ना पड़ता था। इस राष्ट्र ने मुझे यह सुनिश्चित करने का अवसर दिया कि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों का जीवन ऐसा न हो।

महोदय, मेरा मन साफ है कि जबसे मैंने इस उच्च पद को संभाला है, तब से मैंने प्रतिदिन दूरवर्ती गांव के उस युवक के सपने को साकार करने का प्रयास किया है।

लोकतंत्र की महानता यह है कि हम सभी कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। आज हम यहां हैं कल चले जाएंगे। परंतु इस थोड़े से समय में भारत की जनता ने हमें यह जिम्मेदारी सौंपी है, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम ईमान और निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। जैसा हमारे पवित्र ग्रंथों में कहा गया है कि हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं और हमें फल की इच्छा किए बिना कर्म करना चाहिए? इस उच्च पद पर रहते हुए मैंने जो कुछ किया है, उसे पूरे साफ अंतःकरण से और अपने देश तथा अपने देशवासियों के सर्वाधिक हितों को मन में रखकर किया है। मुझे और कोई दावे नहीं करने हैं।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं डा. मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मतदान के लिए सभा में रखता हूं।

...(व्यवधान)

सायं 7.21 बजे

इस समय श्रीमती किरण माहेश्वरी और कुछ अन्य सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है।"

...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: हम मत विभाजन चाहते हैं।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चूंकि वे मत विभाजन चाहते हैं इसलिए दीर्घायें खाली करा दी जाएं...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: दीर्घायें खाली करा दी गई हैं, माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब मैं डा. मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है।"

...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: हम मत विभाजन चाहते हैं

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। महासचिव जी, कृपया अनुदेश पढ़ें।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: अध्यक्ष महोदय, राज्य सभा के सांसद यहां कैसे उपस्थित रह सकते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया महासचिव की बात सुनें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप मतदान करना चाहते हैं तो आपको उन्हें सुनना होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि आप मत विभाजन नहीं चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: हम मत विभाजन चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: तो फिर कृपया शांत रहें। कृपया, महासचिव की घोषणा सुनें।

महासचिव महोदय, कृपया घोषणा करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो कृपया उन्हें सुनें।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: हमारी आपत्ति राज्य सभा के सदस्यों की यहां उपस्थिति से है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अनंत कुमार जी, आप बहुत समझदार और सतर्क हैं। आप जानते हैं कि यह छोटी सी बात है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उनकी बात सुनें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक महत्वपूर्ण घोषणा की जा रही है। लगता है आप नहीं चाहते हैं कि मतदान हो। आप छोटी-छोटी बातों पर आपत्ति कर रहे हैं।

श्री अनंत कुमार, मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है। आप अपना स्थान ग्रहण करें। यदि आप अध्यक्ष के पद का जरा भी आदर करते हैं तो कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मतदान चाहते हैं या नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं परिणाम घोषित कर चला जाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: लगता है, आप मतदान नहीं चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा, मैंने इसे पहले ही अस्वीकार कर दिया है। आप क्यों इस पर बात कर रहे हैं?

महासचिव महोदय।

महासचिव: माननीय सदस्य जिन्हें अभी तक डिविजन नम्बर नहीं दिया गया है यह उन्हें अपने वोट रिकार्ड करने हेतु पक्ष/विपक्ष मुद्रित पर्चियां उनकी सीट पर दी जायेंगी। पर्ची में कृपया अपना मत रिकार्ड कर हस्ताक्षर करें, अपना नाम, पहचान पत्र संख्या (सदस्यों को दिए गए अस्थाई या स्थाई पहचान पत्र में उल्लिखित), निर्वाचन क्षेत्र तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा तिथि निर्दिष्ट स्थान पर स्पष्ट लिखें। माननीय सदस्य जिन्होंने 'भाग नहीं लिया है' और अपना रिकार्ड करना चाहते हैं कृपया 'अनुपस्थित' पर्ची की मांग करें।

अध्यक्ष महोदय: इसलिए, जिन माननीय सदस्यों को डिविजन संख्या आवंटित नहीं की गयी है और जिनकी यहां सीट नहीं है वे पर्ची की मांग सकते हैं जो उन्हें दी जाएंगी।

दीर्घायें पहले ही खाली करा दी गई हैं।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करती है"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या 1

पक्ष में **सायं 7.30 बजे**

अंतुले, श्री ए.आर.

अंसारी, श्री फुरकान

अग्रवाल, डा. धीरेंद्र

अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.

अब्दुल्ला, श्री उमर

अम्बरीश, श्री एम.एच.

*अय्यर, श्री मणिशंकर

अहमद, डा. शकील

अहमद, श्री ई.

आठवले, श्री रामदास

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

इंग्ती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री ई.वी.के.एस.

उरांव, डा. रामेश्वर

ओला, श्री शीश राम

ओवेसी, श्री असादुद्दीन

ओसमानी, श्री ए.एफ.जी.

कमलनाथ, श्री

कलमाडी, श्री सुरेश

कादर मोहिदीन, प्रो. के.एम.

कामत, श्री गुरूदास

किन्डिया, श्री पी.आर.

कुन्नुर, श्री मंजुनाथ

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार, श्रीमती मीरा

कुमारी सैलजा

कृष्ण, श्री विजय

कृष्णास्वामी, श्री ए.

केरकेटा, श्रीमती सुशीला

कोन्यक, श्री डब्ल्यू. वांग्यू

कोरी, श्री राधेश्याम

कौर, श्रीमती परनीत

खारवेनथन, श्री एस.के.

गणेशन, श्री एल.

गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर

गमांग, श्री गिरिधर

गांधी, श्री राहुल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गिल, श्री आत्मा सिंह

गुप्त, श्री श्यामा चरण

गोगोई, श्री दीप

गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश

गोविन्दा, श्री

गौडा, श्रीमती तेजस्विनी

घुरन राम, श्री

चन्द्र कुमार, प्रो.

चारेनामै, श्री मणि

चालिहा, श्री किरिप

चावड़ा, श्री हरिसिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डा.

चौधरी, श्री अबू हशीम खां

चौधरी, डा. तुषार अमर सिंह

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्रीमती रेनुका

चौरे, श्री बापू हरी

जगदीशन, श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी

जगन्नाथ, डा. एम.

जय प्रकाश, श्री

जयाप्रदा, श्रीमती

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जालप्पा, श्री आर.एल.

जिन्दल, श्री नवीन

*जोगी, श्री अजीत

जोगैया, श्री हरि राम

झा, श्री रघुनाथ

टाइटलर, श्री जगदीश

तुम्मर, श्री वी.के.

डेलकर, श्री मोहन एस.

तंगबालु, श्री के.वी.

तस्लीमुद्दीन, श्री

तीरथ, श्रीमती कृष्णा

थुपस्तन, श्री छेवांग

दत्त, श्रीमती प्रिया

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दीक्षित, श्री सन्दीप

दुबे, श्री चन्द्र शेखर

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र एस.

देव, श्री संतोष मोहन

देवरा, श्री मिलिन्द

धनराजू, डा. के.

नरबुला, श्री डी.

नरेन्द्र, श्री ए.

नायक, श्री ए. वेंकटेश

निखिल कुमार, श्री

*निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर

पटेल, श्री किसनभाई वी.

पटेल, श्री जीवाभाई ए.

पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई

पटेल, श्री दिलीप

पटेल, श्री सोमाभाई जी.

पानाबाका, श्रीमती लक्ष्मी

पल्लानी शानी, श्री के.सी.

*पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पवार, श्री शरद

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड

पाटील, श्री प्रतीक पी.

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री लक्ष्मणराव

पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाटील, श्रीमती सूर्यकांता

पायलट, श्री सचिन

पासवान, श्री रामचन्द्र

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री वीरचन्द्र

पिंगले, श्री देविदास

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रभु, श्री आर.

प्रसाद, कुंवर जितिन

प्रसाद, श्री रामस्वरूप

प्रसाद, श्री हरिकेवल

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ

फैन्थम, श्री फ्रान्सिस

बंगरप्पा, श्री एस.

बंसल, श्री पवन कुमार

बब्बर, श्री राज

बर्क, डा. शफीकुर्रहमान

बहुगुणा, श्री विजय

"बाबा", श्री के.सी. सिंह

बारकू, श्री शिंगाडा दामोदर

बारड, श्री जसुभाई दानाभाई

बालू, श्री टी.आर.

*बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी

भक्त, श्री मनोरंजन

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

भड़ाना, श्री अवतार सिंह

भूरिया, श्री कांति लाल

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा

मरन्डी, श्री सुदाम

मसूद, श्री रशीद

*महतो, श्री टेक लाल

महतो, श्रीमती सुमन

महावीर प्रसाद, श्री

*मांझी, श्री राजेश कुमार

माकन, श्री अजय

माझी, श्री शंखलाल

माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई

माने, श्रीमती निवेदिता

सारन, श्री दयानिधि

मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मिश्रा, डा. राजेश

मीना, श्री नमोनारायन

*मुखर्जी, श्री प्रणब

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के.एच.

*मुफ्ती, सुश्री महबूबा

मुर्मू, श्री हेमलाल

मूर्ति, श्री ए.के.

मेहता, श्री आलोक कुमार

मैन्या, डा. टोकचोम

मैक्लोड, सुश्री इन्प्रिड

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*मोरे, श्री वसंतराव

यादव, कुंवर देवेन्द्र सिंह

यादव, प्रो. राम गोपाल

यादव, श्री अखिलेश

यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु

यादव, श्री अरुण

*यादव, श्री एम. अंजनकुमार

यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह

यादव, श्री गिरिधारी

यादव, श्री चन्द्रपाल सिंह

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री पारसनाथ

यादव, श्री बालेश्वर

*यादव, श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू

यादव, श्री राम कृपाल

यादव, श्री सीता राम

यास्खी, श्री मधु गौड

रंजन, श्रीमती रंजीत

रघुपति, श्री एस.

रठवा, श्री नारनभाई

*राई, श्री नकुल दास

राजगोपाल, श्री एल.

राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद

राजा, श्री ए.

राजू, श्री एम.एम. पल्लम

राजेन्तीरन, श्रीमती एम.एस.के. भवानी

राजेन्द्र कुमार, श्री

राणा, श्री गुरजीत सिंह

राणा, श्री रबिन्दर कुमार

रानी, श्रीमती के.

रामकृष्णा, श्री बाडिगा

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन.

रामदास, प्रो. एम.

राव, श्री के.एस.

*राव, श्री डी. विट्टल

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

*रेड्डी, श्री ए. इन्द्र करण

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

*रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री वाई.एस. विवेकानन्द

लालू प्रसाद, श्री

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वर्मा, श्रीमती ऊषा

वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वाघेला, श्री शंकर सिंह

विजयन, श्री ए.के.एस.

विरूपाक्षप्पा, श्री के.

वुन्डावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेंकटपति, श्री के.

वेंकटस्वामी, श्री जी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

वेलु, श्री आर.

शर्मा, डा. अरविन्द

शर्मा, श्री मदन लाल

शहाबुद्दीन, डा. मोहम्मद

शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम

शाक्य, श्री रघुराज सिंह

*शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

शिवन्ना, श्री एम.

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखर, श्री नीरज

शेरवानी, श्री सलीम

शैलेन्द्र कुमार, श्री

*संगमा, कुमारी आगाथा के.

*संगलिअना, डा. एच.टी.

सईदा, श्रीमती रूबाब

सज्जन कुमार, श्री

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

सरोज, श्री तूफानी

सरोज, श्री दरोगा प्रसाद

सत्यनारायण, श्री सर्वे

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए.

*सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्जी

साहु, श्री चंद्रशेखर

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंह, कुंवर मानवेन्द्र

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, चौधरी विजेन्द्र

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री अक्षय प्रताप

सिंह, श्री अखिलेश प्रसाद

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री गणेश प्रसाद

सिंह, श्री चन्द्रभूषण

सिंह, श्री देवव्रत

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री मानिक

सिंह, श्री मोहन

सिंह, श्री रेवती रमन

सिंह, श्री सीताराम

सिंह, श्री सूरज

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती प्रतिभा

सिब्बल, श्री कपिल

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुब्बा, श्री मणी कुमार

सुमन, श्री रामजीलाल

सुम्बरूई, श्री बागुन

सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव एच.

सेनथिल, डा. आर.

सेलवी, श्रीमती वी. राधिका

सोरेन, श्री शिबु

सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह

स्वाईं, श्री हरिहर

*हनुमनथप्पा, श्री एन.वाई.

हर्ष कुमार, श्री जी.वी.

हान्डिक, श्री विजय

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

हुसैन, श्री अनवर

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

विपक्ष में

अंगड़ि, श्री सुरेश

*अंसारी, श्री अफजाल

अजगल्ले, श्री गुहाराम

अजनाला, डा. रतन सिंह

अजय कुमार, श्री एस.

अटवाल, श्री चरणजीत सिंह

अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अप्पादुरई, श्री एम.

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री

अर्गल, श्री अशोक

अहमद, श्री अतीक

अहीर, श्री हंसराज गं.

आचार्य, श्री प्रसन्न

आचार्य, श्री बसुदेव

आजमी, श्री इलियास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

*आदिकेसवुलु, श्री डी.के.

आदित्यनाथ, योगी

ओराम, श्री जुएल

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

*कनोडीया, श्री महेश

करूणाकरन, श्री पी.

कश्यप, श्री बलीराम

कस्वां, श्री राम सिंह

कुरूप, एडवोकेट सुरेश

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

कृष्णदास, श्री एन.एन.

कृष्णन, डा. सी.

कोली, श्री रामस्वरूप

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

*खंडेलवाल, श्री हेमन्त

खन्ना, श्री अविनाश राय

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री सुनील

खैरे, श्री चंद्रकांत

गंगवार, श्री संतोष

गढ़वी, श्री पी.एस.

गद्दीगउडर, श्री पी.सी.

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गांधी, श्रीमती मेनका

गाव, श्री तापिर

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुढ़े, श्री अनंत

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोहेन, श्री राजेन

गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द

चक्रवर्ती, डा. सुजान

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

चटर्जी, श्री सांताश्री

चन्द्रप्पन, श्री सी.के.

*चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री बंसगोपाल

चौधरी, श्रीमती अनुराधा

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंद कुमार सिंह

जटिया, डा. सत्यनारायण

जय प्रकाश, श्री

जाधव, श्री प्रकाश बी.

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस

जावले, श्री हरिभाऊ

*जीगजीणगी, श्री रमेश चंदप्पा

जेना, श्री मोहन

जैन, श्री पुष्प

जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

*ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

*डम्पी, श्री अकबर अहमद

डांगावास, श्री भंवर सिंह

डोम, डा. रामचन्द्र

ढिल्लो, श्री शरनजीत सिंह

*ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह

तोपदार, श्री तरित बरण

त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि

त्रिपाठी, श्री बृज किशोर

दरबार, श्री छत्तर सिंह

दास, डा. अलकेष

दास, श्री खगेन

दासगुप्त, श्री गुरूदास

दिलेर, श्री किशन लाल

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

दूबे, श्री रमेश

देव, श्री बिक्रम केशरी

देवेगौडा, श्री एच.डी.

*देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र

धर्मेन्द्र, श्री

धोत्रे, श्री संजय

नन्दी, श्री अमिताभ

नम्बाडन, श्री लोनाप्पन

नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नागपाल, श्री हरीश

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्रीमती अर्चना

निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद

निहाल चन्द, श्री

पंडा, श्री ब्रह्मानन्द

पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई

पटैरिया, श्रीमी नीता

परस्ते, श्री दलपत सिंह

*परांजपे, श्री आनन्द

पटले, श्री शिशुपाल एम.

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा आर.

पाटिल, श्री डी.बी.

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब

पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाठक, श्री ब्रजेश

पाठक, श्री हरिन

पाण्डा, श्री प्रबोध

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पॉल, डा. सिबैस्टियन

पाल, श्री रूपचंद

पासवान, श्री सुकेदव

पोटाई, श्री सोहन

प्रधान, श्री अशोक

प्रधान, श्री धर्मेन्द्र

प्रधान, श्री प्रशान्त

प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर

प्रसाद, श्री लालमणि

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

बखला, श्री जोवाकिम

बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह

'बघदा', श्री बची सिंह रावत

बर्मन, प्रो. बसुदेव

बर्मन, श्री रनेन

*बर्मन, श्री हितेन

बसु, श्री अनिल

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बादल, श्री सुखबीर सिंह

बिश्नोई, श्री कुलदीप

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बिसेन, श्री गौरीशंकर चतुर्भुज

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बुधौलिया, श्री राजनरायन

बेल्लारमिन, श्री ए.वी.

बैठा, श्री कैलाश

बैस, श्री रमेश

बोस, श्री सुब्रत

भगोरा, श्री महावीर

भाईलाल, श्री

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

मंडल, श्री अबु अयीश

मंडल, श्री सनत कुमार

मनोज, डा. के.एस.

*मरांडी, श्री बाबू लाल

मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.

मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री नरहिर

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

माझी, श्री परसुराम

मान, श्री जोरा सिंह

माहेश्वरी, श्रीमती किरण

मिडियम, डा. बाबू राव

मुंशी राम, श्री

मुकीम, मो.

मुर्मू, श्री रूपचन्द

मेघवाल, श्री कैलाश

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद

मो. ताहिर, श्री

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी.

मोहले, श्री पुन्नूलाल

यादव, श्री उमाकान्त

*यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह

यादव, श्री मित्रसेन

येरननायडु, श्री किन्जरपु

रवीन्द्रन, श्री पन्नियन

राजेन्द्रन, श्री पी.

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री वरकला

*राव, श्री ई. दयाकर

*राव, श्री के. चन्द्रशेखर

राव, श्री पी. चलपति

रावत, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजपाल सिंह

रावत, प्रो. रासा सिंह

रावत, श्री अशोक कुमार

रावत, श्री कमला प्रसाद

रावत, श्री धनसिंह

रावले, श्री मोहन

रिजीजू, श्री कीरेन

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु

'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह

लाहिरी, श्री समिक

वरकटकी, श्री नरायण चन्द्र

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री राजेश

वसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वाघमारे, श्री सुरेश

*वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वारसी, श्री अनिल शुक्ल

विजयशंकर, श्री सी.एच.

*विनोद कुमार, श्री बी.

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.

*शंकर, श्री भीष्म उर्फ कुशल तिवारी

शर्मा, डा. अरुण कुमार

शिवनकर, प्रो. महादेवराव

शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील

शुक्ला, श्रीमती करूणा

सतीदेवी, श्रीमती पी.

सर, श्री निखिलानन्द

सत्पथी, श्री तथागत

सलीम, मोहम्मद

सांगवान, श्री किशन सिंह

साय, श्री नन्द कुमार

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

साय, श्री विष्णु देव

साहू, श्री ताराचंद

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे

सिंह, कुंवर सर्व राज

सिंह, डा. राम लखन

*सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री उदय

*सिंह, श्री कल्याण

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री मानवेन्द्र

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री लक्ष्मण

*सिंह, श्री विजयेन्द्र पाल

सिंह, श्री विश्वेन्द्र

सिंह, श्री सरताज

सिंह, श्री सुग्रीव

सिंह, श्रीमती मीना

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी

*सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.

सिद्धू, श्री नवजोत सिंह

सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन

सील, श्री सुधांशु

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सुजाता, श्रीमती सी.एस.

सुब्बारायण, श्री के.

*सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेठी, श्री अर्जुन

सेन, श्रीमती मिनाती

सोनोवाल, श्री सर्वानन्द

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह

स्वाईं, श्री खारबेल

हमजा, श्री टी.के.

हसन, चौ. मुनव्वर

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

हेगड़े, श्री अनंत कुमार

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं। कार्य करना बहुत मुश्किल है। कृपया अधिकारियों को कार्य करने दें। कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। अधिकारी ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। वे माननीय सदस्य जो मतदान नहीं कर पाए हैं खड़े होकर बताएं। अन्यथा उनके मत की गिनती नहीं की जाएगी। कृपया बता दें।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपने-अपने स्थानों पर चले जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी-अपनी पर्ची सही करें। सभी सदस्य सुनिश्चित करें कि उनका मत सही रिकार्ड हो। अन्यथा पर्ची का उपयोग करें।

...*(व्यवधान)*

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे बहुत खेद है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

हमारे अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप सब अपनी-अपनी सीट पर जाएं।

[अनुवाद]

अधिकारी ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कार्य कैसे किया जा सकेगा?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अन्य सुरक्षा और प्रतिपालन अधिकारियों को बुलाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ऐसा नहीं करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। अन्यथा मतों की सही गणना नहीं हो सकेगी। जो माननीय सदस्य अपनी पर्ची देना चाहते हैं कृपया दे दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसके आधार पर आप मनमानी करें। कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अभी रिजल्ट्स एनाउन्स नहीं हुए हैं। आप सब बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सब हड़बड़ा क्यों रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सब के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: वाजपेयी जी का वोट हो गया है।

[अनुवाद]

ठीक है। वे जा सकते हैं। उन्हें आराम करना चाहिए, हां, मैंने उन्हें जाने की अनुमति दी है हालांकि दीर्घा बन्द है। वाजपेयी जी घर जाना चाहते है, उन्हें ही जाने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त दीर्घा किसी और के लिए अब नहीं खोली जाएगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वाजपेयी जी को परेशानी न हो। वे घर जाना चाहते हैं। जो भी बीमार हैं चाहे तो जा सकते हैं। मात्र यही चार सदस्य जा सकते हैं और कोई नहीं। मैंने उन्हें शुभकामना दी हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर चले जाएं। मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में	275
विपक्ष में	256

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.23 बजे

राष्ट्र गीत

(राष्ट्र गीत की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय: लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.24 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष: 23034726, 23034495, 23034496) पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।